CELEBRATING 25 YEARS

25th वार्षिक प्रतिवेदन ANNUAL REPORT 2016 - 17

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

25th वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2016 - 2017

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

श्री थावर चन्द गेहलोत, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार ''रजत जयंती समारोह–2017 '' में दीप प्रज्वलित करते हुए। इस अवसर पर श्री बी. एल. मीना, संयुक्त सचिव (बी.सी.), भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, डॉ. किशोर सांसी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, विजया बैंक एवं श्री के. नारायन, प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. भी उपस्थित थे।

Shri Thaawar Chand Gehlot, Hon'ble Union Minister of Social Justice & Empowerment (SJ&E), Govt. of India lightning the lamp at "Silver Jubilee Celebrations-2017". Shri B. L. Meena, Joint Secretary(BC), Department of Social Justice & Empowerment (SJ&E), Govt. of India, Dr. Kishore Sansi, MD & CEO, Vijaya Bank & Shri K. Narayan, MD, NBCFDC were also present.

श्री थावर चन्द गेहलोत, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार द्वारा "सूरजकुण्ड क्राफ्ट मेला–2017" में लाभार्थी से वार्ता करते हुए। इस अवसर पर सुश्री लता कृष्ण राव, सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, निगम के अन्य उच्च अधिकारियों के साथ भी उपस्थित थी।

Shri Thaawar Chand Gehlot, Hon'ble Union Minister of Social Justice & Empowerment (SJ & E), Govt. of India interacting with beneficiary at "Surajkund Craft Mela 2017". Smt. G. Latha Krishna Rao, Secretary, Department of Social Justice & Empowerment (SJ & E), Govt. of India alognwith other Senior officials of the Corporations were also present

श्री थावर चन्द गेहलोत, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार "सूरजकुण्ड क्राफ्ट मेला–2017" में लाभार्थी से वार्ता करते हुए। इस अवसर पर सुश्री लता कृष्ण राव, सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, निगम के अन्य उच्च अधिकारियों के साथ भी उपस्थित थी।

Shri Thaawar Chand Gehlot, Hon'ble Union Minister of Social Justice & Empowerment (SJ & E), Govt. of India interacting with beneficiary at "Surajkund Craft Mela 2017". Smt. G. Latha Krishna Rao, Secretary, Department of Social Justice & Empowerment (SJ&E), Govt. of India alongwith others Senior officials of the Corporations were also present

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं से लाभ उठाते हुए लाभार्थियों का चित्राकंन
A Photo feature reaping the benefits of NBCFDC Schemes

सामान्य ऋण योजना
General Loan Scheme

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की 'सामान्य ऋण योजना' के अन्तर्गत वित्त पोषित पंजाब का लाभार्थी।

Beneficiary of Punjab financed under NBCFDC 'General Loan Scheme'

महिला समृद्धि योजना
Mahila Samridhi Scheme

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की 'सामान्य ऋण योजना' के अन्तर्गत वित्त पोषित जम्मू एवं कश्मीर का स्वंय सहायता समूह।

Self Help Group of Jammu and Kashmir financed under NBCFDC 'MahilaSamridhi Scheme'

नई स्वर्णिमा योजना
New Swarnima Scheme

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की विशेष योजना 'नई स्वर्णिमा' के अन्तर्गत वित्त पोषित पुडुचेरी की लाभार्थी।

Beneficiary of Puducherry financed under NBCFDC Special Scheme 'New Swarnima Scheme'

शैक्षिक ऋण योजना
Education Loan Scheme

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की 'शैक्षिक ऋण योजना' के अन्तर्गत उच्च शिक्षा (एम.बी.बी.एस.) हेतु वित्त पोषित केरल (बी.सी.) का लाभार्थी।

Beneficiary of Kerala (BC) financed for higher Education (MBBS) under NBCFDC 'Education Loan Scheme'

25th वार्षिक प्रतिवेदन ANNUAL REPORT 2016 - 2017

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
National Backward Classes Finance & Development Corporation

वर्षवार संचयी उपभोग एवं संचयी वसूली
Yearwise Cumulative Utilization and Cumulative Recovery

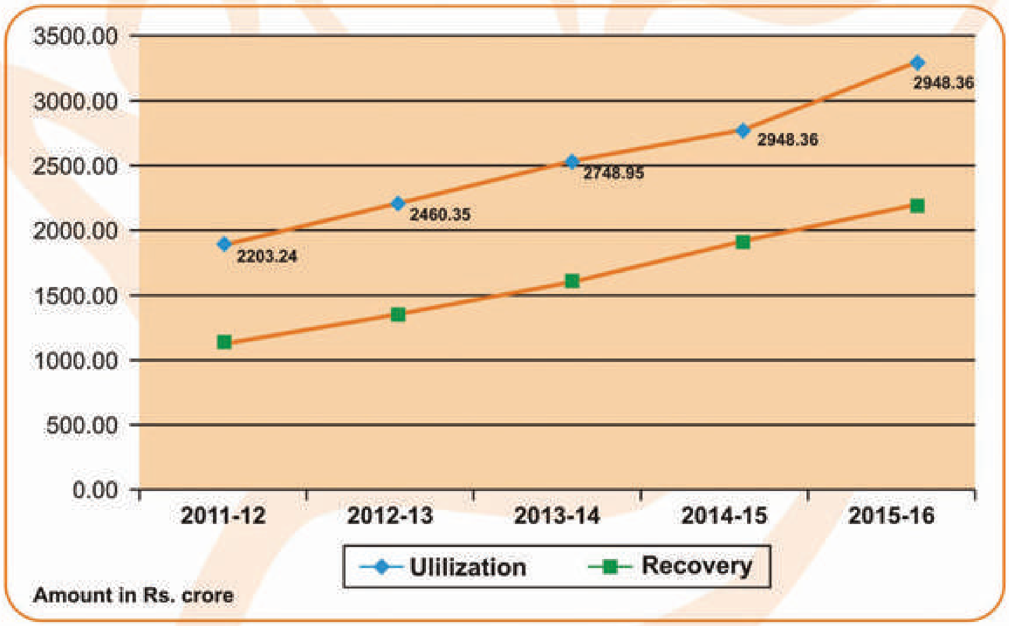

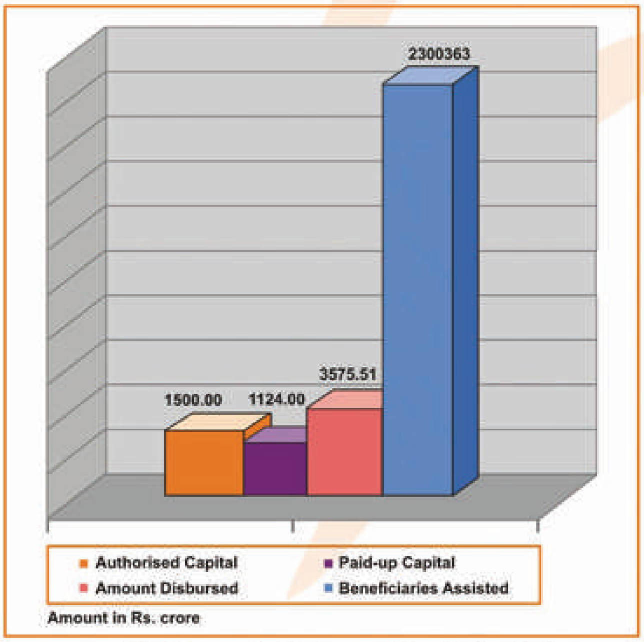

31.03.2017 को अधिकृत अंश पूंजी, प्रदत्त पूंजी, संचयी राशि वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी।

Authorised share capital, Paid-up capital, Cumulative Amount Disbursed and Beneficiaries Assisted upto 31.03.2017

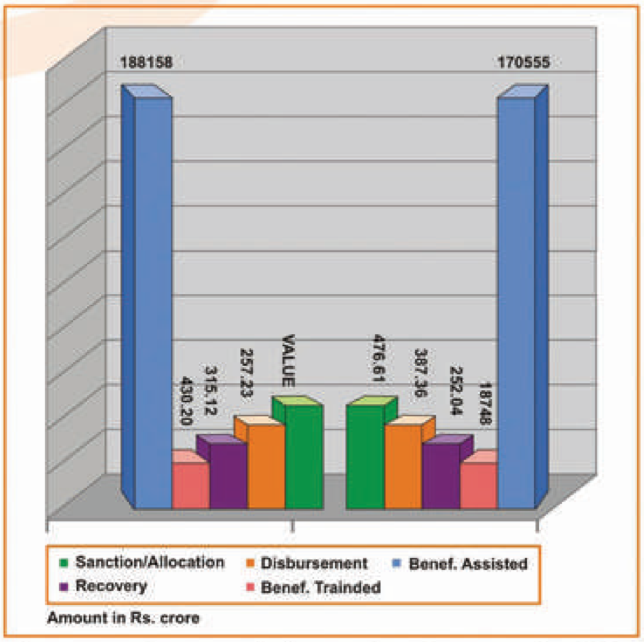

वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान आवंटन, वितरण, वसूली, प्रशिक्षित लाभार्थी, सहायता प्राप्त लाभार्थियों की उपलब्धियों का तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण।

Comparative presentation Achievement of Allocation, Disbursement, Recovery, Beneficiaries trained & assisted during 2015-16 & 2016-17

लक्षित वर्ग हेतु कौशल विकास कार्यक्रम
Skill Development Programmes for Target Group

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थी छत्तीसगढ़ में 'फिटर' का प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए। यह प्रशिक्षण ओ.पी. जिंदल कम्युनिटी कॉलेज के माध्यम से प्रदान किया गया।

A photo feature of Backward Classes trainees availing training in Fitter at Chhatishgarh under NBCFDC training Scheme. The training provided through O.P. Jindal Community College.

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थी राजामयोग, असम में 'हाचिंत प्रोडक्ड' का प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए। यह प्रशिक्षण आई.आई.ई., गुवाहाटी के माध्यम से प्रदान किया गया।

A photo feature of Backward Classes trainees availing training in "Hyacinth Product" at Rajamayon, Assam. under NBCFDC training Scheme. The training provided through IIE, Guwahati.

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थी घंगोरा–घनगोरी गाँव, बरेली में 'पोटरी' का प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए। यह प्रशिक्षण सीएसआईआर–केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, खुर्जा के माध्यम से प्रदान किया गया।

Potters at Ghangora –Ghangori village of Distt Bareilly, A photo feature of Backward Classes trainees availing training in "Potters" at Ghangora–Ghangori village, Bareilly under NBCFDC training Scheme. The training provided through CSIR-Central Glass & Ceramic Research Institute, Khurja.

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के गड़िया लोहार कम्पयुनिटी के प्रशिक्षणार्थी गुड़गाँव, हरियाणा में 'सेल्फ–एम्प्लोयेड टेलर कोर्स फॉर यंग वुमन' प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए। यह प्रशिक्षण अपरैल मेडअप एण्ड होम फर्नीसिंग सैक्टर स्किल काउंसिल के माध्यम से प्रदान किया गया।

A photo feature of Backward Classes trainees availing training in "Self-employed tailor course for young women" of Gariya Lohar Community Gurgaon, Haryana under NBCFDC training Scheme. The training provided through Apparel Made-up & Home Furnishing Sector Skill Council

विपणन संयोजन / Marketing Linkages

हैंडलूम हॉट / Handloom Haat

श्री थावर चन्द गेहलोत, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार 'हैंडलूम हॉट' में लाभार्थी से बातचीत करने हुए। इस अवसर पर श्री के. नारायन, प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी., मंत्रालय के अन्य उच्च अधिकारियों के साथ भी उपस्थित थे।

Shri Thaawar Chand Gehlot, Hon'ble Union Minister of Social Justice & Empowerment (SJ&E), Govt. of India interacting with benefi- ciaries at "Handloom Haat" Shri K. Narayan, MD, NBCFDC alongwith others Senior officials of the Ministry were also present.

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला – 2016
India International Trade Fair - 2016

श्री थावर चन्द गेहलोत, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2016 में लाभार्थियों से वार्ता करते हुए। इस अवसर पर सुश्री लता कृष्ण राव, सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, निगम के अन्य उच्च अधिकारियों के साथ भी उपस्थित थी।

Shri Thaawar Chand Gehlot, Hon'ble Union Minister of Social Justice & Empowerment (SJ & E), Govt. of India interacting with the beneficiaries at India International Trade Fair - 2016. Smt. G. Latha Krishna Rao, Secretary, Department of Social Justice & Empowerment (SJ&E), Govt. of India alongwith others Senior officials of the Corporations were also present

सुरजकुण्ड क्राफ्ट मेला, हरियाणा फरवरी, 2017
Surajkund Craft Mela, Haryana, Febuary, 2017

श्री थावर चन्द गेहलोत, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2016 में लाभार्थियों से वार्ता करते हुए। इस अवसर पर सुश्री लता कृष्ण राव, सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, निगम के अन्य उच्च अधिकारियों के साथ भी उपस्थित थी।

Shri Thaawar Chand Gehlot, Hon'ble Union Minister of Social Justice & Empowerment (SJ&E), Govt. of India interacting with the beneficiaries at India International Trade Fair - 2016. Smt. G. Latha Krishna Rao, Secretary, Department of Social Justice & Empowerment (SJ&E), Govt. of India alongwith others Senior officials of the Corporations were also present

राजभाषा हिन्दी कार्यकलाप
Rajbhasha Hindi Activities

निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग लेते हुए निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं अन्य पदाधिकारीगण।

हिन्दी पखवाड़ा के दौरान आयोजित प्रोत्साहन प्रतियोगिता में भाग लेते हुए निगम के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण।

निगम के अधिकारियों हेतु आयोजित तिमाही कार्यशाला के अवसर पर प्रतिभागियों का समूह फोटो।

निदेशक मण्डल
BOARD OF DIRECTORS

Shri K. Narayan
Managing Director

Shri Shyam Kapoor
CMD, NSFDC, Director

Shri Pravir Krishna
MD, FRIFED, Director

Smt. Aindri Anurag
JS (SCD-B), SJ&E, GOI, Director

Shri B.L. Meena
JS(BC), SJ&E, GOI, Director

Ms. T.C.A. Kalyani
JS & FA, SJ&E, GOI, Director

Shri Satya Prakash Singh
GM, SIDBI, Director

Shri A. K. Mohanty
GM, NABARD, Director

Ms. Saroj Kumari
Non-Official Director

Shri K. Hanmandloo
Non-official Director

25वाँ
वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2016-2017

निदेशक मण्डल
(सितम्बर, 2017)
Board of Directors
(September, 2017)

श्री के. नारायन प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. नई दिल्ली	Sh. K. Narayan Managing Director, NBCFDC New Delhi
श्री श्याम कपूर अध्यक्ष एवं प्रबं निदेशक एन.एस.एफ.डी.सी., नई दिल्ली	Sh. Shyam Kapoor CMD, NSFDC New Delhi
श्री बी.एल.मीना संयुक्त सचिव (बी.सी.) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार	Sh. B.L. Meena Joint Secretary (BC) Ministry of S J & E, Govt. of India
श्रीमती एन्द्री अनुराग संयुक्त सचिव (एस.सी.डी.–बी.) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार	Smt. Aindri Anurag, Joint Secretary (SCD-B), Ministry of S J & E, Govt. of India
सुश्री टी.सी.ए. कल्याणी संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार	Ms. T.C.A. Kalyani Joint Secretary & FA, Ministry of S J & E, Govt. of India
श्री प्रवीर कृष्ण प्रबन्ध निदेशक, ट्राइफेड, नई दिल्ली	Sh. Pravir Krishna Managing Director, TRIFED New Delhi
श्री सत्य प्रकाश सिंह महाप्रबन्धक, सिडबी, नई दिल्ली	Sh. Satya Prakash Singh, GM, SIDBI, New Delhi
श्री ए.के. मोहन्ती महाप्रबन्धक, नाबार्ड, दिल्ली	Sh. A.K. Mohanty GM, NABARD, Delhi
सुश्री सरोज कुमारी एन.ओ.डी., जयपुर, राजस्थान	Ms. Saroj Kumari NOD, Jaipur, Rajasthan
श्री के. हन्मन्डलू एन.ओ.डी., हैदराबाद, तेलगंना	Sh. K. Hanamandloo NOD, Hyderabad, Telengana

प्रबन्ध निदेशक / Managing Director	:	श्री के. नारायन	Sh. K.Narayan
सहा. महाप्रबन्धक (वित्त) / (AGM/Fin.)	:	श्रीमती अनुपमा सूद	Smt. Anupama Sood
स.म.प्र. (प्रशा.) एवं कंपनी सचिव/ AGM (Admn.) & Company Secretary	:	श्री अजित कुमार सामल	Sh. Ajit Kumar Samal
लेखा परीक्षक / Auditors	:	मेसर्स एन.के. एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स नई दिल्ली	M/s. N.K.S. Chauhan & Associates Chartered Accountants New Delhi
मुख्य बैंकर्स / Principal Bankers	:	• केनरा बैंक, नई दिल्ली • पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली • विजया बैंक, नई दिल्ली	• Canara Bank, New Delhi • Punjab National Bank, New Delhi • Vijaya Bank, New Delhi

अंशधारकों को पत्र

देवियो और सज्जनो,

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित एवं विकास निगम (NBCFDC) के निदेशक मंडल की ओर से तथा अपनी ओर से निगम की 25वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

मेरे लिए यह प्रसन्नता एवं सौभाग्य की बात है कि मुझे एक ऐसे निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करने तथा अपनी सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ है जो पिछड़े वर्गों के लोगों के आर्थिक तथा विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने सहित पिछड़े वर्गों के निर्धनतम लोगों के कौशल विकास तथा स्वरोजगार के लिए भी योगदान दे रहा है। आपका निगम सबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैलेलाइजिंग एजेंसियों (SCAs) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ सहमति पत्र भी हस्ताक्षरित करता है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके निगम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से इक्विटी सहयोग के रूप में 100 करोड़ प्राप्त हुए थे जिसके फलस्वरूप 31.03.2016 को निगम की प्रदत्त अंशपूंजी 1024.00 करोड़ से बढ़कर 31.03.2017 को 1124.00 करोड़ रूपये हो गई है।

उपरोक्त के निमित्त मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है, कि निगम के समस्त कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहयोग एवं मागदर्शन के फलस्वरूप आपका निगम अब तक सबसे अधिक अर्थात् कुल 387.36 करोड़ रूपये अपने चैनल भागीदार को संवितरण करने में सफल रहा तथा गत् वर्ष संवितरित की गई 315.12 करोड़ रूपये में 22.92% की वृद्धि दर्ज की गई। आपके निगम ने गत् वर्ष के कारोबार में 5.93 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कर रिपोर्ट वर्ष में 47.67 करोड़ रुपये का कारोबार किया। निगम ने गत् वर्ष के 24.08 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 में 25.67 करोड़ रू. आय अर्जित की। इस प्रकार सृजित सरप्लस आय का लक्ष्य समूह के लिए संवितरण का स्तर बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। 31.03.2016 को आपके निगम की निवल सम्पत्ति 1428.25 करोड़ रू. थी, जो 31.03.2017 को बढ़कर 1553.93 करोड़ रूपये हो गई है।

NBCFDC लाभार्थियों तक निरंतर अपनी पहुँच बढ़ाता रहा है। निगम अब तक लगभग 23 लाख लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध करा चुका है तथा एस.सी.ए. (SCA)/चैनल भागीदार (CP) के माध्यम से 3575.51 करोड़ रूपये की ऋण राशि संवितरित की जा चुकी है। एस.सी.ए. (SCA) द्वारा संवितरित राशि के 95% संचित उपयोग की सूचना दी गई है। प्रति कर्मचारी अर्जित सरप्लस/लाभ 56 लाख रूपये रहा जबकि गत वर्ष यह 51 लाख रूपये था।

NBCFDC,SCA से ऋण की वसूली पर प्रर्याप्त ध्यान देता है। निगम द्वारा की गई निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के फरस्वरूप निगम 2672.55 करोड़ के देय बकाया में से 31.03.2017 तक 2466.59 करोड़ रूपये की वसूली करने में सफल रहा। 2466.99 करोड़ वसूल की गई संचित राशि में 2103.68 करोड़ रूपये मूलधन के रूप में तथा 363.31 करोड़ रूपये ब्याज/अन्य प्रभार के रूप में है। 31 मार्च, 2017 का SCA पर संचित मांगो के विरूद्ध संचित वसूली 92.31% थी। हम ऐसी राज्य सरकारों के साथ, जिनसे वसूली का स्तर ठीक नहीं है, पूरी तत्परता के साथ इस मामले को उठा रहे हैं।

मुझे आपको यह सूचित करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है निगम के वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखों का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किया गया और वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों पर निगम को 'शून्य' टिप्पणियां प्राप्त हुई है, जिससे निगम की उत्कृष्ट वित्तीय प्रणालियों की प्रभावकारिता प्रदर्शित होती है।

विकासात्मक गतिविधियों के रूप में आपके निगम ने अपने आंतरिक संसाधनों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त अनुदान तथा अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्राप्त सहायता राशि का उपयोग करते हुए 18748 लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दान किया। इनमें 14078 लाभार्थियों को नए कौशल एवं 4670 लाभार्थियों को कौशल उन्नयन कार्यक्रमों में विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों तथा कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में सेक्टर स्किल काउसिलों (SSCs) द्वारा क्रियान्वित उच्च शिक्षण प्रदान किया गया।आपके निगम ने वर्ष 2016-17 में 600 अभ्यर्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से 2.41 करोड़ रूपये अनुदान सहायता भी प्राप्त की।

आपके निगम ने अपनी योजनाओं के संबंध में जागरूकता फैलाने तथा लक्ष्य समूह को बैंकों के अधिकारियों/चैनल भागीदारों के साथ सम्पर्क के अवसर प्रदान करने के लिए जागरूकता सह–ऋण शिविर आयोजित किए। वर्ष के दौरान निगम ने आठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको तथा दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों

Letter to the Shareholders

LADIES & GENTLEMEN,

On behalf of the Board of Directors of National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) and on my own behalf, I am pleased to present to 25th Annual Report of the Corporation.

I am indeed privileged to be the Chief Executive of this Corporation working towards the objective to promote economic and developmental activities for the benefit of Backward Classes and to assist the poorer section of these classes in skill development and self-employment ventures. Your Corporation provides financial assistance through State Channelising Agencies (SCAs) nominated by the respective State Governments/Union Territories and additionally through Public Sector & Regional Rural Banks (PSBs & RRBs) entering into MoA with NBCFDC.

During the financial year 2016-17, your Corporation received equity support of Rs. 100.00 crores from the Ministry of SJ&E thereby enhancing paid-up share capital from Rs. 1024.00 crores as on March 31, 2016 to Rs. 1124.00 crores as on March 31, 2017.

Against above, I am extremely pleased to report that during the year with the collective efforts made by all the employees of the Corporation and with the support and guidance of Ministry of social Justice & Empowerment, Government of India, your Corporation has disbursed an all-time high total disbursement of Rs. 387.36 crores to its various Channel Partner which translates into a 22.92% increase as compared to Rs. 315.12 crores disbursed in the previous year and registered a turnover of Rs. 47.67 crore, a growth of 5.93% over the previous year. Your Corporation earned surplus income over expenditure amounting to Rs. 25.67 crores during 2016-17 as compared to Rs. 24.08 crores in the previous year. The surplus funds generated will be used to enhance the level of disbursement to the target group. The net worth of your corporation on 31.03.2017 stood at Rs. 1553.93 crores as compared Rs. 1428.25 crores as on 31.03.2016.

NBCFDC has been consistently increasing its outreach to the beneficiaries and so far has assisted over 23 lakh beneficiaries (appx.) with a loan amount over Rs. 3575.51 crores through SCAs/CPs. SCAs reported cumulative utilization of 95% of funds disbursed to them. The surplus/profit earned per employee recorded at Rs. 56.00 lakhs as compared to Rs. 51.00 lakhs in the previous year.

NBCFDC gives adequate attention to recovery of Loan from SCAs. As a result of continuous follow-up, the Corporation was able to recover Rs. 2466.59 Crore as against cumulative dues of the Rs.2672.55 Crore as on 31.03.2017. The cumulative amount of recoveries of Rs.2466.99 Crore comprises of Rs. 2103.68 Crore as principal and Rs. 363.31 Crore as interest/other charges. Cumulative recoveries against cumulative demands on SCAs sand at 92.31% as on 31st March, 2017. We are diligently following up with the state governments from whom recovery has not been up to the mark.

I am pleased to share that the Annual Accounts of the Corporation for the year 2016-17 also has been audited by the Comptroller & Auditor General of India and the Corporation received NIL comments for the year 2016-17, which shows that excellent financial systems are in place.

As part of its developmental activities, your Corporation provided skill development training to 18748 beneficiaries under the schemes of Skill Development Training Programme using internal resources, grants from Ministry of SJE and additionally implementing CSR programmes of other CPSEs. These included 14078 fresh skilling & 4670 up-skilling programmes implemented by various government Training Institutions & Sector Skill Councils (SSCs) under the aegis of Ministry of Skill Development Entrepreneurship. Your Corporation mobilized grant-in-aid of Rs. 2.41 Crores from various CPSEs under their CSR programmes during the financial year 2016-17 for imparting skill development training to 600 candidates.

Your Corporation undertook an initiative of holding Awareness-cum-Credit Camps with the objective of spreading awareness of Corporation's schemes and providing an opportunity to the target group for having interface with the officials of banks/channel partners. During

के साथ समन्वय स्थापित कर 12 राज्यों में 65 जागरूकता शिविर आयोजित किए जिनमें लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्तियों ने भारी संख्या में भाग लिया तथा रियायती ब्याज दर पर चैनल भागीदारों से ऋण लेने के लिए अपने नाम दर्ज करवाए।उपरोक्त के अलावा इस प्रकार के 24 शिविर विभिन्न राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों जैसे केरल पिछड़ा वर्ग निगम, हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग निगम, गुजरात ठाकोर कोली, तथा पंजाब बैकफाइनको द्वारा आयोजित किए गए। इस प्रकार निगम द्वारा प्रायोजित चैनल भागीदारों द्वारा 89 शिविर लगाए गए।

मुझे यह सूचित करते हुए भी प्रसन्नता है कि जुलाई, 2016 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा इसके अधीन कार्यरत विभिन्न निगमों/संस्थानों द्वारा आयोजित पखवाड़े के दौरान निगम ने पूरी सक्रियता से कई कार्यक्रम आयोजित किए। गुरुग्राम में गाड़िया लुहार समुदाय (एक गैर अधिसूचित जनजाति) की बस्ती में स्वच्छ रहन–सहन के महत्व पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बस्ती की सफाई, निशुल्क स्वास्थ्य जाँच तथा दवा वितरण आदि जैसे कार्य किए गए। निगम ने नुक्कड़ नाटक/ प्रतियोगिताऐं आयोजित की तथा प्रधान कार्यालय के निकट विद्यालयों/आई.टी. आई. में सफाई कार्यक्रम भी चलाया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वच्छता पखवाड़े को सफल बनाने में गहन रूचि दिखाई।

निगम यह सुनिश्चित करता है कि SCA/विक्रेताओं/कर्मचारियों आदि को किए जाने वाले भुगतान ई–ट्रांसफर के माध्यम से किए जाएं। NBCFDC द्वारा चैनल भागीदारों को भी सलाह दी गई है कि लाभार्थियों को आधार से जुड़े बैंक खातों में ई–ट्रांसफर के माध्यम से ही भुगतान किए जाएँ। NBCFDC ने अपने सभी चैनल भागीदारों को भी निर्देश दिए हैं कि DBT का विवरण ''नकदी'' तथा 'वस्तु' आधार पर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

आपका निगम आंतरिक प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम प्रणालियों के प्रयोग के निरंतर प्रयास कर रहा है। वर्ष के दौरान ऋण संवितरण वसूलियों तथा कर्मचारी क्षति पूर्ति के लिए पारदर्शी तथा बाधा रहित सॉफ्टवेयर अर्थात् 'लोन एंड इम्प्लाई ऑटोमेशन प्रोजेक्ट' (लीप) विकसित किया गया। इसके अतिरिक्त NBCFDC उपयोगकर्ता (SCA) चैनल भागीदार की पहुँच भी इस प्रणाली तक होगी। इस प्रणाली के अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना, SCA द्वारा ऋण प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण, NBCFDC द्वारा ऋण प्रस्ताव (वों) का अनुमोदन, NBCFDC द्वारा फंड रिलीज करना, SCA द्वारा उपयोग प्रमाण–पत्र जैसी गतिविधियाँ ऑनलाइन की जा सकेगी।

कॉरपोरेट गवर्नेंस

आपका निगम उत्कृष्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस की अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए कई पहल कर रहा है। निगम ने पारदर्शिता तथा प्रकटन के मानकों को सशक्त बनाया है तथा निगम की कार्य प्रणाली और अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए प्रभावी 'चैक एंड बैलेंस' प्रणाली क्रियान्वित की है।

आपके निगम ने वर्ष 2015-16 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस के समुचित अनुपालन के लिए '' उत्कृष्ट'' ग्रेड प्राप्त किया है। वर्ष 2016-17 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन के स्वयं मूल्यांकन के आधार पर भी निगम ने ''उत्कृष्ट'' ग्रेड प्राप्त किया है। सभी लागू विवरणों को शामिल करते हुए निदेशक मंडल की रिपोर्ट में कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक भाग शामिल किया गया है।

आभार

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा समय–समय पर दिए गए सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, राज्य सरकारों, निगम के सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारियों, निगम के बैंकर्स से प्राप्त सहयोग तथा मार्गदर्शन तथा निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किए गए सत्यनिष्ठ प्रयासों की हृदय से सराहना करता हूँ चूंकि उनके सत्यनिष्ठ एवं भरपूर प्रयासों के बिना ऐसे शानदार परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते थे।

मैं निगम के अन्य सभी हितधारकों को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने निगम के प्रबंधन में अपना सतत् विश्वास बनाए रखा तथा अपना मूल्यवान सहयोग प्रदान किया।

मुझे पूरा विश्वास है कि कर्मचारियों के समर्पित व प्रतिबद्ध संसाधनों तथा अपने गरिमामय हितधारकों के मूल्यवान सहयोग के बल पर आपका निगम अपने लक्ष्यों से भी उत्कृट कार्य करेगा तथा लक्षित समूह की उपयोगिता में दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि करने में कामयाब होगा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

(के. नारायण)
बन्ध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 18.09.2017

टिप्पणी: इसे वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड न माना जाए।

the year, coordinating with eight Regional Rural Banks and two Public Sector banks, 65 awareness camps were organized in twelve states, in which large number of prospective beneficiaries attended and registered their names for availing loan from channel partners at concessional rate of interest.In addition to above, 24 such camps were also organized by the State Channelising Agencies (SCAs) viz. Kerala (BC), Himachal Pradesh (BC), Gujrat (ThakorKoli) and Punjab (Backfinco). Therefore, in all 89 such Awareness Camps were held by channel partners sponsored by the Corporation.

I have pleasure in informing that as part of the Government, Swachh Bharat Mission, the Corporation actively organized various events during the Swachhta Pakhwada celebrated by the Ministry of Social Justice and Empowerment and its various corporations/institutions during the month of July 2016. The activities included various interventions in a DNT (Denotified Tribes) cluster inhabited by Gariya lohar community, Gurugram, Haryana by the way of awareness generation to promote hygienic living, by cleaning up the cluster, free health checkups, medicine distribution etc. The Corporation also organized Nukkad Natak /Competitions, cleaning up in schools/ITIs located near to the head office .The staff & officers showed keen interest and enthusiasm for ensuring the success of the Swachhta Pakhwada.

You Corporation ensures all the payments be made through e-transfer to the SCAs/Vendors/employees etc. NBCFDC has also advised to its Channel Partners to make all the payments strictly through e-transfer to the Aadhaar Seeded Bank Accounts of the beneficiaries. NBCFDC has also directed to all its Channel Partners to submit the details of DBT in "cash" basis and in "Kind" basis in the prescribed format.

Your Corporation has been making continuous efforts for putting in place State-of the-art IT enabled and IT based systems for improving internal systems and processes. During the year, Loan and Employee Information Automation Project (LEAP) software was developed for transparent & hitch free monitoring of loan disbursal, recoveries and employee compensations. Apart from NBCFDC users, SCAs/CPs will have access to the system. It will cater on-line to all activities involved in financing of projects including annual Action Plan, submission of loan proposal by SCAs, approval of the loan proposal(s) by NBCFDC, release of funds by NBCFDC, submission of UCs/Recovery by SCAs etc.

CORPORATE GOVERNANCE

Your Corporation has been taking initiatives towards strengthening its commitment towards principles of sound corporate governance. It has met this objective by strengthening transparency and disclosure norms; putting in place as effective framework of checks and balances for efficient functioning.

Your Corporation has achieved "excellent" grade an compliance of Corporate Governance for 2015-16 as per report notified by Department of Public enterprise. Based on self-evaluation of compliance of Corporate governance for 2016-17, your Corporation has scored "excellent" grade. A separate section an corporate governance furnishing applicable details forms part of the Director's Report.

ACKNOWLEDGEMENTS

I take this opportunity to express my deep appreciation for the valuable support and guidance given by the Members of the Board from time to time. I will also like to place on record my sincere gratitude for the guidance and cooperation extended by the Government of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, SCAs, State Governments, Statutory as well as Internal Auditors of the Corporation, officials of the C&AG, bankers of the Corporation and above all, employees of the Corporation whose sincere efforts were instrumental in achieving such exemplary result.

I convey my special thanks to all other stakeholders of the Corporation for their valuable support and cooperation and reposing continued confidence in the Corporation's management.

I am confident that with a dedicated and committed resource of employees and valuable support of our esteemed stakeholders, your Corporation will continue to surpass its targets and enhance value of interventions to its target group.

With best wishes,

(K. Narayan)

Managing Director

Place: New Delhi

Date: 18.09.2017

Note: This does not purport to be a record of the proceedings of the Annual General Meeting.

विषय सूची
Contents

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	पृष्ठ संख्या Page No.
1	सूचना Notice	1
2	निदेशकों का प्रतिवेदन Director's Report	2-62
3	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ Comments of C & AG of India	63-64
4	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन Auditor's Sheet	65-69
5	तुलन–पत्र (बैलेंस शीट) Balance Sheet	70
6	आय एवं व्यय लेखा Income & Expenditure Account	71
7	रोकड़ प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	72
8	साम्य अंशों में परिवर्तन का विवरण Changes in Equity Statement	73
9	लेखा नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ Note and Accounting Policies	74-116

अनुलंग्नक Annexure	शीर्षक Title	पृष्ठ संख्या Page No.
3.4	वर्ष 2016-17 की अवधि में नई स्वर्णिमा एवं महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत वितरित राशि एवं सहायता प्राप्त लाभार्भियों की संख्या को प्रदर्शित करने वाला विवरण Statement showing amount disbursed and No. of beneficiaries assisted during 2016-17 under New Swarnima and Mahila Samridhi Scheme.	36
3.5	31 मार्च, 2017 तक एस.सी.ए./राज्यवार सकल बकाया एवं वसूली को प्रदर्शित करने वाला विवरण Statement showing SCA-wise/State-wise cumulative dues and recoveries upto 31st March, 2017.	37-39
3.6	वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट Annual Report on CSR Activities for the year 2016-17.	40-43
4	वर्ष 2016-17 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृति/संवितरण Statement sanction/disbursement under Training Programme for the year 2016-17.	44-47
5	2016-17 के दौरान प्रदर्शनियों में भागीदारी Participation in Exhibitions of during 2016-17.	48
6	कॉरपोरेट प्रशासन एवं कॉरपोरेट प्रशासन के प्रमाण पत्र पर निदेशकों का प्रतिवेदन Report of Directors on Corporate Governance & Certificate on Corporate Governance	49-55
7	फार्म सं. एम.जी.टी.-9 (वार्षिक विवरणी का अंश) Form No. MGT-9 (Extract of Annual Return)	56-62

निदेशक के प्रतिवेदन का अनुलंग्नक
Annexures to the Director's Report

अनुलंग्नक Annexure	शीर्षक Title	पृष्ठ संख्या Page No.
1	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की सूची List of State Channelising Agencies.	19-22
2	भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU with Govt. of India	23-25
2.1	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष में लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियाँ बनाम लक्ष्य Achievements vs Targets for the year ended 31st March, 2017	26
3	गत् तीन वर्षों के दौरान राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी एवं राज्यवार ऋण का वितरण एवं 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार सकल वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी SCA & State wise loan disbursement during the last three years and cumulative disbursement & No. of Beneficiaries as on 31st March 2017.	27-29
3.1	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) की स्थिति, जिन्होंने वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान धनराशि आहरित नहीं की Status of State Channelising Agencies (SCAs) which did not draw funds during 2016-17.	30-31
3.2	वर्ष 2016-17 की अवधि में रा.चै.ए./राज्यवार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी SCA/State-wise & Scheme -wise loan disbursement and beneficiaries assisted during the year 2016-17.	32-33
3.3	वर्ष 2016-17 के दौरान राज्यवार/योजनावार एवं क्षेत्रवार वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थीयों की संख्या State-wise/Scheme-wise & Sector-wise disbursement and No. of Beneficiaries assisted during 2016-17.	34-35

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

स.: एनबीसीएफडीसी/एजीएम–25/2017/3261&3271 **दिनांक: 1 सितम्बर, 2017**

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अंश धारकों की 25वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सम्मेलन कक्ष, 6वां तल, रूमन. 603, एविंग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110 001 में आयोजित की जाएगी। बैठक में निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए जायेंगे:

सामान्य कार्य:

1. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कम्पनी के वित्तीय विवरण के साथ–साथ निदेशकों के प्रतिवेदन, अंकेक्षणों के प्रतिवेदन एवं उस पर महालेखा परीक्षक की टिप्पणी को प्राप्त करना, विचार करना तथा अंगीकार करना।

निदेशक मंडल की आज्ञा से,

हस्ता0/–
(अजित कुमार सामल)
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 01.09.2017

टिप्पणी: बैठक में उपस्थित होने तथा मत देने के पात्र सदस्य को बैठक में स्वयं उपस्थित होने तथा मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। प्रॉक्सी को कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

सेवा में

1. सभी सदस्यगण, एन.बी.सी.एफ.डी.सी.।
2. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व सदस्य)।
3. संयुक्त सचिव (बी.सी.), भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सदस्य)।
4. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
5. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल के सभी सदस्यगण।
6. मैसर्स एन. के. एस. चौहान एण्ड एसोसिएट्स, चाटर्ड एकाउटेंट्स, सी–62, बेसमैंट साउथ एक्सटेंसन, पार्ट–I, नई दिल्ली–110049, सांविधिक लेखा परीक्षक

पंजीकृत कार्यालय: पंचम तल, एन.सी.यू.आई.बिल्डिंग, 3, सीरी इस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली – 110016
Regd. Office: 5th Floor, N.C.U.I. Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Post Box No. 4617, New Delhi - 110016
Tel.: 45854400 | Fax: (011) 26850086 | Visit us at: www.nbcfdc.gov.in | E-mail: nbcfdc@del3.vsnp.net.in

गरीबी से मुक्ति FREEDOM FROM PROVERTY

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

NO: NBCFDC/AGM-25/2017/3261-3271 **Dated: 1st September, 2017**

NOTICE

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting of the Shareholders of National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC) will be held on Monday, the 18th day of September, 2017 at 11.00 A.M. at Conference Room, 6th Floor, Room No. 603, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended March 31, 2017, together with reports of the Directors, Auditors' and Comments of Comptroller of Auditor General of India thereon.

BY THE ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
(Ajit Kumar Samal)
Company Secretary

Place: New Delhi.
Date : 01.09.2017.

Note: A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND THE MEETING AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF. THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.

To :

1. All the members, NBCFDC.
2. The Secretary, Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi. (Member is representing the President of India).
3. The Joint Secretary (BC), Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi. (Member)
4. The JS & FA, Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi.
5. All the members of the Board of Directors of NBCFDC.
6.. M/s. N.K.S. Chauhan & Associates, Chartered Accountants, C-62, Basement, South Extension, Part-I, New Delhi-110049' Statutory Auditors.

पंजीकृत कार्यालय: पंचम तल, एन.सी.यू.आई.बिल्डिंग, 3, सीरी इस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली – 110016
Regd. Office: 5th Floor, N.C.U.I. Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Post Box No. 4617, New Delhi - 110016
Tel.: 45854400 | Fax: (011) 26850086 | Visit us at: www.nbcfdc.gov.in | E-mail: nbcfdc@del3.vsnp.net.in

गरीबी से मुक्ति **FREEDOM FROM PROVERTY**

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय अंशधारकों,

आपके निदेशकों को 31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के परीक्षित लेखा विवरण एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ आपके निगम के व्यवसाय और कार्यकलापों से संबंधित 25वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. निगम का स्वरूप

- एन.बी.सी.एफ.डी.सी. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार का एक उपक्रम है। इस निगम को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम 2013, की धारा 8) के अन्तर्गत एक लाभ मुक्त कम्पनी के रूप में 13 जनवरी, 1992 को निगमित किया गया और इसका उद्देश्य संबंधित राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) के माध्यम से दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लाभ के लिए आर्थिक और विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है और इसके अतिरिक्त सरकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षिरत किया है।
- राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से अपेक्षित है कि ऋण प्राप्त करने के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त एवं वित्तीय रूप से व्यवहारिक योजनाओं की पहचान कर ऋण प्राप्त करने के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को प्रस्तुत करें। चैनेलाइजिंग एजेंसियों से यह भी अपेक्षित है कि वे संभावित लाभार्थियों की व्यावसायिक एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं सहित लाभार्थियों की आवश्यकतानुसार व्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान करें।
- वर्तमान में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 41 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को नामित किया है; 25 बैंकों, जिनमें चार सरकारी बैंकें, इक्कीस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें सम्मिलित हैं, एन.बी.सी. एफ.डी.सी. के ऋणों को चैनेलाइज कर सकते हैं। चैनल सहभागियों की सूची **अनुलग्नक**–1 (पृष्ठ सं. 19-22) पर उपलब्ध है।

2. दृष्टि

पिछड़े वर्गों के लक्ष्य समूह की आर्थिक स्थिति के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाना।

3. लक्ष्य

पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं कौशल विकास हेतु रियायती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

4. मुख्य उद्देश्य

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है?

- पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना।
- उत्पादन इकाइयों के उचित एवं कुशल प्रबंधन के लिए पिछड़े वर्गों की तकनीकी एवं उद्यमीय दक्षताओं के उन्नयन में सहायता करना।
- सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आय और/या आर्थिक मानदण्डों के आधार पर पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों की आर्थिक एवं वित्तीय रूप से व्यावहारिक योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए ऋणों तथा अग्रिम धनराशियों के माध्यम से सहायता करना।
- पिछड़े वर्गों के लिए स्व–रोजगार तथा अन्य कार्य के अवसरों को प्रोत्साहित करना।
- दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे पिछड़े वर्गों से सम्बंधित व्यक्तियों हेतु चयनित मामलों में रियायती वित्त उपलब्ध करना।
- पिछड़े वर्गों को स्नातक एवं उच्चतर स्तरों पर सामान्य/ व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु ऋण उपलब्ध करना।

उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसरण में आपका निगम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों एवं अन्य चैनल सहभागियों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लक्षित समूह को रियायती ब्याज दर पर विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से आबद्ध है।

5. पंजीकृत कार्यालय

आपका निगम 5वां तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016 स्थित अपने पंजीकृत कार्यालय से कार्य कर रहा है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors are pleased to present the 25th Annual Report on the business and operations of your Corporation together with the Audited Financial Statements and Auditors' Report thereon for the financial year ended on 31.03.2017.

1. CORPORATE PROFILE

- NBCFDC is a Govt. of India Undertaking under the aegis of Ministry of Social Justice and Empowerment. The Corporation was incorporated on 13th January, 1992 as a Company not for profit under Section 25 of the Companies Act, 1956 (now under Section 8 of the Companies Act, 2013), with an objective to promote economic and developmental activities for the benefit of members of Backward Classes living below double the poverty line through State Channelising Agencies (SCAs) nominated by the respective State Governments /Union Territories and additionally through Public Sector & Regional Rural Banks (PSBs & RRBs) entering into MoA with NBCFDC.
- The Channenlising Agencies are required to identify and formulate technically feasible and financially viable projects and submit an Annual Action Plan to obtain loan from NBCFDC. The Channelising Agencies are also required to identify potential beneficiaries, their vocational and training requirements and viable projects as per the needs of the beneficiaries.
- At present, 41 State Channelising Agencies (SCAs) nominated by States/UTs and 25 Banks including four Public Sector Banks and twenty-one Regional Rural Bankscan channelize loansunder NBCFDC. List of Channel partnersare available at **Annexure-1** (Page No. 19-22).

2. VISION

To play a leading role in upliftment of economic status of the target group of Backward Classes.

3. MISSION

To provide concessional financial assistance to the eligible members of Backward Classes for self-employment and skill development.

4. MAIN OBJECTIVES

NBCFDC's main objectives are:

- To promote economic and developmental activities for the benefit of backward classes.
- To assist in the up-gradation of technical and entrepreneurial skills of backward classes for proper and efficient management of production units.
- To assist, subject to such income and /or economic criteria as may be prescribed by the Government from time to time, individuals or groups of individuals belonging to Backward Classes by way of loans and advances for economically and financially viable schemes and projects.
- To promote self-employment and other ventures for the benefit of backward classes.
- To grant concessional finance in selected cases for persons belonging to backward classes living below double the poverty line.
- To extend loans to the backward classes for pursuing general/professional/technical education or training at graduate and higher level.

In pursuance of above objects, your Corporation is engaged in providing financial assistance at concessional interest rates under various credit schemes to beneficiaries belonging to target group of Backward Classes through the State/UT Channelizing Agencies and other channel partners.

5. REGISTERED OFFICE

Your Corporation is operating from its Registered Office at 5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August KrantiMarg, New Delhi-110016.

6. अंश पूंजी

निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी रू. 1500 करोड़ है। दिनाँक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार प्रदत्त अंश पूंजी रू. 1124.00 करोड़ थी।

7. पात्रता

केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित एवं दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्गों के सदस्य चेनल सहभागियों के माध्यम से एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से ऋण लेने के पात्र है।

वर्तमान में जिनकी पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में रू.98,000/- प्रति वर्ष एवं नगरीय क्षेत्रों में रू. 1,20,000/- प्रति वर्ष से कम है, दोहरी गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति माने जाते हैं। वार्षिक पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पत्र सं. 14015/01/2010–एस.सी.डी.-IV दिनांक 29 जुलाई, 2015 के अनुसार निर्धारित की गई है। आय एवं जाति प्रमाण–पत्र संबंधित राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के अंतर्गत ऋण सहायता प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्तियों को अपने राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक प्रपत्रों जैसे आय एवं जाति प्रमाण पत्रों सहित जिलाधिकारी अथवा संबंधित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के जिला प्रबंधक/रा.चै.ए. के अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।

प्रबंधन विचार विमर्श विश्लेषण रिपोर्ट

1. कार्य परिणाम

आपके निगम के लिए 2016-17 का वर्ष स्वस्थ वर्ष रहा है। वर्ष के दौरान गत वर्ष के वितरण रू. 315.12 करोड़ की तुलना में रू. 387.36 करोड़ का कुल वितरण कर इसमें 22.92% की वृद्धि दर्ज की गई है। गत वर्ष के रू. 24.05 करोड़ की तुलना में निगम को चालू वर्ष में रू. 25.66 करोड़ का व्यय से आय का आधिक्य हुआ। आपके निगम ने 21,29,808 लाभार्थियों के लिए रू. 3575.51 करोड़ की सकल धनराशि का वितरण किया है। कौशल विकास की मद में आपके निगम ने वर्ष 2015-16 के 15146 की तुलना में 2016-17 की अवधि में 18748 लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है, जिसमें लगभग 24% की बढ़ोत्तरी हुई है।

2. वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र

आपका निगम पिछड़े वर्ग के निर्धनतम् समुदाय को रियायती ब्याज दर पर आसान ऋण उपलब्ध कराता है एवं उनके कौशल विकास एवं स्वरोजगार कार्यो हेतु सहायता प्रदान करता है। कंपनी भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आर्थिक एवं अन्य मापदण्डों के अनुसार कार्य करता है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्गों के दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मौटे तौर पर निम्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं–

(i) **कृषि एवं सम्बंधित कार्य:** डेयरी फार्मिंग, बकरी पालन, मत्स्य पालन, ट्रैक्टर एवं ट्रॉली आदि।

(ii) **लघु व्यापार/दस्तकारी एवं पारम्परिक व्यवसाय:** आटा मिल, किराना दुकान, सब्जी बेचना, ब्यूटी पार्लर, लोहागीरी, बढ़ईगीरी, हस्तशिल्प एवं दस्तकारी यूनिट, मिट्टी के बर्तन बनाना, सिले–सिलाए वस्त्रों की दुकान, सिलाई एवं बुनाई आदि।

(iii) **सेवा/परिवहन सेवाएं क्षेत्र:** आटो मरम्मत दुकान, परामर्श सेवाएं, साइकिल मरम्मत दुकान, कम्प्यूटर सेंटर, बिजली एवं इलेक्ट्रानिक सामान की मरम्मत दुकान, घरेलू सामान, मोबाइल फोन मरम्मत दुकान, फोटो कॉपियर, फोटो स्टूडियो, प्लम्बर, आटो रिक्शा, बहुउद्देशीय वाहन, पिक–अप वैन, टैक्सी एवं टैम्पो आदि।

(iv) **तकनीकी एवं व्यावसायिक ट्रेड/पाठयक्रम:** स्नातक एवं उच्चतर स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठयक्रम जैसे इन्जीनियरिंग, प्रबन्धन, चिकित्सा, नर्सिंग एवं कम्प्यूटर इत्यादि।

लाभार्थी अपनी रूचि के किसी व्यवहार्य व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। उपर्युक्त परियोजना सूची केवल उदाहरणात्मक है

राज्य चैनेल सहभागियों से अपेक्षा है कि वे उपरोक्त प्रमुख क्षेत्रों में वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त एवं तकनीकी रूप से व्यवाहार्य परियोजनाओं हेतु लाभार्थियों की आवश्यकताओं एवं पसन्द के अनुसार ऋणों का वितरण करें।

3. ऋण नीति

- ऋण पद्धति

आवंटन

प्रत्येक वर्ष निगम संबंधित सरकार/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को निधि का आरंभिक आवंटन करता है। चैनल सहभागी के रूप में कार्य करने हेतु वर्ष 2016-17 के दौरान सरकारी बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन किए है एवं इन बैंकों की धनराशि का आवंटन भी किया है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/चैनल सहभागियों के लिए आवंटन का तात्पर्य राज्य हेतु आवंटन है तथा उनसे आशा की जाती है कि वे शासकीय गारण्टी, राज्य सरकार से प्राप्त अंश पूंजी, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को ऋण का पुनर्भुगतान, क्षमता एवं निधि के उपभोग हेतु निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध संसाधनों एवं

6. SHARE CAPITAL

The Authorized Share Capital of the Corporation is Rs. 1500.00 Crore. The paid up Share Capital as on 31.03.2017 was Rs. 1124.00 Crore.

7. ELIGIBILITY

Members of backward classes as notified by Central/State Government from time to time and are living below double the poverty line are eligible to obtain NBCFDC loan through Channel Partners.

At present persons whose annual family income is below Rs. 98,000/- in rural areas and Rs.1,20,000/- in urban areas are considered to be below double the poverty line. The annual family income ceiling fixed in terms of Ministry of SJ&E's letter No.14015/01/2010-SCD-IV dated 29th July, 2015. Income & Caste Certificates are issued by Competent Authorities in the respective States.

Eligible persons desirous of obtaining loan assistance under NBCFDC Schemes should contact the Distt. Collector or District Manager/ Officer of SCAs/Banks in their respective States, along with required documents such as income & caste certificates issued by the Competent Authority.

MANAGEMENT DISCUSSION ANALYSIS REPORT

1. WORKING RESULTS

The year 2016-17 has been a year of healthy growth for your Corporation. During the year, the disbursement of loan of the Corporation recorded an increase of 22.92 % at Rs. 387.36 Crores as compared to Rs. 315.12 cores in the previous year. The Corporation earned surplus of income over expenditure of Rs. 25.66crores in the current year in comparison to Rs. 24.05 Crores during the previous year. Cumulatively, your Corporation has disbursed loan amounting to Rs.3575.51 Crores for 21,29,808 beneficiaries. On Skill Development front, your Corporation facilitated training of 18748 beneficiaries during 2016-17 up from 15146 in 2015-16, an increase of about 24%,

2. SECTORS OF FINANCING

Your Company provides loans at concessional rate of interest to the poorer section of Backward Classes and assists them in skill development and self-employment ventures. The Company operates within the economic and other criteria fixed by the Govt. of India from time to time. The financial assistance is provided to the members of Backward Classes, as notified by the Central and State Governments living below double the poverty line broadly in the following Sectors:

(i) **Agriculture & Allied Activities:** Dairy Farming, Goat Rearing, Fishing, Tractor Trolley etc.

(ii) **Small Business/Artisan & Traditional Occupation:** Flour Mill, Kiryana Shop, Vegetable Vending, Beauty Parlour, Blacksmithy, Carpentry, Handicrafts & Artisan Units, Pottery, Ready-made Garments Shops, Tailoring & Weaving etc.

(iii) **Service/Transport Sector:** Auto Repair Shop, Consultancy Services, Cycle Repair Shop, Computer Centre, Electrical & Electronic Repair Shop, Home Appliances, Mobile Repair Shop, Photo Copier, Photo Studio, Plumber,Auto Rickshaw, Multi Utility Vehicle,Pick-up Van, Taxi & Tempo etc.

(iv) **Technical and Professional Trades/ Courses:** Technical& Professional Courses at Graduate & Higher Level such as Engineering, Management, Medical, Nursing & Computers etc.

Beneficiaries can choose any of the viable occupation of their choice. The above list of projects is illustrative only.

The Channel Partners are required to disburse loans for financially viable and technically feasible projects as per needs and choice of beneficiaries under above mentioned broad sectors.

3. LENDING POLICY

- Method of Lending

Allocation

Each year the Corporation notionally allocates funds to the nominated by respective Govt./UTs State Channelising Agencies (SCAs). During 2016-17 the Corporation additionally signed MoU with Public Sector Banks/Regional Rural Banks to act as Channel Partners (CPs) and allocated funds to these Banks also. The allocation is meant for all the SCAs and CPs who are expected to assess the realistic requirement of funds within the allocation keeping in view the availability of Block Govt. Guarantee, share capital to be received from State Govt., repayment status of loan taken from NBCFDC, capacity and infrastructure

लाभार्थियों की आवश्यकताओं व कार्यान्वयन के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आवंटन की सीमा में निधि की यथार्थ आवश्यकता का निर्धारण करेंगे।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की नीति के अनुसार, वर्ष के आरंभ में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की विभिन्न योजनाओं जैसे सावधि ऋण, मार्जिन मनी ऋण, नई स्वर्णिमा, सक्षम, शिल्प सम्पदा, शैक्षिक ऋण योजना, माइक्रो फाइनेन्स, कृषि सम्पदा एवं महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की निर्धारित शर्तो के अनुसार राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/चैनल सहभागियों द्वारा एन. बी.सी.एफ.डी.सी. को 'वार्षिक कार्य योजना' प्रस्तुत करनी होती है।

आरंभिक आवंटन का आधार उपलब्ध धनराशियों की सीमा में कुल जनसंख्या (पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के आंकड़े न होने पर है एवं राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/चैनल सहभागियों के गत् कार्य निष्पादन है। सरकार की नीति के अनुसार उत्तर–पूर्वी राज्यों हेतु बजट का 10% आवंटन किया जाता है।

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों / चैनल सहभागियों को वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार 'अग्रिम राशि' का वितरण सामान्य ऋण योजना एवं माइक्रो फाइनेन्स योजना के अन्तर्गत किया जाता है। सामान्य ऋण योजना में टर्म लोन, महिलाओं के लिए 'नई स्वर्णिमा', शैक्षिक ऋण योजना सम्मिलित है। माइक्रो फाइनेंस योजना जिसमें महिला समद्धि और माइक्रो फाइनेंस सम्मिलित है। माइक्रो फाइनेन्स योजना में महिला समृद्धि योजना एवं लघु वित्त सम्मिलित है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों / चैनल सहभागियों से उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर 'अग्रिम राशि' को सम्बंधित योजना के खाते में परिवर्तित कर दिया जाता है

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/ चैनल सहभागियों के माध्यम से लक्षित वर्ग को विभिन्न आय उत्पादक योजनाओं हेतु रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/चैनल सहभागियों के माध्यम से लाभार्थी आय उत्पादक कार्यकलापों हेतु निम्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर सकते है:

I) सामान्य ऋण योजना

क) सावधि ऋण एवं मार्जिन मनी ऋण योजना: सावधि ऋण योजना के अन्तर्गत एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा परियोजना लागत का 85% तक ऋण दिया जाता है। शेष 15% का अंशदान राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी एवं लाभार्थियों द्वारा किया जाता है। रू. 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज दर 6% वार्षिक तथा रू. 5 लाख से अधिक व रू. 10 लाख तक ब्याज की दर 7% वार्षिक है (अप्रैल, 2017 से प्रभावी)।

ख) नई स्वर्णिमा योजना: निगम द्वारा यह योजना आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने हेतु दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए संचालित की गई है। प्रति लाभार्थी रू. 1 लाख की सीमा तक ऋण सहायता 5% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाती है।

ग) शैक्षिक ऋण योजना: यह योजना स्नातक एवं उच्चतर स्तर की व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु है। भारत में अध्ययन करने हेतु ऋण की अधिकतम सीमा रू. 10 लाख है तथा विदेश में अध्ययन हेतु अधिकतम ऋण सीमा रू. 20 लाख अथवा समग्र पाठ्क्रम हेतु वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, प्रदान की जाती है।

अधिकतम ऋण सीमा भारतवर्ष में अध्ययन हेतु रू. 10 लाख

विदेश में अध्ययन हेतु रू. 20 लाख

ब्याज की दर 4% वार्षिक (3.5% छात्राओं के लिए)

भारतवर्ष में अध्ययन हेतु पाठयक्रम के कुल व्यय का 90% अंश एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का होगा और शेष 10% विद्यार्थी/ एस. सी.ए. द्वारा वहन किया जाएगा। विदेश में अध्ययन की दशा में एन. बी.सी.एफ.डी.सी.का ऋण अंश पाठयकम व्यय का 85% होगा व शेष 15% विद्यार्थी/एस.सी.ए. द्वारा वहन किया जाएगा।

II) लघु वित्त योजना

i) लघु वित्त योजना: राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह में ऋण की अधिकतम सीमा 50,000 तक प्रति लाभार्थी, ब्याज दर 5% वार्षिक पर उपलब्ध कराई जाती है

ii) महिला समृद्धि योजना: लक्षित वर्ग के महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु लघु ऋण उपलब्ध कराने हेतु योजना क्रियान्वित की गई है। स्वयं सहायता समूह में प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा 50,000 है तथा रियायती ब्याज दर 4% वार्षिक है।

निगम ने सावधि ऋण की शिल्प सम्पदा एवं सक्षम को सावधि ऋण योजना में तथा लघु वित्त की कृषि सम्पदा को लघु वित्त योजना में अप्रैल, 2017 से विलय कर दिया है।

available to utilize the funds within the stipulated period with due consideration to needs of the beneficiaries and area of implementation.

As per policy of NBCFDC, the SCAs/CPs are required to submit an Annual Action Plan (AAP) at the beginning of the year formulated in terms of providing financial assistance under various schemes of NBCFDC viz. Term Loan, Margin Money Loan, New Swarnima, Saksham, Shilp Sampada, Education Loan Scheme, Micro Finance, Krishi Sampada and Mahila Samriddhi Yojana.

The basis of notional allocation within available funds is total population (in the absence of population figures of BCs) and past performance of SCAs/CPs, 10% of the budget allocated to N-E States as per policy of the Government.

Disbursement of 'advance funds' to SCAs/ Channel Partners is made as per approved Annual Action Plan for the financial year under General Loan Scheme and Micro Finance Scheme. General Loan Scheme includes Term Loan, New Swarnima Scheme for women, Education Loan scheme. Micro Finance Scheme includes Mahila Samriddhi Yojana and Micro Finance. The 'advance funds' are converted to respective Scheme's loan accounts on receipt of utilization certificates from SCAs/Channel Partners.

NBCFDC provides financial assistance on concessional rate of interest for various income generating schemes to the target group through SCAs/CPs. Beneficiaries can obtain loans for income generating activities through respective SCAs/CPs under the following schemes:

I) General Loan Schemes

a) Term Loan and Margin Money Loan: Under Term Loan Scheme, loans are given upto 85% of the project cost. Balance 15% is contributed by SCAs and beneficiaries. The loan upto Rs.5 Lakh bears interest @6% p.a. and loan above Rs.5 Lakh up to Rs.10 Lakh bears interest @ 7% p.a.(with effect from April 2017)

b) New Swarnima Scheme: The scheme is implemented for inculcating the spirit of self reliance among the women of Backward Classes living below the poverty line. Financial assistance to the extent of Rs. One Lakh per beneficiary @5% per annum.

c) Educational Loan Scheme: For professional/ technical education graduate and higher levels. The Maximum loan limit for student studying in India is Rs. 10.00 Lakh and for student studying abroad is Rs. 20.00 Lakh or actual expenses for the entire course whichever is less.

Maximum Loan Limit Study in India Rs. 10 Lakh

Study in Abroad Rs. 20 Lakh

Rate of Interest@4% p.a. (@3.5% for Girl Student)

The NBCFDC loan share will be 90% of the expenditure of the course and balance 10% will be borne by student/SCAs for study in India. In case of study in abroad, NBCFDC loan share will be 85% of the expenditure of the course and balance 15% will be borne by student/SCAs.

II) Micro Finance Schemes

a) Micro Finance Scheme: Loans are provided to Self Help Groups (SHGs) through SCAs. The Maximum amount of loan under this scheme is upto Rs.50, 000/- per beneficiary in SHG and rate of interest is @ 5% p.a.

b) Mahila Samriddhi Yojana: The scheme is implemented to provide Micro Finance to women Self Help Groups (SHGs) belonging to the target group. The maximum loan limit per beneficiary in SHG is Rs.50,000/- at concessional rate of interest @ 4% p.a.

The Corporation has merged the loan schemes namely ShilpSampada and Saksham with Term Loan and KrishiSampada with Micro Finance w.e.f. April, 2017.

4. ब्याज दर:

निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ब्याज दर निम्नलिखित है:

क्रं.स.	योजना का नाम	अधिकतम ऋण सीमा	वित्तीय पद्धति			वार्षिक ब्याज दर		
		(रु. लाख में)	एन.बी.सी. एफ.डी.सी.	एससीए	लाभार्थी	ऋण राशि (रु. लाख में)	एससीए	लाभार्थी
1.	सावधि ऋण	10.00	85%	10%	05%	रु. 5.00 लाख तक	3%	6%
						रु. 5.00 लाख से अधिक	4%	7%
2.	नई आकांक्षा (शैक्षिक ऋण)*							
a.	भारत में अध्ययन	10.00	90%	05%	05%	रु. 10.00 लाख तक	1.5%	4%*
b.	विदेश में अध्ययन	20.00	85%	10%	05%	रु. 20.00 लाख तक	1.5%	4%*
3.	नई स्वर्णिमा महिलाओं के लिए	01.00	95%	05%	-		2%	5%
4.	लघु वित्त	0.50	90%	05%	05%		2%	5%
5.	महिला समृद्धि योजना–महिलाओं के लिए	0.50	95%	05%	-		1%	4%

*महिला विद्यार्थियों हेतु 0.5% की छूट

(शिल्प सम्पदा एवं सक्षम सावधि ऋण के साथ तथा कृषि संपदा लघु वित्त के साथ अप्रैल, 2017 से प्रभावी)

5. भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन :

निगम ने वर्ष 2016-17 के लिए भारत सरकार के साथ दिनांक 23 सितम्बर, 2016 को समझौता ज्ञापन निष्पादित किया। समझौता ज्ञापन की प्रति **अनुलग्नक – 2** (पृष्ठ सं. 23-25) पर उपलब्ध है। सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लेखा परीक्षित परिणामों के आधार पर निगम ने सभी मानदण्डों में उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त की है। वर्ष 2016-17 के लिए लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियाँ/कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट **अनुलग्नक – 2.1** (पृष्ठ सं. 26) पर उपलब्ध है।

6. कार्य निष्पादन उपलब्धि

6.1 समझौता ज्ञापन लक्ष्यों (2016-17) के सापेक्ष उपलब्धियाँ

क्रं.सं.	मुख्य मापदण्ड	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां	अंतर (%)
1	ऋण स्वीकृति	रु./करोड़	440.00	476.61	+8.32
2	गैर–निष्पादित परिसंपत्तियाँ/ऋण परिसंपत्तियाँ	%	0.51	0.13	+0.38*
3	वितरण/स्वीकृत ऋण	%	77	81.27	+4.27*
4	वितरण/कुल उपलब्ध निधि	%	73	71.44	(1.56)*
5	आधिक्य/शुद्ध संपत्ति	%	1.50	1.65	+0.15*

* निरपेक्ष

4. RATE OF INTEREST

The rates of interest under various loan schemes implemented by the Corporation are as under:

Sl No.	Name of Scheme	Max. Loan Limit.	Pattern of Finance			Rate of Interest per annum		
		(Rs. In Lakh)	NBCFDC	SCA	Benef.	Loan Amt. (Rs. In Lakh)	SCA	Benef.
1.	Term Loan	10.00	85%	10%	05%	Up to 5.00	3%	6%
						Above 5.00	4%	7%
2.	New Akanksha (Education Loan)*							
a.	Study in India	10.00	90%	05%	05%	Up to 10.00	1.5%	4%*
b.	Study in abroad	20.00	85%	10%	05%	Up to 20.00	1.5%	4%*
3.	New Swarnima- for women	01.00	95%	05%	-		2%	5%
4.	Micro Finance	0.50	90%	05%	05%		2%	5%
5.	MahilaSamriddhiYojana for Women	0.50	95%	05%	-		1%	4%

* 0.5% rebate in interest for girls students.

(The Loan Schemes ShilpSampada and Saksham with Term Loan and KrishiSampada with Micro Finance w.e.f. April 2017)

5. MOU WITH GOVT. OF INDIA

The Corporation had entered into Memorandum of Understanding (MOU) with Govt. of India for the year 2016-17 on 23rd September, 2016. Copy of MOU is available at **Annexure-2** (Page No. 23-25). Members will be pleased to note that on the basis of audited results, the Corporation has achieved the targets under excellent criteria of all parameters. Achievement/performance evaluation report against targets fixed under MOU for the year 2016-17 is available at **Annexure-2.1** (Page No. 26).

6. PERFORMANCE ACHIEVEMENT

6.1 Achievements against MOU Targets (2016-17)

S.N.	Main Parameters	Unit	Target	Achievements	Variation (%)
1	Loan Sanctioned	Rs./Cr.	440.00	476.61	+ 8.32
2	N.P.A/Loan Assets	%age	0.51	0.13	+0.38*
3	Disbursement/ Loan Sanctioned	%age	77	81.27	+ 4.27*
4	Disbursement/ Total Fund available	%age	73	71.44	(1.56)*
5	Surplus/Net Worth	%age	1.50	1.65	+0.15*

*** Absolute**

6.2 गत वर्ष की तुलना में उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं :

क्र.सं.	मुख्य मापदण्ड	इकाई	2015-16	2016-17	%वृद्धि
1	ऋण की स्वीकृति	रु.(करोड़)	430.20	475.61	+10.78
2	ऋण वितरण	रु.(करोड़)	315.12	387.36	+22.92
3	सहायता प्राप्त लाभार्थी	सं.	188158	170555	(9.35)*
4	प्रति लाभार्थी औसत ऋण (सावधि ऋण)	(रु.)	38420	60400	+57.20
5	प्रति लाभार्थी औसत ऋण (लघु ऋण)	(रु.)	11211	14507	+29.30
6	पुनर्भुतान/वसूली (संचयी)	%	92.87	92.31	(0.56)*

* निरपेक्ष

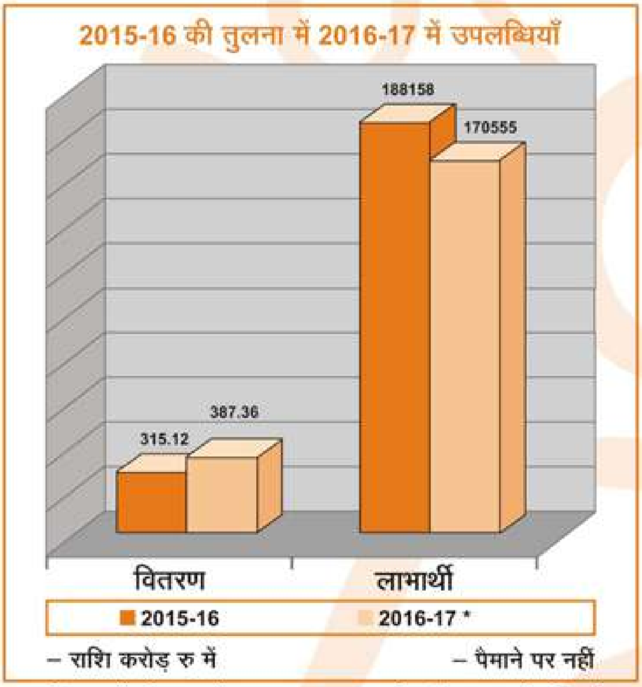

* सावधि ऋण में प्रति लाभार्थी 57.2% तक व लघु वित्त में 29.30 की वृद्धि हुई।

6.3 स्वीकृति एवं वितरण

वित्तीय वर्ष के आरंभ में धनराशि के आरंभिक आवंटन हेतु एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को चालू वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने के सम्बंध में सूचित किया जाता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना के आधार पर निगम द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान रू. 475.61 करोड़ अनुमोदित किए गए।

वर्ष के दौरान स्वीकृति के सापेक्ष निगम ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 170555 लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए रू. 387.36 करोड़ वितरित किए हैं। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, आरंभ से लेकर अब तक 21,29,808 लाभार्थियों की सहायता के लिए रू. 3575.51 करोड़ की राशि वितरित की गई है। एस.सी.ए. एवं राज्यवार गत् तीन वर्षो का ऋण वितरण एवं सकल वितरण व 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार सकल लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक – 3** (पृष्ठ सं. 27-29) पर उपलब्ध है। कुछ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों ने विभिन्न कारणों से, जिनका विवरण **अनुलग्नक – 3.1** (पृष्ठ सं. 30-31) पर उपलब्ध है, ऋण आहरित नहीं किया है।

वर्ष 2016-17 की अवधि में एस.सी.ए./राज्यवार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक – 3.2** (पृष्ठ सं. 32-33) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्यवार/योजनावार एवं क्षेत्रवार वितरण तथा सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या संबंधी विवरण **अनुलग्नक – 3.3** (पृष्ठ सं. 34-35) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2016-17 की अवधि में सामान्य ऋण योजना के अन्तर्गत रू. 184.16 करोड़ निधि के वितरण का क्षेत्रवार प्रतिशत निम्नानुसार है:

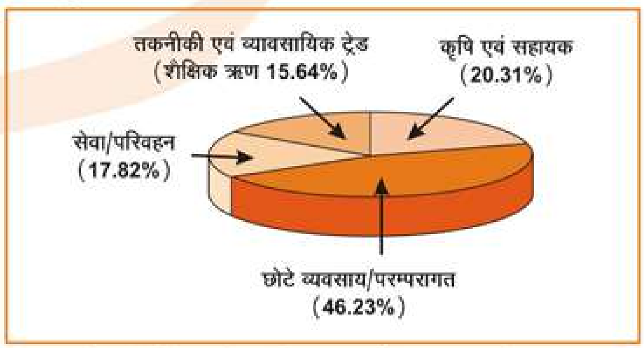

कृषि/संबंधित क्षेत्र में गत वर्ष (22%) की तुलना में (20.31%) एवं लघु व्यवसाय/परम्परागत कार्य (46.23%) गत् वर्ष की तुलना में (48%) ऋणों का वितरण किया गया, जिसमें विनिर्माण/कृषि औजारों की खरीद, डेरी इकाइयों की स्थापना, कृषि बोर–वेल की स्थापना, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ट्रेक्टर–ट्राली, टयूबवेल, ऑटो रिपेयर वर्कशॉप,साइकिल मरम्मत एवं साइकिल किराए पर देना, किराना शॉप एवं सब्जियों की दुकान इत्यादि सम्मिलित हैं।

पिछड़े वर्ग के लोग नाई की दुकान, ड्राईक्लीनर, बिजली एवं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, लकड़ी कार्य, ऑटो रिक्शा, मोटर–साइकिल, टैक्सी, पिक–अप वैन, पर्यटक टैक्सी जैसे सेवा क्षेत्रों में

6.2 Achievement highlights in comparison to the previous year.

S.N.	Main Parameters	Unit	2015-16	2016-17	% Increase
1	Sanction of Loan	Rs. (Cr.)	430.20	475.61	+10.78
2	Disbursement of Loan	Rs.(Cr.)	315.12	387.36	+ 22.92
3	Beneficiaries Covered	Nos.	188158	170555	(9.35)*
4	Avg. loan per Beneficiary (Term Loan)	(Rs.)	38420	60400	+57.20
5	Avg. loan per Beneficiary (Micro Finance)	(Rs.)	11211	14507	+29.30
6	Repayment/Recoveries (cumulative)	%	92.87	92.31	(0.56)*

*** Absolute**

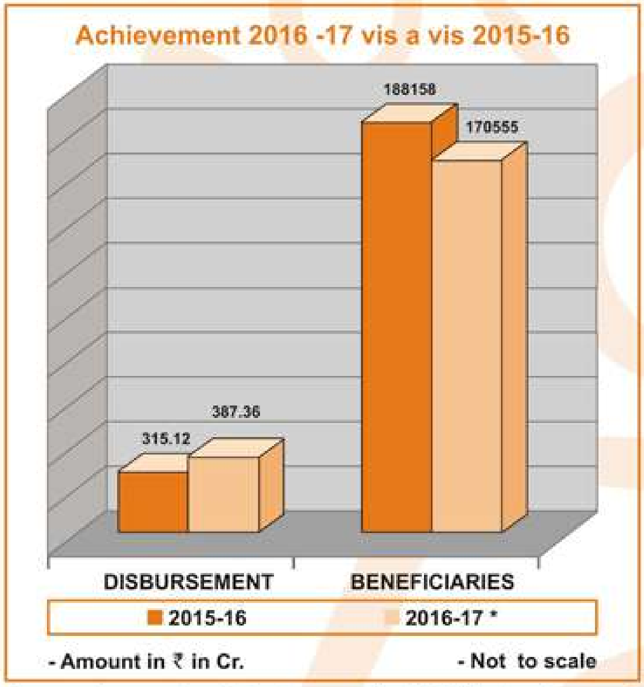

*Average loanper beneficiary increased by 57.2% in term loans and 29.30% in Micro Finance.

6.3 Sanction& Disbursement

At the beginning of the financial year, notional allocation of funds for the current financial year is conveyed to SCAs for submission of Annual Action Plan (AAP). AAPs received from SCAs, were approved to the tune of Rs. 475.61 Crore during the year 2016-17.

Against this sanction, the Corporation has disbursed Rs. 387.36 cr. for assisting 170555 beneficiaries during the financial year 2016-17. The disbursement so far made since inception now stands at Rs. 3575.51Cr. for assisting 21,29,808 beneficiaries as on 31.03.2017. SCA & Statewise loan disbursement during the last three years and cumulative disbursement and No. of beneficiaries' upto 31.03.2017 is available at **Annexure-3.** (Page No. 27-29) Few SCAs didn't draw funds due to various reasons stated at **Annexure - 3.1** (Page No. 30-31).

SCA/Statewise& Scheme wise loan disbursement and number of beneficiaries assisted during the year 2016-17 are available at **Annexure - 3.2** (Page No. 32-33).

Statewise/Schemewise& Sector wise Disbursement and number of Beneficiaries assisted during 2016-17 is available at **Annexure-3.3** (Page No. 34-35).

Sectorwise percentage of disbursement of funds of Rs. 184.16crores under General Loan Scheme during 2016-17 is as under:

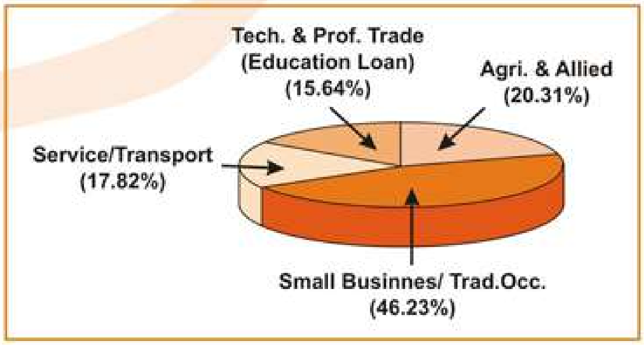

Under the Agriculture/Allied Sector (20.31%) as compared to (22%) previous year and Small Business/ Traditional Occupation (46.23%) as compared to (48%) previous year loan was disbursed for activities which include the manufacture/purchase of agricultural implements, setting up of dairy units, installing irrigation bore well, poultry farming, fishery, tractor trolley, tube well, auto repair workshop, bicycle hiring and repair, kirana shop and vegetable shops etc.

Backward classes population is engaged in service sector such as barber shop, drycleaner, electrical and electronic shop, woodwork, auto rickshaw, motorcycle

कार्यरत है। अतः राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा गत् वर्ष 2015-16 के 16% की तुलना में 17.82% ऋण आहरण सेवा उपलब्धकर्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए किया गया।

सामान्य ऋण योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के छात्रों को मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों / कॉलेजों में उच्चतर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे चिकित्सा, अभियंत्रिकी, कम्प्यूटर एवं प्रबंधन इत्यादि हेतु शैक्षिक ऋण अवमुक्त किए गए। गत वर्ष 2015-16 के 14% की तुलना में संदर्भित वर्ष के दौरान 15.64% ऋण सावधि ऋण योजना के अन्तर्गत शैक्षिक ऋण योजना के तहत प्रदान किए गए।

गत् तीन वर्षो के दौरान वितरण (राशि रु. करोड़ में)

गत् तीन वर्षो के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थी

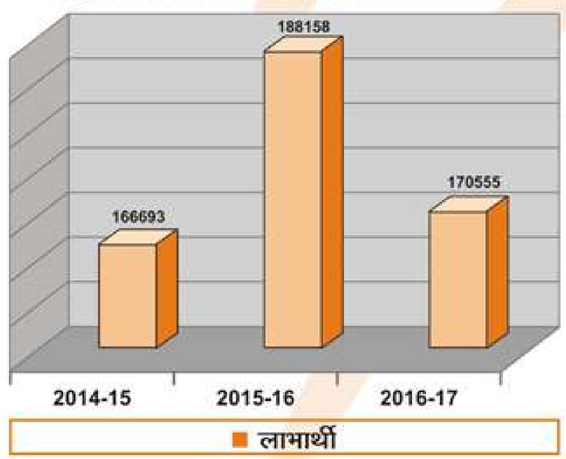

*प्रति लाभार्थी उधार दी गई धनराशि में रू. 16748 से 22712 को औसत वृद्धि हुई, जो गतवर्ष से 2016-17 में 36% की वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है।

योजनावार वितरण (2016-17)

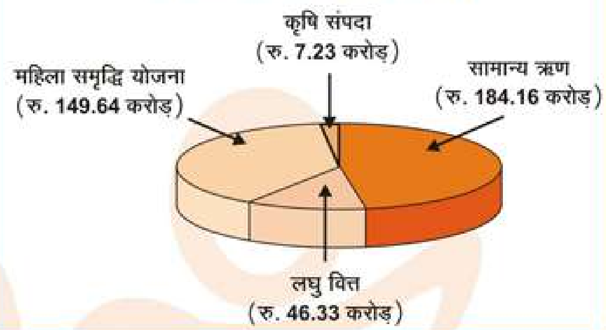

योजनावार सहायता प्राप्त लाभार्थी (2016-17)

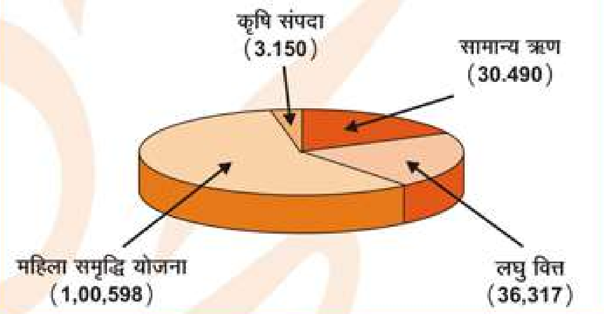

6.4 शैक्षिक ऋण वितरण :

आपके निगम ने वर्ष 2016-17 में शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत रू 28.81 करोड़ 3590 लाभार्थियों हेतु उपलब्ध कराए हैं, जो गत वर्ष रू. 19.86 करोड़ 3557 लाभार्थियों हेतु दिए गए थे। स्नातक स्तर एवं उच्चतर स्तर के ए.आई.सी.सी.ई./एम सी. आई./उपयुक्त प्राधिकरण इत्यादि द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे एम.बी.ए., एम.सी.ए. इन्जीनियरिंग, बी.डी.एस., एम.बी.बी.एस., बी.एस.सी. नर्सिंग, होटल प्रबंधन इत्यादि योजना के अन्तर्गत शामिल है।

शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत वितरण

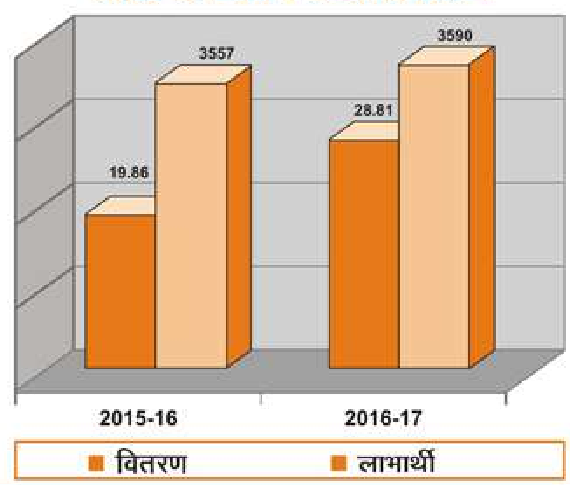

taxi, pick-up van, tourist taxi. Hence 17.82% of loan has been drawn by SCAs to meet the demand of the service providers as compared to 16% for the year 2016-17.

Education Loan under General Loan Scheme has been released to the students of Backward Classes for pursuing higher professional courses such as Medical, Engineering, Computers and Management etc. in the approved professional institutions/ colleges. During the year under report 15.64% of the Term loan has been given under Education Loan Scheme as compared to 14% during 2015-16.

Disbursement During Last Three Years
(Amount in ₹ in Cr.)

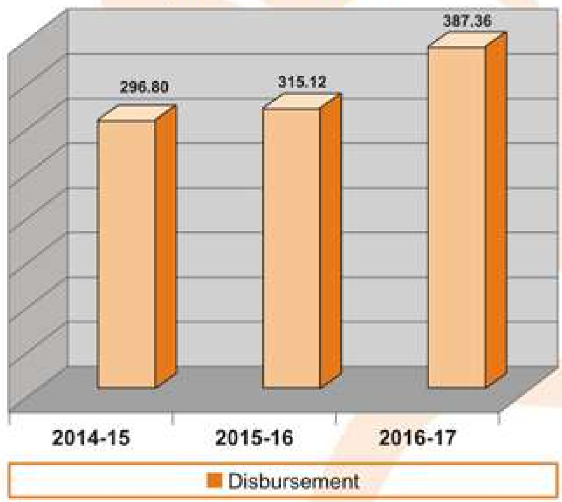

Beneficiaries Assisted During Last Three Years

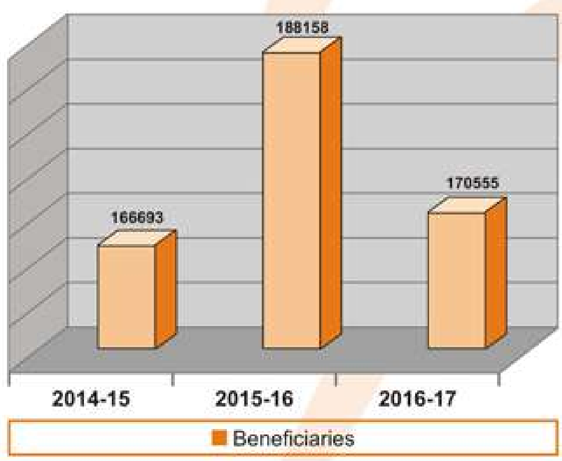

* Average amount lent per beneficiary increasedfrom Rs. 16748 to Rs. 22712, showing an increase of 36% in 2016-17 from previous year.

Schemewise Disbursement (2016-17)

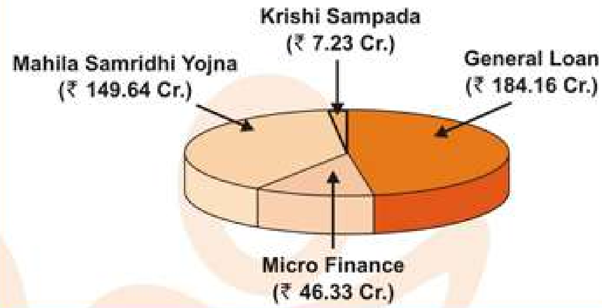

Scheme-wise Beneficiaries Assisted (2016-17)

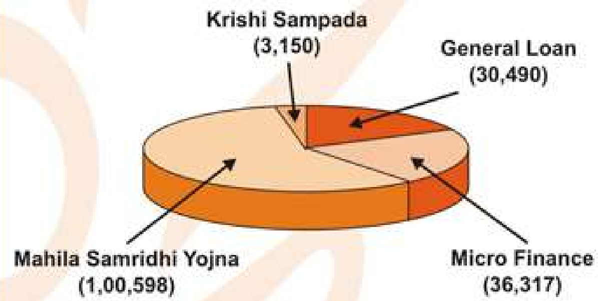

6.4 Education Loan Disbursement:

During the year 2016-17, your Corporation provided loans of Rs. 28.81 Cr. to 3590 beneficiaries under the Education Loan Scheme over the previous year which was Rs. 19.86 Cr. for 3557 beneficiaries. The professional courses at graduate & higher level approved by AICTE/MCI/Appropriate Authority, etc. such as MBA, MCA, Engineering, BDS, MBBS, BSc Nursing, Hotel Management etc. are covered under the scheme.

Disbursement under Education Loan Scheme

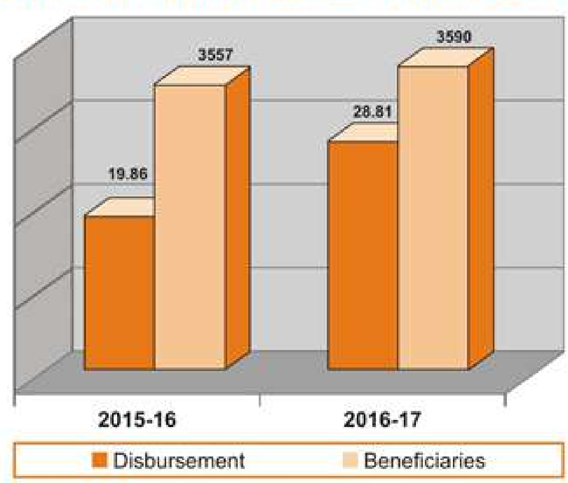

6.5 महिलाओं के लिए विशेष योजना

निगम द्वारा महिला लाभार्थियों के लिए विशेष योजना 'नई स्वर्णिमा' टर्म लोन योजना के अन्तर्गत तथा 'महिला समृद्धि योजना' माइक्रो फाइनेंस योजना के अन्तर्गत संचालित है। वर्ष के दौरान इन महिला प्रधान योजनाओं के अंतर्गत जैसे– कशीदाकरी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डेरी, मत्स्य पालन एवं मत्स्य प्रसंस्करण उत्पाद, मसाला पाउडर पैकिंग, ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन, अचार बनाना आदि के अन्तर्गत रू. 169.95 करोड़ की राशि 104717 महिला लाभार्थियों को वितरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों द्वारा आहरित राशि का विवरण **अनुलग्नक– 3.4** (पृष्ठ सं. 36) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2016-17 की अवधि में कुल वितरण में से 'नई स्वर्णिमा' एवं 'महिला समृद्धि योजना' के अन्तर्गत ऋण वितरण

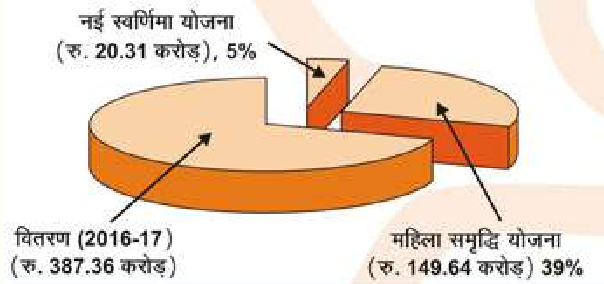

वर्ष 2016-17 की अवधि में कुल लाभार्थियों में से 'नई स्वर्णिमा' एवं 'महिला समृद्धि योजना' के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कुल लाभार्थी

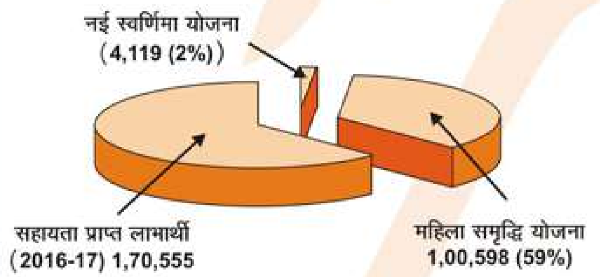

6.6 ऋण का उपभोग

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से आहरित निधि को राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों द्वारा धनराशि जारी करने के 120 दिनों के भीतर उपभोग करना होता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों को वितरित निधि का निर्धारित समय में यथासभंव शीघ्र अतिशीघ्र उपभोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के क्रम में स्लैब–वार ब्याज दर लागू की गई है:

उपभोग (दिन)	ब्याज दर (वार्षिक)
1-120 दिन	3%
120-180 दिन	6%
180 दिनों से ऊपर	8%

अन्य क्षेत्र, जिस पर निगम जोर दे रहा है, वह है ऋण का समय पर उपभोग। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों/चैनल सहभागियों को पत्राचार, क्षेत्रीय बैठकों के साथ–साथ राज्य सरकारों के अधिकारियों से संवाद, समय पर ऋणों के उपभोग के बारे में लगातार परामर्श दिया जाता है; ताकि लक्षित समूह के लाभार्थी यथासंभव कम समय में धनराशि प्राप्त कर सकें। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों द्वारा ऋणों का संचयी उपभोग 96% रहा है

लक्षित समूह के प्रति उनकी नई स्थिति को देखते हुए, लक्ष्य समूह के लिए बैंकों की निधियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अवधि के आधार पर 180 दिनों तक मामले दर मामले आधार पर बढ़ाया गया।

6.7 अंश पूंजी बनाम कुल वितरण

वर्ष के दौरान निगम ने भारत सरकार से रू. 100.00 करोड़ की अंश पूंजी प्राप्त की तथा रू. 387.36 करोड़ का वितरण किया।

दिनांक 31.03.2017 तक संचयी इक्विटी सहायता रू. 1124.00 करोड़ के सापेक्ष आपके निगम ने रू. 3575.51 करोड़ का संचयी वितरण कर 23,00,363 लाभार्थियों को कवर किया गया। भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी पूंजी का 3.18 गुणा वितरण अब तक किया गया है।

इक्विटी सहायता से रू. 2451.51 करोड़ अधिक की धनराशि रा.चै.ए./बैंकों से कर्मठता से अनुवर्तन के माध्यम से एवं आंतरिक संसाधनों के कुशल प्रबधन से पूरे किए गए हैं।

अंश पूंजी का भाग एवं आन्तरिक संसाधन एवं कुल वितरण (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार)

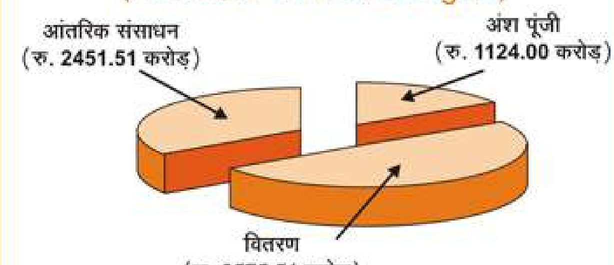

6.5 Special Schemes for Women

The Corporation implements special schemes for women beneficiaries 'New Swarnima' under Term Loan and 'MahilaSamriddhiYojana' under Micro Finance. An amount of Rs. 169.95Crore has been disbursed to assist 104717 women beneficiaries under these women oriented schemes like Embroidery, Tailoring, Beauty Parlor, Dairy, Fisheries & Fish Processed Products, Ornamental Fish Culture, Spice Powder Packing, Organic Vegetable Growing, Pickle Making etc., during the year 2016-17. Status showing amount drawn by the States under Special Schemes for Women during financial year 2016-17 is at **Annexure - 3.4** (Page No. 36).

Loan Disbursed under 'New Swarnima' and 'MahilaSamridhiYojna' within total Loan Disbursed during 2016-17

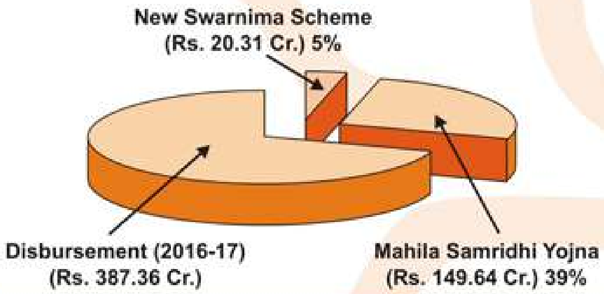

Total Beneficiaries Assisted under 'New Swarnima' and 'Mahila Samriddhi Yojana' within total No. of Beneficiaries covered during 2016-17

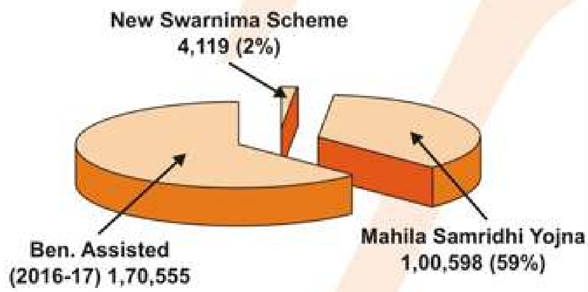

6.6 Utilization of Loan

The SCAs are required to utilize the funds drawn from NBCFDC within 120 days of its release. Slab-wise rate of interest is levied in order to encourage the SCAs to utilize the released funds as early as possible within the stipulated period.

Utilization (days)	Rate of Interest (p.a.)
1-120 days	3%
121-180 days	6%
Above 180 days	8%

The area of focus which the Corporation is addressing the timely utilization of the loan. The SCAs/CPs are continuously being advised through written communications, by regional meetings as well as interaction with State Govt. Officials, for timely utilization of loan so that the target group beneficiaries receive funds in the shortest possible time. Cumulative utilization of loans by SCAs stands at 96%.

Given their newness to the target groups, Banks have been allowed on case to case basis an enhanced period upto 180 days in the first instance to incentivize utilization of funds by them for the benefit of the target group.

6.7 Equity Share Vs. Total Disbursement

During the year Corporation received equity share capital of Rs. 100.00 Cr. from Govt. of India and disbursed Rs. 387.36Cr.

The cumulative equity support upto 31.03.2017 is Rs. 1124.00 Cr. against which your Corporation achieved cumulative disbursement of Rs. 3575.51 Cr. covering 23,00,363 beneficiaries. The disbursement has therefore so far been 3.18 times the equity received from Government of India.

The amount of Rs. 2451.51 Cr. over and above the equity support has been met from recoveries through diligent follow up with SCAs/Banks and efficient management of internal resources.

Share of Equity and Internal Resources of Total Disbursement (upto 31.03.2017)

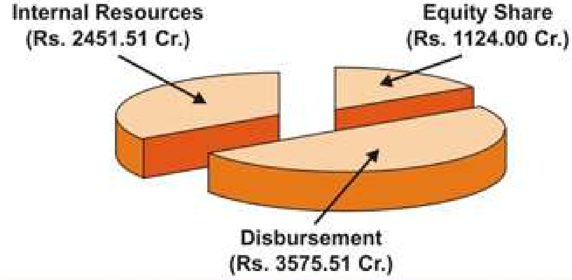

संचयी वितरण बनाम गत तीन वर्षों का वितरण
(31.03.2017 तक)

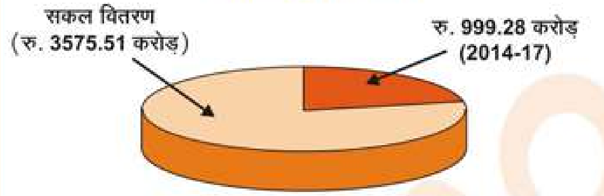

तीन वर्षों का संवितरण, 25 वर्षो के अस्तित्व के संचयी संवितरण से अधिक का रहा है। यह पिछली तीन वर्षो के वित्त वर्ष 12 से वित्तीय वर्ष 14 में वितरण का 38% अधिक है।

संचयी लाभार्थी बनाम गत तीन वर्षों के लाभार्थी
(31.03.2017 तक)

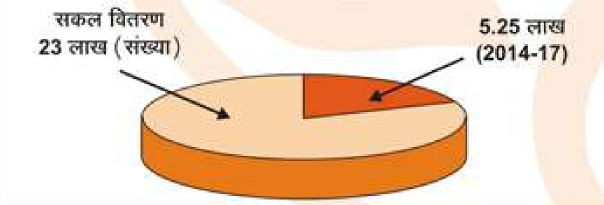

6.8 ऋण की वसूली

राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से ऋण की वसूली पर निगम पर्याप्त ध्यान दे रहा है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से वसूली तंत्र को मजबूत करने, अपने मुख्यालयों के साथ–साथ जिला स्तर पर अलग वसूली प्रकोष्ठ स्थापति करने और लाभार्थियों से समय पर वूसली के लिए प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कहा गया है।

निरंतर अनुवर्तन के परिणामस्वरूप, निगम ने 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार रू. 2672.55 करोड़ की संचयी बकाया राशि के सापेक्ष रू 2466.99 करोड़ की राशि वसूल करने में समर्थ हुआ। रू. 2466.66 करोड़ की वसूली की संचयी राशि में मूलधन के रूप में रू 2103.68 करोड़ तथा ब्याज/अन्य प्रभार के रूप में रू. 363.31 करोड़ की राशि सम्मिलित है। दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से संचयी मांग के सापेक्ष संचयी वसूली 92.31% है।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसीवार एवं राज्यवार संचयी देय एवं वसूली **अनुलग्नक–3.5** (पृष्ठ सं. 37-39) पर उपलब्ध है।

7 निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, निगम की सी.एस आर. नीति है एवं तीन वित्तीय वर्षों के शुद्ध लाभ का 2% का बजटीय आवंटन वित्तीय वर्ष 2016-17 में सी.एस.आर. कार्यकलापों हेतु किया गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान कार्यान्वित सी.एस.आर. कार्यकलापों/परियोजनाओं के मुख्य आकर्षण निम्नानुसार है:

i) स्वच्छता एवं सफाई: वर्ष के दौरान निगम ने माह जुलाई, 2016 के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया:

क) विमुक्त घुमन्तू समूह, सेक्टर–56 एवं कनेही गांव, सेक्टर–45, गुड़गांव को आच्छादित किया गया जिसमें आरोग्य जीवन को प्रोन्नत करने हेतु जागरूकता पैदा करने के अतिरिक्त आवासित क्षेत्र की एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा सफाई की गई। यहाँ के निवासियों को मुक्त स्वास्थ्य जांच इत्यादि के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई।

ख) एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के आस–पास के स्कूल एवं संस्थानों को आच्छादित किया गया, जहां इन प्रयासों में संस्थानों के अंदर व आस–पास सफाई के माध्यम से विद्यार्थियों को शामिल किया गया। विद्यार्थियों को नुक्कड़ नाटक, स्लोगन लेखन एवं वाद–विवाद प्रतियोगिता इत्यादि के माध्यम से जागरुक किया गया।

ग) एन.बी.सी.एफ.डी.सी. परिसर में व उसके चारों ओर सामान्य सफाई हेतु सार्वजनिक स्थानों को आच्छादित किया गया। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के कर्मचारियों ने 'स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन' निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया गया।

ii) विमुक्त घुमन्तू समूह, गोहाना, हरियाणा में मोबाइल शौचालय: सरकारी नीति– खुले में शौच से मुक्त समाज के प्रोत्साहन हेतु गोहाना, जिला–सोनीपत, हरियाणा के बागरी लोहार समूह के समुदाय के पास के परिसर में स्थापना हेतु हरियाणा बी. सी. कल्याण निगम की 10 ईकाइयों से निर्मित मोबाइल शौचालय (5 पुरूषों हेतु 5 महिलाओं हेतु) वर्ष के दौरान स्वीकृत किए गए। माननीय केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (श्री कृष्णपाल गुर्जर) इस अवसर पर उपस्थित थे एवं दिनांक दिनांक 30 जून, 2017 को गोहाना, हरियाणा में विमुक्त घुमंतू समुदाय को समर्पित किया।

iii) पलक्कड़, केरल में कुम्हारों को आधुनिक औजार: वर्ष के दौरान, निगम ने केरल बीसी निगम को कवासेरी पंचायत, जिला–पलक्कड़, केरल में गरीब कुम्हार समुदाय से संबंधित 50 लाभार्थियों को कार्यशील पूंजी और आधुनिक उपकरण (पग मिल/मिट्टी के पहियों) का प्रावधान करने के लिए आंशिक स्वचालन के लिए, मिट्टी के बर्तनों की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने और उनकी आय में सुधार लाने के लिए मंजूरी दे दी है। परियोजना को जून, 2017 में सौंप दिया गया था।

iv) पश्चिमी मिदनापुर जिला, पश्चिम बंगाल में आई.आई.टी., खड़गपुर के साथ संयुक्त रूप से बायो–गैस परियोजना: वर्ष के दौरान, निगम ने आई.आई.टी. खड़गपुर को 15 बायो गैस परियोजनाओं को मंजूरी दी। 30 जून, 2017 को, एनबीसीएफडीसी द्वारा प्रायोजित और आईआईटी (खड़गपुर)

Cumulative Disbursement Vs. Last Three Years Disbursement (upto 31.03.2017)

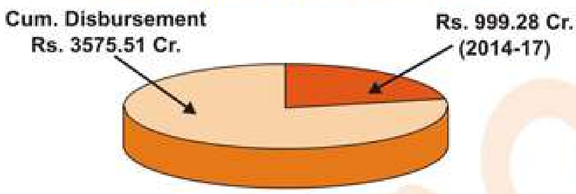

The disbursement over three years has been 28% of cumulative disbursement over 25 years of existence. It has been 38% over and above the disbursement in the previous three years FY' 12 to FY' 14

Cumulative Beneficiaries Vs. last 3 Years Beneficiaries (upto 31.03.2017)

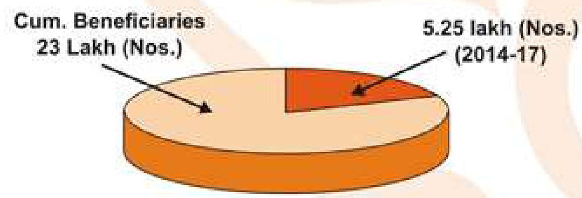

6.8 Recovery of Loan

Recovery of Loan from SCAs is receiving adequate attention of the Corporation. SCAs have been asked to strengthen the recovery mechanism, establish separate recovery cell at their Headquarters as well as District level and the responsibility be fixed at every level for timely recovery from the beneficiaries.

As a result of continuous follow-up, the Corporation was able to recover Rs. 2466.99 Cr. as against cumulative dues of the Rs. 2672.55 Cr. as on 31.03.2017. The cumulative amount of recoveries of Rs. 2466.99 Cr. comprises of Rs. 2103.68 Cr. as principal and Rs. 363.31 Cr as interest/other charges. Cumulative recoveries against cumulative demands on SCAs stand at 92.31 % as on 31st March, 2017.

SCA &Statewise cumulative dues & recoveries as on 31st March, 2017 is available at **Annexure - 3.5** (Page No. 37-39).

7. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

As per Companies Act 2013, the Corporation has a CSR Policy and a budgetary allocation of 2% of the net profit made during three immediately preceding financial years has been done in the financial year 2016-17 for CSR activities. Highlights of the CSR Activities/projects implemented in progress during the year 2016-17 are as under:

I) Cleanliness and Sanitation: During the year, the Corporation organized various activities during SwachhtaPakhwada in the month of July, 2016 as under:

a) DNT Cluster, Sector-56, and Kanehi Village, Sector-45, Gurgaon were covered, wherein besides creating awareness to promote hygienic living, the habitation was also cleaned up by NBCFDC. The residents were also provided facility of free health checkup etc.

b) Schools and institutions around NBCFDC were covered, where students were involved in this initiative through conducting cleanliness drive within and around the institutions. The students were made aware through NukkadNatak, slogan writing and debate competition etc.

c) Public areas in and around NBCFDC premises were covered for general cleaning. Employees of NBCFDC participated in the essay competition on "Swachh Vatavaran, Swasth Jeevan".

ii) Mobile Toilets at DNT Cluster, Gohana, Haryana: In furtherance of Government's policy for Open Defecation Free (ODF) Society, mobile toilets comprising of 10 units (5 male and 5 female) were sanctioned to Haryana BC Kalyan Nigam during the year for installation in premises near the cluster habitation of Bagri Lohar Community at Gohana, District Sonepat, Haryana. The Hon'ble Minister for Social Justice & Empowerment and the Hon'ble Minister of State for Social Justice & Empowerment (KP) graced the occasion & handed over the Mobile Toilets to the DNT Community on 30th June, 2017, at Gohana, Haryana.

iii) Modern tools to Potters in Palakkad, Kerala: During the year, the Corporation also sanctioned to Kerala BC Corporation for providing working capital and modern tools (Pug Mill/ Pottery Wheel) to 50 beneficiaries belonging to poor potters community in KavaserryPanchayat, Distt. Palakkad, Kerala for partial automation of their occupation, to enhance the productivity and quality of pottery products and thereby improving their income. The project was handed over in June, 2017.

iv) Bio-Gas Projects at West Medinipur District, West Bengal jointly with I.I.T. Kharagpur: During the year, the Corporation sanctioned 15 Bio-Gas Projects to I.I.T. Kharagpur. On 30[th] June, 2017, the first two Bio-gas projects out of the 15 number of such plants sponsored by NBCFDC & implemented by I.I.T.

द्वारा कार्यान्वित किए गए ऐसे 15 इकाइयों में से पहले दो जैव–गैस परियोजनाओं को गोविंदपुर, जिला पश्चिम मिदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में चिन्हित किए गए गरीब लाभार्थियों को सौंप दिया गया। इस उपाय से भैंस/गाय के गोबर के उपयोग से स्वच्छ ईंधन का उत्पादन व स्वच्छ पर्यावरण और कृषि उपयोग के लिए जैव–उर्वरक उत्पादन का दोहरा लाभ होने की आशा है। इसके अतिरिक्त, इससे महिलाओं को धुएं से बचने में मदद मिलेगी और परिणामस्वरूप स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचा जा सकेगा।

v) मोरी गौण जिले में ग्राम विकास कार्यक्रम, अक्षम (प्रगति पर परियोजना): वर्ष के दौरान, निगम ने स्वच्छता बनाए रखने, शौचालयों व स्वच्छ पीने के पानी के लिए एक आर.ओ. प्लांट व सार्वजनिक शौचालय के प्रावधान के लिए आई.आई.ई., असम को गांव–राजामायंग, माओंग विकास खण्ड, जिला– मोरी गाँव, असम के निवासियों के कल्याण के लिए मंजूरी दी गई। कार्यकलापों में स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने और ग्रामीण उद्यमियों के विकास के लिए हस्तकला पर कौशल प्रशिक्षण (जलकुंभी उत्पाद बनाने) शामिल हैं। अब–तक जून 2017 तक, स्वयं सहायता समूह निर्माण कार्य, एस.एच.जी प्रशिक्षण हेतु निविदा कार्य के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और जनहित कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सी.एस.आर. पर प्रकाश डाले जाने के अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सी एस.आर. कार्यकलापों पर एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक 3.6** (पृष्ठ सं. 40-43) के रूप में उपलब्ध है।

8. पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रगति

पंचवर्षीय योजना की अवधि में विभिन्न मापदण्डों यथा–सकल वितरण, बजटीय सहायता, सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या, वसूली एवं प्रशिक्षित व्यय इत्यादि निगम की प्रगति के सम्बंध में निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	8वीं योजना 1992-97	9वीं योजना 1997-02	10वीं योजना 2002-07	11वीं योजना 2007-12	12वीं योजना 2012-17	सकल 31.03.17 को
1	बजटीय सहायता (रु. करोड़ में)	198.90	191.50	69.95	212.00	**451.65**	**1124.00**
2	वितरण (रु. करोड़ में)	197.93	443.63	581.90	842.30	**1509.75**	**3575.51**
3	सहायता प्राप्त लाभार्थी (संख्या)	109625	271905	448404	634336	**836093**	**2300363**
4	प्रशिक्षित लाभार्थी (संख्या)	2423	14605	46841	51843	**55563**	**171275**
5	ऋण की वसूली (रु करोड़ में)	55.47	260.10	409.87	680.35	**1061.20**	**2466.99**

9. वित्तीय विशेषताएं:

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निगम ने अब तक भारत सरकार से रू. 1124 करोड़ की बजटीय सहायता प्राप्त की है। वर्ष 2016-17 में निगम को भारत सरकार से बजटीय सहायता के रूप में रू. 100.00 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। निगम 31.03.2017 तक रू. 3575.51 करोड़ का संचयी वितरण करने में समर्थ हुआ। शेष रू. 2451.51 करोड़ की राशि, वसूलियों और आंतरिक संसाधनों के सफल प्रबंधन से पूरी की गई है। प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराने विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों, विज्ञापन एवं प्रचार–प्रसार व जागरूकता शिविरों के आयोजन/प्रतिभागिता जैसे कार्यकलापों में वृद्धि होने के बावजूद निगम की समग्र वित्तीय स्थित काफी संतोषजनक रही। निगम ने गत वर्ष रू. 24.08 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान रू. 25.67 करोड़ की व्यय से अधिक आय अर्जित की है।

सृजित किए गये आधिक्य धनराशि का उपयोग वितरण स्तर बढ़ाने में किया गया। 31, मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार निगम का शुद्ध मूल्य वर्ष 2015-16 के रू. 1428.25 करोड़ के सापेक्ष रू. 1553.93 करोड़ हो गया है।

जैसा कि आपके निदेशकों ने संस्तुति की थी, व्यय से आय के आधिक्य रू. 25.67 करोड़ की पूरी राशि को सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है। निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत (अब कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के अन्तर्गत पंजीकृत है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (1) (सी) के प्रावधान तथा कम्पनी कार्य विभाग, विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी लाइसेंस के प्रावधान के अनुसार निगम द्वारा किसी लाभांश (डेवीडेंड) का भुगतान किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा निगम अपने अधिशेष, यदि कोई हों, या अन्य आय को अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग में ला सकता है। निगम द्वारा प्रशासनिक व्यय अपने संसाधनों यथा–नियोजित पूंजी पर ब्याज से पूरा किया जाता है।

(Kharagpur) were handed over to the identified poor beneficiaries in Gobindpur, West MedinipurDistt., and West Bengal. This measure is expected to have dual advantage of use of Buffalo/Cow dung and production of clean fuel & clean environment and producing Bio-Fertilizer for agricultural use. Further, this would help women to avoid from smoke and resulting health hazards.

v) Village Development Programme in Mori Gaon District, Assam (Project in Progress): During the year, the Corporation sanctioned to I.I.E. Assam for provision of public toilets and a R.O. Plant for maintaining cleanliness and providing clean drinking water for the well-being of residents of Rajamayong Village, Mayong Development Block, Mori Gaon District, Assam. The activities also include promotion of self-help group and their skill training for developing rural entrepreneur on handicraft (Water Hyacinth Product Making). So far till June, 2017, the SHG formation work, training of SHG, survey for civil work and tender work has been completed and civil work is in progress.

In addition to the above CSR highlights, a report on CSR activities as per the provisions of the Companies Act 2013 is available at **Annexure-3.6** (Page No. 40-43) to this report.

8. PROGRESS DURING FIVE YEAR PLAN

Progress of the Corporation during the Five Year Plans in respect of various parameters i.e. Gross Disbursement, Budgetary Support, No. of Beneficiaries Assisted, Recoveries and Training Expenditure etc. have been as under:

S.N.	Particulars	8th Plan 1992-97	9th Plan 1997-02	10th Plan 2002-07	11th Plan 2007-12	12th Plan 2012-17	Cumulative as on 31.03.17
1	Budgetary Support (Rs. in Cr.)	198.90	191.50	69.95	212.00	**451.65**	**1124.00**
2	Disbursement (Rs. in Cr.)	197.93	443.63	581.90	842.30	**1509.75**	**3575.51**
3	Beneficiaries Assisted (Nos.)	109625	271905	448404	634336	**836093**	**2300363**
4	Beneficiaries Trained (Nos.)	2423	14605	46841	51843	**55563**	**171275**
5	Recovery of Loan (Rs. in Cr.)	55.47	260.10	409.87	680.35	**1061.20**	**2466.99**

9. FINANCIAL HIGHLIGHTS

As mentioned earlier, the Corporation has so far received Rs. 1124.00 crore as budgetary support from Govt. of India. During the year 2016-17 the Corporation received Rs. 100.00 crore as budgetary support from Govt. of India. The Corporation was able to achieve cumulative disbursement of Rs. 3575.51 crore upto 31.03.2017. The balance resources of Rs. 2451.51 crore have been met from recoveries and efficient management of internal resources. Inspite of the enlargement of its activities by way of providing assistance for training, organizing / participating in various fairs and exhibitions, advertising & publicity and awareness camps, the overall financial status of the Corporation is quite satisfactory. The Corporation earned Surplus of income over expenditure amounting to Rs. 25.67 crore during 2016-17 as compared to Rs. 24.08 crore in the previous year.

The surplus funds generated were used to enhance the level of disbursement. The net worth of the Corporation stood at Rs. 1553.93 crore as on 31st March, 2017 against Rs.1428.25 crore during the year 2015-16.

As recommended by your Directors, the entire amount of surplus of income over expenditure of Rs. 25.67 crore has been transferred to General Reserve. The Corporation is registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (now u/s 8 of the Companies Act 2013). Under the provisions of Sec. 8 (1) (c) of the Companies Act, 2013 and also the provisions of license issued to the Corporation by Deptt. of Company Affairs, Ministry of Law Justice & Company Affairs, Govt. of India, the Corporation is not required to pay any dividend and the Corporation can apply its surplus if any, or other income in promoting its objects. The administrative expenses of the Corporation are met from its own resources viz. from interest on capital employed.

10 भारत सरकार द्वारा बजट आवंटन

वर्ष 2016-17 के दौरान एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने रू. 100.00 करोड़ की बजटीय सहायता इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में भारत सरकार से प्राप्त की है जिसके सापेक्ष आपके निगम ने रू. 387.36 करोड़ का वितरण किया है, इसका तात्पर्य यह है कि बजटीय सहायता से अधिक रू. 287.36 करोड़ वितरण निधि के चक्रण अथवा आन्तरिक संसाधनों से किया गया है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के सक्रिय सहयोग एवं उनसे पर्याप्त वसूली से यह उपलब्धि संभव हो सकी है।

11. प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन

दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे पिछड़े वर्गो के पात्र व्यक्तियों को तकनीकी और उद्यमीय कौशलों में उन्नयन के लिए निगम द्वारा अनुदान सहायता के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य लक्षित वर्ग को पारंपरिक और तकनीकी व्यवसायों में उचित कौशल तथा तकनीकी प्रशिक्षण द्वारा आत्म– निर्भर बनाने हेतु समर्थ बनाना है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण सम्पन्न होने के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर अपना व्यवसाय/स्वरोजगार आरंभ करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों/सेक्टर स्किल काउंसिलों एवं राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) के सहयोग से प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित करता है।

वर्ष 2016-17 के लिए मंत्रालय ने 17500 प्रशिक्षणार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया था। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत् लक्ष्य के सपेक्ष निगम ने वर्ष के दौरान 18748 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया। अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्रम में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने निम्न राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों, जिनके देश के प्रमुख शहरों में प्रशिक्षण संस्थान है, के साथ सहभागिता स्थापित की गई है,

1. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (सीपेट), चैन्नई
2. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नालोजी (आई.आई.सी.टी.), श्रीनगर
3. टेक्सटाइल सैक्टर स्किल काउंसिल (टीएसएससी), नई दिल्ली
4. अपैरल मेड–अप एण्ड होम फर्निसिंग सेक्टर स्किल काउंसिल, गुड़गांव
5. इंडियन पलम्बिंग सैक्टर स्किल काउंसिल, नई दिल्ली
6. जम्मू एवं कश्मीर राज्य महिला विकास निगम, जम्मू
7. सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफारमेंस (क्रिप्स), भोपाल
8. सिक्युरिटी स्किल काउंसिल इंडिया लि0, नई दिल्ली
9. हैण्डीक्राफ्ट एण्ड कॉरपेट सेक्टर स्किल काउंसिल, नई दिल्ली
10. टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटलटी स्किल काउंसिल, गुडगाँव
11. पॉवर सेक्टर स्किल काउंसिल, नई दिल्ली
12. ब्यूटी एण्ड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल, गुड़गाँव
13. इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली
14. टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल, गुड़गाँव
15. फर्नीचर एण्ड फिटिंग स्किल काउंसिल, गुड़गाँव
16. सेंट्रल ग्लास एण्ड सेरामिक रिसर्च इन्सटीट्यूट, उत्तर प्रदेश
17. कम्यूनिटी कॉलेज (ओ.पी.जे.सी.सी.), छत्तीसगढ़
18. कैपिटल गुड्स स्किल काउंसिल, नई दिल्ली
19. स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब, नई दिल्ली
20. अपैरल ट्रैनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर, गुडगांव

वर्ष 2016-17 के दौरान रू. 16.27 करोड़ 18748 प्रशिक्षणार्थियों हेतु आंशिक प्रशिक्षण व्यय के रूप में जारी किए गए। रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान राज्यवार/ट्रेडवार प्रशिक्षण विवरण **अनुलग्नक– 4** (पृष्ठ स. 44-47) पर दिया गया है।

भावी सी.पी.एस.ई. दाता की विशिष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, दाता पी.एस.यू./ एजेंसियों के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) निधि का उपयोग करने के लिए निष्पादित परियोजनाओं के मामले में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल ने समाज के सभी कमजोर वर्गो के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु जिसमें कम से कम 60% सदस्य पिछड़े वर्ग से हों और शेष अन्य कमजोर वर्गो (आय और / या सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक मानदंड) के लिए अनुमति दे दी है। वर्ष के दौरान, आपके निगम को लाभार्जन करने वाले पी.एस.यू. से निगमित सामाजिक दायित्व के तहत मंजूरी मिल सकती है, जैसा कि नीचे प्रदर्शित किया गया है:

10. BUDGET ALLOCATION BY GOI

During the year 2016-17, Rs. 100.00 crore has been received from Govt. of India as equity share capital and against which your Corporation has disbursed Rs. 387.36 crore, which means Rs. 287.36 crore over & above budgetary support has been disbursed from recycling of funds or internal resources of the Corporation. The achievement has been possible with the active support of SCAs and adequate repayments from them.

11. TRAINING AND SKILL UPGRADATION

The Corporation through grant in aid facilitates Skill Development Training Programmes for up-gradation of technical and entrepreneurial skills of eligible members of Backward Classes living below double the poverty line. The objective of this scheme is to provide training to the target group to make them capable of self-dependent through appropriate skill and technical training in the field of traditional & technical occupations. The trainees are encouraged to obtain loan under NBCFDC general loan schemes to start their business/ self-employment venture after the successful completion of the training.

The NBCFDC implements Skill Development Training Scheme in collaboration with reputed Government training institutes/Sector Skill Councils and also through State Channelising Agencies (SCAs).

During 2016-17, the Ministry set a target of 17500 trainees. Against this target the Corporation trained 18748 nos. of beneficiaries during the year for NBCFDC under Skill Development Training Programme. In order to achieve the desired goal, partnership was established by NBCFDC with following National level institutes having training Institutes in major cities of the country such as;

1. Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET), Chennai
2. Indian Institute Carpet Technology (IICT), Srinagar
3. Textile Sector Skill Council (TSSC), New Delhi
4. Apparel Made-Up & Home Furnishing Sector Skill Council, Gurgaon
5. Indian Plumbing Sector Skill Council, New Delhi
6. J&K State Women's Development Corporation, Jammu
7. Centre For Research and Industrial Staff Performance(CRISP), Bhopal
8. Security Skills Council India Ltd, New Delhi
9. Handicrafts & Carpet Sector Skill Council, New Delhi
10. Tourism & Hospitality Skill Council, Gurgaon
11. Power Sector Skill Council, New Delhi
12. Beauty &Wellness Sector Skill Council, Gurgaon
13. Electronics Sector Skill Council of India, New Delhi
14. Telecom Sector Skill Council, Gurgaon
15. Furniture & Fitting Skill Council, Gurgaon
16. Central Glass & Ceramic Research Institutes, UP
17. Community College (OPJCC), Chhattisgarh
18. Capital Goods Skill Council, New Delhi
19. Skill Council for Green Job, New Delhi
20. Apparel Training and Design Centre, Gurgaon

Training Expenditure released as part payment on training during 2016-17 was Rs.16.27 Crore for 18748 trainees. Statewise/Tradewise details of training during the year under report are available at **Annexure - 4** (Page No. 44-47).

Keeping in mind the specific requirement of prospective donor CPSEs, the Board of NBCFDC haspermitted Skill Development Training to all weaker sections of the society wherein minimum 60% members belong to Backward Classes and balance may be from other weaker sections (as per income and/ or economic criteria prescribed by Government) in the case of projects executed using Corporate Social Responsibility (CSR) funds of donor PSUs/ Agencies.During the year, your Corporation could get sanction under Corporate Social Responsibility (CSR) from the profit making PSUs as shown under:

क्र.सं.	लोक उद्यम का नाम	स्वीकृत सी.एस.आर. धनराशि (राशि रु. में)	जारी की गई सी.एस.आर. धनराशि (राशि रु. में)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	आई.आई.पी.ओ., नई दिल्ली	40,00,000.00	34,21,000.00	213
				64
2	केन्द्रीय भण्डारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.)	64,00,000.00	32,00,000.00	160
3	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (कॉनकोर)	.23,00,000.00	18,00,000.00	100
4	इरकॉन इंटरनेशनल लि.	33,00,000.00	10,08,000.00	200
5	आई.एफ.सी.आई. लि.	77,91,000.00	-	600
		2,37,91,000.00	**94,29,000.00**	

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सी.एस.आर. निधित उपरोक्त परियोजनाएं 16 राज्यों में स्वीकृत की गई है (बिहार, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रक्रिया में हैं।

12. उत्तर–पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान

वर्ष 2016-17 में, निगम ने भारत सरकार से प्राप्त कुल बजट आवंटन की 33% राशि उत्तर–पूर्वी राज्यों को आवंटित एवं वितरित की है। वर्ष 2016-17 के दौरान उत्तर–पूर्वी राज्यों से प्राप्त विधिसंगत मांग के अनुसार उत्तर–पूर्वी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (नेडफी) के माध्यम से असम (रू. 4.00 करोड़) एवं मणिपुर को (रू. 4.00 करोड़) और त्रिपुरा को (रू. 25.00 करोड़) कुल राशि (रू. 33.00 करोड़) 11,790 लाभार्थियों हेतु ऋण वितरित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए रू. 10.00 करोड़ की अनिवार्य आवश्यकता से काफी ऊपर (भारत सरकार से प्राप्त रू. 100.00 करोड़ का 10%) वितरण किया गया। उत्तर–पूर्वी राज्यों का संचयी विवरण इस प्रकार है:

राज्य	ऋण वितरण 2016-17 (रु./करोड़)	संचयी ऋण वितरण (रु./करोड़)	2016-17 में सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संचयी संख्या
असम	4.00 (नेडफी के माध्यम से)	48.44	3000	34897
मणिपुर	4.00 (नेडफी के माध्यम से)	36.33	3000	30502
सिक्किम	-	27.13	-	5164
त्रिपुरा	25.00	101.35	5790	34724
कुल	**33.00**	**213.25**	**11790**	**105287**

13. विपणन संयोजन

निगम, अन्य विकासात्मक कार्यकलापों के अतिरिक्त, लक्षित वर्ग के दस्तकारों को देश के मुख्य मेलों जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली हॉट एवं सूरजकुण्ड हस्तशिल्प मेले के साथ–साथ सम्बंधित राज्यों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों/मेलों आदि में विपणन के अवसर उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित करता है। ये आयोजन दस्तकारों को मात्र विपणन/प्रदर्शन का अवसर ही प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि एक ऐसा सुअवसर भी प्रदान करते हैं, जहां उनके उत्पादों की अच्छे मूल्य पर बिक्री होती है जो सामान्यतः उनके क्षेत्र में होना कठिन होता।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. परम्परागत पिछड़े वर्ग के दस्तकारों को प्रदर्शनियों में उत्पादों के प्रदर्शन हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराकर विपणन संयोजन हेतु सहायता प्रदान करता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को निगम की योजनाओं के प्रदर्शन तथा विविध उत्पादों एवं सेवाओं, जिनके लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों मे माध्यम से देश के विभिन्न भागों में पिछड़े वर्गो के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, प्रदर्शनियों का आयोजन अथवा प्रतिभागिता करने हेतु प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार की प्रदर्शनियों का उद्देश्य एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने सहित लक्षित वर्ग के दस्तकारों को बड़े बाजरों में पहुंच प्रदान करना है। लाभार्थियों को आने–जाने का किराया व्यय इत्यादि भी उपलब्ध कराया जाता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित/प्रायोजित मेलों, प्रदर्शनियों का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक– 5** (पृष्ठ सं. 48) पर उपलब्ध है।

S.No	Name of the PSU	CSR Funds Sanctioned (Amount in Rs.)	CSR Funds Released (Amount in Rs.)	Number of Trainees
1	ITPO, New Delhi	40,00,000. 00	34,21,000.00	213
				64
2	Central Warehousing Corporation (CWC)	64,00,000.00	32,00,000.00	160
3	Container Corporation of India Ltd (CONCOR	.23,00,000.00	18,00,000.00	100
4	IRCON International Ltd	33,00,000.00	10,08,000.00	200
5	IFCI Ltd	77,91,000.00	--	600
		2,37,91,000.00	**94,29,000.00**	

The skill development training programmes under the above CSR funded projects have been sanctioned in 16 states (Bihar, Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Haryana, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh). The implementations of training programmes are underway.

12. FOCUS ON NORTH EASTERN STATES

During the year 2016-17, Corporation has allocated and disbursed 33% fund of the total budget allocation received from Govt. of India to the North Eastern States. As per their legitimate demand received during the year 2016-17, loan amounting to Rs. 33.00 Cr. for 11790 beneficiaries was disbursed in the N-E States namely Assam (Rs. 4.00 Cr.) and Manipur (Rs. 4.00 cr.) through North Eastern Development Finance Corporation Ltd. (NEDFi) and Tripura (Rs. 25.00 cr.). This is well above the mandatory requirement to disburse Rs.10.00 Cr. (10% of Rs.100.00 Crore received from GOI) for the financial year 2016-17. Cumulatively disbursement to N.E. States is under:

State	Loan Disbursed 2016-17 (₹ in cr.)	Cum. Loan Disbursed (₹ in cr.)	No. of Beneficiaries Assisted 2016-17	Cum. Loan of Beneficiaries Assisted
Assam	4.00 (through NEDFi)	48.44	3000	34897
Manipur	4.00 (through NEDFi)	36.33	3000	30502
Sikkim	-	27.13	-	5164
Tripura	25.00	101.35	5790	34724
TOTAL	**33.00**	**213.25**	**11790**	**105287**

13. MARKETING LINKAGES

Besides other developmental activities, the Corporation is promoting, marketing facilities for the artisans of the target group by providing opportunities to participate in the Country's leading fairs like India International Trade Fair, Dilli Haat and Suraj Kund Crafts Mela etc. as well as in the exhibitions/fairs organized in their respective States. The event not only give much needed marketing exposure to these artisans, but also provide an opportunity to market their products at good price which usually they find difficult in their own places.

NBCFDC helps traditional BC Artisans by way of providing them platform to exhibit their products in the exhibitions to establish marketing linkages.

NBCFDC also motivates the SCAs to organize or participate in exhibitions to showcase the schemes of the Corporation and also to exhibit the diverse products and services for which NBCFDC has provided financial assistance to the members of Backward Classes in different parts of the Country through SCAs. The objective of such exhibitions is to generate awareness about the NBCFDC schemes as well as to give exposure to the artisans of the target group to a bigger market. Beneficiaries are also being provided to and fro expenses, etc. Detailed statement of the Fairs, Exhibitions organized/sponsored by NBCFDC during the year 2016-17 is available at **Annexure-5** (Page No. 48).

14. नई पहल

14.1 सूचना तकनीकी (आई.टी.)

वर्ष के दौरान, निगम ने व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी को संकेखित करने के लिए जोर दिया गया। एन.बी.सी. एफ.डी.सी. ने लीप साफ्टवेयर को विकसित कर लिया है और कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य संस्था के ऋण एवं मानव संसाधन प्रबंध कार्यकलापों को स्वचालित करना है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के प्रयोगकर्त्ताओं के अतिरिक्त, रा.चै.ए./चैनल सहभागियों की भी इस तंत्र तक पहुँच होगी। यह साफ्टवेयर जिसमें वार्षिक कार्य योजना, रा.चै.ए. द्वारा ऋण प्रस्तावों को जमा करना, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा ऋण प्रस्ताव(वों) का अनुमोदन, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा धनराशि अवमुक्ति, एस.सी.ए. द्वारा उपभोग प्रमाण–पत्रों/वसूली इत्यादि ऑन–लाइन कार्यकलापों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

यह साफ्टवेयर एन.बी.सी.एफ.डी.सी. और उसके साझीदारों की मैनुअल त्रुटियों को कम करेगा। कुशल वितरण तंत्र, इच्छित सूचना, सटीक एवं संक्षिप्त सूचना, सूचना तक किसी भी समय पहुंच, लाभार्थियों की अद्यतन सूचना, तत्काल संपर्क, सुव्यवस्थित काम–काज, पूरी पारदार्शिता इत्यादि की सुविधा प्रदान करेगा। सूचना तकनीकि कागज के इस्तेमाल को कम करेगा और पारदर्शी कामकाज के सभी कार्यात्मक क्षेत्रों को बढ़ाएगा। इन अनुप्रयोगों से संग्रहित किए गए आंकड़े एम.आई.एस. रिपोर्ट तैयार करने में प्रयोग किए जा रहे हैं।

14.2 वस्त्र मंत्रालय के साथ संयोजन

पिछड़ा वर्ग समूह के बाहुल्य वाले क्षेत्रों के लिए परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु निगम ने उपायुक्त (हस्तशिल्प) एवं उपायुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं, इस संबंध में कार्य आगामी वर्ष में किए जाएंगें।

15 वर्ष 2016-17 के दौरान मुख्य आयोजन

15.1 प्रबंधन विकास कार्यक्रम

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक बेहतर बनाने हेतु निगम ने रा.चै.ए./बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंध निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट (इरमा), आनंद, गुजरात में दिनांक 6 से 7 अक्टूबर, 2016 तक दो दिवसीय प्रबंध विकास कार्यक्रम आयोजित किया।

15.2 प्रदर्शनियां/उत्सव/मेले

i) शिल्पोत्सव – 2016

निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से 24.10.2016 से 31.10.2016 तक दिल्ली हाट, नई दिल्ली में शिल्पोत्सव का आयोजन एवं समन्वयन किया। मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सभी शीर्ष निगमों एवं संस्थानों ने शिल्पोत्सव में भाग लिया। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने सभी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों एवं सेक्टर स्किल काउंसिल/प्रशिक्षण संस्थानों के लाभार्थियों को आमंत्रित किया। असम, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पुडुचेरी, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के 28 लाभार्थियों द्वारा हस्तशिल्प की वस्तुएं जैसे धातु की घंटियां, धातुओं पर पेंटिंग, सोजनी, शाल, बनारसी जरी उत्पाद, सिल्क साड़ियाँ, कंथा स्टिच, केन एवं बांस के सामान, जूट व जरी के उत्पाद, हैंडलूम, ऊनी कपड़े, जैकिट, मुलायम गुड़िया, सिले सिलाए कुर्ते/कुर्तियां आदि के साथ शिल्पोत्सव में भाग लिया गया।

ii) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला – 2016

निगम ने 14-27 नवम्बर, 2016 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया, जिसमें 13 राज्यों के 27 दस्तकारों ने हस्तशिल्प के उत्पादों जैसे आर्टीफिशियल ज्वैलरी, कंथा स्टिच, सिल्क एवं हथकरघा उत्पाद, रोज वूड, हाथ की नक्काशी के सामान, कश्मीरी शॉल/स्टॉल, सोजनी कढ़ाई, हाथ की कढ़ाई, फुलकारी, लकड़ी पर नक्काशी, शहद व आर्गेनिक उत्पाद, अचार, बाघ प्रिन्ट, लकड़ी पर जड़ाऊ कार्य, रेडीमेड गारमेंट्स, लकड़ी के खिलौने, धातु की घंटियां, राजस्थानी गुड़िया, बेंत और बांस के बने उत्पाद इत्यादि सहित भाग लिया। आई.आई.टी.एफ. के दौरान प्रतिभा–गियों के द्वारा अपने उत्पादों की अच्छी बिक्री सूचित की गई है।

iii) आठवीं पूर्वी हिमालयी प्रदर्शनी – 2016

निगम द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गंगटोक, सिक्किम में 16-25 दिसम्बर, 2016 तक आयोजित की गई आठवीं पूर्वी हिमालयन प्रदर्शनी, 2016 में भाग लिया गया। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने पूर्वी क्षेत्र की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को आमंत्रित किया और 04 लाभार्थियों को उनके उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए निः शुल्क स्थान उपलब्ध कराया गया। कारीगरों द्वारा प्रदर्शित किए गए उत्पादों में, हथकरघा, हस्तशिल्प, ड्रैस मैटिरियल, कलात्मक ज्वैलरी आदि शामिल थे।

14. NEW INITIATIVES

14.1 Information Technology (IT)

During the year, emphasis was to align Information Technology with business goals of the Corporation. NBCFDC got developed "LEAP" software and is being implemented. The project aims to automate the Loan and HR management activities of the organization. Apart from NBCFDC users, SCAs/ CPs will have access to the system. It will be a centralized digital system with access for the authorized users over the web.Software will cater on-line all activities of loan including Annual Action Plan, submission of loan proposal by SCAs, approval of the loan proposal(s) by NBCFDC, Release of funds by NBCFDC, submission of UCs/Recovery by SCAs etc.

The software will facilitate NBCFDC and its partners in Reduction of manual errors, Efficient delivery mechanism, Information on demand, Accurate and precise information, Anytime accessibility of information, Updated beneficiary information, Instantaneous communication, Streamlined functioning, Total transparency etc. To reduce paper usage and transparent working, use of IT has been enhanced in all the functional domains. Data collected with these applications are being used for preparation of MIS report.

14.2 LINK with Ministry of Textile

The Corporation has signed MoUs with DC (Handicraft) and DC (Handloom), Ministry of Textile, GOI to act as Project Implementation Agency (PIA) for OBC dominated clusters, work in this regard will be done in the coming year.

15. MAIN EVENTS DURING 2016-17

15.1 Management Development Programmes

The Corporation organized Two Days Management Development Programme (MDP) for Managing Directors and Senior Officers of State Channelising Agencies (SCAs) of NBCFDC/ Banks/Rural Regional Banks from 6th to 7th October, 2016 at Institute of Rural Management Anand (IRMA), Anand Gujarat, to improve the implementation of NBCFDC schemes.

15.2 Exhibitions/Fairs/Melas

I) Shilpotsav – 2016

The Corporation organized and coordinated the Shilpotsav at DilliHaat, New Delhi on behalf of the Ministry of Social Justice & Empowerment from 24.10.2016 to 31.10.2016. All the Apex Corporations and the Institutions under the Ministry participated in the Shilpotsav. The NBCFDC invited beneficiaries from State Channelising Agencies (SCAs) and Sector Skill Councils(SSCs)/Training Institutes. 28 beneficiaries from the States of Assam, Delhi, Jammu & Kashmir, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Puducherry, Gujarat, West Bengal, Karnataka and Uttar Pradesh participated in the Shilpotsav with handicraft items like Bell Metal, Painting on Metal, Sozni, Shawls Banarsi Zari products, silk sarees, kantha stitch, cane & bamboo, jute & jari products, handloom, woolen products, Jackets, Soft dolls, readymade kurta/kurties, etc.

ii) India International Trade Fair (IITF) – 2016

The Corporation participated in the Exhibition at India International Trade Fair-2016 (IITF), Pragati Maidan, New Delhi from 14th-27th November, 2016, wherein 27 artisans from 13 States participated with handicraft items like artificial jewelry, kantha stitch, silk and handloom products, rose wood, hand carving handicrafts, kashmiri shawls/stoles, sozni embroidery, hand embroidery, phulkari, wood carving, honey & organic products, pickles, bagh print, wood inlay, readymade garments, wooden toys, Bell Metal Products Rajasthani dolls, Cane and Bamboo, etc. The participants have reported good sale of their products during the IITF.

iii) 8th East Himalayan Expo – 2016

NBCFDC participated in Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt of India exhibition at 8th East Himalayan Expo – 2016 at Gangtok, Sikkim from 16-25 December, 2016. NBCFDC invited beneficiaries from the Eastern State Channelising Agencies (SCAs) and 04 beneficiaries were given space free of cost to display their products. The products displayed by the artisans included handloom, handicrafts, dress material, artistic jewelry etc.

iv) रजत जंयती प्रदर्शनी–हैण्डलूम हॉट, नई दिल्ली

अपने 25वीं रजत जयंती उत्सव के साथ संयोगवश एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने 2 से 15 जनवरी, 2017 तक रजत जयंती प्रदर्शनी हैंडलूम हॉट, नई दिल्ली का आयोजन किया। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों एवं सेक्टर स्किल काउंसिल/प्रशिक्षण संस्थानों से लाभार्थियों को आमंत्रित किया। असम, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड, एवं उत्तर प्रदेश के 25 लाभार्थियों द्वारा प्रदर्शनी में धातुओं की घंटियां, सोजी, शाल्स, बनारसी जरी उत्पाद, सिल्क की साडियां, कंथा स्टिच, जूट एवं जरी उत्पाद, हैण्डलूम, जैकेट, रेडीमेट कुर्ता/कुर्तियां, हैण्डलूम ड्रेस मैटेरियल, ब्लाक प्रिन्टिंग इत्यादि उत्पादों सहित भाग लिया गया। व्यय की तुलना में बिक्री को देखते हुए प्रदर्शनी अत्यधिक सफल रही।

v) सूरजकुण्ड हस्तशिल्प मेला – 2016

1-15 फरवरी, 2017 तक फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित सुरजकुण्ड क्राफ्ट मेले में निगम को मंत्रालय द्वारा सूरजकुण्ड हस्तशिल्प मेला–2017 के समन्वयन हेतु नोडल निगम बनाया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत सभी शीर्ष निगमों एन.बी.सी.एफ.डी.सी., एन.एस.के.एफ.डी.सी. और एन.एस.एफ.डी.सी. ने सुरजकुण्ड हस्तशिल्प मेले में भाग लिया गया। मंत्रालय के अधीन सभी शीर्ष निगमों के लिए सूरजकुण्ड हस्तशिल्प मेले में भाग लेने हेतु कुल 100 स्टॉलों का आवंटन किया गया था। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने समस्त राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/सेक्टर स्किल काउंसिलों/प्रशिक्षण संस्थानों/बैंकों के लाभार्थियों को आमंत्रित किया था एवं 30 लाभार्थियों को उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया गया था। दस्तकारों द्वारा प्रदर्शित उत्पादों में शॉल, हैण्डलूम, हस्तशिल्प, बनारसी साड़ियां, कंथा स्टिच, बीड वर्क, लकड़ी पर नक्कासी, केन व बाँस के सामान, ड्रेस सामग्री, टाई एवं डाई, लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, बैग, बेल्ट, आर्टिफिशल ज्वैलरी शीतल पाती पैटिंग बटिक उत्पाद इत्यादि थे।

16. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं का प्रचार–प्रचार एवं जागरूकता

<u>जागरूकता शिविर</u>

वर्ष के दौरान, निगम ने जागरूकता–सह–ऋण शिविर का आयोजन निगम की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और बैंक/चैनल भागीदारों के अधिकारियों के साथ आमने–सामने वार्ता करने के लिए लक्ष्य समूह को एक अवसर प्रदान करने की पहल की। वर्ष के दौरान आठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं दो सरकारी बैंकों के साथ बारह राज्यों में 65 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए तथा इसमें भारी संख्या में संभावित लाभार्थियों द्वारा भाग लिया गया एवं चैनल भागीदारों से रियायती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने हेतु उनके नामों का पंजीकरण किया गया। निगम के अधिकारियों द्वारा भी शिविरों में भाग लिया गया एवं लक्षित समूहों को योजनाओं की जानकारी दी गई एवं उन्हें बैंकों से रियायती ऋण प्राप्त करने हेतु पंजीकरण के लिए प्रेरित किया गया।

इस अवधि के दौरान, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों जैसे–केरल (बी.सी.), हिमाचल प्रदेश (बी.सी.), गुजरात (ठाकोर कोली) एवं पंजाब (बैकफिनको) द्वारा इस प्रकार के 24 अन्य शिविरों का आयोजन किया गया। अतः निगम द्वारा प्रायोजित इन सभी 89 शिविरों का आयोजन चैनल सहभागियों द्वारा किया गया।

17. पुरस्कार एवं प्रशंसा

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा उनके पत्र दिनांक 16 मार्च, 2017 के द्वारा सूचित किया गया है कि एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने समझौता ज्ञापन 2015-16 के लक्ष्यों के अनुपालन में स्कोर–93.14 प्राप्त कर 'उत्कृष्टता' की रेटिंग प्राप्त की है। आपके निगम द्वारा उत्कृष्ट रेटिंग निरंतर 15 वर्षों से प्राप्त की है।

18. मानव संसाधन प्रबंधन

जमीनी स्तर पर लाभार्थियों तक पहुंच बनाने के नए तरीकों के साथ लगातार बढ़ते कार्यों के बावजूद, निगम के कार्यात्मक विभाग जैसे–परियोजना, वित्त, मानव संसाधन और कम्पनी कार्य एवं प्रशासन विभाग न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य कर रहे है। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार निगम में कुल कर्मचारियों की संख्या 46 थी, जिसमें चैन्नई, मुम्बई और कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालयों का स्टाफ भी शामिल है। 46 कर्मचारियों में से 09 अनुसूचित जाति वर्ग और 12 अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी से संबंधित है। निगम लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आरक्षण–नीति और गाइडलाइन का अनुपालन करता है। नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण हैं। वर्ष 2016-17 में औद्योगिक मतभेदों के कारण किसी भी मानव–दिवस की हानि नहीं हुई है।

निगम अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन के विकास में दृढ़ विश्वास रखता है। 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को संगत कार्यात्मक क्षेत्रों में अद्यतन घटनाक्रम से बराबर अगवत कराने के लिए उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया।

निगम ने अपनी विभिन्न क्षतिपूर्ति नीतियों को कर्मचारियों के अनुकूल बनाने हेतु इसे तर्कसंगत बनाया है और एक ही समय पर वित्तीय विवेक को सुनिश्चित किया जा सके।

iv) Silver Jubilee Expo Handloom Haat New Delhi

Coinciding with its 25th Silver Jubilee celebrations, NBCFDC organized Silver Jubilee Exhibition Handloom Haat New Delhi from 2nd to 15th January, 2017 The NBCFDC invited beneficiaries from State Channelising Agencies (SCAs) and Sector Skill Councils (SSCs)/Training Institutes. 25 beneficiaries from the States of Assam, Delhi, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Manipur, Rajasthan Uttarakhand and Uttar Pradesh participated in the Shilpotsav with handicraft items like Bell Metal, Sozi, Shawls Banarsi Zari products, silk sarees, kantha stitch, jute &jari products, handloom, Jackets, readymade kurta/ kurties, Handloom dress Material, Block Printing etc. The exhibition was a grand success considering the expenditure to sales ratio.

v) Surajkund Craft Mela – 2017

NBCFDC was made Nodal Corporation for coordinating Surajkund Craft Mela- 2017 at Faridabad, Haryana from 1st-15th February, 2017 by the Ministry. All the Apex Corporations namely NBCFDC, NSKFDC and NSFDC under the Ministry of Social Justice & Empowerment participated in the Surajkund Craft Mela. A total 100 stalls were booked for the Apex Corporations under the Ministry to participate in the Surajkund Craft Mela. The NBCFDC invited the beneficiaries from all State Channelising Agencies (SCAs), Sector Skill Councils (SSCs)/Training Institutes/Banks 30 beneficiaries were given space free of cost to display their products. The products displayed by the artisans included shawls, handloom, handicrafts, banarsi sarees, kantha stitch, beed work, wood inlay, cane & bamboo, dress material, tie & dye, wooden toys, pottery, Bags, Belts Artificial Jewelry. Jute products lacquer Toys, Artificial flowers, SeetalPati, Paintings Batiq Products etc.

16. PUBLICITY & AWARENESS OF NBCFDC SCHEMES

Awareness Camps

During the year, the Corporation undertook an initiative of holding Awareness-cum-Credit Camps with the objective of spreading awareness of Corporation's schemes and providing an opportunity to the target group for having interface with the officials of banks/ channel partners. During the year, eight Regional Rural Banks and two Public Sector Banks organized 65 awareness camps in twelve states, in which large number of prospective beneficiaries attended these camps and registered their names for availing loan from channel partners at concessional rate of interest. The officials of the Corporation also attended the camps & facilitated the target groups in understanding the schemes and encouraged them to register them for availing concessional loan from the banks.

During this period, an additional 24 such camps were also organized by the State Channelising Agencies (SCAs) viz. Kerala (BC), Himachal Pradesh (BC), Gujarat (ThakorKoli) and Punjab (Backfinco). Therefore, in all 89 such Awareness Camps were held by channel partners sponsored by the Corporation.

17. AWARDS AND APPRECIATION

NBCFDC has achieved"Excellent"rating for compliance ofMOU target of 2015-16 by achieving Score - 93.14 as communicated by the Department of Public Enterprises, Government of India, dated 16th March, 2017. The Excellent rating has been achieved by your Corporation consecutively for the 15th year.

18. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The functional divisions of the Corporation viz. Project, Finance, Human Resource and Company Affairs and Administration are operating with bare minimum staff, inspite of continues increase in the volume of work of the Corporation with new approach to reach to the gross root level beneficiaries. The total manpower of the Corporation as on 31.03.2017 was 46 which include the staff at the Regional offices at Chennai, Mumbai and Kolkatta. Out of 46 employees 09 belongs to SC category and 12 belongs to OBC category. Corporation is following the reservation policy and guidelines issued by Department of Public Enterprise, Ministry of Heavy Industries, Government of India. The relations between employer and employees are harmonious. No man-days were lost during the year 2016-17 due to industrial disputes.

Corporation strongly believes in development of human resources in order to achieve the goals, targets, 15 officers and staff were deputed for various training programmes to keep them abreast with latest developments in the relevant functional areas.

The Corporation has rationalized its various compensation policies to make it employees friendly and at the same time ensuring fiscal prudence.

18.1 यौन उत्पीड़न की रोकथाम

निगम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए पूर्णतया असहिष्णु है एवं निगम ने महिलाओं के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषिद्ध एवं सुधार) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम एवं सुधार सम्बंधी नियमों का अनुपालन किया है। सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित अधिकारियों से बनी आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है:

(I)	श्री अनुपमा सूद, सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)	अध्यक्षा
(ii)	श्री वी.आर.चारी, सहायक महाप्रबन्धक (मा.स.)	सदस्य
(iii)	श्री अजित कुमार सामल, सहायक महाप्रबन्धक (प्रशा.) एवं कम्पनी सचिव	सदस्य
(iv)	श्रीमती (डा.) नवदीप कौर, एनजीओ प्रतिनिधि	सदस्य
(v)	श्रीमती नीलम मुदगल, अधिकारी	सदस्य
(vi)	श्रीमती सारम्मा थॉमस, कार्यकारी	सदस्य सचिव

व्यक्ति महिला कर्मचारी अपनी शिकायत इस समिति को कर सकती है। वर्ष 2016-17 के दौरान निगम को अपने कर्मचारियों से किसी भी प्रकार के यौन–उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है।

19. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. आई.एस. / आई.एस.ओ. 9001:2008 कम्पनी

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2010 को आई.एस./आई.एस.ओ. 9001:2008 कम्पनी का प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है। समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत योग्यता को अधिकतम करने एवं ग्राहकों के निदान द्वारा ग्राहक संतुष्टि को सतत् बढ़ाना निगम का गुणवत्ता उद्देश्य है।

आई.एस.ओ. मानक का पालन करना मात्र साधन है, साध्य नहीं है। हमारी गुणवत्ता उद्देश्यों का महत्वपूर्ण भाग ग्राहक संतुष्टि एवं निरंतर सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना है। निगम की गुणवत्ता का उद्देश्य ग्राहकों की आवश्यकता जिसमें ग्राहक की संतुष्टि सर्वोपरि हो, अग्रसक्रिय एवं दायित्वपूर्ण ग्राहक पहुंच पर आधारित होगा। यह नियामक ढांचे के अधीन क्षमता वृद्धि एवं प्रणाली तथा प्रक्रिया में नियमित सुधार के माध्यम से प्राप्त होगा।

20. राजभाषा का प्रगामी उपयोग

निगम राजभाषा नीति एवं निगम के दैनिक कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुसरण कर रहा है तथा निगम के कर्मचारियों को इसके लिए समय–समय पर प्रोत्साहित भी किया जाता है। वर्ष के दौरान माह सितम्बर में 'हिन्दी पखवाड़ा' तथा 'हिन्दी दिवस' मनाए गए। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए विजेताओं को उपयुक्त पुरस्कार प्रदान किए गए। कम्प्यूटरों में हिन्दी सॉफ्टवेयर 'अक्षर' एवं 'सारांश' संचालित किए गए हैं। निगम में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन किया जा रहा है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हमेशा हिन्दी में ही दिया जता है। वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गई। बैठकों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग पर चर्चा की गई तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को तिमाही/वार्षिक रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी गई। वर्ष 2016-17 के लिए निगम में कार्यालयी कार्य करने हेतु वार्षिक कार्यक्रम में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन के सतत् प्रयास किए गए। निगम के कर्मचारियों को कार्यालयी कार्यों में राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है।

21. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निगम ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का नामांकन/नियुक्ति की गई है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है एवं सूचना प्रेषण से सम्बंधित अनुरोधों पर ध्यान दिया जा रहा है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की वेबसाइट अद्यतन की गई है एवं सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के खण्ड 4.1 (बी) के अन्तर्गत वांछित 17 मदों को इसमें सम्मिलित किया गया है। निगम, केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन त्रैमासिक/वार्षिक विवरणी भेजता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में निगम को प्राप्त हुई सभी आवेदनों का निपटान निर्धारित समयावधि के अन्दर किया गया है।

22. सतर्कता प्रकोष्ठ

मुख्य सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार निगम द्वारा 31 अक्टूबर, 2016 से 5 नवम्बर, 2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। निगम में उचित निवारक सतर्कता बरती जा रही है। सतर्कता प्रशासन में सुधार के लिए निगम के नोटिस बोर्ड पर भी सूचना प्रदर्शित की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों को समय–समय पर आयोजित बैठकों के दौरान निवारक सतर्कता के बारे में जानकारी दी गई। मंत्रालय के पत्र सं. सी–43016/8/2007- सतर्कता, दिनांक 08.01.2016 द्वारा अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्यकाल 02 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।

18.1. Prevention of Sexual Harassment

The Corporation has zero tolerance for sexual harassment at workplace and has followed the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the rules thereunder for prevention and redressal of complaints of sexual harassment at workplace in compliance of the provisions of the Act. Competent Authority constituted the Internal Complaints Committee consisting of -

(I)	Smt. Anupama Sood AGM (Fin.)	Chairperson
(ii)	Shri V. R. Chary, AGM (HR)	Member
(iii)	ShriAjit Kumar Samal, AGM (Admn.) & C.S	Member
(iv)	Smt. (Dr.) NavdipKaur, NGO Representative	Member
(v)	Smt. Neelam Mudgal, Officer	Member
(vi)	Smt. Saramma Thomas, Exe.	Member Secretary

The aggrieved women employees may submit her complaints to the committee.During the financial year 2016-17, the Corporation has not received any complaints of sexual harassment from its employees.

19. NBCFDC IS IS/ISO 9001:2008 COMPANY

NBCFDC is now IS/ISO 9001:2008 certified by Bureau of Indian Standard on 22nd March, 2010. The Quality Objectives of the Corporation is to optimize organizational efficiency to achieve the MOU targets and continual enhancement of the customer satisfaction through redressal of customer.

Following ISO standard is, however, only a means and not an end in itself. The core of our quality objective lies in our emphasis on continuous improvement and customer satisfaction. The quality objective of the Corporation will be based on customer needs and working through proactive and responsive customer approach, leading to customer satisfaction. This shall be achieved through competency enhancement and continual improvements of systems & processes within the regulatory framework.

20. PROGRESSIVE USE OF OFFICIAL LANGUAGE

The Corporation is following Government directives issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India for progressive use of Official Language Hindi in day to day working of the Corporation and the employees of the Corporation are also encouraged for the same from time to time. During the year, 'HINDI PAKHWADA' & 'HINDI DIWAS' observed in the month of September and winners were given suitable prizes to promote the Hindi Rajbhasha in official work. Hindi Software 'Akshar' and 'Saransh' have been installed in Computers. The provisions of Sec 3(3) of Official Language Act are being complied with in the Corporation. Letters received in Hindi are always replied in Hindi. Four Meetings of the Official language Implementation Committee were conducted during the year to discuss the progressive use of Official Language in official work and quarterly/annual reports on the progressive use of Hindi were regularly sent to Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and the Ministry of SJ &E. Constant efforts were made to comply with the provisions enumerated in the "Annual Programme for transacting the Official work of the Corporation in Hindi for the year 2016-17. The employees of the Corporation are being constantly encouraged for maximum use of Hindi Rajbhasha in their official work.

21. RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

The Corporation has taken action for implementation of RTI Act 2005. Nominations/ Appointments of PIOs as well as Appellate Authority have been done. Compliance of the provisions of RTI Act, 2005 is ensured and requests for information are being attended. NBCFDC website has been updated and contains all, information on all 17 items as required under clause 4.1(b) of RTI Act 2005. The Corporation also submitted quarterly/annual returns regularly online on the website of Central Information Commission (CIC). During the financial year 2016-17, all applications have been disposed off within the specified time limits.

22. VIGILANCE CELL

The Corporation observed Vigilance Awareness Week from 31st October, 2016 to 5th November, 2016 as per the guidelines of Chief Vigilance Commission. Proper preventive vigilance is being observed in the Corporation and also notice is displayed at the Notice Board of the Corporation for improving vigilance administration. Officers & Employees were made aware about the preventive vigilance during the meetings from time to time. The tenure of Chief Vigilance Officer (CVO), part time has been extended for a period of two years vide Ministry letter No. C-43016/8/2007-Vig dated 08.01.2016.

23. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन

निगम द्वारा किए गये कार्यकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम.) की परिधि में नहीं आते हैं। फिर भी, जहां कहीं भी संभव है, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन के प्रयास किए गए हैं।

24. सांविधिक लेखापरीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए मैसर्स एन. के. एस. चौहान एण्ड कं., चाटर्ड एकाउन्टेंट्स, नई दिल्ली को कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा निगम के वर्ष 2016-17 के लेखों की लेखापरीक्षा की गई एवं उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

25. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार भारत के नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक द्वारा उनकी टिप्पणियां उपलब्ध कराने हेतु निगम के वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा की जाएगी।

26. कॉरपोरेट प्रशासन

आपके निगम का विश्वास है कि निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धान्त अच्छे प्रशासन की आधारशिला हैं। निगम के तंत्र एवं व्यवसाय प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर कमजोर क्षेत्रों को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले उपायों, यदि कोई हों, की समीक्षा की जाती है। निगम का यह प्रयास है कि उच्च कोटि के प्रशासन की निरंतरता को बनाए रखे एवं समान व्यवसाय में श्रेष्ठ शासित कम्पनियों के साथ स्वंय का बेंचमार्क स्थापित किया जा सके। कॉरपोरेट प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन एवं कारपोरेट प्रशासन पर मैसर्स वीएपी एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज, गाजियाबाद कारपोरेट प्रशासन द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र **अनुलग्नक– 6** (पृष्ठ सं. 49-55) पर प्रस्तुत है।

27. वार्षिक रिर्टन का सार

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ए) के अनुसार निर्धारित प्रारुप पर कंपनी के वार्षिक रिर्टन का सार निदेशकों के प्रतिवेदन के **अनुलग्नक– 7** (पृष्ठ सं. 56-62) के रुप में संलग्न है।

28. निदेशक मण्डल

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल में प्रबन्ध निदेशक सहित दस निदेशक शामिल हैं। वर्ष 2016-17 की अवधि में निदेशक मण्डल की संरचना में निम्न परिवर्तन हुए हैः

- श्री बाला प्रसाद, प्र.नि., ट्राइफेड को श्री करण बीर सिंह सिद्धू, प्र.नि., ट्राइफेड के स्थान पर दिनांक 06.05.2016 से अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया।
- श्री एस.पी. सिंह, महाप्रबन्धक, सीडबी को श्री मनोज मित्तल, महाप्रबन्धक, सिडबी के स्थान पर दिनांक 10.08.2016 से अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया।
- श्री श्याम कपूर, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी. को श्री आर.के. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी. के स्थान पर दिनांक 10.08.2016 से अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया।
- सुश्री सरोज कुमारी, निदेशक को दिनांक 02.02.2017 से अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) नियुक्त किया गया।
- श्री के. हन्मन्डलू, निदेशक को दिनांक 02.02.2017 से गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) नियुक्त किया गया।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का निदेशक मण्डल श्री बाला प्रसाद, प्र. नि., ट्राइफेड, श्री एस.पी.सिंह, महाप्रबन्धक, सीडबी, श्री श्याम कपूर, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी., सुश्री सरोज कुमारी, निदेशक एवं श्री के हन्मन्डलू, निदेशक को एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मंडल में निदेशकों के रूप में नियुक्ति पर स्वागत करता है। निदेशक मण्डल निगम के प्रबंधन में अंशकालिक निदेशक के रूप में श्री करण बीर सिंह सिद्धू, श्री मनोज मित्तल एवं श्री आर.के. सिंह द्वारा मूल्यवान मार्गदर्शन देने हेतु उनकी प्रशंसा करता है और इसे अभिलेखित करता है।

23. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNING & OUT GO.

The activities undertaken by your Corporation do not fall under the purview of disclosures of particulars under Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013, in so far as it relates to the conservation of energy, technology absorption, foreign earnings and outgo.

24. STATUTORY AUDITORS

In terms of Section 129(4) of the Companies Act 2013, the Comptroller and Auditor General of India appointed M/s N.K.S. Chauhan & Co., Chartered Accountants, New Delhi, as Statutory Auditors of the Company for the year 2016-17. The Statutory Auditors have audited the accounts of the Corporation for the year 2016-17 and submitted their report.

25. C&AG COMMENTS

The Accounts of the Corporation for the year 2016-17 shall also be audited by the Comptroller & Auditor General of India for providing their comments as per Companies Act 2013.

26. CORPORATE GOVERNANCE

Your Corporation believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the cornerstone for good governance. The systems and business processes of the Corporation are reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of weakness, if any. It is the Corporation's endeavour to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best governed companies in the similar trade. A Report of Directors on Corporate Governance and certificate on Corporate Governance issued by M/s VAP & Associates, Company Secretaries, Ghaziabadare placed at **Annexure-6** (Page No. 49-55).

27. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

In accordance with Section 134(3) (a) of the Companies Act, 2013, an extract of the Annual Return of your Company in the prescribed format is attached herewith at **Annexure-7** (Page No. 56-62) to the Directors' Report.

28. BOARD OF DIRECTORS

As on 31.03.2017, there are ten Directors on the Board of NBCFDC including Managing Director. During the year 2016-17, the following changes took place in the composition of the Board of Directors:

- Sh. Bala Prasad, MD, TRIFED part time non official Director was appointed in place of, Sh. Karan Bir Singh Sidhu, MD, TRIFED w.e.f. 06.05.2016.
- Sh. S.P. Singh, GM, SIDBI was appointed as part time non official Director in place of Sh. Manoj Mittal, GM,SIDBI w.e.f. 10.08.2016.
- Sh. Shyam Kapoor, CMD, NSFDC was appointed as part time non official Director in place of Sh. R.K. Singh, CMD, NSFDC w.e.f. 10.08.2016.
- Ms. Saroj Kumari, Director was appointed as part time non official Director (Independent) w.e.f. 02.02.2017.
- Sh. K. Hanmandloo, Director was appointed as part time non official Director (Independent) w.e.f. 02.02.2017.

The Board welcomed Sh. Bala Prasad, MD, TRIFED, Sh. S.P. Singh, GM, SIDBI, Shri Shyam Kapoor, CMD, NSFDC, Ms. SarojKumari, Director and Shri K. Hanmandloo, Director as Directors on the Board of NBCFDC. The Board also placed on record its appreciation for the valuable guidance given by Sh. Karan Bir Singh Sidhu, Sh. Manoj Mittal and Sh. R.K. Singh to the management of your Corporation during their tenure as part-time Directors.

वर्ष 2016-17 के दौरान (01.04.2016 से 31.03.2017 तक) निगम के निदेशकों का निदेशक मण्डल में कार्यकाल का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	पद समाप्ति की तिथि
1	श्री बी. एल. मीना, संयुक्त सचिव (पिछड़ा वर्ग), सा.न्या. और अधि. मंत्रा.	निदेशक	25.06.2014	अब तक
2	श्री. ए.के. मोहन्ती, महाप्रबन्धक, नाबार्ड	निदेशक	28.05.2015	तदैव
3	श्रीमती अन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव (एससीडी–बी), सा.न्या. और अधि. मंत्रा.	निदेशक	18.08.2015	तदैव
4	सुश्री टी.सी.ए. कल्याणी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या.और अधि.मंत्रा.	निदेशक	17.12.2015	तदैव
5	श्री के. नारायण, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	प्रबन्ध निदेशक	01.01.2016	तदैव
6	श्री बाला प्रसाद, प्र.नि., ट्राइफेड	निदेशक	06.05.2016	तदैव
7	श्री श्याम कपूर, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी.	निदेशक	10.08.2016	तदैव
8	श्री सत्य प्रकाश सिंह, महाप्रबन्धक, सीडबी	निदेशक	10.08.2016	तदैव
9	सुश्री सरोज कुमारी, गैर–सरकारी निदेशक	निदेशक	02.02.2017	तदैव
10	श्री के. हन्मन्डलू, गैर–सरकारी निदेशक	निदेशक	02.02.2017	तदैव
11	श्री करण बीर सिंह सिद्धू, प्र.नि., ट्राइफेड	निदेशक	16.12.2014	06.05.2016
12	श्री आर.के. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी.	निदेशक	03.12.2013	10.08.2016
13	मनोज मित्तल, महाप्रबन्धक, सीडबी निदेशक	निदेशक	22.09.2014	10.08.2016

29. निदेशकों का दायित्व विवरण:

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधान के अनुसार आपके निदेशक अभिव्यक्त करते हैं कि:

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है एवं भौतिक वस्तुओं का कोई भी प्रस्थापन नहीं हुआ है;

(ii) यह कि निदेशकों द्वारा इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन एवं उसकी सतत् प्रयुक्तता को लागू किया गया है, जिससे कम्पनी के कार्यों के मामलों में उपयुक्त एवं दूरदर्शी निर्णय एवं अनुमान प्राप्त हो सकें तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं उसी अवधि की कम्पनी के लाभ की सत्य एवं सही तस्वीर प्रस्तुत कर सकें;

(iii) निगम की परिसम्पत्तियों की रक्षा के लिए तथा धोखे और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों द्वारा पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख–रखाव के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है;

(iv) निगम के वार्षिक लेखे प्रचलित मानकों के आधार पर निदेशकों द्वारा तैयार किए गए हैं;

(v) निदेशकों द्वारा निर्धारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुपालन कम्पनी द्वारा किया जाना होता है और इस प्रकार के वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है एवं उनका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा रहा है;

(vi) लागू सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतू समुचित तंत्र तैयार किया गया है और इस प्रकार के तंत्र पर्याप्त है व प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहे हैं।

30. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) के अंतर्गत कर्मचारियों का ब्यौरा

निगम का कोई भी कर्मचारी कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिक) नियमावली 2014 के नियम 5 (2) 5 (3) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं ले रहा है।

31. सामान्य:

आपके निदेशक अभिव्यक्त करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्न मदों पर प्रकटन/सूचना की आवश्यकता नहीं है:

(क) धारा 149 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा पर वक्तव्य;

(ख) धारा 178 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत आवृत्त कम्पनी की दशा में, निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पर कम्पनी की नीति सहित योग्यता हेतु निर्धारण मापदण्ड, सकारात्मक योगदान, निदेशकों की स्वतंत्रता एवं अन्य मामले, जिन्हें धारा 178 की उप–धारा (3) में दिया गया है;

(ग) धारा 186 के अन्तर्गत ऋणों, प्रत्याभूति अथवा निवेश का विवरण;

Details of tenure of Directors on the Board of Directors of the Corporation during the year 2016-17 (01.4.2016 to 31.3.2017) are as under:-

Sl. No.	Name of Directors	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
1	Sh. B. L. Meena, JS (BC)	Director	25.06.2014	Till date
2	Shri A.K. Mohanty, GM, NABARD	Director	28.05.2015	-do-
3	Smt. Aindri Anurag, JS (SCD-B), SJ & E	Director	18.08.2015	-do-
4	Ms. T.C.A. Kalyani, JS & FA, SJ & E	Director	17.12.2015	-do-
5	Sh. K. Narayan, MD, NBCFDC	Managing Director	01.01.2016	-do-
6	Dr. Bala Prasad, MD, TRIFED	Director	06.05.2016	-do-
7	Shri Shyam Kapoor, CMD, NSFDC	Director	10.08.2016	-do-
8	Sh. Satya Prakash Singh, GM, SIDBI	Director	10.08.2016	-do-
9	Ms. Saroj Kumari, NOD	Director	02.02.2017	-do-
10	Shri. K. Hanmandloo, NOD	Director	02.02.2017	-do-
11	Sh. Karan Bir Singh Sidhu, MD, TRIFED	Director	16.12.2014	06.05.2016
12	Sh. R. K. Singh, CMD, NSFDC	Director	03.12.2013	10.08.2016
13	Sh. Manoj Mittal,GM,SIDBI	Director	22.09.2014	10.08.2016

29. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013, your Directors state that:

I. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed and there are no material departures;

ii. That the Diretors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments andestimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period;

iii. That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventingand detecting fraud and other irregularities;

iv. That the Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis;

v. That the Directors have laid down internal financial controls to be followed by the Company and such internal financial controls are adequate and operating effectively;

vi. That the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively

30. PARTICULARS OF EMPLOYEES U/S 197 (12) OF THE COMPANIES ACT, 2013.

There was no employee of your company who received remuneration in excess of the limits prescribed under section 197 (12) of the Companies Act, 2013 read with Rules 5(2) 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

31. GENERAL

Your directors state that no disclosures or reporting is required in respect of the following items during the year under review:-

a) A statement on declaration given by independent directors under subsection (6) of section 149;

b) In case of a company covered under sub-section (1) of section 178, company's policy on directors' appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and other matters provided under sub-section(3) of section 178;

(घ) धारा 188 की उपधारा (1) में उल्लेखित सम्बंधित पक्षों से अनुबंध अथवा व्यवसाय का निर्धारण प्रारूप पर विवरण,

(ङ) अनुशंसा की गई राशि, यदि कोई हो, लाभांश के रूप में भुगतान की गई,

(च) अभिकरण अथवा न्यायालय अथवा ट्रैब्यूनल द्वारा कोई महत्वपूर्ण अथवा मैटेरियल ऑर्डर पारित नहीं किये गए, जिनका प्रभाव कम्पनी की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य के प्रचालन पर पड़े।

32. अभिस्वीकृति

आपके निदेशकगण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सतत् मार्गदर्शन,सहयोग एवं सहायता के लिए सराहना व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक, निदेशक मण्डल के निदेशकों के लिए जिन्होंने समीक्षावधि के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूर्ण किया है, के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक कम्पनी के लगातार आगे बढ़ने और उत्कृष्टता हासिल करने के सुनिश्चियन हेतु सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और योगदानों के लिए उनको रिकार्ड करते हैं।

हम निगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कम्पनी कार्य विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लोक उद्यम विभाग, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सेक्टर स्किल काउंसिलों तथा अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों के भी उनके समर्थन एवं सहयोग के लिए आभारी हैं। हम कम्पनी के लेखा परीक्षकों, बैंकों तथा उन अन्य सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वर्ष के दौरान निगम को अपना सहयोग प्रदान किया है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त,

हस्ता0/–	हस्ता0/–
(के. नारायण)	**(टी.सी.ए.कल्याणी)**
प्रबंध निदेशक	निदेशक
(डिन सं. 03561648)	(डिन सं. 02406559)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.08.2017

c) Particulars of loans, guarantees or investments under section 186.

d) Particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 in the prescribed form;

e) The amount, if any, which is recommended should be paid by way of dividend;

f) No significant or material orders were passed by the Authorities or Courts or Tribunals which impact the going concern status and Company's operations in future.

32. ACKNOWLEDGEMENTS

Your Directors would like to place on record their gratitude for the continued guidance, cooperation and support received from the Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India.

Your Directors sincerely appreciate the significant contribution made by the Directors on the Board and also the Directors who completed their terms during the financial year under review.

Your Directors would also like to place on record their appreciation for the untiring efforts and contributions made by the employees at all level to ensure that the Company continues to grow and excel.

We are also grateful to the Ministry of Corporate Affairs, Comptroller and Auditor General of India, Department of Public Enterprises, State Governments/ UT Administrations, State Channelising Agencies, Regional Rural banks (RRBs), Sector Skill Councils (SSCs) and other concerned Government Agencies for their support and cooperation in achieving the objectives of the Corporation. Our thanks are also to the Company Auditors, Bankers and all others who have extended their support to the Corporation during the year.

For & on behalf of Board of Directors,

Sd/-	Sd/-
(K. Narayan)	**(T.C.A. Kalyani)**
Managing Director	Director
(DIN No. 03561648)	(DIN No. 02406559)

Place: New Delhi
Date: 04.08.2017

अनुलग्नक – 1

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की सूची

आन्ध प्रदेश

1. आन्ध प्रदेश बैकवर्ड क्लासेज को–ऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि.
   चौथा तल, विशाल रेसीडेंसी, सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने पदयात्रा नगर, टाईगडापा, विजयवाड़ा –521134 आंध्र प्रदेश।

असम

2. असम स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज लि0,
   डॉ0 बी.के.काकोटी रोड़, गोपीनाथ नगर,
   गुवाहाटी–781016, असम

3. नार्थ इस्टर्न डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0,
   नेडफी हाउस, जी.एस. रोड, दिसपुर, गुवाहाटी–281006

बिहार

4. बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, चौथा तल, सोन भवन, बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना–800001, बिहार

चण्डीगढ़

5. चण्डीगढ़ एस.सी./बी.सी. एण्ड माइनॉरीटीज फाइनेन्सियल एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, एडिशनल टाउन हाल बिल्डिंग, तीसरा तल, सैक्टर 17सी, चण्डीगढ़–160017

छत्तीसगढ़

6. छत्तीसगढ़ स्टेट अन्त्यावसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वितीयी एवं चतुर्थ तल, कॉर्मशियल कॉम्पलेक्स, हाउसिंग बोर्ड बिल्डिंग, सेक्टर–27, न्यू रायपुर, छत्तीसगढ़–492001

दिल्ली

7. दिल्ली एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. माइनॉरीटीज एण्ड हैन्डीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपारेशन लि0,
   अम्बेडकर भवन, इंस्टीट्यूशन एरिया,सेक्टर–16,
   रोहिणी, दिल्ली–110089

गोवा

8. गोवा स्टेट शेडयूल्ड कास्ट एण्ड अरद बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपारेशन लि0,
   चौथा तल, पाट्टो सेन्टर, नियर के.टी.सी. बस स्टैंड,
   पणजी–403001, गोवा

गुजरात

9. गुजरात बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपारेशन
   ब्लॉक न. –11, द्वितीय तल, डा0 जीवराज मेहता भवन,
   गाँधी नगर–382010, गुजरात

10. गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कॉरपारेशन लि0,
    ब्लॉक न. –7, तृतीय तल, डा0 जीवराज मेहता भवन,
    गाँधी नगर–382010, गुजरात

11. गुजरात ठाकोर एण्ड कोली विकास निगम,
    ब्लॉक न. –16, निचला तल, डा0 जीवराज मेहता भवन,
    पुराना सचिवालय,गाँधी नगर–382010, गुजरात

12. गुजरात नौमैडिक एण्ड डी–नोटिफाइड ट्राइब्स डेवलपमैंट कॉरपोरेशन, ब्लॉक न. –19/2, डा0 जीवराज मेहता भवन, गाँधी नगर–382017, गुजरात

हरियाणा

13. हरियाणा बैकवर्ड क्लासेज एण्ड इकोनोमिकली वीकर सेक्शनस् कल्याण निगम, एस.सी.ओ. सं. 813–14, सेक्टर–22–ए, चण्डीगढ़–160022, हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

14. हिमाचल प्रदेश बैकवर्ड क्लासेज एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पी. डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस रोड़, कांगड़ा–176001 हिमाचल प्रदेश

जम्मू एण्ड कश्मीर

15. जम्मू एण्ड कश्मीर एससी/एसटी एण्ड बी.सी. डेवलपमैंट कॉरपोरेशन, श्रीनगर
    श्रीनगर
    एक्सचैंज रोड़, नियर रेड क्रास ऑफिस, श्रीनगर–190001
    जम्मू
    715–ए, लास्ट मोड़, गाँधी नगर, जम्मू–180004

16. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन्स डेवलपमैंट कॉरपोरेशन,
    श्रीनगर
    प्रथम तल, ब्लाक–ए, पुराना सचिवालय, श्रीनगर
    जम्मू
    हॉल न. 6–बी, द्वितीय तल, एक्वॉफ कॉम्पलैक्स, गाँधी नगर, जम्मू–180004

झारखण्ड

17. झारखण्ड एस.टी. कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,, बलिहार रोड़, मोराबादी, रांची–834008, झारखण्ड

ANNEXURE - 1

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
LIST OF STATE CHANNELISING AGENCIES

ANDHRA PRADESH

1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd.,
   4th Floor, Vishal Residency, Opp. to Siddardha Engineering College, Padmaja Nagar, Tadigadapa, Vijayawada-521134, Andhra Pradesh.

ASSAM

2. Assam State Development Corporation for Other Backward Classes Ltd.,
   Dr. B.K. Kakoti Road, Gopinath Nagar, Guwahati-781016. Assam.

3. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.,
   NEDFi House, G.S. Road, Dispur, Guwahati-281 006.

BIHAR

4. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation,
   4th Floor, Sone Bhawan,
   Birchand Patel Marg, Patna-800 001, Bihar.

CHANDIGARH

5. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial & Development Corporation,
   Addl. Town Hall Building, 3rd Floor, Sector-17C, Chandigarh-160017.

CHHATTISGARH

6. Chhattisgarh State Antyavasai Sahakari Vitta Avam Vikas Nigam Ltd.,
   2nd & 4th Floor, Commercial Complex,
   Housing Board Building, Sector-27, New Raipur, Chhattisgarh-492 001.

DELHI

7. Delhi SC/ST/OBC/Minorities & Handicapped Financial & Development Corpn. Ltd.,
   Ambedkar Bhawan, Institutional Area,
   Sector-16, Rohini, Delhi-110089

GOA

8. Goa State Scheduled Castes And Other Backward Classes Finance & Development Corporation Ltd.,
   4th Floor, Patto Centre, Near KTC Bus Stand,
   Panaji-403 001,Goa.

GUJARAT

9. Gujarat Backward Classes Development Corporation
   Block No.11, 2nd Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhavan,
   Gandhi Nagar-382 010 ,Gujarat.

10. Gujarat Gopalak Development Corporation Ltd.
    Block No.7, 3rd Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhavan,
    Gandhinagar-382 010, GUJARAT

11. Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam
    Block No.16, Ground Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhavan,
    Old Sachivalaya, Gandhinagar-382 010,Gujarat.

12. Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Development Corporation, Block No.19/2, Dr. Jivraj Mehta Bhavan,
    Gandhinagar-382017, Gujarat.

HARYANA

13. Haryana Backward Classes & Economically Weaker Sections Kalyan Nigam
    SCO No.813-14, Sector-22-A,
    Chandigarh-160 022, Haryana

HIMACHAL PRADESH

14. Himachal Backward Classes Finance & Development Corporation
    P.W.D. Rest House Road, Kangra-176 001,
    Himachal Pradesh

JAMMU & KASHMIR

15. J & K SC/ST & BC Development Corporation Ltd.
    SRINAGAR
    Exchange Road, Near Red Cross Office,
    Srinagar-190 001.

    JAMMU
    715-A, Last Morh, Gandhi Nagar, Jammu-180004.

16. J & K State Women's Development Corporation

    SRINAGAR
    1st Floor Block - A, Old Secretariat, Srinagar.

    JAMMU
    Hall No.6-B, 2nd Floor, Aquaf Complex, Gandhi Nagar, Jammu.

JHARKHAND

17. Jharkhand ST Cooperative Development Corporation Ltd.
    Balihar Road, Morabadi, Ranchi-834008. Jharkhand.

कर्नाटक

18. डी. देवराज उर्स बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स. – 16–डी, चतुर्थ तल, देवराज उर्स भवन, मिलर टैंक बेड एरिया, वसंतनगर, बैंगलोर–560052, कनार्टक

19. कर्नाटका विश्वकर्मा कम्युनीटिज डेवलपमैंट कॉरपोरेशन, सं. 16–डी, पंचम तल, देवराज उर्स भवन, मिलर टैंक बेड एरिया, वसंतनगर, बैंगलोर–560052, कनार्टक

केरल

20. केरल स्टेट आर्टीजन्स डेवलपमैंट कॉरपोरेशन लि0, 'स्वागथ', टी.सी. 12/755, गवर्नमेंट लॉ कालेज रोड़, वंचीयूर पो.ओ., तिरूअनंतपुरम–695035, केरल

21. केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमैंट कॉरपोरेशन लि0, 'सेन्टीनेल', द्वितीय तल, टी.सी. 27/588 (7) एवं (8), पट्टूर, वंचीयूर पो.ओ., तिरूअनंतपुरम–695035, केरल

22. केरल स्टेट को–ऑपरेटिव फेडरेशन फॉर फिसरीज डेवलपमैंट लि0, कमलेश्वरम्, मानाकोड पो.ओ., तिरूअनंतपुरम–695009, केरल

23. केरल स्टेट डेवलपमैंट कॉरपोरेशन फॉर क्रिश्चियन कन्वर्ट्स फार्म शेड्यूल्ड कास्टस् एण्ड रिकमेंडेड कम्युनिटिज (लि0), रेलवे स्टेशन के पास, नागमपदम, कोट्टायम –686002, केरल

24. केरल स्टेट पल्मीरा प्रोडक्ट डेवलपमैंट एण्ड वर्कस वेल्फेयर कॉरपोरेशन लि0 (केलपाम), 'कुम्भुमविला, अरायूर पो.आ., कोट्टायम–695122, केरल

25. केरल स्टेट वीमेन्स डेवलपमैंट कॉरपोरेशन लि0, 'बसंत' टी.सी. 20/2170, मनमोहन बंगलो के सामने, कोडियार पो.ओ., तिरूअनंतपुरम–695003, केरल

26. हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ केरल, लि. पो.ब. स. 171, पुथेनचन्थाई, तिरूअनंतपुरम–695001, केरल

महाराष्ट्र

27. महाराष्ट्र राज्य इतरमागस वर्गीय वित्त एनि विकास महामण्डल लि., एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, चतुर्थ तल, रामाकृष्ण चौम्बूरकर मार्ग, चौम्बूर, मुम्बई–400071, महाराष्ट्र

28. वसन्तराव नाइक विमुक्ति जातीज् एण्ड नोमेडिक ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., जूहू सुप्रीम शॉपिंग सेन्टर, प्रथम तल, गुलमोहर क्रास रोड़ न. 9, जे.वी.पी.डी. स्कीम (उत्तर), विले–पारले स्कीम (पश्चिम), मुम्बई–400049, महाराष्ट्र

ओड़ीसा

29. ओड़ीसा बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को–ऑपरेटिव कॉरपोरेशन लि., क्वाटर सं. ए/6, यूनिट–5, राजीव भवन के पास, भुवनेश्वर–751001, ओड़ीसा

पुड्डूचेरी

30. पुड्डूचेरी बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड माइनारीटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., सं. –1, 8वां क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, पुड्डूचेरी–605005

पंजाब

31. पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन, एस.सी.ओ. सं. –60–61, सैक्टर–17ए, चण्डीगढ़–160017, पंजाब

राजस्थान

32. राजस्थान अदर बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, कमरा न. 220, द्वितीय तल, नेहरू सहकार भवन, जयपुर, राजस्थान–302002

सिक्किम

33. सिक्किम अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, सोनम टीशेरिंग मार्ग (काजी रोड़), गंगटोक–737101, सिक्किम

तमिलनाडु

34. तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेज इकोनोमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, 1/1 (1), मयूर रामानाथन सलाई (ईस्ट), एग्मौर, (नियर गेनगूरेड्डी सबवे), चेन्नई–600008, तमिलनाडु

तेलंगाना

35. तेलंगाना स्टेट बैकवर्ड क्लासेज को–ऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि0, छठा तल, डी.एस. समक्षेमा भवन, मजब टैंक, , हैदराबाद–500028, तेलंगाना

KARNATAKA

18. D. Devaraj Urs Backward Classes Devevelopment Corporation
    No.16-D, 4th Floor,Devaraj Urs Bhavan,
    Millers Tank Bed Area,Vasanthnagar,
    Bangalore-560 052,Karnataka.

19. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation Ltd.,
    16-D, 5th Floor, Devaraj Urs Bhavan,
    Millers Tank Bed Area, Vasanthnagar,
    Bangalore-560 052

KERALA

20. Kerala State Artisans' Development Corporation Ltd.
    'Swagath', T.C. 12/755,
    Govt. Law College Road,Vanchiyoor P.O.,
    Thiruvananthapuram-695 035.Kerala.

21. Kerala State Backward Classes Development Corporation Ltd.,
    "SENTINEL", 2nd Floor,
    T.C. 27/588 (7) & (8), Pattoor,Vanchiyoor (PO),
    Thiruvananthapuram-695 035,Kerala.

22. Kerala State Co-operative Federation forFisheries Development Ltd. (MATSYAFED),
    Kamaleswaram, Manacaud P.O.,
    Thiruvananthapuram-695 009,Kerala.

23. Kerala State Development Corporation for Christian Converts from SCs &The Recommended Communities (Ltd.),
    Near Railway Station,Nagampadom,
    Kottayam-686002,Kerala.

24. Kerala State Palmyrah Products Development and Workers Welfare Corporation Ltd.,
    (KELPALM), Kumbhumvila, Arayoor P.O.,
    Kottamom-695 122,Kerala

25. Kerala State Women's Development Corporation Ltd.,
    "BASANT"T.C. 20/2170,Opp. Manmohan Bungalow,
    Kowdiar P.O.,
    Thiruvananthapuram-695 003 Kerala.

26. Handicrafts Development Corporation of Kerala Ltd.,
    Post Box No.171, Puthenchanthai,
    Thiruvananthapuram-695 001, Kerala

MAHARASHTRA

27. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta AniVikas Mahamandal Ltd.,
    Administrative Building, 4th Floor,
    Ramakrishna Chamburkar Marg, Chambur,
    Mumbai-400 071,Maharashtra.

28. Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Ltd.,
    Juhu Supreme Shopping Centre, Ist Floor,
    Gulmohar Cross Road No.9,JVPD Scheme (North),
    Vile-Parle Scheme (West),
    Mumbai-400 049, Maharashtra.

ODISHA

29. Odisha Backward Classes Finance & Development Co-operative Corporation Ltd.,
    Qrs. No. A/6, Unit-5,Near RajivBhawan,
    Bhubaneswar-751001, Odisha

PUDUCHERRY

30. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd.,
    No.1, 8th Cross Street,Anna Nagar,
    Puducherry-605 005

PUNJAB

31. Punjab Backward Classes Land Developmentand Finance Corporation,
    SCO No. 60-61,Sector-17 A,
    Chandigarh-160 017, Punjab.

RAJASTHAN

32. Rajasthan Other Backward Classes Finance & Development Corporation Ltd.,
    Room No.220 (2nd Floor),
    Nehru Sahkar Bhawan,
    Jaipur, Rajasthan- 302 002.

SIKKIM

33. Sikkim SC/ST & Other Backward Classes Development Corporation Ltd.,
    Sonam Tshering Marg (Kazi Road),
    Gangtok-737 101,Sikkim.

TAMILNADU

34. Tamil Nadu Backward Classes Economic Development Corporationn Ltd.,
    1/1(1), Mayor Ramanathan Salai (East),
    Egmore, (Nr. Gengureddy Subway),
    Chennai-600 008,Tamil Nadu.

TELANGANA

35. Telangana State Backward Classes Coop. Finance Corporation Ltd.,
    6th Floor, D.S. Samkshema Bhavan, Masab Tank,
    Hyderabad-500 028,Telangana.

त्रिपुरा

36. त्रिपुरा ओ.बी.सी. को–ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,
सुपारी भवन, कष्णा नगर, लेक
चौमुहानी,अगरतला–799001, त्रिपुरा वेस्ट

उत्तर प्रदेश

37. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास नगम लि0., चतुर्थ तल (साउथ विंग), पी.सी.एफ. बिल्डिंग, 32 स्टेशन रोड़, लखनऊ–226001, उत्तर प्रदेश

38. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0.,
10, माल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश –224001

उत्तराखण्ड

39. उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम,
निदेशालय, ट्राइबल वेल्फेयर परिसर, भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड–248001

पश्चिम बंगाल

40. पश्चिम बंगाल बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन,
8, लायन्स रैंज, मिटर्स बिल्डिंग, (द्वितीय एवं चतुर्थ तल), कलकत्ता–700001, पश्चिम बंगाल

41. पश्चिम बंगाल माईनॉरीटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन,
'अम्बर', 27/ई, सेक्टर–1, डी.डी. ब्लाक, साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता–700064, पश्चिम बंगाल

निष्क्रिय राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. आन्ध्र प्रदेश टोड्डी टैपर्स को–ऑपरेटिव कॉरपोरेशन लि0.

असम

2. असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0
3. असम एपेक्स विवर्स एण्ड आर्टीजन्स कोऑपरेटिव फेडरेशन लि0.

अंडमान एण्ड निकोबार

4. अंडमान एण्ड निकोबार स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लि0.

दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव

5. दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. एण्ड माईनॉरीटीज फाइनेंसियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0

मध्य प्रदेश

6. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
7. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथ करघा विकास निगम

महाराष्ट्र

8. अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक मागास विकास महामण्डल लि0.

मणिपुर

9. मणिपुर स्टेट वीमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
10. मणिपुर ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपारेशन लि0
11. मणिपुर माइनॉरीटीज एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज इकोनोमिक डेवलपमेंट सोसाइटी (एमओबीईडीएस)

मेघालय

12. मेघालय को–ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लि0.

मिजोरम

13. मिजोरम को– ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लि0.

तमिलनाडु

14. तमिलनाडु कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वीमेन लि0.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की सूची

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक

1. **केनरा बैंक**
112, जे.सी. रोड़, बैंगलोर–560002, कर्नाटक

2. **विजया बैंक**
सं. 41/2, ट्रीनिटी सर्कल,
एम.जी. रोड़, बैंगलोर–560001, कर्नाटक

3. **पंजाब नेशनल बैंक**
(एमएसएमई विभाग),
आत्मा राम हाउस, 1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली–110001

4. **देना बैंक**
पीएस एण्ड आरआरबी, रिटेल एण्ड एमएसएमई,
देना कॉरपोरेट सेन्टर, छठा तल, सी–10, जी–ब्लाक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुम्बई–400051

TRIPURA

36. Tripura OBC Co-operative Development Corporation Ltd., Supari Bhawan,Krishnanagar, Lake Chowmuhani, Agartala-799001, Tripura West.

UTTAR PRADESH

37. Uttar Pradesh Pichhara Varg Vitta Avam, Vikas Nigam Ltd., 4th Floor, (South Wing), PCF Building, 32 Station Road, Lucknow-226 001,Uttar Pradesh.

38. Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Ltd., 10, Mall Avenue, Lucknow, Uttar Pradesh-224001.

UTTARAKHAND

39. Uttarakhand Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam, Directorate, Tribal Welfare Premises, Bhagat Singh Colony, Adhoiwala, Dehradun, Uttarakhand-248001.

WEST BENGAL

40. West Bengal Backward Classes Dev. and Finance Corporation, 8, Lyons Range, Mitter's Building, (2nd & 4th Floor), Kolkata-700 001, West Bengal.

41. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation, 'Ambar', 27/E, Sector-1,D.D. Block, Salt Lake City, Kolkata-700 064,West Bengal.

LIST OF DORMANT STATE CHANNELISING AGENCIES (SCAs)

ANDHRA PRADESH

1. A.P. Toddy Tappers Co-operative Finance Corpn. Ltd.

ASSAM

2. Assam Electronics Development Corpn. Ltd.

3. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd.

ANDAMAN & NICOBAR

4. Andaman & Nicobar State Co-operative Bank Ltd.

DADRA & NAGAR HAVELI, DAMAN & DIU

5. Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu SC/ST/ OBC & Minorities Financial & Development Corpn. Ltd.

MADHYA PRADESH

6. Madhya Pradesh Pichhara Varg TathaAlpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam

7. Madhya Pradesh Hastshilp Evam HathaKargha Vikas Nigam

MAHARASHTRA

8. Anna Saheb Patil Arthik Magas Vikas Mahamandal Ltd.

MANIPUR

9. Manipur State Women's Development Corporation

10. Manipur Tribal Development Corporation Ltd.

11. Manipur Minorities & Other Backward Classes Economic Development Society (MOBEDS)

MEGHALAYA

12 Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.

MIZORAM

13. Mizoram Co-operative Apex Bank Ltd.

TAMIL NADU

14. Tamil Nadu Corporation for Development of Women Ltd.

LIST OF PUBLIC SECTOR BANKS (PSBS) AND REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

PUBLIC SECTOR BANKS (PSBs)

1. **CANARA BANK**
   112, J.C. Road,
   Bangalore-560002, Karnataka.

2. **Vijaya Bank**
   No.41/2, Trinity Circle, M.G. Road,
   Bangalore – 560001, Karnataka.

3. **Punjab National Bank**
   (MSME Div.)
   Atma Ram House,
   1, Tolstoy Marg, New Delhi-110001.

4. **Dena Bank**
   PS & RRB, Retail & MSME
   Dena Corporate Centre, 6th Floor, C-10, G-Block, BandraKurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.)

आन्ध्र प्रदेश

1. जिला को–ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि0.
   डोर न. 46–1–सी, बुद्धवारपेटा, गवर्नमेंट क्षेत्रीय आखों के अस्पताल के सामने, कुरनोल–518002

2. आन्ध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक
   पोस्ट बाक्स–65, आफिसर्स क्लब रायचोटी रोड़ के सामने, काडपा–516001

असम

3. लंगपी देहागीं रूरल बैंक (मुख्यालय)
   दिफ़ू, कार्वी ऐंगलोंग, असम–782460

बिहार

4. मध्य बिहार ग्रामीण बैंक,
   मुख्यालय श्री विष्णु कमर्सियल कॉम्पलेक्स,राष्ट्रीय राजमार्ग पेट्रोल पम्प के पीछे, अशोचक्र, राष्ट्रीय राजमार्ग–30,
   पटना–800016, बिहार

गुजरात

5. देना गुजरात ग्रामीण बैंक,
   बलवन्तराय मेहता पंचायत भवन, 'सीएस' रोड़,
   सेक्टर–17, गाँधी नगर,–382017

6. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
   एस. जे. प्लेस, प्रथम तल, धेबर रोड़, अंध महिला विकास गृह के सामने, राजकोट–360002, गुजरात

हरियाणा

7. सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक,
   मुख्यालय एसएचजीबी हाउस, प्लॉट न. 1, सेक्टर–3, रोहतक–124001, हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

8. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक,
   मुख्यालय जवाहर नगर, मण्डी–175001, हिमाचल प्रदेश

9. झारखण्ड

वनांचल ग्रामीण बैंक,
मुख्यालय म्युन्सिपेलिटी चौक, दगंलपारा,
दुमका–814101, झारखण्ड

10. झारखण्ड ग्रामीण बैंक,
    मुख्यालय–राजेन्द्र प्लेस, 5, मैंन रोड, ओवर ब्रिज के नजदीक, राँची–834001, झारखण्ड

मध्य प्रदेश

11. मध्यांचल ग्रामीण बैंक,
    मुख्यालय–पोद्दार कालोनी, तिलि रोड़, सागर–470001, मध्य प्रदेश

12. नर्मदा झाबुवा ग्रामीण बैंक,
    201, अरकाडे सिल्वर, द्वितीय तल, 56 दुकान के नजदीक, न्यू पलसिया, इन्दौर–452001, मध्य प्रदेश

पंजाब

13. पंजाब ग्रामीण बैंक,
    मुख्यालय–जालन्धर रोड़, कपूरथला, पंजाब

राजस्थान

14. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक,
    तुलसी टावर, 9वां बी रोड़, सरदारपुरा,
    जोधपुर–342003, राजस्थान

तेलंगाना

15. तेलंगाना ग्रामीण बैंक,
    2–1–520, द्वितीय तल, विजया श्री साँई सेलेस्टिया, सैट न. 9, नालाकुन्टा, शंकरमठ रोड़, हैदराबाद–500044

उत्तर प्रदेश

16. सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक,
    मुख्यालय– सी–39/5, जागृति विहार, गढ़ रोड़,
    मेरठ–250004, उत्तर प्रदेश

17. इलाहाबाद यू.पी. ग्रामीण बैंक,
    डी.एम. कालोनी, सिविल लाइन्स, बाँदा–210001, उत्तर प्रदेश

18. ग्रामीण बैंक आर्यव्रत,
    मुख्यालय– ए–2/46, विजय खण्ड, गोमती नगर,
    लखनऊ–226010, उत्तर प्रदेश

19. काशी गोमती समयूत ग्रामीण बैंक,
    मुख्यालय– सी–19/40, फाटमैंन रोड, सिगरा,
    वाराणासी–221002, उत्तर प्रदेश

20. पूर्वांचल बैंक,
    बुद्ध विहार कॉमरशियल स्कीम, तारामण्डल, गोरखपुर (यू.पी.) –273018, उत्तर प्रदेश

उत्तराखण्ड

21. उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक,
    18, न्यू रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड

REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

ANDHRA PRADESH

1. The District Co-operative Central Bank Ltd.,
   Door No.46-1-C, Budhawarpeta,
   Opp. Government Regional Eye Hospital,
   Kurnool-518 002.

2. Andhra PragathiGrameena Bank
   PO Box 65,
   Opp. Officers club Rayachoty Road,
   Kadapa – 516001.

ASSAM

3. Langpi Dehangi Rural Bank (HO)
   Diphu, KarbiAnglong,
   Assam-782460

BIHAR

4. Madhya Bihar Gramin Bank,
   H.O. Sri Vishnu Commercial Complex,
   Beside National Highway Petrol Pump,
   Ashochak, NH-30,
   Patna-800 016, Bihar

GUJARAT

5. Dena Gujarat Gramin Bank,
   Balvantray Mehta PanchayatBhavan,
   'CH' Road, Sector-17,
   Gandhinagar-382017, Gujarat

6. SaurashtraGramin Bank
   S.J Palace, Ist Floor,
   Dhebar Road, Opp. AndhMahilaVikarGruh,
   Rajkot-360 002, Gujarat

HARYANA

7. Sarva Haryana Gramin Bank,
   H.O. SHGB House, Plot No.1, Sector-3,
   Rohtak-124001, Haryana

HIMACHAL PRADESH

8. Himachal Pradesh Gramin Bank,
   H.O. Jawahar Nagar,
   Mandi-175001, Himachal Pradesh

JHARKHAND

9. Vananchal Gramin Bank,
   H.O. Municipality Chowk, Dangalpara,
   Dumka-814101, Jharkhand.

10. Jharkhand Gramin Bank
    Head Office - Rajendra Place
    5, Main Road, Nr. Over Bridge,
    Ranchi – 834 001, Jharkhand

MADHYA PRADESH

11. Madhyanchal Gramin Bank
    H.O. Poddar Colony, Tili Road,
    Sagar-470001, MP.

12. Narmada Jhabua Gramin Bank,
    201, Arcade Silver,
    2nd Floor, Near 56 Dukaan,
    New Palasia, Indore 452001, MP.

PUNJAB

13. Punjab Gramin Bank,
    H.O. Jalandhar Road, Kapurthala, Punjab.

RAJASTHAN

14. Rajasthan Marudhara Gramin Bank,
    Tulsi Tower, 9th B Road, Sardarpura,
    Jodhpur - 342003, Rajasthan.

TELANGANA

15. Telangana Grameena Bank,
    2-1-520, 2nd Floor, Vijaya Sri Sai Celestia,
    St. No.9, Nallakunta, Shankermutt Road,
    Hyderabad - 500 044.

UTTAR PRADESH

16. Sarva U.P. Gramin Bank,
    H.O. C-39/5, JagritiVihar,
    Garh Road, Meerut-250004, Uttar Pradesh.

17. Allahabad UP Gramin Bank,
    D.M. Colony, Civil Lines,
    Banda-210001, Uttar Pradesh.

18. Gramin Bank of Aryavart,
    H.O. A-2/46, Vijay Khand, Gomti Nagar,
    Lucknow-226010, Uttar Pradesh.

19. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank,
    H.O. C-19/40, Faatman Road, Sigra,
    Varanasi-221002, Uttar Pradesh.

20. Purvanchal Bank,
    BuddhVihar Commercial Scheme, Taramandal,
    Gorakhpur (U.P.)- 273018 Uttar Pradesh

UTTARAKHAND

21. Uttarakhand Gramin Bank,
    18, New Road,
    Dehradun, Uttarakhand

अनुलग्नक – 2

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

एवं

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

(एन.बी.सी.एफ.डी.सी.)

के मध्य

वर्ष 2016-17 के लिए

समझौता ज्ञापन

ANNEXURE - 2

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND
EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

AND

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND
DEVELOPMENT CORPORATION
(NBCFDC)

FOR

2016-17

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

फार्म – I (भाग –ए)
कार्यनिष्पादन मूल्यांकन लक्ष्य एवं उनका निर्धारण

क्र. सं.	मूल्यांकन मापदंड	इकाई	भार	समझौता ज्ञापन लक्ष्य				
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधरण	निकृष्ट
i)	**क्षमता उपभोग :** **स्वीकृत ऋण**	रु. करोड़	10	450.00	440.00	430.00	420.00	410.00
ii)	**दक्षता मापदंड (भौतिक कार्य):**							
क)	**दक्षता मापदंड**							
	ऋण प्रार्थना पत्रों के निपटान में लिया गया औसत समय	दिनों की संख्या	10	28 दिन	30 दिन	32 दिन	34 दिन	36 दिन
ख)	**तकनीकी उन्नयन:**							
	ऋण प्रबंधन तंत्र साफ्टवेयर के कार्यान्वयन हेतु अनुबंध करना	दिनांक	5	31.01.17	15.02.17	28.02.17	15.03.17	31.03.17
iii)	**लीवरेजिंग निवल सम्पत्ति:** वितरण/उपलब्ध कुल धनराशि	प्रतिशत	15	77.00	73.00	71.00	69.00	67.00
iv)	**निगरानी मापदंड:** एन.पी.ए./ऋण परसंपत्तियां	प्रतिशत	5	0.50	0.51	0.52	0.53	0.55
v)	**कारोबार से आय:** कारोबार से राजस्व	रु. करोड़	10	40.00	39.50	39.00	38.50	38.00
vi)	**परिचालन लाभ/आधिक्य:** टैक्स से पूर्व आधिक्य (अन्य आय, असाधारण एवं अपवादात्मक मदों को असम्मिलित करते हुए)	रु. करोड़	15	24.00	20.00	19.50	19.00	18.50
vii)	**कमियों को दूर करने का शीघ्र निदान:** निगम के विरूद्ध केन्द्रीय लोक उद्यमों एवं अन्य द्वारा उधार के रूप में अभिस्वीकृत दावों की संख्या को सीमित करना	संख्या	5	0	1	2	3	4
viii) क)	**विपणन दक्षता अनुपात** वितरण/स्वीकृत ऋण	प्रतिशत	5	78.00	77.00	76.00	75.00	74.00
ख)	ऋण परिसंपत्तियों हेतु बकाया ऋण	प्रतिशत	5	10.50	11.00	11.50	12.00	12.50
ix)	**विनिवेश से वापसी:**							
	आधिक्य/शुद्ध संपति	प्रतिशत	10	1.55	1.50	1.45	1.40	1.35
x)	**क्षेत्र/विशिष्ठ सी.पी.एस.ई. लक्ष्य:** चैनल सहभागियों के रूप में कार्य करने हेतु RRBs/PSBs/MFIs के साथ किए जाने वाले नए समझौता ज्ञापन	संख्या	5	10	9	8	7	6
	योग		**100**					

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

FORM - I (PART-A)

PERFORMANCE ASSESSMENT TARGETS AND THEIR DETERMINATION

Sl. No.	Evaluation Criteria	Unit	Weightage	MOU Targets				
				Excellent	Very Good	Good	Fair	Poor
i)	**Capacity Utilisation :** Loan Sanctioned	Rs. Cr	10	450.00	440.00	430.00	420.00	410.00
ii)	**Efficiency Parameters (Physical operations):**							
a)	**Efficiency Parameters:**							
	Average time taken for disposal of loan application.	Timeline	10	28 days	30 days	32 days	34 days	36 days
b)	**Technology up-gradation:**							
	Award of contract for implemention of Loan Management System Software *	Timeline	5	31.01.17	15.02.17	28.02.17	15.03.17	31.03.17
iii)	**Leveraging Net Worth:** Disbursement/Total Funds available	% age	15	77.00	73.00	71.00	69.00	67.00
iv)	**Monitoring Parameter:** NPA/Loan Assets **"	% age	5	0.50	0.51	0.52	0.53	0.55
v)	**Turnover from Operations:** Revenue from Operations	Rs. Cr	10	40.00	39.50	39.00	38.50	38.00
vi)	**Operating Profit/Surplus:** Surplus before Tax (excluding Other Income, Extraordinary & Exceptional items)	Rs. Cr	15	24.00	20.00	19.50	19.00	18.50
vii)	**Early Signs of Weakness:** Restricting the No. of claims against the Corporation not acknowledged as debts claims raised by CPSE & Others	Nos.	5	0	1	2	3	4
viii)	**Marketing Efficiency ratios**							
a)	Disbursement /Loan Sanctioned	% age	5	78.00	77.00	76.00	75.00	74.00
(b)	Overdue Loans to Loan Asset	% age	5	10.50	11.00	11.50	12.00	12.50
ix)	**Return on Investment:**							
	Surplus/Net Worth	% age	10	1.55	1.50	1.45	1.40	1.35
x)	**Sector/CPSE Specific Target:** New MoUs to be entered with RRBs/PSBs/MFIs for acting as channel partners	Nos.	5	10	9	8	7	6
	Total		**100**					

टिप्पणियां :

1 राज्य चैनेलाईजिंग एजेसियों / बैंक द्वारा लाभार्थियों को धनराशि अवमुक्ति में लिए गए समय एवं लाभार्थियों द्वारा किए गए पुनर्भुतान को भी सॉफ्टवेयर में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

2. वर्ष के आरम्भ में नकदी एवं बैंक अवशेष को + वर्ष के दौरान ऋणों के पुनर्भुगतान + वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अंश पूंजी + वित्तीय वर्ष 2016-17 से पूर्व अवमुक्त ऋणों के सापेक्ष धनराशि की वापसी + अन्य निधि के अंतर्वाह को कुल उपलब्ध धनराशि में सम्मिलित किया जाएगा।

3. कोई भी पुनर्निर्धारित गैर निष्पादित परसंपत्ति (NPA) ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के रूप में माना जाएगा।

4. अन्तर मंत्रालय समिति (IMC) द्वारा अनुमोदित लक्ष्य, वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु केन्द्रीय लोक उद्यम द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रावधान/अनुमान पर आधारित हैं। केन्द्रीय लोक उद्यम द्वारा वर्ष 2015–16 में अच्छे कार्यनिष्पादन की दशा में, जैसा कि समिति को उपलब्ध कराए गए प्रावधानित/अनुमानित आंकड़े की तुलना में, वास्तवित आंकड़ों एवं प्रावधानित आंकड़ों के मध्य अंतर को 2016-17 के लक्ष्य में जोड़ा जाएगा।

5. समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन के समय यदि उपलब्धि केन्द्रीय लोक उद्यम की वार्षिक रिपोर्ट में सत्यापन योग्य नहीं है, को निदेशक मण्डल के निर्णय के माध्यम से सत्यापन के आधार पर इसे स्वीकार किया जाएगा।

6. समझौता गाइडलाइंस के अनुसार, समझौता ज्ञापन में निर्धारित किए गए लक्ष्य शर्त रहित हैं {पैरामीटर (ii) (B). (iii) & (iv) के अतिरिक्त} एवं किसी भी दशा में कोई समायोजन (Offset) की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, समझौता ज्ञापन गाइडलाइंस 2016-17 के पैरा 14.2/14.3 के अनुसार अतिरिक्त योग्यता मापदण्ड की दशा में मूल्यांकन होगा।

हस्ता0/–
के. नारायण
प्रबन्ध निदेशक
नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

हस्ता0/–
अनिता अग्निहोत्री
सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिनांक: 23 सितम्बर, 2016
स्थानः नई दिल्ली

Notes:

1. Software should also capture the time taken to release funds from State Channelising Agencies (SCA)/Banks to Beneficiaries and repayments made by beneficiaries
2. Total Funds Available would include Cash and Bank Balance at the beginning of the year + Loan repayments during the year + Equity assistance from Government of India during the year + Refunds against released prior to FY 2016-17 + other Fund inflows.
3. Any rscheduled NPA loans will be considered as NPAs.
4. The targets approved by IMC are based on Provisional/Estimates submitted by the CPSE for FY 2015-16. In case of better performance of the CPSE during the year 2015-16 as compared to Provisional/Estimated fiugures given to the Committee. The difference between actual figures and provisional figures shall be added to the targets of 2016-17.
5. At the time of MoU Evaluation, wherever achievement is not verifiable from annual report of the CPSE, the same would be accepted on the basis of certiication by way of resolution from Board of Directors.
6. As per MoU Guidelines, targets decided in MoU are unconditional {Except parameter (ii) (B), (iii) and (iv)} and no offset will be allowed in any condition. Further, evaluation would be subject to additional eligibility criteria as per para 14.2/14.3 of MoU Guidelines 2016-17.

Sd/-
K. NARAYAN
MANAGING DIRECTOR
NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

Sd/-
ANITA AGNIHOTRI
SECRETARY
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

DATE: 23rd September, 2016
PLACE: NEW DELHI

अनुलग्नक – 2.1

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

फार्म – II

(लाख रु. में)

क्र. सं.	मूल्यांकन मापदंड	इकाई	भार	समझौता ज्ञापन लक्ष्य		उपलब्धि (लेखापरीक्षित)
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	
i)	**क्षमता उपभोग :** स्वीकृत ऋण	रु. करोड़	10	450.00	440.00	476.61
ii)	**दक्षता मापदंड (भौतिक कार्य):**					
क)	**दक्षता मापदंड**					
	ऋण प्रार्थना पत्रों के निपटान में लिया गया औसत समय	दिनों की संख्या	10	28 दिन	30 दिन	15 दिन
ख)	**तकनीकी उन्नयन:**					
	ऋण प्रबंधन तंत्र साफ्टवेयर के कार्यान्वयन हेतु अनुबंध करना	दिनांक	5	31.01.17	15.02.17	06.10.16
iii)	**लीवरेजिंग निवल सम्पत्ति:** वितरण/उपलब्ध कुल धनराशि	प्रतिशत	15	77.00	73.00	71.44
iv)	**निगरानी मापदंड:** एन.पी.ए./ऋण परसंपत्तियां	प्रतिशत	5	0.50	0.51	0.12
v)	**कारोबार से आय:** कारोबार से राजस्व	रु. करोड़	10	40.00	39.50	47.43
vi)	**परिचालन लाध/आधिक्य:** टैक्स से पूर्व आधिक्य (अन्य आय, असाधारण एवं अपवादात्मक मदों को असम्मिलित करते हुए)	रु. करोड़	15	24.00	20.00	25.03
vii)	**कमियों को दूर करने का शीघ्र निदान:** निगम के विरूद्ध केन्द्रीय लोक उद्यमों एवं अन्य द्वारा उधार के रूप में अभिस्वीकृत दावों की संख्या को सीमित करना	संख्या	5	0	1	--
viii) क)	**विपणन दक्षता अनुपात** वितरण/स्वीकृत ऋण	प्रतिशत	5	78.00	77.00	81.27
ख)	ऋण परिसंपत्तियों हेतु बकाया ऋण	प्रतिशत	5	10.50	11.00	10.80
ix)	**विनिवेश से वापसी:**					
	आधिक्य/शुद्ध संपति	प्रतिशत	10	1.55	1.50	1.61
x)	**क्षेत्र/विशिष्ठ सी.पी.एस.ई. लक्ष्य:** चैनल सहभागियों के रूप में कार्य करने हेतु PRBs/PSBs/MFIs के साथ किए जाने वाले नए समझौता ज्ञापन	संख्या	5	10	9	17
	योग स्कोर					

ANNEXURE - 2.1

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

FORM - II

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Evaluation Criteria	Unit	Weightage	MOU Targets		Achievements (Audited)
				Excellent	Very Good	
i)	**Capacity Utilisation :** Loan Sanctioned	Rs. Cr	10	450.00	440.00	476.61
ii)	**Efficiency Parameters (Physical operations):**					
a)	**Efficiency Parameters:**					
	Average time taken for disposal of loan application.	Timeline	10	28 days	30 days	15 days
b)	**Technology up-gradation:**					
	Award of contract for implemention of Loan Management System Software *	Timeline	5	31.01.17	15.02.17	06.10.16
iii)	**Leveraging Net Worth:** Disbursement/Total Funds available	% age	15	77.00	73.00	71.44
iv)	**Monitoring Parameter:** NPA/Loan Assets **"	% age	5	0.50	0.51	0.13
v)	**Turnover from Operations:** Revenue from Operations	Rs. Cr	10	40.00	39.50	47.48
vi)	**Operating Profit/Surplus:** Surplus before Tax (excluding Other Income, Extraordinary & Exceptional items)	Rs. Cr	15	24.00	20.00	25.06
vii)	**Early Signs of Weakness:** Restricting the No. of claims against the Corporation not acknowledged as debts clums raised by CPSE & Others	Nos.	5	0	1	--
viii)	**Marketing Efficiency ratios**					
a)	Disbursement /Loan Sanctioned	% age	5	78.00	77.00	81.27
(b)	Overdue Loans to Loan Asset	% age	5	10.50	11.00	10.80
ix)	**Return on Investment:**					
	Surplus/Net Worth	% age	10	1.55	1.50	1.65
x)	**Sector/CPSE Specific Target:** New MoUs to be entered with RRBs/PSBs/MFIs for acting as channel partners	Nos.	5	10	9	17
	Total Score					

अनुलग्नक – 3

गत् तीन वर्षों के दौरान एससीए वार और राज्य वार ऋण वितरण और 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार संचयी विवरण तथा लाभार्थियों की संख्या

(रु. लाख में)

क्र स.		राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	31.03.2017 को संचयी संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
I.		राज्य					
1		आन्ध्र प्रदेश					
	1.1	आन्ध्र प्रदेश (बीसी)	0.00	0.00	0.00	16116.73	331793
	1.2	आन्ध्र प्रदेश (टोडी टैपर्स)	0.00	0.00	0.00	1263.73	5546
	1.3	आन्ध्र प्रदेश (अन्य)	0.00	0.00	0.00	20.00	210
		उप योग (1.1 से 1.3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17400.46**	**337549**
2		असम					
	2.1	असम (आर्टफेड)	0.00	0.00	0.00	680.00	3912
	2.2	असम (बीसी)	0.00	0.00	0.00	556.78	876
	2.3	असम (इलेक्ट्रॉनिक्स)	0.00	0.00	0.00	457.64	668
		उप योग (2.1 से 2.3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1694.42**	**5456**
3		बिहार					
	3.1	बिहार (बीसी)	0.00	0.00	0.00	3910.54	8928
	3.2	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	1078.81	1078.81	1723
		उप योग (3.1 से 3.2)	**0.00**	**0.00**	**1078.81**	**4989.35**	**10651**
4		छत्तीसगढ़ (एससी/एसटी)	0.00	100.00	100.00	1367.32	2565
5		गोवा (एससी/एसटी/बीसी)	75.00	200.00	50.00	2047.73	2247
6		गुजरात					
	6.1	गुजरात (बीसी)	90.00	400.00	0.00	7919.79	15901
	6.2	गुजरात (गोपालक)	100.00	299.70	25.00	2772.48	7889
	6.3	गुजरात (ठाकोर)	300.00	500.00	500.00	3985.00	13287
	6.4	गुजरात (नोमेडिक)	0.00	0.00	185.00	185.00	686
	6.5	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	500.00	500.00	325
	6.5	गुजरात (अन्य)	0.00	0.00	0.00	45.00	1200
		उप–योग (6.1 से 6.5)	**490.00**	**1199.70**	**1210.00**	**15407.27**	**39288**
7		हरियाणा					
	7.1	हरियाणा (बीसी)	350.00	200.00	825.00	7852.41	37744
	7.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	0.00	1000.00	0.00	1000.00	2705
		उप योग (7.1 से 7.2)	**350.00**	**1200.00**	**825.00**	**8852.41**	**40449**
8		हिमाचल प्रदेश					
	8.1	हिमाचल प्रदेश (बीसी)	475.35	486.19	425.79	6041.76	9546
	8.2	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	0.00	1351.00	0.00	1351.00	3046
		उप योग (8.1 से 8.2)	**475.35**	**1837.19**	**425.79**	**7392.76**	**12592**
9		जम्मू एण्ड कश्मीर					
	9.1	जम्मू एण्ड कश्मीर (एससी)	0.00	0.00	100.00	421.88	877
	9.2	जम्मू एण्ड कश्मीर (वीमेन)	200.00	200.00	200.00	1520.60	5842
		उप योग (9.1 से 9.2)	**200.00**	**200.00**	**300.00**	**1942.48**	**6719**

ANNEXURE - 3

SCA & STATE WISE LOAN DISBURSEMENT DURING THE LAST THREE YEARS AND CUMULATIVE DISBURSEMENT & NO. OF BENEFICIARIES AS ON 31ST MARCH' 17

(₹ in Lakhs)

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	2014-15	2015-16	2016-17	Cumulative as on 31.03.2017 Disbursement	No. of Beneficiaries
I.		**STATES**					
1		**Andhra Pradesh**					
	1.1	Andhra Pradesh (BC)	0.00	0.00	0.00	16116.73	331793
	1.2	Andhra Pradesh (Toddy Tapper)	0.00	0.00	0.00	1263.73	5546
	1.3	Andhra Pradesh (Others)	0.00	0.00	0.00	20.00	210
		Sub Total (1.1 to 1.3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17400.46**	**337549**
2		**Assam**					
	2.1	Assam (Artfed)	0.00	0.00	0.00	680.00	3912
	2.2	Assam (BC)	0.00	0.00	0.00	556.78	876
	2.3	Assam (Electronics)	0.00	0.00	0.00	457.64	668
		Sub Total (2.1 to 2.3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1694.42**	**5456**
3		**Bihar**					
	3.1	Bihar (BC)	0.00	0.00	0.00	3910.54	8928
	3.2	Madhya Bihar Gramin Bank	0.00	0.00	1078.81	1078.81	1723
		Sub Total (3.1 to 3.2)	**0.00**	**0.00**	**1078.81**	**4989.35**	**10651**
4		Chhattishgarh (SC/ST)	0.00	100.00	100.00	1367.32	2565
5		Goa (SC/ST/BC)	75.00	200.00	50.00	2047.73	2247
6		**Gujarat**					
	6.1	Gujarat (BC)	90.00	400.00	0.00	7919.79	15901
	6.2	Guajrat (Gopalak)	100.00	299.70	25.00	2772.48	7889
	6.3	Guajrat (Thakor)	300.00	500.00	500.00	3985.00	13287
	6.4	Guajrat (Nomadic)	0.00	0.00	185.00	185.00	686
	6.5	Dena Gujarat Gramin Bank	0.00	0.00	500.00	500.00	325
	6.5	Gujarat (Others)	0.00	0.00	0.00	45.00	1200
		Sub Total (6.1 to 6.5)	**490.00**	**1199.70**	**1210.00**	**15407.27**	**39288**
7		**Haryana**					
	7.1	Haryana (BC)	350.00	200.00	825.00	7852.41	37744
	7.2	Sarva Haryana Gramin bank	0.00	1000.00	0.00	1000.00	2705
		Sub Total (7.1 to 7.2)	**350.00**	**1200.00**	**825.00**	**8852.41**	**40449**
8		**Himachal Pradesh**					
	8.1	Himachal Pradesh (BC)	475.35	486.19	425.79	6041.76	9546
	8.2	Himachal Pradesh Gramin Bank	0.00	1351.00	0.00	1351.00	3046
		Sub Total (7.1 to 7.2)	**475.35**	**1837.19**	**425.79**	**7392.76**	**12592**
9		**Jammu & Kashmir**					
	9.1	Jammu & Kashmir (SC)	0.00	0.00	100.00	421.88	877
	9.2	Jammu & Kashmir (Women)	200.00	200.00	200.00	1520.60	5842
		Sub Total (9.1 to 9.2)	**200.00**	**200.00**	**300.00**	**1942.48**	**6719**

क्र स.		राज्य चैनलेलाइजिंग एजेंसी का नाम (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	31.03.2017 को संचयी संवितरण	31.03.2017 को संचयी लाभार्थियों की संख्या
10		**झारखण्ड**					
	10.1	झारखण्ड (ट्राइबल)	0.00	0.00	0.00	545.30	1128
	10.2	वनाचंल ग्रामीण बैंक	0.00	500.00	0.00	500.00	1680
	10.3	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	100.00	100.00	130
		उप–योग (10.1 से 10.3)	**0.00**	**500.00**	**100.00**	**1145.30**	**2938**
11		**कर्नाटक**					
	11.1	कर्नाटक (बीसी)	2600.00	3000.00	3000.00	36899.19	230698
	11.2	कर्नाटक (विश्वकर्मा)	0.00	500.00	500.00	1000.00	2100
		उप योग (11.1 से 11.2)	**2600.00**	**3500.00**	**3500.00**	**37899.19**	**232798**
12		**केरल**					
	12.1	केरल (आर्टीजन)	100.00	100.00	50.00	630.29	2219
	12.2	केरल (बीसी)	9000.00	5000.00	7500.00	71182.27	317374
	12.3	केरल (क्रिश्चियन कनवर्टस)	0.00	0.00	0.00	1106.53	3413
	12.4	केरल (फिशरीज)	3500.00	3000.00	2500.00	24809.83	243425
	12.5	केरल (हैण्डीक्राफ्ट)	90.00	100.00	100.00	641.50	2619
	12.6	केरल (पोलीमर)	0.00	0.00	0.00	140.00	521
	12.7	केरल (वीमेन)	1600.00	300.00	500.00	6095.74	21871
		उप योग (12.1 से 12.7)	**14290.00**	**8500.00**	**10650.00**	**104606.16**	**591442**
13		**मध्य प्रदेश**					
	13.1	मध्य प्रदेश (एससी)	0.00	0.00	0.00	1210.11	3516
	13.2	मध्य प्रदेश (बीसी)	0.00	0.00	0.00	3528.15	12895
	13.3	मध्य प्रदेश (हस्तशिल्प)	0.00	0.00	0.00	546.25	2706
	13.4	मध्याचंल ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	100.00	100.00	120
	13.5	नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	253.18	253.18	442
		उप योग (13.1 से 13.5)	**0.00**	**0.00**	**353.18**	**5637.69**	**19679**
14		**महाराष्ट्र**					
	14.1	महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	0.00	0.00	0.00	2077.99	3659
	14.2	महाराष्ट्र (वी.जे.एन.टी.)	0.00	1000.00	0.00	7172.83	23512
	14.3	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	0.00	0.00	0.00	50.00	85
	14.4	महाराष्ट्र (ओबीसी)	500.00	0.00	0.00	14814.15	46760
	14.5	महाराष्ट्र (अन्य)	0.00	0.00	0.00	25.00	330
		उप योग (14.1 से 14.5)	**500.00**	**1000.00**	**0.00**	**24139.97**	**74346**
15		**मणिपुर**					
	15.1	मणिपुर (ट्राइबल)	0.00	0.00	0.00	407.37	561
	15.2	मणिपुर (वीमेन)	0.00	0.00	0.00	75.67	500
		उप योग (15.1 से 15.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**483.04**	**1061**
16		नार्थ इस्टर्न डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	1500.00	1000.00	800.00	6300.00	58882
17		**ओड़ीसा**					
	17.1	ओड़ीसा (बीसी)	0.00	0.00	0.00	1401.21	6039
	17.2	ओड़ीसा (अन्य)	0.00	0.00	0.00	34.40	708
		उप योग (17.1 से 17.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1435.61**	**6747**
18		**पंजाब**					
	18.1	पंजाब (बीसी)	300.00	500.00	300.00	5495.89	14555
	18.2	पंजाब ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	1000.00	1000.00	7820
		उप योग (18.1 से 18.2)	**300.00**	**500.00**	**1300.00**	**6495.89**	**22375**

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	2014-15	2015-16	2016-17	Cumulative as on 31.03.2017 Disbursement	No. of Beneficiaries
10		**Jharkhand**					
	10.1	Jharkhand (Tribal)	0.00	0.00	0.00	545.30	1128
	10.2	Vananchal Gramin Bank	0.00	500.00	0.00	500.00	1680
	10.3	Jharkhand Gramin Bank	0.00	0.00	100.00	100.00	130
		Sub Total (10.1 to 10.3)	**0.00**	**500.00**	**100.00**	**1145.30**	**2938**
11		**Karnataka**					
	11.1	Karnataka (BC)	2600.00	3000.00	3000.00	36899.19	230698
	11.2	Karnataka (Vishwakarma)	0.00	500.00	500.00	1000.00	2100
		Sub Total (11.1 to 11.2)	**2600.00**	**3500.00**	**3500.00**	**37899.19**	**232798**
12		**Kerala**					
	12.1	Kerala (Artisan)	100.00	100.00	50.00	630.29	2219
	12.2	Kerala (BC)	9000.00	5000.00	7500.00	71182.27	317374
	12.3	Kerala (Christian Converts)	0.00	0.00	0.00	1106.53	3413
	12.4	Kerala (Fisheries)	3500.00	3000.00	2500.00	24809.83	243425
	12.5	Kerala (Handicraft)	90.00	100.00	100.00	641.50	2619
	12.6	Kerala (Palmarah)	0.00	0.00	0.00	140.00	521
	12.7	Kerala (Women)	1600.00	300.00	500.00	6095.74	21871
		Sub Total (12.1 to 12.7)	**14290.00**	**8500.00**	**10650.00**	**104606.16**	**591442**
13		**Madhya Pradesh**					
	13.1	Madhya Pradesh (SC)	0.00	0.00	0.00	1210.11	3516
	13.2	Madhya Pradesh (BC)	0.00	0.00	0.00	3528.15	12895
	13.3	Madhya Pradesh (Hastshilp)	0.00	0.00	0.00	546.25	2706
	13.4	Madhyanchal Gramin Bank	0.00	0.00	100.00	100.00	120
	13.5	Narmada Jhabua Gramin Bank	0.00	0.00	253.18	253.18	442
		Sub Total (13.1 to 13.5)	**0.00**	**0.00**	**353.18**	**5637.69**	**19679**
14		**Maharashtra**					
	14.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	0.00	0.00	0.00	2077.99	3659
	14.2	Maharashtra (VJNT)	0.00	1000.00	0.00	7172.83	23512
	14.3	Maharashtra (Annasahib)	0.00	0.00	0.00	50.00	85
	14.4	Maharashtra (OBC)	500.00	0.00	0.00	14814.15	46760
	14.5	Maharashtra (Others)	0.00	0.00	0.00	25.00	330
		Sub Total (14.1 to 14.5)	**500.00**	**1000.00**	**0.00**	**24139.97**	**74346**
15		**Manipur**					
	15.1	Manipur (Tribal)	0.00	0.00	0.00	407.37	561
	15.2	Manipur (Women)	0.00	0.00	0.00	75.67	500
		Sub Total (15.1 to 15.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**483.04**	**1061**
16		North Eastern Dev. Fin. Corpn.	1500.00	1000.00	800.00	6300.00	58882
17		**Orissa**					
	17.1	Orissa (BC)	0.00	0.00	0.00	1401.21	6039
	17.2	Orissa (Others)	0.00	0.00	0.00	34.40	708
		Sub Total (17.1 to 17.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1435.61**	**6747**
18		**Punjab**					
	18.1	Punjab (BC)	300.00	500.00	300.00	5495.89	14555
	18.2	Punjab Gramin Bank	0.00	0.00	1000.00	1000.00	7820
		Sub Total (18.1 to 18.2)	**300.00**	**500.00**	**1300.00**	**6495.89**	**22375**

क्र स.		राज्य चैनलेलाइजिंग एजेंसी का नाम (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	31.03.2017 को संचयी	
						संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
19		राजस्थान					
	19.1	राजस्थान (एससी)	0.00	0.00	0.00	676.35	1213
	19.2	राजस्थान (ओबीसी)	0.00	0.00	0.00	5802.14	18854
		उप योग (19.1 से 19.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6478.49**	**20067**
20		सिक्किम (एसी/एसटी)	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**2712.86**	**5164**
21		तमिलनाडु					
	21.1	तमिलनाडु (बीसी)	5500.00	7500.00	10000.00	59011.97	662631
	21.2	तमिलनाडु (वीमेन)	0.00	0.00	0.00	50.00	500
	21.3	तमिलनाडु (अन्य)	0.00	0.00	0.00	6.00	60
		उप योग (21.1 से 21.3)	**5500.00**	**7500.00**	**10000.00**	**59067.97**	**663191**
22		**त्रिपुरा (ओबीसी)**	**2100.00**	**2300.00**	**2500.00**	**10135.11**	**34724**
23		उत्तर प्रदेश					
	23.1	उत्तर प्रदेश (पिछड़ा वर्ग)	0.00	0.00	0.00	7477.80	27849
	23.2	यू.पी. सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	500.00	500.00	325.00	3825.00	12112
	23.3	सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	530.00	530.00	1025
	23.4	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	500.00	500.00	1643
	23.5	उत्तर प्रदेश (अन्य)	0.00	0.00	0.00	5.00	50
		उप योग (23.1 से 23.5)	**500.00**	**500.00**	**1355.00**	**12337.80**	**42679**
24		**उत्तराखण्ड (बहुउद्देशीय)**	0.00	0.00	0.00	255.81	581
25		**पश्चिम बंगाल**					
	25.1	पश्चिम बंगाल (बीसी)	300.00	250.00	300.00	8156.52	35201
	25.2	पश्चिम बंगाल (माइनॉरिटीज)	0.00	0.00	200.00	950.00	7420
	25.3	पश्चिम बंगाल (अन्य)	0.00	0.00	0.00	15.00	300
		उप योग (25.1 से 25.3)	**300.00**	**250.00**	**500.00**	**9121.52**	**42921**
26		**विजया बैंक**	0.00	0.00	3171.30	3171.30	5083
		कुल – राज्य (1 - 26)	**29180.35**	**30486.89**	**38219.08**	**352517.91**	**2282194**
II.		**संघ राज्य क्षेत्र**					
27		चंडीगढ़ (एससी/बीसी)	**0.00**	**25.00**	**0.00**	**120.37**	**297**
28		दिल्ली (एससी/एसटी/ओबीसी)	**0.00**	**0.00**	**17.00**	**391.26**	**613**
29		**पुड्डूचेरी**					
	29.1	पुड्डूचेरी (अदिद्रविदार)	0.00	0.00	0.00	154.76	125
	29.2	पुड्डूचेरी (बीसी)	500.00	1000.00	500.00	4367.37	17134
		उप योग (29.1 से 29.2)	**500.00**	**1000.00**	**500.00**	**4522.13**	**17259**
		कुल – संघ राज्य क्षेत्र (27 - 29)	**500.00**	**1025.00**	**517.00**	**5033.76**	**18169**
III.		**कुल योग (I + II)**	**29680.35**	**31511.89**	**38736.08**	**357551.67**	**2300363**

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	2014-15	2015-16	2016-17	Cumulative as on 31.03.2017 Disbursement	No. of Beneficiaries
19		**Rajasthan**					
	19.1	Rajasthan (SC)	0.00	0.00	0.00	676.35	1213
	19.2	Rajasthan (OBC)	0.00	0.00	0.00	5802.14	18854
		Sub Total (19.1 to 19.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6478.49**	**20067**
20		**Sikkim (SC/ST)**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**2712.86**	**5164**
21		**Tamilnadu**					
	21.1	Tamilnadu (BC)	5500.00	7500.00	10000.00	59011.97	662631
	21.2	Tamilnadu (Women)	0.00	0.00	0.00	50.00	500
	21.3	Tamilnadu (Others)	0.00	0.00	0.00	6.00	60
		Sub Total (21.1 to 21.3)	**5500.00**	**7500.00**	**10000.00**	**59067.97**	**663191**
22		**Tripura (OBC)**	**2100.00**	**2300.00**	**2500.00**	**10135.11**	**34724**
23		**Uttar Pradesh**					
	23.1	Uttar Pradesh (BC)	0.00	0.00	0.00	7477.80	27849
	23.2	U.P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	500.00	500.00	325.00	3825.00	12112
	23.3	Sarva U.P. Gramin Bank	0.00	0.00	530.00	530.00	1025
	23.4	Purvanchal Gramin Bank	0.00	0.00	500.00	500.00	1643
	23.5	Uttar Pradesh (Others)	0.00	0.00	0.00	5.00	50
		Sub Total (23.1 to 23.5)	**500.00**	**500.00**	**1355.00**	**12337.80**	**42679**
24		**Uttarakhand (Bahuudeshiya)**	0.00	0.00	0.00	255.81	581
25		**West Bengal**					
	25.1	West Bengal (BC)	300.00	250.00	300.00	8156.52	35201
	25.2	West Bengal (Minorities)	0.00	0.00	200.00	950.00	7420
	25.3	West Bengal (Others)	0.00	0.00	0.00	15.00	300
		Sub Total (25.1 to 25.3)	**300.00**	**250.00**	**500.00**	**9121.52**	**42921**
26		**Vijaya Bank**	0.00	0.00	3171.30	3171.30	5083
		TOTAL - STATES (1 - 26)	**29180.35**	**30486.89**	**38219.08**	**352517.91**	**2282194**
II.		**UT's**					
27		**Chandigarh (SC/BC)**	**0.00**	**25.00**	**0.00**	**120.37**	**297**
28		**Delhi (SC/ST/OBC)**	**0.00**	**0.00**	**17.00**	**391.26**	**613**
29		**Puducherry**					
	29.1	Puducherry (Adidravidar)	0.00	0.00	0.00	154.76	125
	29.2	Puducherry (BC)	500.00	1000.00	500.00	4367.37	17134
		Sub Total (29.1 to 29.2)	**500.00**	**1000.00**	**500.00**	**4522.13**	**17259**
		TOTAL - UTs (27 - 29)	**500.00**	**1025.00**	**517.00**	**5033.76**	**18169**
III.		**GRAND TOTAL (I + II)**	**29680.35**	**31511.89**	**38736.08**	**357551.67**	**2300363**

अनुलग्नक – 3.1

उन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की स्थिति, जिन्होंने वर्ष 2016-17 के दौरान धनराशि का आहरण नहीं किया

क्र सं.	राज्य का नाम	एस.सी.ए. की संख्या	नामित रा.चै.ए. का नाम	उस रा.चै.ए. का नाम, जिसने वर्ष 2016-17 के दौरान धनराशि का आहरण नहीं किया	कारण
1.	आन्ध्र प्रदेश	01	1. आन्ध्र प्रदेश टोडी टैप्पर्स को–ऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि.	1. आन्ध्र प्रदेश टोडी टैप्पर्स को–ऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि.	जनरल लोन एग्रीमेंट हस्ता–क्षरित नहीं किया गया।
2.	तेलंगाना	01	1. तेलंगाना स्टेट बैकवर्ड क्लासेज को–ऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि.	1. तेलंगाना स्टेट बैकवर्ड क्लासेज को–ऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि.	जनरल लोन एग्रीमेंट हस्ता–क्षरित नहीं किया गया।
3.	असम	03	1. असम स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज 2. असम इलेक्ट्रोनिक्स् डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. 3. असम अपेक्स विवर्स एण्ड आर्टीजन को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि.	1. असम स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज 2. असम इलेक्ट्रोनिक्स् डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. 3. असम अपेक्स विवर्स एण्ड आर्टीजन को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि.	वार्षिक कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई वार्षिक कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई वार्षिक कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई
4	बिहार	01	1. बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	1. बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	गारंटी की अनुलब्धता/ऋण अदायगी में चूक
5.	चण्डीगढ़	01	1. चण्डीगढ़ एससी/बीसी एण्ड माइनॉरि–टिज फाइनेंसियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	1. चण्डीगढ़ एससी/बीसी एण्ड माइनॉरि–टिज फाइनेंसियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	मांग नहीं की गई
6.	गुजरात	04	1. गुजरात बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपारेशन 2. गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कॉरपा –रेशन लि0, 3. गुजरात ठाकोर एण्ड कोली विकास निगम 4. गुजरात नौमैडिक एण्ड डी–नोटिफाइड ट्राइब्स डेवलपमैंट कॉरपोरेशन	1. गुजरात बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपारेशन	ऋण अदायगी में चूक
7.	झारखण्ड	01	1. झारखण्ड एस.टी. को–ऑपरेटिव डेवलपमैंट कॉरपोरेशन लि0,	1. झारखण्ड एस.टी. को–ऑपरेटिव डेवलपमैंट कॉरपोरेशन लि0,	मांग नहीं की गई
8.	मध्य प्रदेश	02	1. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम 2. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हस्त करघा विकास निगम	1. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम 2. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथ करघा विकास निगम	वार्षिक कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई, ऋण अदायगी में चूक वार्षिक कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई

ANNEXURE - 3.1

STATUS OF STATE CHANNELISING AGENCIES (SCAS) WHICH DID NOT DRAW FUNDS DURING 2016-2017

Sl. No.	Name of States	No. of SCAs	Name of SCAs Nominated	Name of SCAs which did not draw funds during 2016-17	Reasons
1.	Andhra Pradesh	01	1. A.P. Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd.	1. A.P. Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd.	General Loan Agreement not signed
2.	Telangana	01	1. Telangana State Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd.	1. Telangana State Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd.	General Loan Agreement not signed
3.	Assam	03	1. Assam State Dev. Corporation for Other Backward Classes 2. Assam Electronics Dev. Corporation Ltd. 3. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd.	1. Assam State Dev. Corporation for Other Backward Classes 2. Assam Electronics Dev. Corporation Ltd. 3. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd.	(AAP) not received. (AAP) not received. (AAP) not received.
4	Bihar	01	1. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation	1. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation	Non availability of Govt. Guarantee. Default in loan repayment.
5.	Chandigarh	01	1. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial & Development Corpn.	1. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial & Development Corpn.	No Demand.
6.	Gujarat	04	1. Gujarat Backward Classes Dev. Corporation. 2. Gujarat Gopalak Dev. Corporation Ltd. 3. Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam 4. Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Dev. Corporation.	1. Gujarat Backward Classes Dev. Corporation.	Default in loan repayment.
7.	Jharkhand	01	1. Jharkhand ST Co-operative Development Corporation Ltd.	1. Jharkhand ST Co-operative Development Corporation Ltd.	No demand.
8.	Madhya Pradesh	02	1. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam 2. Madhya Pradesh Hastshilp Evam Hatha Kargha Vikas Nigam	1. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam 2. Madhya Pradesh Hastshilp Evam Hatha Kargha Vikas Nigam	(AAP) not received Default in repayment of loan (AAP) not received

क्र सं.	राज्य का नाम	एस.सी.ए. की संख्या	नामित रा.चै.ए. का नाम	उस रा.चै.ए. का नाम, जिसने वर्ष 2016-17 के दौरान धनराशि का आहरण नहीं किया	कारण
9.	महाराष्ट्र	02	1. महाराष्ट्र राज्य इतरमागस वर्ग वित्त एनि विकास महामण्डल लि. 2. वसन्तराव नाइक विमुक्ति जातिस एण्ड नोमेडिक ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.	1. महाराष्ट्र राज्य इतरमागस वर्ग वित्त एनि विकास महामण्डल लि. 2. वसन्तराव नाइक विमुक्ति जातिस एण्ड नोमेडिक ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.	ऋण अदायगी में चूक ऋण अदायगी में चूक
10.	ओडीसा	01	1. ओड़ीसा बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को–ऑपरेटिव कॉरपोरेशन लि	1. ओड़ीसा बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को–ऑपरेटिव कॉरपोरेशन लि	मांग प्राप्त नहीं हुई
11.	राजस्थान	01	1. राजस्थान अदर बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को–ऑपरेटिव कॉरपोरेशन लि0	1. राजस्थान अदर बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को–ऑपरेटिव कॉरपोरेशन लि0	वार्षिक कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई
12	उत्तराखण्ड	01	1. उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम	1. उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम	वार्षिक कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई
13.	उत्तर प्रदेश	02	1. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास नगम लि0 2. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0	1. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास नगम लि0 2. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0	ऋण अदायगी में चूक
14.	मणिपुर	02	1. मणिपुर माइनॉरीटीज एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज इकोनोमिक डेवलपमेंट सोसाइटी 2. मणिपुर स्टेट वीमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	1. मणिपुर माइनॉरीटीज एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज इकोनोमिक डेवलपमेंट सोसाइटी 2. मणिपुर स्टेट वीमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	वार्षिक कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई शासकीय गारंटी की अनुपलब्धता
15.	सिक्किम	01	1. सिक्किम अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0	1. सिक्किम अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0	शासकीय गारंटी की अनुपलब्धता

Sl. No.	Name of States	No. of SCAs	Name of SCAs Nominated	Name of SCAs which did not draw funds during 2016-17	Reasons
9.	Maharashtra	02	1. Maharashtra Rajya Itar Magasvargia Vitta Ani Vikas Mahamandal Limited. 2. Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Dev. Corporation Limited	1. Maharashtra Rajya Itar Magasvargia Vitta Ani Vikas Mahamandal Limited. 2. Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Dev. Corporation Limited	Default in repayment of loan Default in repayment of loan
10.	Odisha	01	1. The Odisha Backward Classes Finance and Development Co-operative Corporation Ltd.	1. The Odisha Backward Classes Finance and Development Co-operative Corporation Ltd,	No demand received
11.	Rajasthan	01	1. Rajasthan OBC Finance & Development Cooperative Corporation Ltd.,	1. Rajasthan OBC Finance & Development Cooperative Corporation Ltd.,	(AAP) not received
12.	Uttarakhand	01	1. Uttarakhand Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam,	1. Uttarakhand Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam,	(AAP) not received
13.	Uttar Pradesh	02	1. Uttar Pradesh Pichhara Varg Vitta Evam Vikas Nigam Limited, 2. U.P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	1. Uttar Pradesh Pichhara Varg Vitta Evam Vikas Nigam Limited, 2. U.P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	Default in repayment of loan
14.	Manipur	02	1. Manipur Minorities & Other Backward Classes Economic Development Society 2. Manipur State Women's Development Corporation	1. Manipur Minorities & Other Backward Classes Economic Development Society 2. Manipur State Women's Development Corporation	(AAP) not received Non-availability of Govt. Guarantee
15.	Sikkim	01	1. Sikkim SC/ST & OBCs Dev. Corporation Ltd.	1. Sikkim SC/ST & OBCs Dev. Corporation Ltd.	Non-availability of Block Govt. Guarantee.

अनुलग्नक – 3.2

वर्ष 2016-17 की अवधि में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी वार/राज्य वार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्रप्त लाभार्थी

वित्तीयः रू./लाख
भौतिकः लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सामान्य ऋण योजना		लघु वित्त योजना		महिला समृद्धि योजना		योग	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
I.		राज्य								
1		असम								
	1.1	असम (नेडफी)	0.00	0	0.00	0	400.00	3000	400.00	3000
		उप योग (1.1)	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**400.00**	**3000**	**400.00**	**3000**
2		बिहार								
	2.1	मध्य बिहार ग्रामीण बैक	1078.81	1723	0.00	0	0.00	0	1078.81	1723
		उप–योग (2.1)	**1078.81**	**1723**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1078.81**	**1723**
3		छत्तीसगढ़ (एससी/एसटी)	100.00	200	0.00	0	0.00	0	100.00	200
4		गोवा (एससी/एसटी/बीसी)	50.00	47	0.00	0	0.00	0	50.00	47
5		गुजरात								
	5.1	गुजरात (गोपालक)	25.00	35	0.00	0	0.00	0	25.00	35
	5.2	गुजरात (ठाकोर)	380.00	630	50.00	300	70.00	430	500.00	1360
	5.3	गुजरात (नोमेडिक)	143.00	406	33.00	220	9.00	60	185.00	686
	5.4	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	500.00	325	0.00	0	0.00	0	500.00	325
		उप योग (5.1 से 5.4)	**1048.00**	**1396**	**83.00**	**520**	**79.00**	**490**	**1210.00**	**2406**
6		हरियाणा (बीसी)	750.00	1975	25.00	250	50.00	250	825.00	2475
7		हिचाचल प्रदेश (बीसी)	415.79	573	5.00	50	5.00	50	425.79	673
8		जम्मू एण्ड कश्मीर								
	8.1	जम्मू एण्ड कश्मीर (एससी)	70.00	120	10.00	60	20.00	120	100.00	300
	8.2	जम्मू एण्ड कश्मीर (वीमेन)	120.00	200	40.00	400	40.00	400	200.00	1000
		उप योग (8.1 से 8.2)	**190.00**	**320**	**50.00**	**460**	**60.00**	**520**	**300.00**	**1300**
9		झारखण्ड ग्रामीण बैंक	97.50	125	0.00	0	2.50	5	100.00	130
10		कर्नाटक								
	10.1	कर्नाटक (बीसी)	939.00	1768	536.00	4500	1525.00	10928	3000.00	17196
	10.2	कर्नाटक (विश्वकर्मा)	325.75	610	31.50	140	142.75	520	500.00	1270
		उप योग (10.1 से 10.2)	**1264.75**	**2378**	**567.50**	**4640**	**1667.75**	**11448**	**3500.00**	**18466**
11		केरल								
	11.1	केरल (आर्टीजन)	45.00	105	5.00	50	0.00	0	50.00	155
	11.2	केरल (बीसी)	4319.00	6545	1433.00	7920	1748.00	10225	7500.00	24690
	11.3	केरल (फिशरीज)	400.00	450	1300.00	10000	800.00	8000	2500.00	18450
	11.4	केरल (हैण्डीक्राफ्ट)	88.00	210	12.00	120	0.00	0	100.00	330
	11.5	केरल (वीमेन)	400.00	720	0.00	0	100.00	1000	500.00	1720
		उप योग (11.1 से 11.5)	**5252.00**	**8030**	**2750.00**	**18090**	**2648.00**	**19225**	**10650.00**	**45345**
12		मध्य प्रदेश								
	12.1	मध्याचंल ग्रामीण बैंक	100.00	120	0.00	0	0.00	0	100.00	120
	12.2	नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक	200.00	325	25.00	58	28.18	59	253.18	442
		उप योग (12.1 से 12.2)	**300.00**	**445**	**25.00**	**58**	**28.18**	**59**	**353.18**	**562**

ANNEXURE - 3.2

SCA/STATEWISE & SCHEME WISE LOAN DISBURSEMENT AND BENEFICIARIES ASSISTED DURING THE YEAR 2016-17

Financial : Rs. in Lac
Physical : No. of Beneficiaries

Sl. No.		NAME OF SCAs/ STATES/UTs	GENERAL LOAN SCHEMES		MICRO FINANCE SCHEMES		MAHILA SAMRIDHI YOJANA		TOTAL	
			FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL
I.		**STATES**								
1		**Assam**								
	1.1	Assam (NEDFi)	0.00	0	0.00	0	400.00	3000	400.00	3000
		Sub Total (1.1)	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**400.00**	**3000**	**400.00**	**3000**
2		Bihar								
	2.1	Madhya Bihar Gramin Bank	1078.81	1723	0.00	0	0.00	0	1078.81	1723
		Sub Total (2.1)	**1078.81**	**1723**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1078.81**	**1723**
3		Chhattishgarh (SC/ST)	100.00	200	0.00	0	0.00	0	100.00	200
4		Goa (SC/ST/BC)	50.00	47	0.00	0	0.00	0	50.00	47
5		**Gujarat**								
	5.1	Guajrat (Gopalak)	25.00	35	0.00	0	0.00	0	25.00	35
	5.2	Guajrat (Thakor)	380.00	630	50.00	300	70.00	430	500.00	1360
	5.3	Guajrat (Nomadic)	143.00	406	33.00	220	9.00	60	185.00	686
	5.4	Dena Gujarat Gramin Bank	500.00	325	0.00	0	0.00	0	500.00	325
		Sub Total (5.1 to 5.4)	**1048.00**	**1396**	**83.00**	**520**	**79.00**	**490**	**1210.00**	**2406**
6		Haryana (BC)	750.00	1975	25.00	250	50.00	250	825.00	2475
7		Himachal Pradesh (BC)	415.79	573	5.00	50	5.00	50	425.79	673
8		**Jammu & Kashmir**								
	8.1	Jammu & Kashmir (SC)	70.00	120	10.00	60	20.00	120	100.00	300
	8.2	Jammu & Kashmir (Women)	120.00	200	40.00	400	40.00	400	200.00	1000
		Sub Total (8.1 to 8.2)	**190.00**	**320**	**50.00**	**460**	**60.00**	**520**	**300.00**	**1300**
9		Jharkhand Gramin Bank	97.50	125	0.00	0	2.50	5	100.00	130
10		**Karnataka**								
	10.1	Karnataka (BC)	939.00	1768	536.00	4500	1525.00	10928	3000.00	17196
	10.2	Karnataka (Vishwakarma)	325.75	610	31.50	140	142.75	520	500.00	1270
		Sub Total (10.1 to 10.2)	**1264.75**	**2378**	**567.50**	**4640**	**1667.75**	**11448**	**3500.00**	**18466**
11		**Kerala**								
	11.1	Kerala (Artisan)	45.00	105	5.00	50	0.00	0	50.00	155
	11.2	Kerala (BC)	4319.00	6545	1433.00	7920	1748.00	10225	7500.00	24690
	11.3	Kerala (Fisheries)	400.00	450	1300.00	10000	800.00	8000	2500.00	18450
	11.4	Kerala (Handicraft)	88.00	210	12.00	120	0.00	0	100.00	330
	11.5	Kerala (Women)	400.00	720	0.00	0	100.00	1000	500.00	1720
		Sub Total (11.1 to 11.5)	**5252.00**	**8030**	**2750.00**	**18090**	**2648.00**	**19225**	**10650.00**	**45345**
12		**Madhya Pradesh**								
	12.1	Madhyanchal Gramin Bank	100.00	120	0.00	0	0.00	0	100.00	120
	12.2	Narmada Jhabua Gramin Bank	200.00	325	25.00	58	28.18	59	253.18	442
		Sub Total (12.1 to 12.2)	**300.00**	**445**	**25.00**	**58**	**28.18**	**59**	**353.18**	**562**

क्र. सं.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सामान्य ऋण योजना		लघु वित्त योजना		महिला समृद्धि योजना		योग	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक		
13		**मणिपुर**								
	13.1	मणिपुर (नेडफी)	0.00	0	0.00	0	400.00	3000	400.00	3000
		उप योग (13.1)	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**400.00**	**3000**	**400.00**	**3000**
14		**पंजाब**								
	14.1	पंजाब (बीसी)	235.00	465	35.00	350	30.00	300	300.00	1115
	14.2	पंजाब ग्रामीण बैंक	190.00	380	180.00	6000	630.00	1440	1000.00	7820
		उप योग (14.1 से 14.2)	**425.00**	**845**	**215.00**	**6350**	**660.00**	**1740**	**1300.00**	**8935**
15		तमिलनाडु (बीसी)	787.00	1820	372.00	1550	8841.00	57703	10000.00	61073
16		त्रिपुरा (ओबीसी)	2217.00	4740	122.00	1100	161.00	1550	2500.00	7390
17		**उत्तर प्रदेश**								
	17.1	यू.पी. सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	125.00	250	0.00	0	200.00	1317	325.00	1567
	17.2	सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक	530.00	1025	0.00	0	0.00	0	530.00	1025
	17.3	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	100.00	148	100.00	389	300.00	1106	500.00	1643
		उप योग (17.1 से 17.3)	**755.00**	**1423**	**100.00**	**389**	**500.00**	**2423**	**1355.00**	**4235**
18		पश्चिम बंगाल								
	18.1	पश्चिम बंगाल (बीसी)	125.00	177	100.00	700	75.00	525	300.00	1402
	18.2	पश्चिम बंगाल (माइनॉरिटीज)	150.00	290	50.00	300	0.00	0	200.00	590
		उप योग (18.1 से 18.2)	**275.00**	**467**	**150.00**	**1000**	**75.00**	**525**	**500.00**	**1992**
19		विजया बैंक	3141.30	5023	0.00	0	30.00	60	3171.30	5083
		कुल राज्य (1 - 19)	**18147.15**	**31530**	**4464.50**	**34457**	**15607.43**	**102048**	**38219.08**	**168035**
II.		**संघ राज्य क्षेत्र**								
20		दिल्ली (एससी/एसटी/ओबीसी)	17.00	20	0.00	0	0.00	0	17.00	20
21		पुड्डूचेरी (बीसी)	300.00	500	100.00	1000	100.00	1000	500.00	2500
		कुल – संघ राज्य क्षेत्र (20-21)	**317.00**	**520**	**100.00**	**1000**	**100.00**	**1000**	**517.00**	**2520**
III.		**कुल योग (I + II)**	**18464.15**	**32050**	**4564.50**	**35457**	**15707.43**	**103048**	**38736.08**	**170555**

		NAME OF SCAs/ STATES/UTs	GENERAL LOAN SCHEMES		MICRO FINANCE SCHEMES		MAHILA SAMRIDHI YOJANA		TOTAL	
			FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL
13		**Manipur**								
	13.1	Manipur (NEDFI)	0.00	0	0.00	0	400.00	3000	400.00	3000
		Sub Total (13.1)	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**400.00**	**3000**	**400.00**	**3000**
14		**Punjab**								
	14.1	Punjab (BC)	235.00	465	35.00	350	30.00	300	300.00	1115
	14.2	Punjab Gramin Bank	190.00	380	180.00	6000	630.00	1440	1000.00	7820
		Sub Total (14.1 to 14.2)	**425.00**	**845**	**215.00**	**6350**	**660.00**	**1740**	**1300.00**	**8935**
15		Tamilnadu (BC)	787.00	1820	372.00	1550	8841.00	57703	10000.00	61073
16		Tripura (OBC)	2217.00	4740	122.00	1100	161.00	1550	2500.00	7390
17		**Uttar Pradesh**								
	17.1	U.P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	125.00	250	0.00	0	200.00	1317	325.00	1567
	17.2	Sarva U.P. Gramin Bank	530.00	1025	0.00	0	0.00	0	530.00	1025
	17.3	Purvanchal Gramin Bank	100.00	148	100.00	389	300.00	1106	500.00	1643
		Sub Total (17.1 to 17.3)	**755.00**	**1423**	**100.00**	**389**	**500.00**	**2423**	**1355.00**	**4235**
18		**West Bengal**								
	18.1	West Bengal (BC)	125.00	177	100.00	700	75.00	525	300.00	1402
	18.2	West Bengal (Minorities)	150.00	290	50.00	300	0.00	0	200.00	590
		Sub Total (18.1 to 18.2)	**275.00**	**467**	**150.00**	**1000**	**75.00**	**525**	**500.00**	**1992**
19		Vijaya Bank	3141.30	5023	0.00	0	30.00	60	3171.30	5083
		TOTAL - STATES (1 - 19)	**18147.15**	**31530**	**4464.50**	**34457**	**15607.43**	**102048**	**38219.08**	**168035**
II.		**UT's**								
20		Delhi (SC/ST/OBC)	17.00	20	0.00	0	0.00	0	17.00	20
21		Puducherry (BC)	300.00	500	100.00	1000	100.00	1000	500.00	2500
		TOTAL - UTs (20-21)	**317.00**	**520**	**100.00**	**1000**	**100.00**	**1000**	**517.00**	**2520**
III.		**GRAND TOTAL (I + II)**	**18464.15**	**32050**	**4564.50**	**35457**	**15707.43**	**103048**	**38736.08**	**170555**

अनुलग्नक – 3.3

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्यवार/योजनावार एवं क्षेत्रवार वितरण एवं लाभार्थियों की संख्या

(31-03-2017 की स्थिति के अनुसार) (लाख रु. में)

राज्यवार	क. सावधि ऋण																उप–योग	
	कृषि व सम्बद्ध सहायक क्षेत्र		लघु व्यापार		सेवा/परिवहन क्षेत्र		शैक्षिक ऋण				नई स्वर्णिमा		शिल्प संपदा		सक्षम		सावधि ऋण	
	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	भारत में		विदेश में		राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
							राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी								
असम (नेडफी के माध्यम से)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
बिहार	191.10	325	383.07	881	504.64	517											1078.81	1723
चण्डीगढ़	0.00	0			0.00	0	0.00	0									0.00	0
छत्तीसगढ़	100.00	200													100.00	200		
दिल्ली	17.00	20													17.00	20		
गोवा			8.00	16	32.00	16	5.00	10	5.00	5							50.00	47
गुजरात	220.00	285	258.00	330	300.00	450	150.00	165			58.00	116	31.00	35	31.00	15	1048.00	1396
हरियाणा	100.00	250	224.00	765	150.00	323	50.00	105			150.00	356	51.00	101	25.00	75	750.00	1975
हिमाचल प्रदेश	42.51	77	180.16	226	94.10	125	61.94	90	10.00	10	23.08	41	2.00	2	2.00	2	415.79	573
जम्मू एण्ड कश्मीर	35.00	65	35.00	55	30.00	35	35.00	40			50.00	120			5.00	5	190.00	320
झारखण्ड	25.00	50	65.00	60					2.50	5	5.00	10			97.50	125		
कर्नाटक	875.71	1548	1205.96	1782	712.00	635	393.18	468	460.68	337	270.70	542	227.75	364	211.75	165	4357.73	5841
केरल	1325.00	2085	1478.00	2350	812.00	1150	825.00	1205	385.00	310	365.00	800	41.00	100	21.00	30	5252.00	8030
मध्य प्रदेश			100.00	190	75.00	50	50.00	70			50.00	100	25.00	35			300.00	445
महाराष्ट्र																	0.00	0
मणिपुर (नेडफी के माध्यम से)																		0
पुड्डूचेरी	50.00	50	25.00	50	25.00	50	100.00	200			50.00	100			50.00	50	300.00	500
पंजाब	50.00	100	50.00	100	50.00	100	30.00	80	10.00	10	215.00	430	10.00	15	10.00	10	425.00	845
राजस्थान											0.00	0						
सिक्किम																	0.00	0
तमिलनाडु	253.50	853	135.50	368	90.00	76					266.00	479	21.00	22	21.00	22	787.00	1820
त्रिपुरा	387.00	850	950.00	2500	180.00	150	250.00	400			100.00	300	200.00	390	150.00	150	2217.00	4740
उत्तर प्रदेश	140.00	325	100.00	200	100.00	200					415.00	698					755.00	1423
उत्तराखण्ड																	0.00	0
पश्चिम बंगाल	70.00	160	37.38	75	61.62	65	55.00	80	5.00	5	16.00	32	20.00	40	10.00	10	275.00	467
कुल योग:	**3739.82**	**6973**	**5312.07**	**10158**	**3281.36**	**4002**	**2005.12**	**2913**	**875.68**	**677**	**2031.28**	**4119**	**633.75**	**1114**	**536.75**	**534**	**18415.83**	**30490**

ANNEXURE - 3.3

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

STATEWISE/SCHEMEWISE & SECTORWISE DISBURSEMENT AND NO. OF BENEFICIARIES ASSISTED DURING 2016-2017.

(As on 31.03.2017) (₹ in Lakhs)

State Wise	A. TERM LOAN																Sub-Total	
	Agriculture & Allied		Small Business		Service / Trans-port Sector		Education Loan				New Swarnima		Shilp Sampadha		Saksham		Term Loan	
	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	In India		Abroad		Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.
							Amount	Benef.	Amount	Benef.								
Assam (Through NEDFi)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Bihar	191.10	325	383.07	881	504.64	517											1078.81	1723
Chandigarh	0.00	0			0.00	0	0.00	0									0.00	0
Chattisgarh			100.00	200													100.00	200
Delhi			17.00	20													17.00	20
Goa			8.00	16	32.00	16	5.00	10	5.00	5							50.00	47
Gujarat	220.00	285	258.00	330	300.00	450	150.00	165			58.00	116	31.00	35	31.00	15	1048.00	1396
Haryana	100.00	250	224.00	765	150.00	323	50.00	105			150.00	356	51.00	101	25.00	75	750.00	1975
Himachal Pradesh	42.51	77	180.16	226	94.10	125	61.94	90	10.00	10	23.08	41	2.00	2	2.00	2	415.79	573
Jammu & Kashmir	35.00	65	35.00	55	30.00	35	35.00	40			50.00	120			5.00	5	190.00	320
Jharkhand			25.00	50	65.00	60					2.50	5	5.00	10			97.50	125
Karnataka	875.71	1548	1205.96	1782	712.00	635	393.18	468	460.68	337	270.70	542	227.75	364	211.75	165	4357.73	5841
Kerala	1325.00	2085	1478.00	2350	812.00	1150	825.00	1205	385.00	310	365.00	800	41.00	100	21.00	30	5252.00	8030
Madhya Pradesh			100.00	190	75.00	50	50.00	70			50.00	100	25.00	35			300.00	445
Maharashtra																	0.00	0
Manipur (Through NEDFi)																		0
Puducherry	50.00	50	25.00	50	25.00	50	100.00	200			50.00	100			50.00	50	300.00	500
Punjab	50.00	100	50.00	100	50.00	100	30.00	80	10.00	10	215.00	430	10.00	15	10.00	10	425.00	845
Rajasthan																	0.00	0
Sikkim																	0.00	0
Tamil Nadu	253.50	853	135.50	368	90.00	76					266.00	479	21.00	22	21.00	22	787.00	1820
Tripura	387.00	850	950.00	2500	180.00	150	250.00	400			100.00	300	200.00	390	150.00	150	2217.00	4740
Uttar Pradesh	140.00	325	100.00	200	100.00	200					415.00	698					755.00	1423
Uttarakhand																	0.00	0
West Bengal	70.00	160	37.38	75	61.62	65	55.00	80	5.00	5	16.00	32	20.00	40	10.00	10	275.00	467
Grand Total:	**3739.82**	**6973**	**5312.07**	**10158**	**3281.36**	**4002**	**2005.12**	**2913**	**875.68**	**677**	**2031.28**	**4119**	**633.75**	**1114**	**536.75**	**534**	**18415.83**	**30490**

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्यवार/योजनावार एवं क्षेत्रवार वितरण एवं लाभार्थियों की संख्या

(31.03.2017 की स्थिति के अनुसार) (रु. लाख में)

	ख. लघु वित्त								(सावधि ऋण+ लघु वित्त योजना)	
राज्यवार	लघु वित्त		महिला समृद्धि		कृषि संपदा		उप योग		कुल योग (क+ख)	
	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
असम (नेडफी के माध्यम से)	0.00	0	400.00	3000	0.00	0	400.00	3000	**400.00**	**3000**
बिहार							0.00	0	**1078.81**	**1723**
चण्डीगढ़							0.00	0	**0.00**	**0**
छत्तीसगढ़							0.00	0	**100.00**	**200**
दिल्ली							0.00	0	**17.00**	**20**
गोवा							0.00	0	**50.00**	**47**
गुजरात	83.00	520	59.00	360	20.00	130	162.00	1010	**1210.00**	**2406**
हरियाणा	25.00	250	25.00	125	25.00	125	75.00	500	**825.00**	**2475**
हिमाचल प्रदेश	5.00	50	5.00	50			10.00	100	**425.79**	**673**
जम्मू एण्ड कश्मीर	50.00	460	60.00	520			110.00	980	**300.00**	**1300**
झारखण्ड					2.50	5	2.50	5	**100.00**	**130**
कर्नाटक	636.00	5500	1634.00	11858	43.57	350	2313.57	17708	**6671.30**	**23549**
केरल	2750.00	18090	2622.00	19075	26.00	150	5398.00	37315	**10650.00**	**45345**
मध्य प्रदेश	25.00	58	28.18	59			53.18	117	**353.18**	**562**
महाराष्ट्र							0.00	0	**0.00**	**0**
मणिपुर (नेडफी के माध्यम से)			400.00	3000			400.00	3000	**400.00**	**3000**
पुड्डूचेरी	100.00	1000	100.00	1000			200.00	2000	**500.00**	**2500**
पंजाब	215.00	6350	330.00	940	330.00	800	875.00	8090	**1300.00**	**8935**
राजस्थान							0.00	0	**0.00**	**0**
सिक्किम							0.00	0	**0.00**	**0**
तमिलनाडु	372.00	1550	8815.00	57632	26.00	71	9213.00	59253	**10000.00**	**61073**
त्रिपुरा	122.00	1100	111.00	1050	50.00	500	283.00	2650	**2500.00**	**7390**
उत्तर प्रदेश	100.00	389	300.00	1404	200.00	1019	600.00	2812	**1355.00**	**4235**
उत्तराखण्ड							0.00	0	**0.00**	**0**
पश्चिम बंगाल	150.00	1000	75.00	525	0.00	0	225.00	1525	**500.00**	**1992**
कुल योग:	**4633.00**	**36317**	**14964.18**	**100598**	**723.07**	**3150**	**20320.25**	**140065**	**38736.08**	**170555**

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
STATEWISE/SCHEMEWISE DISBURSEMENT AND NO. OF BENEFICIARIES ASSISTED DURING 2016-2017.

(As on 31.03.2017) (₹ in Lakhs)

State Wise	B. Micro Finance								(TL+MFS)	
	Micro Finance		Mahila Samridhi		Krishi Sampada		Sub Total		Grand Total (A+B)	
	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.
Assam (Through NEDFi)	0.00	0	400.00	3000	0.00	0	400.00	3000	**400.00**	**3000**
Bihar							0.00	0	**1078.81**	**1723**
Chandigarh							0.00	0	**0.00**	**0**
Chattisgarh							0.00	0	**100.00**	**200**
Delhi							0.00	0	**17.00**	**20**
Goa							0.00	0	**50.00**	**47**
Gujarat	83.00	520	59.00	360	20.00	130	162.00	1010	**1210.00**	**2406**
Haryana	25.00	250	25.00	125	25.00	125	75.00	500	**825.00**	**2475**
Himachal Pradesh	5.00	50	5.00	50			10.00	100	**425.79**	**673**
Jammu & Kashmir	50.00	460	60.00	520			110.00	980	**300.00**	**1300**
Jharkhand					2.50	5	2.50	5	**100.00**	**130**
Karnataka	636.00	5500	1634.00	11858	43.57	350	2313.57	17708	**6671.30**	**23549**
Kerala	2750.00	18090	2622.00	19075	26.00	150	5398.00	37315	**10650.00**	**45345**
Madhya Pradesh	25.00	58	28.18	59			53.18	117	**353.18**	**562**
Maharashtra							0.00	0	**0.00**	**0**
Manipur (Through NEDFi)			400.00	3000			400.00	3000	**400.00**	**3000**
Puducherry	100.00	1000	100.00	1000			200.00	2000	**500.00**	**2500**
Punjab	215.00	6350	330.00	940	330.00	800	875.00	8090	**1300.00**	**8935**
Rajasthan							0.00	0	**0.00**	**0**
Sikkim							0.00	0	**0.00**	**0**
Tamil Nadu	372.00	1550	8815.00	57632	26.00	71	9213.00	59253	**10000.00**	**61073**
Tripura	122.00	1100	111.00	1050	50.00	500	283.00	2650	**2500.00**	**7390**
Uttar Pradesh	100.00	389	300.00	1404	200.00	1019	600.00	2812	**1355.00**	**4235**
Uttarakhand							0.00	0	**0.00**	**0**
West Bengal	150.00	1000	75.00	525	0.00	0	225.00	1525	**500.00**	**1992**
Grand Total:	**4633.00**	**36317**	**14964.18**	**100598**	**723.07**	**3150**	**20320.25**	**140065**	**38736.08**	**170555**

अनुलग्नक – 3.4

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

नई स्वर्णिमा और महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान वितरित राशि और सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करने वाला वितरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	नई स्वर्णिमा		महिला समृद्धि	
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की सख्या
1	असम (नेडफी के माध्यम से)	0.00	0	400.00	3000
2	चण्डीगढ़	0.00	0	0.00	0
3	छत्तीसगढ़	0.00	0	0.00	0
4	गुजरात	58.00	116	59.00	360
5	हरियाणा	150.00	356	25.00	125
6	हिमाचल प्रदेश	23.08	41	5.00	50
7	जम्मू एण्ड कश्मीर	50.00	120	60.00	520
8	झारखण्ड	2.50	5	0.00	0
9	कर्नाटक	270.70	542	1634.00	11858
10	केरल	365.00	800	2622.00	19075
11	मध्य प्रदेश	50.00	100	28.18	59
12	मणिपुर (नेडफी के माध्यम से)	0.00	0	400.00	3000
13	पुड्डूचेरी	50.00	100	100.00	1000
14	पंजाब	215.00	430	330.00	940
15	तमिलनाडु	266.00	479	8815.00	57632
16	त्रिपुरा	100.00	300	111.00	1050
18	उत्तर प्रदेश	415.00	698	300.00	1404
19	पश्चिम बंगाल	16.00	32	75.00	525
	कुलः	**2031.28**	**4119**	**14964.18**	**100598**

ANNEXURE - 3.4

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

Statement showing Amount Disbursed and No. of Beneficiaries assisted during 2016-17 under New Swarnima and Mahila Samridhi Scheme

(₹ in Lakhs)

S.No.	Name of State	NEW SWARNIMA		MAHILA SAMRIDHI	
		Amount	No. of Benef.	Amount	No. of Benef.
1	Assam (Through NEDFi)	0.00	0	400.00	3000
2	Chandigarh	0.00	0	0.00	0
3	Chhattisgarh	0.00	0	0.00	0
4	Gujarat	58.00	116	59.00	360
5	Haryana	150.00	356	25.00	125
6	Himachal Pradesh	23.08	41	5.00	50
7	Jammu & Kashmir	50.00	120	60.00	520
8	Jharkhand	2.50	5	0.00	0
9	Karnataka	270.70	542	1634.00	11858
10	Kerala	365.00	800	2622.00	19075
11	Madhya Pradesh	50.00	100	28.18	59
12	Manipur (Through NEDFi)	0.00	0	400.00	3000
13	Puducherry	50.00	100	100.00	1000
14	Punjab	215.00	430	330.00	940
15	Tamil Nadu	266.00	479	8815.00	57632
16	Tripura	100.00	300	111.00	1050
18	Uttar Pradesh	415.00	698	300.00	1404
19	West Bengal	16.00	32	75.00	525
	Total:	**2031.28**	**4119**	**14964.18**	**100598**

अनुलग्नक – 3.5

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

31 मार्च, 2017 तक एस.सी.ए.वार / राज्यवार संकल बकाया एवं वसूली को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सकल बकाया	सकल वसूली	अतिदेय	वसूली का प्रतिशत
			(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
I.		राज्य				
1		आन्ध्र प्रदेश				
	1.1	आन्ध्र प्रदेश (बीसी)	19399.30	19128.89	270.41	99
	1.2	आन्ध्र प्रदेश (टोडी टैपर्स)	1571.49	1571.49	0.00	100
	1.3	आन्ध्र प्रदेश (अन्य)	21.29	21.29	0.00	100
		उप योग (1.1 से 1.3)	**20992.08**	**20721.67**	**270.41**	**99**
2		असम				
	2.1	असम (बीसी)	840.96	274.34	566.62	33
	2.2	असम (इलेक्ट्रानिक्स)	367.08	367.08	0.00	100
	2.3	असम (अन्य)	723.39	723.39	0.00	100
		उप योग (2.1 से 2.3)	**1931.43**	**1364.81**	**566.62**	**71**
3		बिहार				
	3.1	बिहार (बीसी)	5057.33	2254.36	2802.97	45
	3.2	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	43.23	42.28	0.95	98
		उप योग (3.1 से 3.2)	**5100.56**	**2296.64**	**2803.92**	**45**
4		छत्तीसगढ़ (एससी/एसटी)	1014.42	916.64	97.78	90
5		गोवा (एससी/एसटी/बीसी)	1441.30	1421.35	19.95	99
6		गुजरात				
	6.1	गुजरात (बीसी)	9186.94	7260.41	1926.53	79
	6.2	गुजरात (गोपालक)	1926.15	1926.03	0.12	100
	6.3	गुजरात (ठाकोर)	1922.88	1922.59	0.29	100
	6.4	गुजरात (नोमेडिक)	1.26	1.26	0.00	100
	6.5	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	3.21	3.21	0.00	100
	6.4	गुजरात (अन्य)	46.94	46.94	0.00	100
		उप योग (6.1 से 6.6)	**13087.38**	**11160.44**	**1926.94**	**85**
7		हरियाणा				
	7.1	हरियाणा (बीसी)	6417.61	6417.61	0.00	100
	7.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	33.94	33.94	0.00	100
		उप योग (7.1 से 7.2)	**6451.55**	**6451.55**	**0.00**	**100**
8		हिमाचल प्रदेश				
	8.1	हिमाचल प्रदेश (बीसी)	4280.49	4247.43	33.06	99
	8.2	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	55.67	55.67	0.00	100
		उप योग (8.1 से 8.2)	**4336.16**	**4303.10**	**33.06**	**99**
9		जम्मू एण्ड कश्मीर				
	9.1	जम्मू एण्ड कश्मीर (एससी)	222.37	192.04	30.33	86
	9.2	जम्मू एण्ड कश्मीर (वीमेन)	729.62	720.02	9.60	99
		उप योग (9.1 से 9.2)	**951.99**	**912.06**	**39.93**	**96**

ANNEXURE - 3.5

National Backward Classes Finance and Development Corporation

Statement showing SCA Wise/State Wise Cumulative Dues and Recoveries

Upto 31st March, 2017

(₹ in Lakhs)

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues	Cumulative Recoveries	Overdues	% age of Recoveries
			(1)	(2)	(3)	(4=2/1*100)
I.		**STATES**				
1		Andhra Pradesh				
	1.1	Andhra Pradesh (BC)	19399.30	19128.89	270.41	99
	1.2	Andhra Pradesh (Toddy Tapper)	1571.49	1571.49	0.00	100
	1.3	Andhra Pradesh (Others)	21.29	21.29	0.00	100
		Sub Total (1.1 to 1.3)	**20992.08**	**20721.67**	**270.41**	**99**
2		**Assam**				
	2.1	Assam (BC)	840.96	274.34	566.62	33
	2.2	Assam (Electronics)	367.08	367.08	0.00	100
	2.3	Assam (Others)	723.39	723.39	0.00	100
		Sub Total (2.1 to 2.3)	**1931.43**	**1364.81**	**566.62**	**71**
3		**Bihar**				
	3.1	Bihar (BC)	5057.33	2254.36	2802.97	45
	3.2	Madhya Bihar Gramin Bank	43.23	42.28	0.95	98
		Sub Total (3.1 to 3.2)	**5100.56**	**2296.64**	**2803.92**	**45**
4		Chhattishgarh (SC/ST)	1014.42	916.64	97.78	90
5		Goa (SC/ST/BC)	1441.30	1421.35	19.95	99
6		**Gujarat**				
	6.1	Gujarat (BC)	9186.94	7260.41	1926.53	79
	6.2	Guajrat (Gopalak)	1926.15	1926.03	0.12	100
	6.3	Guajrat (Thakor)	1922.88	1922.59	0.29	100
	6.4	Guajrat (Nomadic)	1.26	1.26	0.00	100
	6.5	Dena Gujarat Gramin Bank	3.21	3.21	0.00	100
	6.4	Gujarat (Others)	46.94	46.94	0.00	100
		Sub Total (6.1 to 6.4)	**13087.38**	**11160.44**	**1926.94**	**85**
7		**Haryana**				
	7.1	Haryana (BC)	6417.61	6417.61	0.00	100
	7.2	Sarva Haryana Gramin Bank	33.94	33.94	0.00	100
		Sub Total (7.1 to 7.2)	**6451.55**	**6451.55**	**0.00**	**100**
8		**Himachal Pradesh**				
	8.1	Himachal Pradesh (BC)	4280.49	4247.43	33.06	99
	8.2	Himachal Gramin Bank	55.67	55.67	0.00	100
		Sub Total (8.1 to 8.2)	**4336.16**	**4303.10**	**33.06**	**99**
9		**Jammu & Kashmir**				
	9.1	Jammu & Kashmir (SC)	222.37	192.04	30.33	86
	9.2	Jammu & Kashmir (Women)	729.62	720.02	9.60	99
		Sub Total (9.1 to 9.2)	**951.99**	**912.06**	**39.93**	**96**

क्र.सं.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सकल बकाया	सकल वसूली	अतिदेय	वसूली का प्रतिशत
			(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
10		**झारखण्ड**				
	10.1	झारखण्ड (ट्राइबल)	556.18	400.82	155.36	72
	10.2	वनांचल ग्रामीण बैंक	25.40	22.58	2.82	89
		उप योग (10.1 से 10.2)	581.58	423.40	158.18	73
11		**कर्नाटक**				
	11.1	कर्नाटक (बीसी)	27208.06	27208.06	0.00	100
	11.2	कर्नाटक (विश्वकर्मा)	27.01	17.11	9.90	63
		उप योग (11.1 से 11.2)	**27235.07**	**27225.17**	**9.90**	**100**
12		**केरल**				
	12.1	केरल (आर्टीजन)	448.32	448.32	0.00	100
	12.2	केरल (बीसी)	47735.07	47295.75	439.32	99
	12.3	केरल (क्रिश्चियन कनवर्टस)	1128.38	1128.27	0.11	100
	12.4	केरल (फिशरीज)	17272.61	17272.61	0.00	100
	12.5	केरल (हैण्डीक्राफ्ट)	323.17	323.16	0.01	100
	12.6	केरल (पोलीमर)	98.22	64.27	33.95	65
	12.7	केरल (वीमेन)	3840.19	3840.19	0.00	100
		उप योग (12.1 से 12.7)	**70845.96**	**70372.57**	**473.39**	**99**
13		**मध्य प्रदेश**				
	13.1	मध्य प्रदेश (एससी)	1536.13	1393.17	142.96	91
	13.2	मध्य प्रदेश (बीसी)	4606.15	4398.22	207.93	95
	13.3	मध्य प्रदेश (हस्तशिल्प)	623.75	623.75	0.00	100
	13.4	मध्याचंल ग्रामीण बैंक	0.46	0.46	0.00	100
		उप योग (13.1 से 13.4)	**6766.49**	**6415.60**	**350.89**	**95**
14		**महाराष्ट्र**				
	14.1	महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	2264.82	2202.49	62.33	97
	14.2	महाराष्ट्र (वी.जे.एन.टी.)	7027.30	6340.95	686.35	90
	14.3	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	3.97	3.97	0.00	100
	14.4	महाराष्ट्र (ओबीसी)	14480.01	11791.93	2688.08	81
	14.5	महाराष्ट्र (अन्य)	25.08	25.08	0.00	100
		उप योग (14-1 से 14.5)	**23801.18**	**20364.42**	**3436.76**	**86**
15		**मणिपुर**				
	15.1	मणिपुर (ट्राइबल)	684.54	684.54	0.00	100
	15.2	मणिपुर (वीमेन)	91.44	91.44	0.00	100
		उप योग (15.1 से 15.2)	**775.98**	**775.98**	**0.00**	**100**
16		नार्थ इस्टर्न डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	3781.48	3781.48	0.00	100
17		**ओडीसा**				
	17.1	ओड़ीसा (बीसी)	2025.17	719.10	1306.07	36
	17.2	ओड़ीसा (अन्य)	45.00	29.55	15.45	66
		उप योग (17.1 से 17.2)	**2070.17**	**748.65**	**1321.52**	**36**
18		**पंजाब**				
	18.1	पंजाब (बीसी)	3962.74	3236.31	726.43	726
	18.2	पंजाब (ग्रामीण बैंक)	10.56	10.56	0.00	100
		उप योग (18.1 से 18.2)	**3973.30**	**3246.87**	**726.43**	**82**

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues	Cumulative Recoveries	Overdues	% age of Recoveries
			(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
10		**Jharkhand**				
	10.1	Jharkhand (Tribal)	556.18	400.82	155.36	72
	10.2	Vananchal Gramin Bank	25.40	22.58	2.82	89
		Sub Total (10.1 to 10.2)	581.58	423.40	158.18	73
11		**Karnataka**				
	11.1	Karnataka (BC)	27208.06	27208.06	0.00	100
	11.2	Karnataka (Vishwakarma)	27.01	17.11	9.90	63
		Sub Total (11.1 to 11.2)	**27235.07**	**27225.17**	**9.90**	**100**
12		**Kerala**				
	12.1	Kerala (Artisan)	448.32	448.32	0.00	100
	12.2	Kerala (BC)	47735.07	47295.75	439.32	99
	12.3	Kerala (Christian Converts)	1128.38	1128.27	0.11	100
	12.4	Kerala (Fisheries)	17272.61	17272.61	0.00	100
	12.5	Kerala (Handicraft)	323.17	323.16	0.01	100
	12.6	Kerala (Palmarah)	98.22	64.27	33.95	65
	12.7	Kerala (Women)	3840.19	3840.19	0.00	100
		Sub Total (12.1 to 12.7)	**70845.96**	**70372.57**	**473.39**	**99**
13		**Madhya Pradesh**				
	13.1	Madhya Pradesh (SC)	1536.13	1393.17	142.96	91
	13.2	Madhya Pradesh (BC)	4606.15	4398.22	207.93	95
	13.3	Madhya Pradesh (Hastshilp)	623.75	623.75	0.00	100
	13.4	Madhyanchal Gramin Bank	0.46	0.46	0.00	100
		Sub Total (13.1 to 13.4)	**6766.49**	**6415.60**	**350.89**	**95**
14		**Maharashtra**				
	14.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	2264.82	2202.49	62.33	97
	14.2	Maharashtra (VJNT)	7027.30	6340.95	686.35	90
	14.3	Maharashtra (Annasahib)	3.97	3.97	0.00	100
	14.4	Maharashtra (OBC)	14480.01	11791.93	2688.08	81
	14.5	Maharashtra (Others)	25.08	25.08	0.00	100
		Sub Total (14.1 to 14.5)	**23801.18**	**20364.42**	**3436.76**	**86**
15		**Manipur**				
	15.1	Manipur (Tribal)	684.54	684.54	0.00	100
	15.2	Manipur (Women)	91.44	91.44	0.00	100
		Sub Total (15.1 to 15.2)	**775.98**	**775.98**	**0.00**	**100**
16		North Eastern Dev. Fin. Corpn.	3781.48	3781.48	0.00	100
17		**Orissa**				
	17.1	Orissa (BC)	2025.17	719.10	1306.07	36
	17.2	Orissa (Others)	45.00	29.55	15.45	66
		Sub Total (17.1 to 17.2)	**2070.17**	**748.65**	**1321.52**	**36**
18		**Punjab**				
	18.1	Punjab (BC)	3962.74	3236.31	726.43	726
	18.2	Punjab (Gramin Bank)	10.56	10.56	0.00	100
		Sub Total (18.1 to 18.2)	**3973.30**	**3246.87**	**726.43**	**82**

Sl. No.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सकल बकाया	सकल वसूली	अतिदेय	वसूली का प्रतिशत
			(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
19		**राजस्थान**				
	19.1	राजस्थान (एससी)	462.81	462.78	0.03	100
	19.2	राजस्थान (ओबीसी)	4074.90	2642.28	1432.62	65
		उप योग (19.1 से 19.2)	**4537.71**	**3105.06**	**1432.65**	**68**
20		सिक्किम (एसी/एसटी)	2751.65	2617.51	134.14	95
21		**तमिलनाडु**				
	21.1	तमिलनाडु (बीसी)	38875.41	38775.29	100.12	100
	21.2	तमिलनाडु (वीमेन)	52.68	52.68	0.00	100
	21.3	तमिलनाडु (अन्य)	10.64	4.33	6.31	41
		उप योग (21.1 से 21.3)	**38938.73**	**38832.30**	**106.43**	**100**
22		त्रिपुरा (ओबीसी)	3013.00	2685.79	327.21	89
23		**उत्तर प्रदेश**				
	23.1	उत्तर प्रदेश (बीसी)	11020.24	5013.25	6006.99	45
	23.2	यू.पी. सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	1436.58	1435.53	1.05	100
	23.3	सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक	9.15	9.15	0.00	100
	23.4	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	3.79	3.79	0.00	100
	23.5	उत्तर प्रदेश (अन्य)	10.33	0.50	9.83	6
		उप योग (23.1 से 23.5)	**12480.09**	**6462.22**	**6017.87**	**52**
24		उत्तराखण्ड (बहुउद्देशीय)	235.55	230.08	5.47	98
25		**पश्चिम बंगाल**				
	25.1	पश्चिम बंगाल (बीसी)	7061.93	6975.64	86.29	99
	25.2	पश्चिम बंगाल (माइनॉरिटीज)	671.08	662.63	8.45	99
	25.3	पश्चिम बंगाल (अन्य)	16.32	16.32	0.00	100
		उप योग (25.1 से 25.3)	**7749.33**	**7654.59**	**94.74**	**99**
26		विजया बैंक	8.55	8.55	0.00	100
		कुल राज्य (1 - 26)	**264852.69**	**244498.50**	**20354.19**	**92**
II.		**संघ राज्य क्षेत्र**				
27		चंडीगढ़ (एससी/बीसी)	87.58	87.93	-0.35	100
28		दिल्ली (एससी/एसटी/ओबीसी)	363.26	352.21	11.05	97
29		**पुड्डूचेरी**				
	29.1	पुड्डूचेरी (अदिद्रविदार)	177.65	177.65	0.00	100
	29.2	पुड्डूचेरी (बीसी)	1774.27	1583.04	191.23	89
		उप योग (29.1 से 29.2)	**1951.92**	**1760.69**	**191.23**	**90**
		कुल संघ राज्य क्षेत्र (27 - 29)	**2402.76**	**2200.83**	**201.93**	
III.		**कुल (I + II)**	**267255.45**	**246699.33**	**20556.12**	**92**

टिप्पणी : कॉलम 4 में वसूली के प्रतिशत को पूर्ण अंक में प्रदर्शित किया गया है।

Sl. No.		State Channellising Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues	Cumulative Recoveries	Overdues	% age of Recoveries
			(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
19		**Rajasthan**				
	19.1	Rajasthan (SC)	462.81	462.78	0.03	100
	19.2	Rajasthan (OBC)	4074.90	2642.28	1432.62	65
		Sub Total (19.1 to 19.2)	**4537.71**	**3105.06**	**1432.65**	**68**
20		Sikkim (SC/ST)	2751.65	2617.51	134.14	95
21		**Tamilnadu**				
	21.1	Tamilnadu (BC)	38875.41	38775.29	100.12	100
	21.2	Tamilnadu (Women)	52.68	52.68	0.00	100
	21.3	Tamilnadu (Others)	10.64	4.33	6.31	41
		Sub Total (21.1 to 21.3)	**38938.73**	**38832.30**	**106.43**	**100**
22		Tripura (OBC)	3013.00	2685.79	327.21	89
23		**Uttar Pradesh**				
	23.1	Uttar Pradesh (BC)	11020.24	5013.25	6006.99	45
	23.2	Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	1436.58	1435.53	1.05	100
	23.3	Sarva U.P Gramin Bank	9.15	9.15	0.00	100
	23.4	Purvanchal Gramin Bank	3.79	3.79	0.00	100
	23.5	Uttar Pradesh (Others)	10.33	0.50	9.83	6
		Sub Total (23.1 to 23.5)	**12480.09**	**6462.22**	**6017.87**	**52**
24		Uttarakhand (Bahuudeshiya)	235.55	230.08	5.47	98
25		**West Bengal**				
	25.1	West Bengal (BC)	7061.93	6975.64	86.29	99
	25.2	West Bengal (Minorities)	671.08	662.63	8.45	99
	25.3	West Bengal (Others)	16.32	16.32	0.00	100
		Sub Total (25.1 to 25.3)	**7749.33**	**7654.59**	**94.74**	**99**
26		Vijaya Bank	8.55	8.55	0.00	100
		TOTAL - STATES (1 - 26)	**264852.69**	**244498.50**	**20354.19**	**92**
II.		**UT's**				
27		Chandigarh (SC/BC)	87.58	87.93	-0.35	100
28		Delhi (SC/ST/OBC)	363.26	352.21	11.05	97
29		**Puducherry**				
	29.1	Puducherry (Adidravidar)	177.65	177.65	0.00	100
	29.2	Puducherry (BC)	1774.27	1583.04	191.23	89
		Sub Total (29.1 to 29.2)	**1951.92**	**1760.69**	**191.23**	**90**
		TOTAL - UTs (27 - 29)	**2402.76**	**2200.83**	**201.93**	
III.		**GRAND TOTAL (I + II)**	**267255.45**	**246699.33**	**20556.12**	**92**

Note: The Percentage of recoveries in Column 4 has been rounded off.

अनुलग्नक – 3.6

वर्ष 2016-17 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

आपके निदेशकों को 31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय वक्तव्य और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ–साथ आपके निगम के व्यवसाय और कार्यकलापों पर 25वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करने के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं।

1. निगम की सी.एस.आर. नीति के बारे में संक्षिप्त जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार जिसे कंपनी के नियमों (निगमित सामाजिक दायित्व), 2014 के साथ पढ़ा जाता है, निगम की 'निगमित सामाजिक दायित्व नीति' (सी.एस.आर. नीति) एवं लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अंतर्गत तैयार की गई। सी.एस.आर. नीति को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

निगम की 'सी.एस.आर. नीति' की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

पहुंच बनाना: एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अधिसूचित पिछड़े जिलों में और आस–पास अथवा ओबीसी समूहों के स्थानों पर बजट के महत्वपूर्ण भाग को खर्च करने का प्रयास करेगा, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. सामाजिक पूंजी बनाने के लिए कमजोर, कम–विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सी.एस.आर. कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगा।

निगमित सामाजिक दायित्व के तहत व्यापक कार्यकलाप: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत विनिर्धारित कार्यकलापों के अनुसार निगम सी.एस.आर. परियोजनाओं/कार्यक्रमों को संचालित करना सुनिश्चयन करेगा।

वित्तीय अवयव: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार निगम पूर्ववर्ती अनंतर तीन वित्तीय वर्षों के ''व्यय से अधिक आय का आधिक्य'' के औसत का कम से कम 2% निगमित सामाजिक दायित्व पर खर्च करेगा। अनुपभुक्त बजट समाप्त नहीं होगा और इसे अगले वित्तीय वर्ष में ले जाया जाएगा।

निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत संस्थागत स्थापना: संस्थागत स्थापना निम्नानुसार होगी:

निदेशक मण्डल की निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन तीन अथवा अधिक निदेशकों से किया जाएगा। सी.एस.आर. समिति की भूमिका और दायित्व अन्य सभी मामलों के साथ–साथ निदेशक मण्डल के लिए सी.एस.आर. नीति तैयार करना व संस्तुति करना और सी.एस.आर. नीतियों का कार्यान्वयन और निगरानी करना तथा कथित अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल सभी संबंधित कार्यकलाप आदि शामिल हैं।

जबकि, निदेशक मण्डल की सी.एस.आर. समिति समस्त कार्यकलापों पर नजर रखेगी, सी.एस.आर. प्रबंधन समिति एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनेगी एवं प्रतिनिधिमंडल के अनुसार सी.एस.आर. परियोजना प्रस्तावों की छटनी एवं उन्हें पुट–अप करने के लिए तैनात किया जाएगा। प्रबंधन समिति, निगम के सी.एस.आर. पहल की प्रगति और मार्गदर्शन की निगरानी करती है।

सी.एस.आर. कार्यकलापों को चलाने का तंत्र: कंपनी द्वारा इसकी सी.एस.आर. नीति के अनुसार कार्यकलापों को किया जाएगा। निगम अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुरूप विभिन्न संस्थानों के साथ उपयुक्त भागीदारी के माध्यम से अपने सी.एस.आर. कार्यकलापों को करने का निर्णय ले सकता है।

निगरानी: निगम अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुसार सी.एस.आर. परियोजनाओं का कार्यान्वयन/ निगरानी करेगा। विस्तृत सी.एस.आर. नीति जानने के लिए शीर्ष के तहत निगम की वेबसाइट लिंक: nbcfdc.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान की गई परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन:

वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए / चालू की गई विषयगत परियोजनाओं/कार्यक्रमों का अवलोकन इस रिपोर्ट के संलग्नक 3-7 किया जा सकता है।

2. निगमित सामाजिक दायित्व समिति की संरचना:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप निगम निदेशक मण्डल स्तर की निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन करेगा जो तीन अथवा अधिक निदेशकों से मिलकर बनेगी।

ANNEXURE - 3.6

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR THE YEAR 2016-17

Your Directors are pleased to present the 25th Annual Report on the business and operations of your Corporation together with the Audited Financial Statements and Auditors' Report thereon for the financial year ended on 31.03.2017.

1. BRIEF OUTLINE OF THE CORPORATION'S CSR POLICY

The 'Corporate Social Responsibility Policy' (CSR Policy) of the Corporation was formulated in line with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014 made thereunder and 'DPE Guidelines'. The CSR policy was approved by the Board of Directors:

The salient features of the 'CSR Policy' of the Corporation are as under:

Approach: NBCFDC shall endeavor to spend significant part of the budget in and around in notified backward districts or where the OBC clusters are located. NBCFDC will implement CSR activities to empower weaker, less-privileged and marginalized sections of the Society to create Social Capital.

Broad activities under Corporate Social Responsibility: The Corporation shall ensure carrying out CSR projects/programmes in line with activities prescribed under Schedule VII of the Companies Act, 2013.

Financial Component: In line with Section 135 of the Companies Act, 2013, at least 2% of the average 'Surplus of income over expenditure' of the Corporation during the three immediately preceding financial years shall be spent on Corporate Social Responsibility. The unutilized budget will not lapse and get carry forward to the next financial year.

Institutional Set up under Corporate Social Responsibility: The institutional set up shall be as follows:

A Corporate Social Responsibility Committee of the Board ('CSR Committee') shall be constituted consisting of three or more Directors. The role and responsibility of the CSR Committee shall inter-alia include formulating and recommending CSR Policy to the Board and oversee the implementation and monitoring of the CSR Policies and all related activities included in Schedule VII of the said Act etc.

While Corporate Social Responsibility Committee of the Board shall keep an oversight on the whole activities, a CSR Management Committee comprising of senior officials of NBCFDC shall be constituted and deployed for screening and putting up of CSR project proposals as per the Delegation. This Management Committee also monitors the progress and guide the CSR initiatives of the Corporation.

Mechanism of carrying out CSR activities: The CSR activities shall be undertaken by the Company as per its CSR Policy. The Corporation may decide to undertake its CSR activities through suitable partnerships with various institutions, in line with its CSR policy.

Monitoring: The Corporation shall carry out implementation/monitoring of CSR projects in line with its CSR Policy. For detailed Corporate Social Responsibility Policy, visit the website of the Corporation under CSR Policy at the link: nbcfdc.gov.in.

Overview of projects or programmes undertaken during the financial year:

The overview of thematic projects/programmes undertaken/on-going during the financial year are given in **Annexure 3.7** of this Report.

2. COMPOSITION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE

In line with the Companies Act, 2013, the Corporation shall constitute a Corporate Social Responsibility Committee of the Board consisting of three or more Directors.

वर्तमान सी.एस.आर. समिति में निदेशकों की संरचना निम्नानुसार है:

विवरण	उपयोगी जीवन (वर्ष)
निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
के. नारायन, सदस्य	प्रबंध निदेशक
टी.सी.ए. कल्याणी, सदस्य	सरकारी निदेशक
सरोज कुमारी, सदस्य	स्वतंत्र निदेशक

3. गत् तीन वित्तीय वर्षो में निगम का औसत आधिक्य

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गत् तीन वित्तीय वर्षो में निगम का आधिक्य (व्यय से आय का आधिक्य) निम्नानुसार था:

वित्तीय वर्ष, 2013-14 रू. 19,84,82,941.00

वित्तीय वर्ष, 2014-15 रू. 37,34,41,511. 00

वित्तीय वर्ष, 2015-16 रू. 24,05,70,605.00

तीन वर्षो का औसत रू. 27,08,31,686.00

4. विनिर्धारित सी.एस.आर. व्यय (जैसा कि उपरोकत मद सं. 3 में दिया गया है औसत धनराशि का दो प्रतिशत)

रू. 54,16,634.00 निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए रू. 55,00,000.00 सी.एस.आर. बजट हेतु अनुमोदित किए हैं।

5. वित्तीय वर्ष (2016-17) के दौरान व्यय की गई सी.एस.आर. धनराशि का विवरण:

क. वित्तीय वर्ष हेतु कुल धनराशि रू. 55,00,000.00 के व्यय का बजट था।

ख. वित्तीय वर्ष के दौरान रू. 51,61,215.00 की स्वीकृति के सापेक्ष व्यय की गई कुल सी.एस.आर. धनराशि रू. 6,33,615.00 थी।

ग. सी.एस.आर. बजट के सापेक्ष व्यय नहीं की गई धनराशि, यदि कोई हो: 2016-17 के लिए रू. 28,66,385.00 था। 31.03.2016 तक की अवधि के लिए व्यय नहीं की गई रू. 92,00,000.00 है। 31.03.2017 तक सकल धनराशि रू. 1,20,66,385.00 है।

घ. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि की प्रणाली, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न विवरण के अनुसार है।

6. निगम पिछले तीन वित्तीय वर्षो या उसके किसी भी हिस्से के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रहने की स्थिति में, निगम अपने निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में राशि खर्च नहीं करने के कारणों का उल्लेख प्रदान करेगा।

धारा–8 की कंपनियों पर धारा–135 की प्रयोजनीयता पर एम.सी.ए. से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद निगम ने अपनी सी.एस.आर. नीति का क्रियान्वयन मात्र वित्तीय वर्ष 2016-17 से किया है। निगम चैनल सहभागियों एवं अन्य साझीदारों से अत्यधिक प्रस्ताव प्राप्त कर रहा है और खासकर अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्यों हेतु अर्थपूर्ण सी.एस.आर. पहलों हेतु स्वीकृति की प्रक्रिया में है। सी.एस.आर. के अंतर्गत व्यय नहीं की गई धनराशि आगे ले जाई जाएगी एवं आगामी वर्ष (वर्षो) में व्यय की जाएगी।

7. सी.एस.आर. समिति का दायित्व वक्तव्य:

कंपनी द्वारा सी.एस.आर. नीति का क्रियान्वयन एवं निगरानी सी.एस.आर. के उद्देश्यों एवं निगम की नीति के अनुसार है।

हस्ता0/–
(टी.सी.ए.कल्याणी)
निदेशक
(डिन सं. 02406559)

हस्ता0/–
(के. नारायण)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03561648)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.08.2017

The present Composition of the CSR Committee of Directors is as under:

Particulars	Useful Life (years)
Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
K. Narayan, Member	Managing Director
T C A Kalyani, Member	Official Director
Saroj Kumari, Member	Independent Director

3. AVERAGE SURPLUS OF THE CORPORATION LAST THREE FINANCIAL YEARS

The surplus (Excess of income over expenditure) of the Corporation for the last three financial years, as per Companies Act, 2013 was under:

Financial Year 2013-14	Rs. 19,84,82,941.00
Financial Year 2014-15	Rs. 37,34,41,511.00
Financial Year 2015-16	Rs. 24,05,70,605.00
Average of three years	Rs. 27,08,31,686.00

4. PRESCRIBED CSR EXPENDITURE (TWO PER CENT OF THE AVERAGE AMOUNT AS IN ITEM 3 ABOVE) Rs. 54,16,634.00.

The Board of Directors has approved CSR budget (R.E) of Rs. 55,00,000.00 for financial year 2016-17.

5. DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT DURING THE FINANCIAL YEAR (2016-17):

a) Total amount to be spent Budget for the financial year was Rs. 55,00,000.00

b) Total CSR amount spent during the financial year was Rs. 6,33,615.00 against sanctions issued for Rs. 51,61,215.00.

c) Amount unspent against CSR Budget, if any: was Rs. 28,66,385.00 for 2016-17. The unpsent funds for the period upto 31.3.2016 are Rs. 92,00,000.00. Cumulatively unpsent funds upto 31.3.2017 are Rs. 1,20,66,385.00

d) Manner in which the amount spent during the financial year is at as per details Annexed to this report.

6. IN CASE THE CORPORATION HAS FAILED TO SPEND THE TWO PER CENT OF THE AVERAGE NET PROFIT OF THE LAST THREE FINANCIAL YEARS OR ANY PART THEREOF. THE CORPORATION SHALL PROVIDE THE REASONS FOR NOT SPENDING THE AMOUNT IN ITS BOARD REPORT

The Corporation has initiated implementation of its CSR Policy only from the financial year 2016-17 after receipt of clarifications from MCA on applicability of Section 135 to section 8 companies. The Corporation is receiving more proposals from the channel partners and other stakeholders and is in process of sanctioning meaningful CSR initiatives especially for members of OBC Community. The unspent funds under CSR shall be carried forward and spent in forthcoming year(s).

7. RESPONSIBILITY STATEMENT OF THE CSR COMMITTEE

The implementation and monitoring of CSR Policy by the Company is in compliance with CSR objectives and policy of the Corporation.

Sd/-	Sd/-
(TCA Kalyani)	**(K. Narayan)**
Member, CSR Committee	Chairman- CSR Committee
(DIN No. 02406559)	(DIN No. 03561648)

Place : New Delhi
Dated : 04.08.2017

अनुलग्नक – 3.7

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय की गई सी.एस.आर. धनराशि

(रु. लाख में)

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र. सं.	सी.एस.आर. परियोजना अथवा चिन्हित कार्यकलाप	क्षेत्र जिसमें परियोजना कवर है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य एवं जिला जहाँ परियोजना अथवा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, को स्पष्ट बताएं #	धनराशि का खाका (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार *	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई धनराशि		संदर्भाधीन अवधि तक सकल व्यय (रु. 6 क+6 ख)	व्यय की गई धनराशि: प्रत्यक्ष अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजना अथवा कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय (क)	अतिरिक्त (ख)		
1.	स्वच्छ पीने का पानी, सफाई एवं स्लम विकास							
i)	स्वच्छता एवं साफ–सफाई (स्वच्छता पखवाड़ा)	भूख, गरीबी एवं कुपोषण का उन्मूलन: निवारक स्वास्थ्य देख–भाल एवं स्वच्छ पीने का पानी, साफ–सफाई 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।	हौज खास, नई दिल्ली एण्ड डी.एन.एन.टी. कॉलोनी, गुरुग्राम, हरियाणा	3,45,215/-	3,45,215/-	Nil	3,45,215/-	प्रत्यक्ष
ii)	डी.एन.टी. समूह हेतु मोबाईल शौचालय का प्रावधान		गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा	4,00,000/-	2,00,000/-	Nil	2,00,000/-	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
iii)	स्वच्छ पीने के पानी की सुविधा (आर. ओ.)		राजमयंग ग्राम, मेयंग, विकास ब्लॉक, मोरीगांव जिला, असम	5,50,000/-	2,50,000/-	25,000/-	2,75,000/-	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
iv)	सामुदायिक शौचालय एवं स्नानगृह का प्रावधान		राजमयंग ग्राम, मेयंग विकास ब्लॉक, मोरीगांव जिला, असम	5,50,000/-	2,50,000/-	25,000/-	2,75,000/-	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
			उप–योग (1)	**18,45,215**	**10,45,215/-**	**50,000/-**	**10,95,215/-**	
2.	परंपरागत कला एवं हस्तकला को बढ़ावा							
i)	कुम्हार समुदाय में परंपरागत हस्तकला का कौशल उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण सहित भवनों की पुन: स्थापना एवं ऐतिहासिक महत्व एवं कला के काम, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, परंपरागत कला और हस्तशिल्प का विकास एवं बढ़ावा देना।	कवशेरी पंचायत, पलक्कड़ जिला, केरल	19,00,000/-	8,87,500/-	62,500/-	9,50,000/-	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
Ii)	स्व–सहायता समूहों को बढ़ावा एवं ग्रामीण उद्यमियों का विकास		राजमयंग ग्राम, मेयंग विकास ब्लाक, मोरीगांव जिला, असम	2,20,000/-	1,00,000/-	10,000/-	1,10,000/-	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
			उप–योग (2)	**21,20,000/-**	**9,87,500/-**	**72,500/-**	**10,60,000/-**	

ANNEXURE - 3.7

National Backward Classes Finance and Development Corporation

CSR AMOUNT SPENT DURING THE FINANCIAL YEAR 2016-17

(₹ in Lakhs)

1	2	3	4	5	6		7	8
Sl. No.	CSR Project or Activity identified	Sector in which the project is covered	Project or programs (1) Local area or Other (2) Specify the State and Districts where projects or programs was undertaken#	Amount outlay (budget) project or programs wise*	Amount spent on the projects or programms		Cumulative expenditure upto the reporting period (Rs. 6 A + 6 B)	Amount spent: Direct or through Implementing Agency
					Direct expenditure on projects or programme (A)	Overheads (B)		
1.	Safe Drinking Water, Sanitation and Slum Development							
i)	Sanitation and Cleanliness (Swachhta Pakhwada)	Eradicating hunger, poverty and malnutrition: Promoting health care including preventive health care and making available safe drinking water, sanitation, contribution to 'Swachh BharhKosh'	Hauz Khaz, New Delhi & DNT Colony, Gurugram, Haryana	3,45,215/-	3,45,215/-	Nil	3,45,215/-	Direct
ii)	Provision of Mobile Toilets to DNT Cluster		Gohana, Distt. Sonepat, Haryana	4,00,000/-	2,00,000/-	Nil	2,00,000/-	Through Implementing Agency
iii)	Safe Drinking Water Facility (R.O)		Rajamayong Village, Mayong Development Block, Morigaon Distt, Assam	5,50,000/-	2,50,000/-	25,000/-	2,75,000/-	Through Implementing Agency
iv)	Provision of Community Toilets and Washrooms		Rajamayong Village, Mayong Development Block, Morigaon Distt, Assam	5,50,000/-	2,50,000/-	25,000/-	2,75,000/-	Through Implementing Agency
			Sub-total (1)	**18,45,215**	**10,45,215/-**	**50,000/-**	**10,95,215/-**	
2.	Promotion of Traditional Arts and Crafts							
i)	Skill Upgradation and modernization of traditional craft among the Pottery community	Potection of national heritage, art and culture including restoration of buildings and sites of historical importance and works of art; setting up public libraries; promotion and development of traditional arts and handicrafts	Kavasserry Panchyat, Palakkad District, Kerala	19,00,000/-	8,87,500/-	62,500/-	9,50,000/-	Through Implementing Agency
Ii)	Promotion of Self-help Groups and Developing Rural Entrepreneurs		Rajamayong Village, Mayong Development Block, Morigaon Distt, Assam	2,20,000/-	1,00,000/-	10,000/-	1,10,000/-	Through Implementing Agency
			Sub-total (2)	**21,20,000/-**	**9,87,500/-**	**72,500/-**	**10,60,000/-**	

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र. सं.	सी.एस.आर. परियोजना अथवा चिन्हित कार्यकलाप	क्षेत्र जिसमें परियोजना कवर है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य एवं जिला जहाँ परियोजना अथवा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, को स्पष्ट बताएं #	धनराशि का खाका (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार *	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई धनराशि		संदर्भाधीन अवधि तक सकल व्यय (रू. 6 क + 6 ख)	व्यय की गई धनराशि प्रत्यक्ष अथवा क्रियान्वयन के माध्यम से
					परियोजना अथवा कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय (क)	अतिरिक्त (ख)		
3.	पर्यावरणीय वहनीयता							
i)	ग्रामीण क्षेत्र में खराब सामग्रियों के उपयोग से जैवीय गैस उत्पादन इकाई	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थि–तिक संतुलन, वनस्पतियों व जीवों का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों पर ध्यान देना एवं मृदा, वायु एवं पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना	पश्चिम मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल	11,96,000/-	4,16,400/-	62,000/-	4,78,400/-	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
			उप–योग (3)	**11,96,000/-**	**4,16,400/-**	**62,000/-**	**4,78,400/-**	
			योग (1+2+3)	**51,61,215/-**	**24,49,115/-**	**1,84,500/-**	**26,33,615/-**	

कॉलम 5 : यह एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को प्रदर्शित करता है।

1	2	3	4	5	6		7	8
Sl. No.	CSR Project or Activity identified	Sector in which the project is covered	Project or programs (1) Local area or Other (2) Specify the State and Districts where projects or programs was undertaken#	Amount outlay (budget) project or programs wise*	Amount spent on the projects or programms		Cumulative expenditure upto the reporting period (Rs. 6 A + 6 B)	Amount spent: Direct or through Implementing Agency
					Direct expenditure on projects or programme (A)	Overheads (B)		
3.	Environmental Sustainability							
i)	Bio-Gas Production Plants using waste material in rural areas	Ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agro forestry, consideration of natural resources and maintaining quality of soil, air and water.	West Medinipur District, West Bengal	11,96,000/-	4,16,400/-	62,000/-	4,78,400/-	Through Implementing Agency
			Sub-total (3)	11,96,000/-	4,16,400/-	62,000/-	4,78,400/-	
			Total (1+2+3)	51,61,215/-	24,49,115/-	1,84,500/-	26,33,615/-	

Col. 5: It represents projects sanctioned by NBCFDC.

अनुलग्नक – 4

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष 2016-17 में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृति/वितरण का विवरण

क्र. सं.	एस.सी.ए. / संस्थान का नाम	राज्य	ट्रैड का नाम	अवधि	लाभार्थियों की संख्या
1	सीपेट, चेन्नई	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिसा,पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगना, उत्तर प्रदेशं एवं पश्चिम बंगाल	मशीन आपरेटर असिस्टेंट	3 माह	1876
			कुल		**1876**
	सीपेट, चेन्नई (सीएसआर)	बिहार	मशीन ऑपरेटर टूल रूम	4 माह	40
		हिमाचल प्रदेश	मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक प्रोसेसिंग		
		बिहार	मशीन ऑपरेटर इंजेक्शन मोल्डिंग	4 माह	40
		हिमाचल प्रदेश	मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक एक्सट्रसन	4 माह	40
			कुल		**160**
2	टेलिकॉम सेक्टर स्किल काउन्सिल	असम	कस्टमर केयर एक्जीक्यूटिव (कॉल सेन्टर)	200 घन्टे	100
		बिहार, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश सिक्किम	हैंडसेट रिपेयर इंजीनियर	200 घन्टे	500
		छत्तीसगढ़, जम्मू एण्ड कश्मीर, पंजाब	ऑप्टीकल फाइबर टेक्नीशियन	200 घन्टे	300
		उत्तराखण्ड	ब्रोड बैंड टेक्नीशियन	200 घन्टे	100
			कुल		**1000**
3	फर्नीचर एण्ड फिटिंग स्किल काउन्सिल	बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश	कारपेन्टर वुडन फर्नीचर	308 घन्टे	863
		हरियाणा, उत्तर प्रदेश	फिटर मोडूलर फर्नीचर	300 घन्टे	187
			कुल		**1050**
		रि–स्किलिंग / अप ग्रेडेशन			
		बिहार, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू एण्ड कश्मीर, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश	कारपेन्टर वुडन फर्नीचर	5 दिन	445
		हरियाणा, पंजाब राजस्थान	फिटर मोडूलर फर्नीचर	5 दिन	75
			कुल		**520**
			कुल योग		**1570**
	फर्नीचर एण्ड फिटिंग स्किल काउन्सिल (सीएसआर)	हरियाणा, उत्तर प्रदेश	कारपेन्टरी	3 माह	64
			कुल		**64**
4	कैपिटल गुड्स स्किल कांउसिल	गुजरात, पश्चिम बंगाल	असिस्टेंट मैनुअल मेटल आर्च वैल्डिंग/सिल्डेड मेटल आर्च वेल्डिंग वेल्डर	300 घन्टे	50
		गुजरात, महाराष्ट्र	सीएनसी ऑपरेटर टर्निंग	300 घन्टे	52
		गुजरात, महाराष्ट्र	फिटर मैकेनिकल एसेम्बली	300 घन्टे	23

ANNEXURE - 4

National Backward Classes Finance & Development Corporation

Statement sanction / disbursement under training programme for the year 2016-17

Sl. No.	Name of the SCA / INSTITUTIONS	State	Name of Trades	Duration	No. of Benef.
1	CIPET, Chennai	Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Uttar Pradesh & West Bengal	Machine Operator Assistant	3 Months	1876
			Total		**1876**
	CIPET, Chennai (CSR)	Bihar	Machine Operator Tool Room	4 Months	40
		Himachal Pradesh	Machine Operator Plastic Processing		
		Bihar	Machine Operator Injection Molding	4 Months	40
		Himachal Pradesh	Machine Operator Plastic Extrusion	4 Months	40
			Total		**160**
2	Telecom Sector Skill Council	Assam	Customer Care Executive (Call Centre)	200 Hrs.	100
		Bihar, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Sikkim,	Handset Repair Engineer	200 Hrs.	500
		Chhattisgarh, J & K, Punjab	Optical Fiber Technician	200 Hrs.	300
		Uttrakhand	Broad Band Technician	200 Hrs.	100
			Total		**1000**
3	Furniture & Fitting Skill Council	Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Tripura, Uttar Pradesh	Carpenter- Wooden Furniture	308 Hrs	863
		Haryana, Uttar Pradesh	Fitter Modular Furniture	300 Hrs	187
			Total		**1050**
		Re-Skilling/Up gradation			
		Bihar, Delhi, Haryana, J &K, Punjab, Tripura, Uttar Pradesh	Carpenter- Wooden Furniture	5 Days	445
		Haryana, Punjab, Rajasthan	Fitter Modular Furniture	5 Days	75
			Total		**520**
			Sub Total		**1570**
	Furniture & Fitting Skill Council (CSR)	Haryana, Uttar Pradesh	Carpentry	3 Months	64
			Total		**64**
4	Capital Goods Skill Council	Gujarat, West Bengal	Assistant Manual Metal Arch Welding/Shielded Metal Arc Welding Welder	300 Hrs	50
		Gujarat, Maharashtra	CNC Operator Turning	300 Hrs	52
		Gujarat, Maharashtra	Fitter Mechanical Assembly	300 Hrs	23

क्र. सं.	एस.सी.ए. / संस्थान का नाम	राज्य	ट्रैड का नाम	अवधि	लाभार्थियों की संख्या
		उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र	फिटर फैब्रिकेशन	300 घन्टे	163
			कुल		**288**
5	अपैरल मेड–अप्स एण्ड होम फर्नीशिंग	आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु	सेविंग मशीन ऑपरेटर/हैण्ड इम्ब्रोडर/सेल्फ इम्पलोइड टेलर्स	270 घन्टे	1000
			कुल		1000
		रि–स्किलिंग/अप ग्रेडेशन			
		आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना	सिलाई मशीन ऑपरेटर/हैण्ड इम्ब्रोडर/सेल्फ इम्पलोइड टेलर्स	5 दिन	2000
			कुल		**2000**
			उप योग		**3000**
6	इण्डियन प्लम्बिंग स्किल काउन्सिल	आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा	प्लम्बिंग जनरल असिस्टेंट लेवल–2	200 घन्टे	999
			कुल		999
7	टैक्सटाइल सेक्टर स्किल काउन्सिल	आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश	मिल सेक्टर	300 घन्टे	1000
			कुल		**100**
		रि–स्किलिंग/अप ग्रेडेशन			
		आन्ध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश	मिल सेक्टर	5 दिन	1800
			कुल		**1800**
			उप योग		**2800**
8	स्किल काउन्सिल फार ग्रीन जॉब	आन्ध्र प्रदेश, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश	सोलर पीवी इंस्टालर सूर्यमित्र	300 घन्टे	300
			कुल		**300**
9	जम्मू एण्ड कश्मीर वुमैन डेवलपमैन्ट कॉरपोरेशन	जम्मू एण्ड कश्मीर	जूट एसेसरिज/फ्रेब्रिक आर्ट	4 माह	150
			डोरी एण्ड प्लास्टिक वर्क	4 माह	15
			आर्टीफिशियल फ्लावर	4 माह	30
			ब्लॉक प्रिन्टिंग	4 माह	15
			कुल		**210**
10	सेन्टर फॉर रिसर्च एण्ड इडस्ट्रियल स्टॉफ परफारमेंस (सीआरआईएसपी)	मध्य प्रदेश	फिटर	200 घन्टे	51
			बेसिक इलेक्ट्रीशियन		29
			वेल्डर		27
			कॉल सेन्टर एक्जीक्यूटिव		30
			सेल्स एक्जीक्यूटिव		21
			टू–व्हीलर मरम्मत		28
			फोर–व्हीलर मरम्मत		35
			कुल		**221**

Sl. No.	Name of the SCA / INSTITUTIONS	State	Name of Trades	Duration	No. of Benef.
		Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra,	Fitter Fabrication	300 Hrs	163
			Total		**288**
5	Apparel Made-UPs Home Furnishing	Andhra Pradesh, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu	Sewing Machine Operator/Hand embroider/Self - employed tailor	270 Hrs	1000
			Total		**1000**
		Re-Skilling/Up gradation			
		Andhra Pradesh, Delhi, Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana	Sewing Machine Operator/Hand embroider/Self-employed tailor	5 Days	2000
			Total		**2000**
			Sub Total		**3000**
6	Indian Plumbing Skills Council	Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Haryana	Plumbing General Assistant Level-2	200 Hrs.	999
			Total		**999**
7	Textile Sector Skill Council	Andhra Pradesh, Madhya Pradesh Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh	Mill Sector	300 Hrs	1000
			Total		**1000**
		Re-Skilling/Up gradation			
		Andhra Pradesh, Assam Madhya Pradesh, Manipur, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh	Mill Sector	5 Days	1800
			Total		**1800**
			Sub Total		**2800**
8	Skill Council for Green Job	Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh,	Solar PV Installer Suryamitra	300 Hrs	300
			Total		**300**
9	J &K Women Development Corporation	J & K	Jute Accessories/ Fabric Art	4 Months	150
			Dori & Plastics Work	4 Months	15
			Artificial Flower	4 Months	30
			Block Printing	4 Months	15
			Total		**210**
10	Centre for Research and Industrial Staff Performance (CRISP)	Madhya Pradesh	Fitter	200 Hrs.	51
			Basic Electrician		29
			Welder		27
			Call Centre Executive		30
			Sales Executive		21
			Two-Wheeler Maintenance		28
			Four-Wheeler Maintenance		35
			Total		**221**

क्र. सं.	एस.सी.ए. / संस्थान का नाम	राज्य	ट्रेड का नाम	अवधि	लाभार्थियों की संख्या
	सेन्टर फॉर रिसर्च एण्ड इंडस्ट्रियल स्टॉफ परफारमेंस (सीआरआईएसपी)	मध्य प्रदेश	इलेक्ट्रीशियन	250 घन्टे	50
			फिटर	250 घन्टे	50
			योग		**100**
11	अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल	एसएमओ जीसीटी	3 माह 4 माह	1572 1000
			योग		**2572**
12	इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउन्सिल ऑफ इण्डिया	आन्ध्र प्रदेश, झारखण्ड, केरल, तेलंगाना	इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एण्ड पेरीफेरल्स (आईटीसीपी)	350 घन्टे	100
		आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मणिपुर	इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन कम्प्यूटिंग एण्ड पेरीफेरल्स (आईटीसीपी)	350 घन्टे	100
		असम, मणिपुर, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल	डीटीएच सेट टॉप बाक्स इंस्टॉलर एण्ड सर्विस टेक्नीशियन (डीटीएच)	350 घन्टे	100
		असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल	रिपेयर एण्ड मैन्टनेन्स ऑफ पावर सप्लाई इनवर्टर एण्ड यूपीएस	350 घन्टे	125
		बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाण, जम्मू एण्ड कश्मीर	फिल्ड इंजीनियर रेफ्रीजरेशन, एयर कन्डीशनर एण्ड वाशिंग मशीन (एमई–आरएसीडब्ल्यू)	350 घन्टे	125
		महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश	मोबाइल फोन हैंडसेट हार्डवेयर रिपेयर टेक्नीशियन (एमपीएचएचआरटी)	350 घन्टे	50
		जम्मू एण्ड कश्मीर	फिल्ड टेक्नीशियन एयर कन्डीशनर (एफटीएसी)	350 घन्टे	25
			कुल		**625**
13	इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी (आईआईसीटी	जम्मू एण्ड कश्मीर	कारपेट वेविंग	6 माह	100
			कुल		100
14	सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सेरेमिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	हाई स्ट्रेन्थ ब्लैक पोट्री	200 घन्टे / 2 माह	50
			हाई वैल्यू टेराकोटा	200 घन्टे / 2 माह	50
			कुल		**100**
15	ब्यूटी एण्ड वैलनेस सेक्टर स्किल कौसिल	असम, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल	असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे	395
		राजस्थान, दिल्ली, सिक्किम	असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट	300 घन्टे	123
		चण्डीगढ़, हरियाणा, ओडिसा, उत्तराखण्ड	पेडिक्यूरिस्ट एण्ड मनीक्यूरिस्ट	250 घन्टे	132
			कुल		**650**

Sl. No.	Name of the SCA / INSTITUTIONS	State	Name of Trades	Duration	No. of Benef.
	Centre for Research and Industrial Staff Performance (CRISP)	Madhya Pradesh	Electrician	250 Hrs.	50
			Fitter	250 Hrs.	50
			Total		**100**
11	Apparel Training and Design Centre	Andhra Pradesh,Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Odisha, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal	SMO GCT	3 Months 4 Months	1572 1000
			Total		**2572**
12	Electronics Sector Skill Council of India	Andhra Pradesh, Jharkhand, Kerala, Telangana	Installation Technician Computing & Peripherals (ITCP)	350 Hrs	100
		Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Manipur,	Installation Technician Computing & Peripherals (ITCP)	350 Hrs	100
		Assam, Manipur, Uttrakhand, West Bengal	DTH Set Top Box Installer & Service Technician (DTH)	350 Hrs	100
		Assam, Haryana, Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal	Repair of Maintenance of Power Supply Invertor & UPS.	350 Hrs	125
		Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Haryana, J & K	Field Engineer Refrigeration, Air Conditioner & Washing Machine (FE_RACW)	350 Hrs	125
		Maharashtra, Uttar Pradesh	Mobile Phone Handset Hardware Repair Technician (MPHHRT)	350 Hrs	50
		J & K	Field Technician Air Conditioner (FTAC)	350 Hrs	25
			Total		**625**
13	Indian Institute of Carpet Technology (IICT, Srinagar)	Jammu & Kashmir	Carpet Weaving	6 Months	100
			Total		**100**
14	Central Glass & Ceramic Research Institutes, Uttar Pradesh	Uttar Pradesh	High Strength Black Pottery	200 Hrs. / 2 Months	50 50
			High Valued Terracotta	200 Hrs. / 2 Months	50
			Total		**100**
15	Beauty & Wellness Sector Skill Council	Assam,Telangana, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal	Assistant Beauty Therapist	250 Hrs.	395
		Rajasthan, Delhi, Sikkim	Assistant Hair Stylist	300 Hrs	123
		Chandigarh, Haryana, Odisha, Uttrakhand	Pedicurist & Manicurist	250 Hrs.	132
			Total		**650**

क्र. सं.	एस.सी.ए. / संस्थान का नाम	राज्य	ट्रेड का नाम	अवधि	लाभार्थियों की संख्या
		रि–स्किलंग / अप ग्रेडेशन			
		हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल	असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	5 दिन	200
		दिल्ली, राजस्थान, सिक्किम	असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट	5 दिन	150
			कुल		**350**
			उप योग		**1000**
16	पावर सेक्टर स्किल काउन्सिल	असम, जम्मू एण्ड कश्मीर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड	कंज़्यूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियन	325	250
			असिस्टेंट इलेक्ट्रीसिटी मीटर रीडर, बिलिंग एण्ड कैश कलेक्शन	200	250
			कुल		**500**
17	टूरिजम एण्ड होस्पीटेलिटी स्किल काउन्सिल	हरियाणा, सिक्किम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलगंना, गुजरात, असम	फ्रन्ट ऑफिस एसोसिएट	340	100
			ट्रेवल कन्सलटैंट	220	120
			टूर एस्कोर्ट	330	80
			फूड एण्ड बेवरेज स्टेवार्ड	300	50
			कुल		**350**
18	हैण्डीक्राफ्टस् एण्ड कारपेट सेक्टर स्किल काउन्सिल	आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, असम, झारखण्ड, तेलगंना, त्रिपुरा,जम्मू एण्ड कश्मीर, ओडिसा, तमिलनाडु, राजस्थान	क्रोचेट लेस टेलर	175	100
			बम्बू बॉसकेट मेकर	280	100
			एन्ग्रोविंग आट्रीशियन	320	50
			मास्टर क्रोचेट लेस–मेकर	175	100
			बम्बू यूटीलिटी एसेम्बलर	270	50
			हैंडलूम वीवर	190	100
			कुल		**500**
19	कम्यूनिटी कॉलेज (ओपीजेसीसी) (सीएसआर)	छत्तीसगढ़, ओडीसा, झारखण्ड	मैसनरी	3 माह	71
			इलेक्ट्रीशियन	3 माह	71
			प्लम्बिंग	3 माह	71
			कुल		**213**
20	सिक्योरिटी सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउन्सिल	पश्चिम बंगाल, बिहार	सिक्योरिटी	200 माह / 1.5 माह	200
			कुल		**200**
			महायोग		**18748**

Sl. No.	Name of the SCA / INSTITUTIONS	State	Name of Trades	Duration	No. of Benef.
		Re-Skilling/Upgradation			
		Haryana, Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal	Assistant Beauty Therapist	5 Days	200
		Delhi, Rajasthan, Sikkim	Assistant Hair Stylist	5 Days	150
			Total		**350**
			Sub Total		**1000**
16	Power Sector Skill Council	Assam, J&K, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh, Uttrakhand	Consumer Energy Meter Technician	325	250
			Assistant Electricity Meter Reader, Billing and Cash Collection	200	250
			Total		**500**
17	Tourism & Hospitality Skill Council	Haryana, Sikkim, Rajasthan, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Telangana Gujarat, Assam	Front Office Associate	340	100
			Travel Consultant	220	120
			Tour Escort	330	80
			Food & Beverage Steward	300	50
			Total		**350**
18	Handicrafts & Carpet Sector Skill Council	Andhra Pradesh, Delhi, Assam, Jharkhand, Telangana, Tripura, J & K, Odisha, Tamil Nadu, Rajasthan	Crochet lace Tailor	175	100
			Bamboo Baskets Maker	280	100
			Engraving Artesian	320	50
			Master Crochet Lace- Maker	175	100
			Bamboo utility Assembler	270	50
			Handloom Weaver	190	100
			Total		**500**
19	Community College (OPJCC) (CSR)	Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand	Masonary	3 Months	71
			Electrician	3 Months	71
			Plumbing	3 Months	71
			Total		**213**
20	Security Sector Skill Development Council	West Bengal, Bihar	Security	200 Hrs. / 1.5 Month	200
			Total		**200**
			Grand Total		**18748**

अनुलग्नक – 5

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रदर्शिनियाँ

क्र. सं.	प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता	राज्य
1	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2016, नई दिल्ली	नई दिल्ली
2	सूरजकुण्ड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2017, फरीदाबाद	हरियाणा
3	शिल्पोत्सव, 2016 दिल्ली हॉट, नई दिल्ली	नई दिल्ली
4	आठवां पूर्वी हिमालयन एक्सपो, गैंगटोक	सिक्किम
5	लाकोत्सव, पणजी	गोवा
6	एनबीसीएफडीसी रजत जयंती एक्सपो, हैंडलूम हाट, नई दिल्ली	नई दिल्ली
7	केरल प्रदर्शनी, पलक्कड़	केरल
8	सिंहस्थ मालवा उत्सव, इंदौर	मध्य प्रदेश
9	पंडित दीन दयाल उपाध्याय कृषि उन्नति मेला, मथुरा	उत्तर प्रदेश

ANNEXURE - 5

Exhibitions During 2016-17

Sl. No	Participation in Exhibitions	State
1	India International Trade Fair, 2016, New Delhi	New Delhi
2	Suraj Kund Internatinal Craft Mela 2017, Faridabad	Haryana
3	Shilpotsav, 2016 Dilli Haat, New Delhi	New Delhi
4	8th East Himalayan Expo, Gangtok	Sikkim
5	Lokotsav, Panaji	Goa
6	NBCFDC Silver Jubilee Expo, Handloom Haat, New Delhi	New Delhi
7	Kerala Exhibition, Palakkad	Kerala
8	Singhastha Malwa Utsav, Indore	Madhya Pradesh
9	Pandit Deen Dayal Upadhyay Krishi Unati Mela, Mathura	Uttar Pradesh

अनुलग्नक – 6

निगमित प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन

कॉरपोरेट प्रशासन, तंत्रों एवं कार्य प्रणालियों का समुच्चय है जिसके माध्यम से कम्पनी के कार्य का प्रबंधन इस प्रकार से सुनिश्चत किया जाता है कि इसके समस्त लेन–देन में व्यापक रूप से जवाबदेही, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके एवं इसके द्वारा अंशधारकों की आकांक्षा एवं सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। निगम के कॉरपोरेट प्रशासन का मूल विचार पारदर्शिता के सिद्धान्तों, विधि, प्रक्रिया का अनुपालन करना एवं समस्त अशधारकों के लाभार्थ नैतिक मानकों का संरक्षण करना है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का मानना है कि प्रबंधन के अच्छे प्रशासन में न्यासधारिता, सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व अपरिहार्य होना चाहिए; जबकि अन्य को सरकार की नीतियों के लिए अग्रसक्रिय रहना चाहिए। निगम का मुख्य उद्‌देश्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है। निगम का निरंतर यह प्रयास रहता है कि कॉरपोरेट प्रशासन के सर्वोत्तम सिद्धान्तों का पालन कर अपने हितधारियों तथा व्यापक रूप से समाज के हितों की सुरक्षा निश्चित की जाए।

1. निदेशक मण्डल का गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अंतर्नियमों के अंतर्गत एन.बी.सी.एफ.डी.सी. भारत सरकार की एक कंपनी है। निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। निगम के संगम ज्ञापन के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशकों की संख्या चार से कम व तेरह से अधिक नहीं होगी। निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् प्रबंध निदेशक तथा अन्य अंशकालिक/गैर–कार्यपालक/सरकारी निदेशक होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कौशलों और अनुभवों से युक्त होते हैं। निदेशक मंडल के सदस्य विविध पृष्ठभूमि से होते हैं तथा उनके पास सम्बंधित क्षेत्रों में अत्यधिक अनुभव एवं विविध विशेषताएं होती हैं। निदेशक मंडल नीतियां एवं कार्यक्रमों को परिभाषित करते हैं व क्रियान्वयन पर नजर रखते हैं।

निदेशक मण्डल की संरचना

निदेशक नाम (एस./महोदय/महोदया/डा0)	श्रेणी	निदेशक के रुप में नियुक्ति के बाद निदेशक मण्डल की बैठकों में उपथिति/कुल बैठकों	क्या पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया (हाँ/नहीं)	संख्या जिसमें निदेशक हैं **
के. नाराण (डिन 03561648)	कार्यकारी	4/4	Yes	4
अन्द्री अनुराग* (डिन 07228680)	गैरकार्यकारी	3/4	No.	1
टी.सी.ए.कल्याणी* (डिन 02406559)	गैरकार्यकारी	4/4	No.	3
बी.एल.मीना* (डिन 07715960)	गैरकार्यकारी	4/4	Yes	1
श्याम कपूर (डिन 02693416)	गैरकार्यकारी	3/4	No.	13
बाला प्रसाद (डिन 07715960)	गैरकार्यकारी	2/4	No.	-
सत्य प्रकाश सिंह# (डिन 03168099)	गैरकार्यकारी	3/4	No.	-
ए.के. मोहन्ती (डिन 07398618)	गैरकार्यकारी	1/4	No.	-
आर.के.सिंह@ (डिन 06699775)	गैरकार्यकारी	1/4	No.	1
सरोज कुमारी## (डिन 07753419)	स्वतंत्र	1/4	NA.	-
के. हन्मन्डलू## (डिन 02746832)	स्वतंत्र	1/4	NA.	1

ANNEXURE - 6

REPORT OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance is a set of systems and practices to ensure that the affairs of the company are being managed in a way which ensures accountability, transparency and fairness in all its transactions in the widest sense and meet its stakeholder's aspirations and societal expectations. The Corporation's philosophy of Corporate Governance is based on the principles of transparency, compliance of laws, procedures and meeting ethical standards to take care of the interest of all the stakeholders

NBCFDC believes that good governance should entail trusteeship, empowerment and accountability of the management while remaining proactive to the Government policies. The main objectives of the Corporation are to promote economic and developmental activities for the benefit of members of backward classes through State Channelising Agencies nominated by the concerned State Governments/Union Territories. The Corporation constantly endeavors to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimizes the value of all its stakeholders and the society at large.

1. BOARD OF DIRECTORS : COMPOSITION

NBCFDC is a Govt. of India Company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act 2013. The appointment / nomination of all Directors is done by the President of India, through Ministry of Social Justice & Empowerment. Under the provisions of the Articles of Association of the Corporation, the number of Directors shall not be less than four and not more than thirteen. The Board comprises Whole Time Director i.e. Managing Director and others part-time/non-executive/Govt. Directors who bring a wide range of skills and experience. The members of the Board are from diversified backgrounds and have varied expertise and considerable experience in the respective fields. The Board defines the policies and programmes and oversees its implementation.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Name of Director (S/Sri/Smt./Dr)	Category	Attendance at Board Meeting/ Total Meetings after appt. as Director	Whether attended last AGM (Yes/No)	No. of Directorships **
K. Narayan (DIN 03561648)	Executive	4/4	Yes	4
Aindri Anurag* (DIN 07228680)	Non-Executive	3/4	No.	1
T.C.A. Kalyani* (DIN 02406559)	Non-Executive	4/4	No.	3
B. L. Meena* (DIN 07715960)	Non-Executive	4/4	Yes	1
Shyam Kapoor (DIN 02693416)	Non-Executive	3/4	No.	13
Bala Prasad (DIN 07715960)	Non-Executive	2/4	No.	-
Satya Prakash Singh# (DIN 03168099)	Non-Exective	3/4	No.	-
A. K. Mohanty (DIN 07398618)	Non-Executive	1/4	No.	-
R.K. Singh@ (DIN 06699775)	Non-Executive	1/4	No.	1
Saroj Kumari ## (DIN 07753419)	Independent	1/4	NA.	-
K. Hanmandloo ## (DIN 02746832)	Independent	1/4	NA.	1

नोट: * भारत सरकार द्वारा नामित

** एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के अतिरिक्त

@ दिनांक 10.08.2016 से निदेशक के रूप में नियुक्ति समाप्त

$ दिनांक 10.08.2016 से निदेशक के रूप में नियुक्त

दिनांक 10.08.2016 से निदेशक के रूप में नियुक्त

दिनांक 02.02.2017 से निदेशक के रूप में नियुक्त

2. दायित्व

निदेशक मण्डल के पास मामलों की औपचारिक अनुसूची इसके विचारार्थ और निर्णय हेतु होती है जिसमें वित्तीय कॉरपोरेट के कार्य–निष्पादन की समीक्षा, संसाधनों की पर्याप्त जवाबदेही तथा अंशधारकों को सूचना सुनिश्चित करना शामिल होता है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के आरंभ में वित्तीय एवं गैर वित्तीय क्षेत्रों में भारत सरकार से परामर्श के आधार पर भार निर्धारण लक्ष्यों को निर्धारित करते हेतु निगम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ प्रत्येक वर्ष एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करता है। कम्पनी का कार्य निष्पादन तथा इसके लक्ष्यों को वर्ष के अंत में आंका जाता है। समझौता–ज्ञापन के सबंध में लक्ष्यों के सापेक्ष प्रशासनिक मंत्रालय के साथ–साथ कंपनी में भी कार्य निष्पादन की त्रैमासिक आधार पर निरन्तर समीक्षा की जाती है। यदि कोई कमी रह जाती है, तो इसकी पहचान की जाती है और इन मंचों में आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही हेतु सुझाव दिए जाते हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एम.ओ.यू. की उपलब्धियों की रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जाती है तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं लोक उद्यम विभाग द्वारा हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के अनुसार वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर कम्पनी का मूल्यांकन किया जाता है।

3. निदेशक मण्डल की बैठकें

3.1 निदेशक मण्डल का आकार

एन.बी.सी.एफ.डी.सी., कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अन्तर्गत आती है, चूँकि भारत के राष्ट्रपति कुल प्रदत्त अंश पूंजी के 100% के अंशधारक है। संस्था के संगम ज्ञापन के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित होती है। निगम के संगम ज्ञापन के अनुसार निदेशक मण्डल में निदेशकों की संख्या चार से कम और तेरह से अधिक नहीं होगी।

3.2 निदेशक मण्डल की प्रक्रिया

निदेशक मण्डल की बैठकें सामान्यत: नई दिल्ली स्थित निगम के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होती हैं। तिमाही कार्य निष्पादन और वित्तीय परिणामों की समीक्षा के लिए निदेशक मण्डल की तिमाही में कम से कम एक बैठक होती है। निदेशक मण्डल अच्छे प्रशासन एवं कम्पनी की कार्यप्रगति में प्रमुख भूमिका अदा करता है। संरचित एजेंण्डा के माध्यम से बैठकें संचालित की जाती है। प्रत्येक एजेण्डा मद में विस्तृत एजेण्डा टिप्पणी होती है तथा सभी महत्वपूर्ण जानकारी सम्मिलित की जाती है, ताकि निदेशकगण बैठक में विचार–विमर्श पर ध्यान केन्द्रित कर सकें और निर्णय ले सकें। एजेण्डा एवं एजेण्डा टिप्पणियां सभी निदेशकों को प्रत्येक निदेशक मण्डल की बैठक से पूर्व प्रेषित की जाती हैं। एजेण्डा कागजातों के रूप में जहां कहीं भी इन कागजातों को भेजना व्यावहारिक नहीं होता है, को बैठक में प्रदान किया जाता है। बैठक में सभी निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों के विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त लिए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मण्डल की चार बैठकें आयोजित की गई। किन्ही भी दो बैठकों के मध्य अधिकतम अन्तराल 'अनुज्ञेय' 120 दिनों के अंदर था। निदेशक मण्डल की उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार रही:

Note: * Nominees of Govt. of India

** Other than NBCFDC

@ Ceased to be Directors w.e.f. 10.08.2016

$ Appointed as Director w.e.f. 10.08.2016

Appointed as Director w.e.f. 10.08.2016

Appointed as Director w.e.f. 02.02.2017

2. RESPONSIBILITIES

The Board has a formal schedule of matters reserved for its consideration and decision which includes reviewing corporate performance, ensuring adequate accountability of financial resources and reporting to Shareholders.

Further, an annual Memorandum of Understanding (MoU) is entered into by the Corporation with the Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI in the beginning of the year, setting the targets in the financial and nonfinancial area with weightages decided in consultation with the GOI. The performance of the Company is measured at the end of the year vis-à-vis these targets. The performance with regard to the MOU is reviewed regularly within the Company on a quarterly basis as well as in the administrative Ministry. Slippages, if any, are identified and necessary remedial actions are suggested in these forums.

At the end of each financial year the MoU achievements report is furnished to the Ministry of Social Justice & Empowerment and performance of the company is evaluated by the Ministry of Social Justice & Empowerment and Department of Public Enterprises on the basis of actual achievements as per the signed MoU.

3. BOARD MEETINGS

3.1 Size of the Board;

NBCFDC is covered within the meaning of Section 2 (45) of the Companies Act 2013, as the President of India presently hold 100% of the total paid up share capital. As per Article of Association, the power to appoint Directors vests with the President of India. In terms of the Articles of Association of the Corporation strength of the Board shall not be less than four and not more than thirteen Directors.

3.2 Board Procedure;

The meetings of the Board of Directors are generally held at our registered office of the Corporation at New Delhi. The Board meets at least once a quarter to review the quarterly performance and the financial results. The Board of Directors plays the primary role in ensuring good governance and functioning of the Company. The meetings are governed by a structured agenda. All the agenda items are backed by comprehensive agenda notes, containing all the vital information, so as to enable the Directors to have focused discussion at the meeting and to take decisions. The agenda and agenda notes are circulated to all the Directors in advance of each meeting of the Board of Directors. Where it is not practical to send the relevant information as a part of the agenda paper, the same were tables in the meeting. All the decisions are taken after detailed discussions by the Board Members at the meetings. During the financial year 2016-17, Four Board meetings were held. The maximum interval between any two meetings was well within the permissible gap of 120 days. The attendance of the directors at the above Board meetings has been as under:

बैठक सं. नम्बर	बैठक की तिथि	उपस्थित निदेशक	अनुपस्थित निदेशक
105	06.05.2016	डा0 बाला प्रसाद, प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड श्री बी.एल. मीना, संयुक्त सचित (बी.सी.), सा.न्या.और अधि.मंत्रा. सुश्री टी.सी.ए. कल्याणी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रा. श्री आर.के. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी. श्री के. नारायन, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	महाप्रबन्धक, सीडबी श्रीमती अन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव (एससीडी–बी) सा.न्या.और अधि., महाप्रबन्धक, नाबार्ड
106	10.08.2016	श्री श्याम कपूर, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,एन.एस.एफ.डी.सी. डा0 बाला प्रसाद, आई.एफ.एस. प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड श्रीमती अन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव (एससीडी–बी) ,सा.न्या. और अधि.मंत्रा. श्री बी.एल.मीना,संयुक्त सचित (बी.सी.), सा.न्या. और अधि. मंत्रा. सुश्री टी.सी.ए. कल्याणी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या.और अधि. मंत्रा. श्री के. नारायन, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी. श्री एस.पी. सिंह, महाप्रबन्धक, सीडबी श्री. ए.के. मोहन्ती, महाप्रबन्धक, नाबार्ड	
107	25.11.2016	श्रीमती अन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव (एससीडी–बी) ,सा.न्या. और अधि. मंत्रा. श्री बी.एल. मीना,संयुक्त सचित (बी.सी.), सा.न्या. और अधि. मंत्रा. सुश्री टी.सी.ए. कल्याणी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रा. श्री श्याम कपूर, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,एन.एस.एफ.डी.सी. श्री के. नारायन, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी. श्री एस.पी. सिंह, महाप्रबन्धक, सीडबी	महाप्रबन्धक, नाबार्ड प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड
108	17.02.2017	श्रीमती अन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव (एससीडी–बी), सा.न्या. और अधि. मंत्रा. श्री बी.एल.मीना, संयुक्त सचित (बी.सी.), सा.न्या. और अधि. मंत्रा. सुश्री टी.सी.ए. कल्याणी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रा. श्री श्याम कपूर, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी. श्री के. नारायन, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी. श्री एस.पी. सिंह, महाप्रबन्धक, सीडबी सुश्री सरोज कुमारी, निदेशक श्री के. हन्मन्डलू, निदेशक	महाप्रबन्धक, नाबार्ड प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड

3.3 आचार संहिता

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एक सुपरिभाषित आचार संहिता का अनुपालन करता है जिसमें सत्यनिष्ठा, हितों की टकराहट, गोपनीयता एवं नैतिक आचरण पर बल देने संबंधी मामलों का उचित रूप से निवारण किया जाता है, जो अच्छे प्रशासन का आधार है। आचार संहिता निदेशक मण्डल स्तर एवं निदेशक मंडल स्तर से एक श्रेणी नीचे यानी महाप्रबन्धक संवर्ग तक लागू होती है।इस आचार संहिता का एक प्रति निगम की वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर उपलब्ध है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबन्धकीय कार्मिकों ने इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

4. लेखा–परीक्षा समिति

निगम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 (इससे पूर्व कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत) बिना लाभ की कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। यह न तो एक सार्वजनिक कम्पनी है और न ही किसी सार्वजनिक कम्पनी के सहायक है। यह एक निजी सरकारी कम्पनी है तथा किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है। चूंकि यह कम्पनी सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, अत: इस कम्पनी पर लेखापरीक्षा समिति के गठन प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यद्यपि लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु जारी दिशा–निर्देशों के दृष्टिगत लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन 13.01.2016 को किया गया था। इस वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षा समिति की मात्र तीन बैठकें दिनांक 05.08.2016, 23.11.2016 एवं 16.02.2017 को हुई थी।

प्रबंधन, अंकेक्षकों एवं निदेशक मण्डल के निदेशकों के मध्य वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए समिति संयोजन का कार्य करती है। वर्ष के दौरान समीक्षा अवधि में लेखा परीक्षा समिति अंकेक्षकों से उनके अंकेक्षण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर इनपुट प्राप्त करने हेतु बैठक की। लेखा परीक्षा समिति का वर्तमान में गठन निम्नानुसार है:

BOARD MEETING NO.	HELD ON	DIRECTORS PRESENT	DIRECTORS ABSENT
105	06.05.2016	DR. BALA PRASAD, MD, TRIFED SHRI B.L.MEENA, JS (BC), M/O SJ & E MS. T.C.A. KALYANI, JS & FA, M/O SJ & E SHRI R.K.S INGH, CMD, NSFDC SHRI K. NARAYAN, MD NBCFDC	GM, SIDBI SMT. AINDRI ANURAG, JS (SCD-B), M/O SJ & E GM, NABARD
106	10.08.2016	SHRI SHYAM KAPOOR,CMD,NSFDC DR. BALA PRASAD, IFS, MD, TRIFED SMT. AINDRI ANURAG, JS (SCD-B), M/O SJ & E SHRI B.L. MEENA, JS (BC), SJ & E MS. T.C.A. KALYANI, JS & FA, M/O SJ & E SHRI K. NARAYAN, MD NBCFDC SHRI S.P. SINGH, GM, SIDBI SHRI A.K. MOHANTY, GM, NABARD	–
107	25.11.2016	SMT. AINDRI ANURAG, JS (SCD-B), M/O SJ & E SHRI B.L. MEENA, JS (BC), SJ & E MS. T.C.A. KALYANI, JS & FA, M/O SJ & E SHRI SHYAM KAPOOR, CMD, NSFDC SHRI K. NARAYAN, MD NBCFDC SHRI S.P. SINGH, GM, SIDBI	GM,NABARD MD, TRIFED
108	17.02.2017	SMT. AINDRI ANURAG, JS (SCD-B), M/O SJ & E SHRI B.L.MEENA, JS(BC), SJ & E MS. T.C.A. KALYANI, JS & FA, M/O SJ & E SHRI SHYAM KAPOOR, CMD, NSFDC SHRI K. NARAYAN, MD NBCFDC SHRI S.P. SINGH, GM, SIDBI MS. SAROJ KUMARI, DIRECTOR SHRI K. HANMANDLOO, DIRECTOR	GM, NABARD MD, TRIFED

3.4. Code of Conduct

NBCFDC follows a well-defined Code of Conduct, which fairly addresses the issues of integrity, conflict of interest and confidentiality and stresses the need of ethical conduct, which is the basis of good governance. Code of Conduct as applicable to Board level and below Board level, i.e. one grade below Board level up to General Manager Cadre is in existence. A copy of the Code of Conduct is available on the website of the Corporation i.e. www.nbcfdc.gov.in. All the Board Members and Senior Managerial Personnel have affirmed compliance to the Code of Conduct.

4. AUDIT COMMITTEE

The Corporation is registered under Section 8 of the Companies Act 2013 (earlier section 25 of the Companies Act, 1956) as a Company not for profit. It is neither a Public Company nor a subsidiary of a Public Company. It is a Private Govt. Company and not listed with any Stock Exchanges. Since the Company does not fall under the definition of listed Public Company, the provision of the constitution of the Audit Committee was not applicable to the Corporation. However, keeping in view the Corporate Governance guidelines for CPSEs issued by DPE, Audit Committee of the Board was reconstituted on 13.01.2016. During the financial year only three meeting of the audit committee was held on 05.08.2016, 23.11.2016, and 16.02.2017.

The Committee acts as a link between the Management, the Auditors and the Board of Directors to oversee the financial reporting process. During the year under review, the Audit Committee met with Auditor's to get their inputs on significant matters relating to their areas of audit. The present composition of Audit Committee is as under:

निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
टी.सी.ए. कल्याणी, अध्यक्षा	सरकारी निदेशक
हनमंडलू, सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
के. नारायण, सदस्य	प्रबंध निदेशक

वर्ष के दौरान किसी भी गैर सरकारी निदेशक का कम्पनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन देन नहीं हुआ। अंशकालिक सरकारी निदेशकों की नियुक्ति पदेन होती है एवं सरकार में उनकी नियुक्ति के समय उनकी कार्यकाल की अवधि उनकी संबंधित अवधि से से को–टर्मिनस होती है तथा निगम के निदेशक मण्डल में नियुक्ति संबंधित अवधि के अनुसार ही समाप्त होती है।

5. पारिश्रमिक समिति

लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) ने दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा बोर्ड स्तर तथा बोर्ड से नीचे के कार्यकारियों एवं गैर यूनियनकृत पर्यवक्षकों के लिए 01.01.2007 से वेतनमानों के संशोधन को अधिसूचित किया है। लोक उद्यम विभाग ने अपने उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से प्रत्येक केंन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को अंशकालिक निदेशकों अथवा स्वतंत्र निदेशकों से गठित एक पारिश्रमिक समिति बनाने का निर्देश दिया, जो निर्धारित सीमा में कार्यकारी तथा गैर– यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय पूल एवं इसके वितरण की पॉलिसी का निर्णय करेगी।

लोक उद्यम विभाग के निर्देशों के अनुसार एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल ने निगम के कर्मचारियों के लिए निष्पादन से जुड़े भुगतान/परिवर्तनीय मूल वेतन के लिए पारिश्रमिक समिति गठित की थी। पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन समय–समय पर किया गया। इस वित्तीय वर्ष में पारिश्रमिक समिति की मात्र एक बैठक दिनांक 22.10.2016 को हुई थी। पारिश्रमिक समिति की मौजूदा संरचना निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम (श्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
टी.सी.ए. कल्याणी, सदस्या	सरकारी निदेशक
हनमंडलू, सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
के. नारायण, सदस्य	प्रबंध निदेशक

6. सी.एस.आर. समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं अनुसूची VII एवं कंपनी के नियम, 2014 (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) के अनुसार कंपनी ने दिनांक 17.12.2015 को सी.एस.आर. समिति का गठन किया है। अन्य कार्यो के साथ–साथ समिति की भूमिका में निम्न सम्मिलित है:

- निदेशक मण्डल के लिए सी.एस.आर. नीति तैयार करना एवं संस्तुति करना।
- सी.एस.आर. व्यय की संस्तुति।
- सी.एस.आर. परियोजनाओं की देख–रेख एवं क्रियान्वयन।

वर्ष के दौरान समीक्षाधीन अवधि में समिति की दो बार दिनांक 27.04.2016 व 23.1102016 को बैठक हुई। वर्तमान में समिति का गठन निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
टी.सी.ए. कल्याणी, सदस्या	सरकारी निदेशक
सरोज कुमारी, सदस्या	स्वतंत्र निदेशक
के. नारायण, सदस्य	प्रबंध निदेशक

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
T C A Kalyani, Chairperson	Official Director
K. Hanmandloo, Member	Independent Director
K. Narayan, Member	Managing Director

None of the non-executive Directors had any pecuniary relationship or transactions with the Company during the year. The part time Government Directors are ex-officio appointees and their terms is co-terminus with the term of the respective position held by them in Government at the time of appointment on the Company's Board.

5. REMUNERATION COMMITTEE

The Department of Public Enterprises (DPE) vide Office Memorandum dated 26.11.2008, has notified the revision of pay scales for Board level and below Board level executives and Non-Unionized Supervisors w.e.f. 01.01.2007. DPE vide the aforesaid Office Memorandums have also directed that each CPSE shall constitute a Remuneration Committee comprising of part time directors or independent directors, which will decide the annual bonus/variable pool and policy for its distribution across the executive and Non-Unionized Supervisors within the prescribed limits.

In accordance with the directions of DPE, the Board of NBCFDC had constituted a Remuneration Committee to decide the Performance Related Payment/variable pay pool for employees of the Corporation. The Remuneration Committee was reconstituted from time to time. During the financial year only one meeting of the Remuneration Committee was held on 27.10.2016. The present composition of Remuneration is as under:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
T C A Kalyani, Member	Official Director
K. Hanmandloo, Member	Independent Director
K. Narayan, Member	Managing Director

6. CSR COMMITTEE

In line with section 135 and Schedule VII of the Companies Act 2013 and the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules 2014, the Company has constituted CSR Committee on 17.12.2015. The role of the committee should inter-alia include the following;

- Formulation & recommendation of CSR Policy to the Board.
- Recommendation of CSR Expenditure.
- Monitoring & implementation of CSR Projects

The Committee met twice during the year under review on 27.04.2016 & 23.11.2016. The present composition of Remuneration is as under:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
T C A Kalyani, Member	Official Director
K. Hanmandloo, Member	Independent Director
K. Narayan, Member	Managing Director

7. निदेशकों को पारिश्रमिक

केन्द्र सरकार का उद्यम होने के नाते प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, कार्यकाल एवं पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रबंध निदेशक के नियुक्ति पत्र में नियुक्ति की विस्तृत सेवा शर्तें, नियुक्ति की अवधि सहित वेतनमान इत्यादि सहित दर्शाए जाते हैं और यह भी संसूचित होता है कि अन्य सेवा–शर्तें जो नियुक्ति पत्र में आच्छादित न हों, निगम के संगत नियम लागू होंगें।

7.1 सरकार के नामिनी गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक

सरकार के नामिनी गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है और न ही निदेशक मण्डल/समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु भुगतान किया जाता है। वर्ष के दौरान सरकार के नामिनी निदेशकों द्वारा कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध अथवा लेन–देन नहीं किया गया।

7.2 स्वतंत्र निदेशक

स्वतंत्र निदेशकों को वर्तमान में निदेशक मण्डल/निदेशक मण्डल की समितियों की बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक रू. 4000/- का भुगतान किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 में वर्णित सम्पूर्ण सीमा के अन्दर है।

7.3 वार्षिक रिर्टन का अंश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अन्तर्गत जो कंपनी नियम, 2014 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पढ़ा जाता है, वार्षिक रिर्टन का अंश एम.जी.टी. 9 फार्म में निदेशकों के प्रतिवेदन में अनुलग्नक के रूप में दिया गया है।

8. जोखिम प्रबन्धन

लोक उद्यम विभाग द्वारा कॉरपोरेट प्रशासन पर जारी दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन के एक अंग के रूप में उपयुक्त रूप से जोखिम आकलन को संज्ञानित करने, प्रबंधन एवं आन्तरिक जोखिम आंकलन, ढांचे को लघुतम करने, व्यवसाय के साथ समेकित एवं संरेखित करने हेतु जोखिम प्रबंधन को एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

9. वार्षिक सामान्य बैठकें

वार्षिक सामान्य बैठकें या तो नई दिल्ली स्थित निगम के पंजीकृत कार्यालय में अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयोजित की जाती है। गत तीन वार्षिक सामान्य बैठकों का स्थान, तारीखें एवं समय इस प्रकार है:

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	दिनांक एवं समय	स्थान
1	2013-2014	22.09.2017 1730 hours	कमरा सं. 604, छठा तल, ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली– 110001
2	2014-2015	18.09.2015 1100 hours	कांफ्रेस कक्ष, छठा तल, कमरा सं.– 603, ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली– 110001
3	2015-2016	27.09.2016 16.00 hours	कांफ्रेस कक्ष, छठा तल, कमरा सं.– 603, ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली– 110001

7. REMUNERATION TO DIRECTORS

Being a Central Government Public Sector Enterprise, the appointment, tenure and remuneration of Managing Director is decided by the Government of India. The Government letter appointing Managing Director indicate the detailed terms & conditions of their appointment, including the period of appointment, scale of pay etc., and it also indicates that in respect of other terms & conditions not covered in the letter, the relevant rules of eth Corporation shall apply.

7.1 Non-Official Part Time Govt. Nominee Directors

Non Official Part Time Government Nominee Directors are not paid any remuneration and also not paid sitting fees for attending Board/ Committee meetings. None of the Govt. Nominee Directors have any pecuniary relationship or transactions with the Company during the year.

7.2 Independent Directors

Independent Directors are currently paid sitting fee of Rs. 4000/- per meeting of Board/Committee of Board attended which is within the overall limit prescribed under the Companies Act 2013.

7.3. Extract of Annual Return

In terms of Section 92(3) of eth Companies Act 2013 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, an extract of the Annual Return in form MGT 9 is annexed to the Directors report.

8. RISK MANAGEMENT

As a part of the implementation of the guidelines on Corporate Governance issued by DPE, a Risk Management Policy for drawing of appropriate risk assessment, management and minimization framework as also internal risk assessment framework, integrated and aligned with Corporate has been approved by the Board of Directors of NBCFDC.

9. ANNUAL GENERAL MEETINGS

Annual General Meetings are held either at the Registered Office of the Corporation at Delhi or within the NCT of Delhi. The location, date & time for the last three AGMs are as under:

Sl. No.	Financial Year	Date & Time	Venue
1	2013-2014	22.09.2017 1730 hours	Room No. 604, 6th Floor, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
2	2014-2015	18.09.2015 1100 hours	Conference Room, 6th Floor, Room No. 603, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
3	2015-2016	27.09.2016 16.00 hours	Conference Room, 6th Floor, Room No. 603, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001

10. प्रकटन

क) निदेशकों अथवा प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों के साथ कोई भौतिक लेनदेन नहीं किया गया, जिससे कि बड़े पैमाने पर कम्पनी के हितों पर संभावित विवाद पैदा होता हो।

ख) कारपोरेट प्रशासन रिपोर्ट में सम्मिलित करने हेतु कम्पनी ने केन्द्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट प्रशासन संहिता के अंतर्गत सुझाई गई समस्त आवश्यक मदों को अंगीकार किया है।

ग) प्राप्त घोषणाओं के अनुसार कम्पनी के निदेशकों के मध्य कोई परस्पर संबंध नहीं है।

घ) लागू वित्तीय विवरण आवश्यक लेखाकरण मानकों और कम्पनी अधिनियम की संगत प्रस्तुतिकरण के अनुसार तैयार किए गए हैं।

11. अंशधारिता

दिनांक 31.03.2017 को निगम की प्रदत्त अंश पूंजी रू. 1124.00 करोड़ है। निगम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सरकार से 100.00 करोड़ रूपये बजटीय सहायता के रूप में प्राप्त किए। भारत सरकार से प्राप्त प्रदत्त पूंजी की तुलना में रू. 100.00 प्रत्येक के 112,40,000 अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम आवंटित और पंजीकृत किए गए हैं। रू. 100.00 मात्र का 01 शेयर सरकारी हैसियत से संयुक्त सचिव (बी. सी.), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नाम आवंटित एवं पंजीकृत किया गया है।

12. संचार के साधन

कंपनी के वित्तीय परिणाम, कार्यालयी समाचार विज्ञप्तियां एवं कंपनी के बारे में अन्य सामान्य सूचनाएं कंपनी की वेबसाइट WWW.nbcfdc.gov.in पर अपलोड की जाती हैं। शेयरधारकों को वार्षिक साधारण बैठकों में कम्पनी के कार्य–निष्पादन के बारे में जानकारी दी जाती है। मंत्रालय को समय–समय पर निगम की मासिक/तिमाही प्रगति/कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजी जाती है। लोक उद्यम विभाग के परामर्श से निगम और प्रशासनिक मंत्रालय के मध्य एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया जाता है, जिसकी समीक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। इसके अतिरिक्त, निगम के कार्य और प्रगति की समीक्षा संयुक्त संसदीय समिति/ स्थायी समिति द्वारा भी समय–समय पर की जाती है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त,

हस्ता0/–	हस्ता0/–
(के. नारायण)	**(टी.सी.ए. कल्याणी)**
प्रबंध निदेशक	निदेशक
(डिन सं. 03561648)	(डिन सं. 02406559)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.08.2017

10. DISCLOSURES

a) There was no material transaction with the Directors or the Management or their relatives that may have potential conflict with the interest of the Company at large.

b) The Company has adopted all suggested items to be included in the Report on Corporate Governance as required under the Code of Corporate Governance issued by DPE.

c) There is no inter-se relationship between Directors of the Company, as per declarations received.

d) The financial statements are prepared in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of the Companies Act.

11. SHAREHOLDINGS

The paid up Capital of the Corporation as on 31.3.2017 is Rs. 1124.00 Crore. The Corporation received Rs. 100.00 Crore as budgetary support from the Govt. during the year under report. Against the paid up capital received from Govt. of India 112,40,000 shares of Rs. 1000/- each have been allotted and registered in the name of the President of India. 01 share of Rs. 1000/- only has been allotted and registered in the name of Joint Secretary (BC), SJ & E, Govt. of India in official capacity.

12. MEANS OF COMMUNICATION

Company's financial results, official news release and other general information about the Company are uploaded on the Company's website i.e. www.nbcfdc.gov.in. Shareholders are apprised about the working performance of the Company at the Annual General Meetings. Monthly/quarterly progress/performance of the Corporation is sent to the Ministry from time to time. An MOU is also signed between Corporation & the Administrative Ministry in consultation with DPE which is also reviewed by the Ministry at the end of the financial year. Besides, the working and progress of the Corporation is also reviewed by the Joint Parliamentary Committee/Standing Committee, from time to time.

For & on behalf of Board of Directors,

Sd/-	Sd/-
(K. Narayan)	**(TCA Kalyani)**
Managing Director	Director
(DIN No. 03561648)	(DIN No. 02406559)

Place : New Delhi
Dated : 04.08.2017

VAP & Associates
Company Secretaries

CS
387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.
Tel: +91- 0120-4272409
M: +91 – 9910091070,9711670085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

कॉरपोरेट प्रशासन मानदंडों के अनुपालन पर प्रमाण–पत्र

सदस्यगण

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट क,रपोरेशन (कंपनी)
नई दिल्ली।

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कंपनी) के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन में, हमने संगत बहियों, रिकार्ड और विवणियों का परीक्षण, भारी उद्योग मंत्रालय एवं लोक उद्यम, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, 2007 के लिए जारी दिशा–निर्देशों और इसके आगे संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं. 18 (8)/2005–जी.एम., दिनांक 14 मई, 2010 के अनुसार किया है।

कॉरपोरेट प्रशासन की दशाओं के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारा परीक्षण कम्पनी द्वारा कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तो के अनुपालन में उक्त कथित मार्ग निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया तक ही सीमित है। हमारा प्रमाणन न तो लेखापरीक्षा है और ना ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर राय व्यय करना है।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि निगम को लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) के लिए जारी उक्त कारपोरेट प्रशासन दिशानिर्देश में निहित निम्नलिखित दशाओं को छोड़कर, समस्त दशाओं का अनुपालन किया गया है:

i. निदेशक मण्डल में दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति 2 फरवरी, 2017 को की गई, तथापि लेखापरीक्षा समिति एवं पारिश्रमिक समिति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति नहीं की गयी है।

ii. निदेशक मण्डल की तीन बैठकों के मध्य अंतराल तीन महिनों से अधिक एवं दो लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों के मध्य अंतराल चाह माह से अधिक था।

iii. वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठक आहूत की गई।

हम आगे यह व्यक्त करते हैं कि इस तरह के अनुपालन कंपनी के लिए न तो भविष्य की व्यवहारिता के रूप में आश्वासन है और न ही प्रभाविता की दक्षता के, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यो का संचालन किया है।

कृते वीएपी एण्ड एसोशिएट
कम्पनी सचिव

हस्ता0/–

पारूल जैन
प्रोप्राइटर
सी.पी.न. 13901
सदस्य सं. एफ. 8323

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27.07.2017

VAP & Associates
Company Secretaries

CS
387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.
Tel: +91- 0120-4272409
M: +91 – 9910091070,9711670085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

THE CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE NORMS

To
The Members,
National Backward Classes Finance and Development Corporation ('the Company')
New Delhi.

We have examined the relevant books, records and statements in connection with compliance of the conditions of Corporate Governance by National Backward Classes Finance and Development Corporation ('the Company') for the financial year ended 31st March, 2017, as stipulated in the guidelines on Corporate Governance Norms for Central Public Sector Enterprises 2007 issued by the Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises (DPE) and revised further vide Office Memorandum No. 18(8)/2005-GM, dated May 14, 2010.

The compliance of the conditions of the Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as laid down in the above said guidelines. Our Certification is neither an audit nor an expression of the opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has substantially complied with the conditions of Corporate Governance Norms as stipulated in the above mentioned DPE Guidelines, except the following provisions:

i. *Appointment of two Independent Directors on the Board was made on 2nd February, 2017, however, not appointed as Chairman of Audit Committee and Remuneration Committee.*

ii. *The time gap between three Board meeting exceeded more than three months and between two Audit Committee meetings exceeded more than four months*

iii. *The Audit Committee Meetings were held during the year;*

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For VAP & Associates
Company Secretaries

Sd/-

Parul Jain
Proprietor
CP No. 13901
M.No. F8323

Place : Ghaziabad
Dated : 28.07.2017

अनुलग्नक – 7

फार्म सं. एमजीटी - 9
वार्षिक रिटर्न का अंश

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी नियमावली, 2014 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i) सीआईएन: U74899DL1992NPL047146

ii) पंजीकरण तिथि: 13 जनवरी, 1992

iii) कंपनी का नाम : नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

iv) कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी : –

v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क का विवरण: 5वां तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3, सीरी इंस्टीट्यूशन एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली - 110016

vi) क्या कंपनी सूचीबद्ध है हाँ/नहीं: नहीं

vii) रजिस्ट्रार एवं स्थानांतरण अभिकर्त्ता का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई हो: लागू नहीं

II. कंपनी के प्रमुख व्यवसाय कार्यकलाप

कंपनी के सभी व्यावसायिक कार्यकलाप, जिसमें कुल व्यापार का 10% अथवा अधिक अंशदान हो, उल्लेख किए जाएगें:–

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	वित्तीय परियोजनाएं	-	-
2			
3			
4			

III. स्वामित्व, सहायक एवं संयुक्त कम्पनियों का विवरण: शून्य

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सी.आई.एन./ जी.एल.एन.	स्वामित्व/सहायक/संयुक्त	धारित अंशों का %	लागू धारा
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

ANNEXURE - 7

Form No. MGT-9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN

as on the financial year ended on 31st March 2017
[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

I) CIN:- U74899DL1992NPL047146

ii) Registration Date: 13th January, 1992

iii) Name of the Company: NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

iv) Category / Sub-Category of the Company: -

v) Address of the Registered office and contact details: 5TH FLOOR, NCUI BUILDING, 3, SIRI INSTITUTIONAL AREA, AUGUST KRANTI MARG, NEW DELHI-110016

vi) Whether listed company Yes / No: NO

vii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any: - NA

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1	Financing Projects	-	-
2			
3			
4			

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES: NIL

S. NO.	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSIDIARY/ ASSOCIATE	% of shares held	Applicable Section
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

IV. अंशधारिता की पद्धति (कुल पूंजी के % के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विसर्जन)

i) श्रेणीवार अंशधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत
क. प्रोत्साहक								
(1) भारतीय								
क) वैयक्तिक/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्रीय सरकार	-	10240000	10240000	100%	-	11240000	11240000	100%
ग) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय/निगम	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (क) (1):–	**शून्य**	**10240000**	**10240000**	**100%**	**शून्य**	**11240000**	**11240000**	**100%**
(2) विदेशी								
क) प्रवासी–व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य–व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (क) (2):–	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
प्रोत्साहकों की कुल अंशधारिता (क) = (क) (1) + (क) (2)	शून्य	10240000	10240000	100%	Nil	11240000	11240000	100%
ख. जन अंशधारिता								
1. **संस्थान**	-	-	-	-	-	-	-	-
क) म्यूचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्रीय सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार(सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफएफआई	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (विवरण दें)								
उप – योग (ख) (1):–	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

IV. **SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)**

i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year			
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares
A. Promotors								
(1) Indian								
g) Individual/ HUF	-	-	-	-	-	-	-	-
h) Central Govt.	-	10240000	10240000	100%	-	11240000	11240000	100%
I) State Govt(s)	-	-	-	-	-	-	-	-
j) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-
k) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-
l) Any Other....	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (A) (1):-	**Nil**	**10240000**	**10240000**	**100%**	**Nil**	**11240000**	**11240000**	**100%**
(2) Foreign								
a) NRIs - Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Other – Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Any Other....	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (A) (2):-	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**
Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)	Nil	10240000	10240000	100%	Nil	11240000	11240000	100%
B. Public Shareholding								
1. Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Mutual Funds	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Central Govt.	-	-	-	-	-	-	-	-
d) State Govt(s)	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Insurance Companies	-	-	-	-	-	-	-	-
g) FIIs	-	-	-	-	-	-	-	-
h) Foreign Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-
I) Others (Specify)								
Sub - Total (B) (1) :-	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत
2. गैर–संस्थान								
क) समिति निगम								
I) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-
I) रू. 1 लाख तक न्यूनतम अंश पूंजी रखने वाले वैयक्तिक अंशधारक	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) रू. 1 लाख से अधिक अंश पूंजी रखने वाले वैयक्तिक अंशधारक	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-
उप – योग (ख) (2):–	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
कुल जन अंशधारक (ख) = (ख) (1) + (ख) (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. जी.डी.आर.एस. एवं ए.डी.आर.एस. हेतु संरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	शून्य	**10240000**	**10240000**	**100%**	शून्य	**11240000**	**11240000**	**100%**

(ii) प्रोत्साहकों की अंशधारिता

क्र. सं.	अंशधारकों का नाम	वर्ष के आरंभ में अंशधारिता			वर्ष के अंत में अंशधारिता			
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %	कुल अंशों में बंधक / भारित अंशों का %	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %	कुल अंशों में बंधक / भारित अंशों का %	वर्ष के दौरान अंश धारिता में परिवर्तन का %
1	भारत के राष्ट्रपति	10239999	99.99	Nil	11239999	99.99	Nil	-
2	संयुक्त सचिव	1	0.01	Nil	1	0.01	Nil	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**10240000**	**100**	**Nil**	**11240000**	**100**	**-**	**-**

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year			
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares
2. Non-Institutions								
a) Bodies Corp.								
I) Indian	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Overseas	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-
I) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub- Total (B) (2):-	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**
Total Public Shareholding (B) = (B)(1) + (B)(2)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
C. Sharesheld by Custodian for GDRs & ADRs	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total (A+B+C)	**Nil**	**10240000**	**10240000**	**100%**	**Nil**	**11240000**	**11240000**	**100%**

(ii) Shareholding of Promoters

Sl. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year			
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total Shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total Shares	% change in share holding during the year
1	The President of India	10239999	99.99	Nil	11239999	99.99	Nil	-
2	The Joint secretary	1	0.01	Nil	1	0.01	Nil	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	**10240000**	**100**	**Nil**	**11240000**	**100**	**-**	**-**

(iii) प्रोत्साहकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन न हो)

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %
	वर्ष के आरम्भ में	10240000	100	10240000	100
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहकों की अंशधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करें (यथा– आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वीट अंश इत्यादि)	**11th अगस्त 2016**	**9.76**	**11240000**	**100**
	वर्ष के अंत में	11240000	-	11240000	100

(iv) शीर्ष दस अंशधारकों की अंशधारिता पद्धति (निदेशकों, प्रोत्साहकों एवं जी.डी.आर. व ए.डी.आर. धारकों के अतिरिक्त):

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में अंशधारिता		वर्ष के दौरान संकल अंशधारिता	
	शीर्ष दस अंशधारकों में से प्रत्येक के लिए	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %
	वर्ष के आरंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान अंशधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करें (यथा–आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वीट अंश इत्यादि):	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में (अथवा अलगाव की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान अलगाव हुआ हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(v) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की अंशधारिता:

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में अंशधारिता		वर्ष के दौरान संकल अंशधारिता	
	शीर्ष दस निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में से प्रत्येक की अंशधारिता	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %
	वर्ष के आरंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहकों की अंशधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करें (यथा–आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वीट अंश इत्यादि):	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total Shares of the company	No. of Shares	% of total Shares of the company
	At the beginning of the year	10240000	100	10240000	100
	Date wise Increase/Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment / transfer /bonus/sweat equity etc):	**11th August 2016**	**9.76**	**11240000**	**100**
	At the End of the year	11240000	-	11240000	100

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Top 10 Shareholders	No. of Shares	% of total Shares of the company	No. of Shares	% of total Shares of the company
	At the beginning of the year	Nil	Nil	Nil	Nil
	Date wise Increase/Decrease in Share holding during the years specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment /transfer / bonus / sweat equity etc):	-	-	-	-
	At the End of the year (or on the date of separation, if separate dduring the year)	Nil	Nil	Nil	Nil

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Directors and KMP the Top 10 Shareholders	No. of Shares	% of total Shares of the company	No. of Shares	% of total Shares of the company
	At the beginning of the year	Nil	Nil	Nil	Nil
	Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment /transfer / bonus / sweat equity etc):	-	-	-	-
	At the End of the year	Nil	Nil	Nil	Nil

V. ऋण–ग्रस्तता

बकाया ब्याज/अर्जित ब्याज सहित कम्पनी की ऋण ग्रस्तता किन्तु भुगतान हेतु देय नहीं

	सुरक्षित ऋण असम्मिलित	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण ग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋण ग्रस्तता				
i) मूल धनराशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) देय ब्याज, किन्तु भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) उपार्जित ब्याज, किन्तु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण ग्रस्तता में परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जोड़े	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घटाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऋणग्रस्तता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) मूल धनराशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) ब्याज, किन्तु भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) उपार्जित ब्याज, किन्तु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1	सकल वेतन	श्री के. नारायण, प्र. नि.	
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	1924914	1924914
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धयों का मूल्य	139095	139095
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	532836	532836
2	स्टॉक विकल्प		
3	स्वीट अंश		
4	कमीशन		
	लाभ % के रूप में		
	अन्य, विवरण दें		
5	अन्य, कृपया विवरण दे		
	योग (क)	**2596845**	**2596845**
	अधिनियम के अनुसार सीमा		

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding	Unsecured Loans	Deposits	Total indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	Nil	Nil	Nil	Nil
ii) Interest due but not paid	Nil	Nil	Nil	Nil
iii) Interest accrued but not due	Nil	Nil	Nil	Nil
Total (i+ii+iii)	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**
Change in Indebtedness during the financial year	Nil	Nil	Nil	Nil
· Addition	Nil	Nil	Nil	Nil
· Reduction	Nil	Nil	Nil	Nil
Net Change	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**
Indebtedness at the end of the financial year	Nil	Nil	Nil	Nil
i) Principal Amount	Nil	Nil	Nil	Nil
ii) Interest due but not paid	Nil	Nil	Nil	Nil
iii) Interest accrued but not due	Nil	Nil	Nil	Nil
Total (i+ii+iii)	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager	Total Amount
1	Gross salary	Mr. K. Narayan, MD	
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961.	1924914	1924914
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income tax Act, 1961.	139095	139095
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income tax Act, 1961.	532836	532836
2	Stock Option		
3	Sweat Equity		
4	Commission		
	- as % of profit		
	- other specify...		
5	Others, please specify		
	Total (A)	**2596845**	**2596845**
	Ceiling as per the Act		

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम				कुल राशि
3	– स्वतंत्र निदेशकगण	श्री के हन्मन्डलू	सुश्री सरोज कुमारी			
	– बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	**1000**	**1000**	-	-	**2000**
	– कमीशन	-	-	-	-	-
	– अन्य, कृपया विवरण दें	-	-	-	-	-
	– योग (1)	**1000**	**1000**	**शून्य**	**शून्य**	**2000**
4	– अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक	-	-	-	-	-
	– बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
	– कमीशन	-	-	-	-	-
	– अन्य, कृपया विवरण दें	-	-	-	-	-
	– योग (2)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
	कुल (ख) = (1+2)	**1000**	**1000**	**शून्य**	**शून्य**	**2000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक					
	अधिनियम के अनुसार समग्र ऊपरी सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अतिरिक्त मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		मुख्य कार्यकारी	कम्पनी सचिव	सी.एफ.ओ.	योग
1	सकल वेतन				
	(a) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	1324242	-	1324242
	(b) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलब्धियों का मूल्य	-	138249	-	138249
	(c) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	- -	201720	-	201720
2	स्टॉक विकल्प	-	0	-	
3	स्वीट अंश	-	0	-	
4	कमीशन	-	0	-	
	लाभ के % के रूप में	-	0	-	
	अन्य, विवरण दें	-	0	-	
5	अन्य, कृपया विवरण करें	-	0	-	
	योग	**Nil**	**1664211**	**Nil**	**1664211**

B. Remuneration to other directors:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors				Total Amount
3	Independent Directors	K. Hanamandloo	Saroj Kumari			
	· Fee for attending board /committee meetings	**1000**	**1000**	**-**	**-**	**2000**
	· Commission	-	-	-	-	-
	· Others, please specify	-	-	-	-	-
	Total (1)	**1000**	**1000**	**Nil**	**Nil**	**2000**
4	Other Non-Executive Directors	-	-	-	-	-
	· Fee for attending board /committee meetings	-	-	-	-	-
	· Commission	-	-	-	-	-
	· Others, please specify	-	-	-	-	-
	Total (2)	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**
	Total (B)=(1+2)	**1000**	**1000**	**Nil**	**Nil**	**2000**
	Total Managerial Remuneration					
	Overall Ceiling as per the Act	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

C. Remuneration to key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	**Company Secretary**	**CFO**	**Total**
1	Gross salary				
	(a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income -tax Act, 1961	-	1324242	-	1324242
	(b) Value of perquisites u/s17(2) Income-tax Act, 1961	-	138249	-	138249
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-taxAct, 1961	- -	201720	-	201720
2	Stock Option	-	0	-	
3	Sweat Equity	-	0	-	
4	Commission	-	0	-	
	,-as % of profit.	-	0	-	
	,-others, specify…	-	0	-	
5	Others, please specify	-	0	-	
	Total	**Nil**	**1664211**	**Nil**	**1664211**

Vii. अपराधों के लिए दण्ड/सजा/समझौता

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए दण्ड/सजा/समझौता शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आर.डी./एन.सी.एल.टी./न्यायालय)	की गई अपील यदि कोई हो (विवरण दें)
अ. कंपनी					
दण्ड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-
ब. निदेशकगण					
दण्ड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-
स. अन्य अधिकारीगण की चूक					
दण्ड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-

Vii. Penalties/Punishment/Compounding of Offences

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT / COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A. COMPANY					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
B. DIRECTORS					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – IV, नई दिल्ली।
Office of the Principal Director of Commercial Audit
& Ex-officio Member Audit Board-IV, New Delhi.

गोपनीय

सं. 570–पीडीसीए/एमएबी–iv/एचएस/ए/सी.एस/एन.बी.सी.एफ.डी.सी. / 17/18/3034
दिनांक: 05.09.2017

सेवा में

प्रबंध निदेशक
नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
5वां तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग,
3, सीरी इस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली–110016

विषय: नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 31 मार्च, 2017 को समाप्त लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं एतद्द्वारा नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 31 मार्च, 2017 को समाप्त लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ संलग्न करता हूँ।

कृपया पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति भेजेने का कष्ट करें।

भवदीय

(ऋतिका भाटिया)
प्रधान वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – IV

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

आँठवा व नवाँ तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110002
8th & 9th Floor, Annexe Building, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002
दूरभाष / Tel.: 23239413, 23239415, 23239419, 23239420 फैक्स / Fax: 23239416
ईमेल / Email: mabnewdelhi@cag.gov.in

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – IV, नई दिल्ली।

Office of the Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member Audit Board-IV, New Delhi.

CONFIDENTIAL

No. 570-PDCA/MAB-IV/HS/A/cs/NBCFDC/17-18/3034
Dated: 05 September, 2017

To

The Managing Director
National Backward Classes Finance and Development Corporation
5th Floor, N.C.U.I. Building,
3, Siri Institutional Area,
August Kranti Marg,
New Delhi-110016

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of **National Backward Classes Finance and Development Corporation** for the year ended 31st March, 2017.

Sir,

I am to enclose herewith the Comments of the Comptroller and Auditor General of India under 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 on the accounts of **National Backward Classes Finance and Development Corporation** for the year ended 31st March, 2017

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

(Ritika Bhatia)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-officio Member, Audit Board-IV

Encl: As above.

आँठवा व नवाँ तल, संकाय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110002
8th & 9th Floor, Annexe Building, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002
दूरभाष / Tel.: 23239413, 23239415, 23239419, 23239420 फैक्स / Fax: 23239416
ईमेल / Email: mabnewdelhi@cag.gov.in

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय लेखों पर, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

नेशनल **बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन** के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन का दायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 2013 की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सावंधिक लेखा परीक्षक का दायित्व अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्धारित अंकेक्षण मानकों के अनुरूप धारा 143 पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षण पर अपनी राय व्यक्त करना है। यह उल्लेख किया जाता है कि यह उनकी **संशोधित ऑडिट रिपार्ट दिनांक** 30 **अगस्त** 2017 के द्वारा की गई है।

मैंने, कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से **नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन** का 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपूरक लेखापरीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षण, स्वतंत्र रूप से सांवधिक लेखा परीक्षकों की कार्य पत्रों की पहुंच के बिना एवं सांवधिक लेखा परीक्षकों की प्राथमिक जांच पड़ताल एवं कम्पनी के कर्मचारियों तथा लेखा अभिलेखों के कुछ चुनिन्दा परीक्षणों तक सीमित है। मेरे लेखापरीक्षण के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ विशिष्ट नहीं आया है जिस पर अथवा सांविधिक लेखा परीक्षा की अनुपूरक रिपार्ट पर कोई टिप्पणी की जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ओर से एवं उनके निमित्त

Ritika Bhatia

(ऋतिका भाटिया)
प्रधान वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – IV

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 05.09.2017

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017.

The preparation of financial statements of **NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION** for the year ended 31 March 2017 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their **Revised Audit Report dated 30th August, 2017.**

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6) (a) of the Act of the financial statements of **NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION** for the year ended 31 March, 2017. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit noting significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report.

For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Ritika Bhatia)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-officio Member, Audit Board-IV

Place: New Delhi
Dated: 5.09.2017

N.K.S. CHAUHAN & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की संशोधित रिपोर्ट

सदस्यगण, नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन** (कंपनी) के एकल वित्तीय विवरणों के साथ–साथ 31 मार्च, 2017 तक तुलन–पत्र, आय तथा व्यय लेखा विवरण समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, अंशों में परिवर्तन का विवरण एवं महत्वूपर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखापरीक्षा की है।

एकल वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में मामलों हेतु कम्पनी के निदेशक मण्डल का दायित्व–इन सकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, अधिनियम की धारा 133 के साथ उसके कम्पनी (लेखा), नियमावली 2014 के नियम 7 साथ पढ़े जाते हैं, वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं कम्पनी के नकदी प्रवाह के दृष्ठिगत एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते है, और वे सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप हैं। दायित्व में यह भी सम्मिलत है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु लेखाकरण अभिलेखों का पर्याप्त रूप से अनुरक्षण करने एवं धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोग, निर्णय लेने एवं उपयुक्तता व मितव्यता का अनुमान करने, आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिकल्पन, जो लेखाकरण अभिलेखों के यथार्थ व परिपूर्ण क्रियान्वयन एवं संचालन को प्रभावशाली रूप से संचालित करते हुए वित्तीय विवरणों को उपयुक्त रूप से तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतीकरण जिससे एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जाती है, जो मिथ्या कथन से मुक्त हों, चाहे वे धोखाधड़ी / त्रुटियों से होती हैं।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन एकल वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण एवं अंकेक्षण मानकों, तथा ऐसे मामलों जिन्हें अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत लेखापरीक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाना है, को ध्यान में रखा है।

हमने अपने अंकेक्षण को अधिनियम की धारा 143 (10) के अन्तर्गत वर्णित लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप संचालित किया है। जो मानक आवश्यक है, हमने उनका पालन नैतिक आवश्यकता एवं योजना के अनुसार किया है एवं लेखापरीक्षण करने में कि क्या वित्तीय विवरण गलत बयानबाजी से मुक्त हैं, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किए हैं।

धनराशियों एवं वित्तीय विवरणों के पकटन के संबंध में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने लिए अंकेक्षण में कार्यनिष्पादन प्रक्रिया सम्मिलित है। वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या कथन पर जोखिम आकलन सहित चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है, जो चाहे धोखाधड़ी के कारण या त्रुटि के कारण हों। इन जोखिम का आकलन करने में लेखापरीक्षकों ने कम्पनी के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु उपयुक्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार किया है, जो लेखापरीक्षण प्रक्रिया के अभिकल्पन के क्रम में सत्य एवं साफ तस्वीर प्रस्तुत करती है कि वे परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। लेकिन इस बारे में कोई राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं कि कंपनी की वित्तीय रिपोटिंग एवं परिचालन प्रभाविता के इस प्रकार के नियंत्रणों हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। लेखापरीक्षा में जारी उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के मूल्यांकन के साथ–साथ वित्तीय वक्तव्यों की सभी प्रस्तुतियों का मूल्यांकन भी सम्मिलित है।

हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षण के लिए जो साक्ष्य हमें दिए गए हैं, वे पर्याप्त और उचित हैं, जिसके आधार पर हमने एकल वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखापरीक्षण राय बनाई है।

HO: C-62, Basement, South Extension Part-1, New Delhi - 110049
Ph.: 91 11 24656291, 9810050831, 9810050031, 9871600831
E-mail: canks.associates@gmail.com, nks_chauhan@yahoo.com

N.K.S. CHAUHAN & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

REVISED INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of National Backward Classes Finance and Development Corporation

Report on the Standalone Financial Statements

We have audited the accompanying standalone financial statements of **NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2017, the Statement of Income and Expenditure, the Cash Flow Statement for the year then ended, the Statement of changes in Equity and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies(Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies;making judgments and estimates that are reasonable and prudent;anddesign, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these Standalone Financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, includingthe assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinionon the standalone financial statements.

HO: C-62, Basement, South Extension Part-1, New Delhi - 110049
Ph.: 91 11 24656291, 9810050831, 9810050031, 9871600831
E-mail: canks.associates@gmail.com, nks_chauhan@yahoo.com

राय

हमारी राय व हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, पूर्वोकत एकल वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा, आवश्यक सूचना की जानकारी इस रूप में देते हैं, जैसा कि आवश्यक है, लेखाकरण सिद्धांतों व अनुरूपता के मद्देनजर भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी के कार्यो की स्थिति के बारे में 31 मार्च, 2017 की एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ/हानि एवं इसके नकदी प्रवाह की सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

मामला जिस पर जोर दिया गया

कंपनी के ऋण लेखाकरण के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर की सूचना प्रणाली, लेखापरीक्षण की ड़िज़ाइनिंग व स्वचालित नियंत्रण के प्रभावी संचालन के लिए अपग्रेड करने की आवश्यकता है।

हमारी राय इन मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत अपेक्षित भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर कंपनी हेतु रिपोर्ट अनुलग्नक– 'क' के रूप में हम संलग्न कर रहे हैं।
2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित हमारी रिपोर्ट यह है कि:–

   क) हमने उन सभी सूचनाओं व स्पष्टीकरणों की मांग की और प्राप्त किए, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार अंकेक्षण के लिए आवश्यक थे।

   ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित लेखों की बहियों को तैयार किया गया है तथा उन बहियों को हमारे परीक्षण में दिखाया गया है।

   ग) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए तुलन–पत्र, आय व व्यय के ब्यौरे और नकदी प्रवाह के ब्यौरे एवं अंशों में परिवर्तन के ब्यौरे, लेखों की बहियों के समानुरूप है।

   घ) हमारी राय में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणी कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम–7 के साथ पठित अधिनियम की धारा–133 के अंतर्गत निहित लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

   ड़) 31 मार्च, 2017 तक की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर निदेशक–मंडल द्वारा इन्हें रिकार्ड में लिया गया है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164 (2) की शर्तों के अंतर्गत किसी भी निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

   च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में, 'अनुलग्नक–बी' पर हमारी अलग रिपोर्ट को देखें।

   छ) कंपनी (अंकेक्षण व अंकेक्षक) नियमावली, 2014 के नियम–11 के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय व हमारी सर्वोत्तम जानकारी में व दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:–

      i) कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमेबाजी का मामला नहीं है, जिससे इसकी वित्तीय स्थिति पर असर होगा।

      ii) कंपनी के पास अमौलिक अनुबंध सहित लंबी अवधि का कोई भी अनुबंध नहीं है, जिससे पूर्वाभासी भैतिक कोई हानि हुई हो।

      iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षक कोष में कोई भी राशि स्थानांतरित करना अपेक्षित नहीं था।

      iv) कंपनी ने 8 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 की अवधि के, वर्णित बैंक टिप्पणियों में जैसा व्यक्त है एवं अधिकार में है एकल वित्तीय विवरणी पर अपेक्षित प्रकटन उपलब्ध कराएं और ये कंपनी द्वारा तैयार की गई खाता बहियों के अनुरूप है।

कृते **एन.के.एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स**
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 013940एन

हस्ता0/–
सी.ए.एन.के.एस. चौहान
पार्टनर
सदस्य सं.: 088165

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.08.2017

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2017, and its profit/loss and its cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

The software used for loan accounting of the company requires up-gradation and Information System Audit to test the designing and effectiveness of the automated controls.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required under section 143(5) of the Companies Act, 2013, we enclose herewith, as per "Annexure A", our report for the Company on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.
2. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
   (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposesof our audit.
   (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
   (c) The Balance Sheet, the Statement of Income and Expenditure, and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account.
   (d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
   (e) On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2017,takenon record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2017 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.
   (f) With respect to the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B".
   (g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
      (i) The Company does not have any pending litigations which would impact its position.
      (ii) The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
      (iii) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
      iv) The Company has provided requisite disclosures in its standalone Financial Statements as to holdings as well as dealings in Specified Bank Notes during the period from 8 November, 2016 to 30 December, 2016 and these are in accordance with the books of accounts maintained by the Company.

For **NKS Chauhan& Associates**
(Chartered Accountants)
FRN No:013940N

Sd/-
CA NKS Chauhan
Partner
M.No: 088165

Place: New Delhi
Date: 30/08/2017

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–'क'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत भारत के नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

क्र.सं.	निर्देश	उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टा हेतु स्पष्ट स्वामित्व/ पट्टा विलेख है। यदि नहीं, तो कृपया पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टा के क्षेत्रफल एवं स्वामित्व/ पट्टा विलेख का उल्लेख करें।	कंपनी के पास हौज खास, नई दिल्ली में फ्लैट सं. एक्स–29 का स्पष्ट स्वामित्व विलेख है। मुम्बई के ओशिवाड़ा में दो फ्लैटों के बारे में जो दस्तावेज कॉरपोरेशन के पास है, स्पष्ट स्वामित्व का सही से पता नहीं चलता। कथित सम्पत्तियों का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है: क्र.सं. पट्टे पर संपत्ति का पता — क्षेत्रफल 1. फ्लैट न. 001, बिल्डिंग सं. 18, एमिटी को–आपरेटिव एच.एस.जी. सोसायटी लि0, म्हादा हाउसिंग कॉम्पलेक्स, ओशिवाड़ा, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई. — 787.59 वर्गफुट 2. फ्लैट न. 002, बिल्डिंग सं. 16, हिमसाई सी.एच.एस.एल., ओशिवाड़ा, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र — 804.70 वर्गफुट
2.	कर्ज/ऋण/ब्याज आदि की माफी का कोई मामला है, कपया इसकी सूचना दें। यदि हां, तो उसका कारण और शामिल राशि का ब्यौरा दें।	वर्ष के दौरान रू. 1,33,67,715/- का दंडात्मक ब्याज निगम की एकमुश्त निपटान (ओ.टी.एस.) योजना के तहत माफ किया गया है।
3.	क्या तृतीय पक्ष के साथ मालसूची और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का समुचित रिकार्ड रखा जाता है?	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तृतीय पक्ष की कोई माल सूची नहीं है, और कंपनी को सरकार अथवा अन्य किसी प्राधिकरण से उपहार के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

कृते **एन.के.एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स**
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 013940एन

हस्ता0/–
सी.ए.एन.के.एस. चौहान
पार्टनर
सदस्य सं.: 088165

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.08.2017

Annexure A to the Independent Audit Report

Report on directions issued under section 143(5) of the Companies Act, 2013 by the Comptroller & Audit General of India

Sl. No.	Directions	Reply
1.	Whether the company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and leasehold and for which the title/lease deeds are not available?	The Corporation has clear title deed for flat at X-29, HauzKhas, New Delhi. In respect of two flats at Oshiwara, Mumbai, the documents held by the Corporation do not appear to be proper to signify clear titles. The details of the said properties are as under Sl. No. – Address of leasehold Property – Area 1. Flat No. 001, Building No.18 Amity Co-operative HSG. Society Ltd. Mahada Housing Complex Oshiwara, Andheri (West). – 787.59 Sq.ft. 2. Flat No. 002, Building No.16 Himasai CHSL, Oshiwara, Andheri (West) Mumbai, Maharastra. – 804.70 Sq.ft.
2.	Please report whether there are any cases of waiver/write off of debts/loans/ interests etc., if yes, the reasons there for and the amount involved.	During the year Penal Interest of Rs. 1,33,67,715/- has been waived off under One Time Settlement (OTS) scheme of the Corporation.
3.	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties and assets received as gifts from government or other authorities.	There is no inventory lying with third parties as on March 31,2017 and the Corporation has not received assets as gift from Government or other authorities.

For **NKS Chauhan& Associates**
(Chartered Accountants)
FRN No:013940N

Sd/-
CA NKS Chauhan
Partner
M.No: 088165

Place: New Delhi
Date: 30/08/2017

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एकल वित्तीय विवरणी पर समसख्यक तारीख को स्वतंत्र निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक– 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा–143 की उप–धारा 3 के क्लॉज (i) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्ट

''अधिनियम''

हमने **नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन** (कंपनी) के 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की एकल वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी प्रबंधन का दायित्व कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोटिंग मापदंडों के पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण करना, यह और मानते हुए कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के गाइडंस नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अवयवों को स्थापित करना और उसको बनाए रखना है। इन दायित्वों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और उसे बनाए रखना है तथा जो कंपनी की नीतियों, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, किसी भी धोखे व त्रुटियों की रोकथाम व उनका पता लगाने, लेखाकरण रिकार्ड की शुद्धता व पूर्णता और भरोसेमंद वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने का अनुपालन करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु अंकेक्षण पर आधारित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत प्रकट करना हमारा दायित्व है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु (गाइडेंस टिप्पणी) इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी गाइडेंस नोट के अनुसार एवं अंकेक्षण के मानकों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्धारित है (उस सीमा तक जहाँ तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण हेतु लागू हों, हमने अंकेक्षण किया है।

मेरा विश्वास है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, पर्याप्त हैं एवं वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र पर हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट हेतु समुचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो लेखाकरण के सामान्यतः स्वीकार्य सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग एवं वित्तीय विवरण तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध में बाह्य उद्देश्यों हेतु पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के उपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से सम्बंधित, उपयुक्त विवरण, लेन–देन का शुद्ध एवं उचित रूप से विवरण एवं कंपनी की परिसम्पत्तियों की स्थिति के बारे में; (2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करना जैसा कि आवश्यक हो। सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु अनुमति के लिए लेन–देन रिकार्ड किए जाते हैं, (3) कंपनी की अनाधिकृत परिसंपत्तियों के अर्जन, प्रयोग, अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों की स्थिति जिससे मूर्त रूप से वित्तीय विवरणों पर प्रभाव हो। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में अन्तर्निहित सीमाओं के कारण साँठ–गाँठ की संभावना को सम्मिलित करते हुए नियंत्रण का अवहेलना हेतु अनुपयुक्त प्रबंधन, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण मूर्त मिथ्या कथन हो सकते हैं और पता नहीं किया जा सकता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई मूल्यांकन का भविष्य की समयावधि हेतु विक्षेय जोखिम के अधीन होते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, (दशाओं के परिवर्तन, अथवा नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की तीव्रता) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है और यह क्षय कर सकता है।

Annexure B to the Independent Auditor's Report of even date on the standalone Financial Statements of NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION** ("the Company") as of March 31, 2017 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records,and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Standards on Auditing prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3)provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

अभिमत

हमारी राय में कंपनी के पास सभी मूर्त सामग्रियों के सम्बंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त वित्तीय तंत्र है और 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के, जो में इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर जारी मार्गदर्शन टिप्पणी में कहा गया है कि कंपनी द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आवश्यक घटक पर विचार करने पर आधारित थे।

कृते **एन.के.एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स**
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 013940एन

हस्ता0/–
सी.ए.एन.के.एस. चौहान
भागीदार
सदस्य सं.: 088165

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.08.2017

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2017, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For **NKS Chauhan& Associates**
(Chartered Accountants)
FRN No:013940N

Sd/-
CA NKS Chauhan
Partner
M.No: 088165

Place: New Delhi
Date: 30/08/2017

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र (बैलेन्स शीट)

(लाख रु. में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
I.	**परिसम्पत्तियाँ**				
1	**गैर–वर्तमान परिसंम्पत्तियाँ**				
	(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	3	53.06	49.34	52.51
	(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	-	0.78	1.55
	(i) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		17.35		
	(ग) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	(i) ऋण	5	91,122.74	82,930.78	75,155.89
	(ii) अन्य	6	267.15	218.91	168.92
	(घ) अन्य गैर–वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	7	44.83	42.77	46.83
			91,505.13	83,242.58	75,425.70
2	**वर्तमान परिसंपत्तियाँ**				
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	(i) नकद एवं नकदी समकक्ष	8	8,880.46	6,707.61	2,309.85
	(ii) उपरोक्त (i) अतिरिक्त बैंक अवशेष	9	9,542.00	9,996.00	9,000.00
	(iii) ऋण	5	42,175.79	38,813.33	39,442.83
	(iv) अन्य	6	4,586.19	4,840.53	3,815.15
	(ख) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	10	27.11	22.96	24.01
	(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	7	52.80	61.53	54.27
			65,264.35	60,441.96	54,646.11
	कुल परिसंपत्तियां		**156,769.49**	**143,684.54**	**130,071.81**
II.	**इक्विटी व देयताएं**				
1	**इक्विटी**				
	(क) इक्विटी शेयर पूँजी	11	112,400.00	102,400.00	91,200.00
	(ख) अन्य इक्विटी	12	42,992.56	40,425.40	38,017.49
			155,392.56	142,825.40	129,217.49
2	**देएताएं**				
	(i) गैर–वर्तमान देयताएं				
	(क) प्रावधान	13	52.12	129.16	69.87
			52.12	129.16	69.87
	(ii) वर्तमान देयताएं				
	(क) वित्तीय देयताएं				
	(i) अन्य	14	1,106.64	512.82	514.07
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	15	38.19	23.00	56.35
	(ग) प्रावधान	13	179.98	194.16	214.03
			1,324.81	729.98	784.45
	कुल इक्विटी एवं देयताएं		**156,769.49**	**143,684.54**	**130,071.81**
III.	**वित्तीय विवरण के लिए संगत टिप्पणियां देखें**				

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन. के. एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता0/–
चाटर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन 013940N

हस्ता0/–
अनुपमा सूद
सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)

हस्ता0/–
अजित कुमार सामल
कम्पनी सचिव

हस्ता0/–
टी.सी.ए. कल्याणी
निदेशक
(डिन सं. 02406559)

हस्ता0/–
के. नारायन
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03561648)

भागीदार: एन.के.एस.चौहान
सदस्य स. 088165

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.08.2017

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note No.	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 01st April 2015
I.	**ASSETS**				
1	**Non-current assets**				
	(a) Property, plant and equipment	3	53.06	49.34	52.51
	(b) Other intangible assets	4	-	0.78	1.55
	(i) Intangible asset under development		17.35		
	(c) Financial assets				
	(i) Loans	5	91,122.74	82,930.78	75,155.89
	(ii) Others	6	267.15	218.91	168.92
(d)	Other non-current assets	7	44.83	42.77	46.83
			91,505.13	83,242.58	75,425.70
2	**Current assets**				
	(a) Financial assets				
	(i) Cash and cash equivalents	8	8,880.46	6,707.61	2,309.85
	(ii) Bank balances other than (i) above	9	9,542.00	9,996.00	9,000.00
	(iii) Loans	5	42,175.79	38,813.33	39,442.83
	(iv) Others	6	4,586.19	4,840.53	3,815.15
	(b) Current tax asset (Net)	10	27.11	22.96	24.01
	(c) Other current assets	7	52.80	61.53	54.27
			65,264.35	60,441.96	54,646.11
	Total Assets		**156,769.49**	**143,684.54**	**130,071.81**
II.	**EQUITY AND LIABILITIES**				
1	**Equity**				
	(a) Equity share capital	11	112,400.00	102,400.00	91,200.00
	(b) Other equity	12	42,992.56	40,425.40	38,017.49
			155,392.56	142,825.40	129,217.49
2	**Liabilities**				
	(i) Non-current liabilities				
	(a) Provisions	13	52.12	129.16	69.87
			52.12	129.16	69.87
	(ii) Current liabilities				
	(a) Financial liabilities				
	(i) Others	14	1,106.64	512.82	514.07
	(b) Other current liabilities	15	38.19	23.00	56.35
	(c) Provisions	13	179.98	194.16	214.03
			1,324.81	729.98	784.45
	Total Equity and Liabilities		**156,769.49**	**143,684.54**	**130,071.81**
III.	**See accompanying notes to the financial statements**				

As per our Report of even date attached
For N K S Chauhan & Associates

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Chartered Accountants
FRN 013940N

Sd/-
ANUPAMA SOOD
Assistant General Manager (Finance)

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
Company Secretary

Sd/-
T.C.A KALYANI
Director
(DIN No. 02406559)

Sd/-
K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No. 03561648)

Partner: N.K.S. Chauhan
M. No. 088165

Place: New Delhi
Date: 04/08/2017

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का आय–व्यय विवरण

(लाख रु. में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	संचालनों से आय	16	4,752.44	4,487.19
II	अन्य आय	17	14.54	13.80
III	कुल राजस्व **(I+II)**		**4,766.98**	**4,500.99**
IV	व्यय			
	ऋणों एवं अग्रिमों की अनुमति	18	-	430.40
	माफ किया गया दण्ड ब्याज	19	133.68	217.95
	कर्मचारी लाभ व्यय	20	670.45	544.39
	मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	21	8.96	8.01
	प्रशिक्षण एवं विकास व्यय	22	1,161.28	740.71
	अन्य व्यय	23	284.66	213.43
	कुल व्यय (IV)		**2,259.03**	**2,154.89**
V	**असाधारण मदों एवं कर से पूर्व व्यय से आय का आधिक्य (III - IV)**		**2,507.96**	**2,346.11**
VI	असाधारण मदें	25	(46.34)	(38.67)
VII	**कर से पूर्व व्यय से आय का आधिक्य (V - VI)**		2,554.30	2,384.78
VIII	**कर व्ययः**			
	(1) वर्तमान कर		-	-
	(2) आस्थगित कर		-	-
IX	**निरंतर परिचालन से अवधि के लिए व्यय से आय का आधिक्य (VII-VIII)**		**2,554.30**	**2,384.78**
X	संचालन बंद करने से व्यय से आय का आधिक्य	-	-	
XI	बंद संचालनों पर कर व्यय	-	-	
XII	संचालन बंद करने से व्यय से आय का आधिक्य (X - XI)	-	-	
XIII	**अवधि में व्यय से आय का आधिक्य (IX + XII)**		**2,554.30**	**2,384.78**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	क. (i) मदें जो आय एवं व्यय लेखे में पुनर्वगीकृत वही की वही जाएगी	24	12.86	22.87
	(ii) आय कर से सम्बंधित मदें जो आय–व्यय लेखे वही में पुनर्वगीकृत वही की जाएगी	-	-	
	ख. (i) मदें जो आय–व्यय लेखे में पुनर्वगीकृत की जाएगी -	-		
	(ii) आय कर से सम्बंधित मदें जो आय–व्यय लेखे में पुनर्वगीकृत वही की जाएगी	-	-	
XV	**अवधि में कुल व्यापक आय (XIII+XIV)** (अवधि के लिए व्यय से आय का आधिक्य एवं अन्य समग्र आय सम्मिलित)		**2,567.16**	**2,407.64**
XVI	**प्रति साम्य अंश अर्जन**			
	(1) मूलभूत (में ₹)	26	**23.47**	**24.84**
	(2) तनु (में ₹)		**23.03**	**24.84**
XVII	**प्रति साम्य अंश अर्जन**			
	(बंद संचालन से)			
	(1) मूलभूत (में ₹)	-	-	
	(2) तनु (में ₹)	-	-	
XVIII	**प्रति साम्य अंश अर्जन**			
	(बंद एवं चल रहे संचालनों से)			
	(1) मूलभूत (में ₹)	25	**23.47**	**24.84**
	(2) तनु (में ₹)		**23.03**	**24.84**
XVIII	**वित्तीय विवरण के लिए संगत टिप्पणियां देखें**			

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन. के. एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स	**अनुपमा सूद**	**अजित कुमार सामल**	**टी.सी.ए. कल्याणी**	**के. नारायन**
एफआरएन 013940N	सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)	कम्पनी सचिव	निदेशक	प्रबंध निदेशक
			(डिन सं. 02406559)	(डिन सं. 03561648)

भागीदारः एन.के.एस.चौहान
सदस्य स. 088165

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.08.2017

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

INCOME & EXPENDITURE FOR YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note No.	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
I.	Revenue from operations	16	4,752.44	4,487.19
II	Other Income	17	14.54	13.80
III	**Total Revenue (I+II)**		**4,766.98**	**4,500.99**
IV	**Expenses**			
	Allowance for Loans & advances	18	-	430.40
	Penal Interest waived off	19	133.68	217.95
	Employee Benefit Expense	20	670.45	544.39
	Depreciation and Amortization Expense	21	8.96	8.01
	Training & Development Expenses	22	1,161.28	740.71
	Other Expenses	23	284.66	213.43
	Total Expenses (IV)		**2,259.03**	**2,154.89**
V	**Excess of Income over expenditure before Exceptional Items and Tax (III - IV)**		**2,507.96**	**2,346.11**
VI	Exceptional Items	25	(46.34)	(38.67)
VII	**Excess of Income over expenditure before Tax (V - VI)**		2,554.30	2,384.78
VIII	Tax expense:			
	(1) Current tax		-	-
	(2) Deferred tax		-	-
IX	**Excess of Income over expenditure for the period from continuing operations (VII-VIII)**		**2,554.30**	**2,384.78**
X	Excess of Income over expenditure from discontinued operations		-	-
XI	Tax expense of discontinued operations	-	-	
XII	Excess of Income over expenditure discontinued operations (X - XI)		-	-
XIII	**Excess of Income over expenditure for the period (IX + XII)**		**2,554.30**	**2,384.78**
XIV	**Other Comprehensive Income**			
	A. (i) Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account	24	12.86	22.87
	(ii) Income Tax relating to Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
	B. (i) Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
	(ii) Income Tax relating to Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
XV	**Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV) (Comprising Excess of Income over expenditure and Other Comprehensive Income for the period**		**2,567.16**	**2,407.64**
XVI	**Earning per Equity Share**			
	(1) Basic (in ₹)	26	**23.47**	**24.84**
	(2) Diluted (in ₹)		**23.03**	**24.84**
XVII	**Earnings per Equity Share:**			
	(For discontinuing Operation)			
	(1) Basic (in ₹)	-	-	
	(2) Diluted (in ₹)	-	-	
XVIII	**Earnings per Equity Share:**			
	(For discontinued and continuing Operation)			
	(1) Basic (in ₹)	25	**23.47**	**24.84**
	(2) Diluted (in ₹)		**23.03**	**24.84**
XVIII	See accompanying notes to the financial statements			

As per our Report of even date attached
For N K S Chauhan & Associats

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Chartered Accountants
FRN 013940N

Sd/-
ANUPAMA SOOD
Assistant General Manager (Finance)

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
Company Secretary

Sd/-
T.C.A KALYANI
Director
(DIN No. 02406559)

Sd/-
K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No. 03561648)

Partner: N.K.S. Chauhan
M. No. 088165

Place: New Delhi
Date: 04/08/2017

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

(लाख रु. में)

विवरण		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
क. संचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
संचालन कार्यकलापों द्वारा प्रदान किए गए शुद्ध नकद से शुद्ध लाभ के साथ समायोजन के लिए		**2,507.96**	**2,346.11**
असाधारण मदें एवं कर से पूर्व आय का व्यय से आधिक्य			
असाधारण मदें		46.34	38.67
मूल्यह्रास		8.96	8.01
ऋण एवं अग्रिमों हेतु प्रावधान		5.03	430.40
परसंपत्तियों के विनिमय/क्षति बिक्री से हानि/(लाभ)			0.06
संचालन परिसंपत्तियों एवं दायित्वों में परिवर्तन से पूर्व संचालन लाभ/समायोजन हेतु	**(1)**	**2,568.29**	**2,823.25**
गैर वर्तमान ऋण में कमी/(बढ़ोत्तरी)		(7,741.26)	(7,957.75)
अन्य गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(बढ़ोत्तरी)		(48.24)	(49.99)
वर्तमान ऋण में कमी/(बढ़ोत्तरी)		(3,818.20)	381.96
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी/(बढ़ोत्तरी)		254.34	(1,025.38)
अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों अन्य में कमी/(बढ़ोत्तरी)		(2.06)	4.06
वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी/(बढ़ोत्तरी)		(4.15)	1.05
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी/(बढ़ोत्तरी)		8.73	(7.26)
अन्य वर्तमान वित्तीय दायित्व में कमी/(बढ़ोत्तरी)		593.82	(1.25)
अन्य वर्तमान दायित्व में कमी/(बढ़ोत्तरी)	15.19	(33.35)	
गैर वर्तमान दायित्व में कमी/(बढ़ोत्तरी)		(77.04)	59.30
अन्य बैंक अवशेष में परिवर्तन		454.00	(996.00)
वर्तमान प्रावधानों में कमी/(बढ़ोत्तरी)		(1.32)	3.00
	(2)	(10,366.20)	(9,621.61)
संचालन में सृजित नकदी	**(1+2)**	**(7,797.90)**	**(6,798.36)**
भुगतान किया गया आय कर		-	-
संचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकद बहिर्गमन		**(7,797.90)**	**(6,798.36)**
ख. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयत्र एवं उपस्करों की बिक्री/निपटान		0.33	0.47
संपत्ति, संयत्र एवं उपस्करों की खरीद		(29.58)	(4.34)
निवेश कार्यकलापों से शुद्ध नकद आगम		**(29.25)**	**(3.87)**
ग. वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
अंश पूंजी का निर्गम		10,000.00	11,200.00
अंश अनुप्रयोग राशि के लंबित आवंटन में वृद्धि	-	-	
शुद्ध वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		**10,000.00**	**11,200.00**
नकद एवं नकदी समकक्ष में शुद्ध बढ़ोत्तरी/(कमी) (क+ख+ग)		2,172.85	4,397.77
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकदी समकक्ष (टिप्पणी 8 देख)		6,707.61	2,309.85
अंतः नकद एवं नकदी समकक्ष		**8,880.46**	**6,707.62**
नकद एवं नकदी समकक्ष का मिलान			
तुलन–पत्र के अनुसार नकद एवं नकदी समकक्ष		8,880.46	6,707.61
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकदी समकक्ष (टिप्पणी 8 देखें)		**8,880.46**	**6,707.61**

टिप्पणियाँ:

1. इन्सटीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा रोकड़ प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखाकरण मानक–7 में निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने एवं पुष्टि हेतु इन्हें पुनःवर्गीकृत/पुनःसमूहीकृत किया गया है।

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन. के. एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–
चाटर्ड एकाउन्टेंट्स	**अनुपमा सूद**	**अजित कुमार सामल**	**टी.सी.ए. कल्याणी**	**के. नारायन**
एफआरएन 013940N	सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)	कम्पनी सचिव	निदेशक	प्रबंध निदेशक
			(डिन सं. 02406559)	(डिन सं. 03561648)

भागीदारः एन.के.एस.चौहान
सदस्य स. 088165

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.08.2017

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

(₹ in Lakhs)

Particulars		For the year ended 31st March 217	For the year ended 31st March 2106
A. Cash Flow from Operating Activities			
Excess of income over expenditures before exceptional items and tax		**2,507.96**	**2,346.11**
Adjustments to reconcile net profit to net cash provided by operating activities:			
Exceptional Items		46.34	38.67
Depreciation		8.96	8.01
Provision for loans and advances		5.03	430.40
Loss /(Profit) on sale/impairment/exchange of assets			0.06
Operating profit before changes in operating Assets & liabilities	**(1)**	**2,568.29**	**2,823.25**
Adjustments for:			
Decrease / (Increase) in Non-Current loans		(7,741.26)	(7,957.75)
Decrease / (Increase) in Other Non-Current financial assets		(48.24)	(49.99)
Decrease / (Increase) in Current loans		(3,818.20)	381.96
Decrease / (Increase) in other current financial assets-others		254.34	(1,025.38)
Decrease / (Increase) in other non current assets		(2.06)	4.06
Decrease / (Increase) in current tax assets		(4.15)	1.05
Decrease / (Increase) in other current assets		8.73	(7.26)
(Decrease) / Increase in other current financial liability		593.82	(1.25)
(Decrease) / Increase in other current liability		15.19	(33.35)
(Decrease) / Increase in non current provisions		(77.04)	59.30
Changes in Other Bank Balances		454.00	(996.00)
(Decrease) / Increase in Current provisions		(1.32)	3.00
	(2)	(10,366.20)	(9,621.61)
Cash generated from operation	**(1+2)**	**(7,797.90)**	**(6,798.36)**
Income Tax Paid		-	-
Net Cash Outflow from Operating Activities		**(7,797.90)**	**(6,798.36)**
B. Cash Flow From Investing Activities			
Sale/Disposal of Property, Plant and Equipment's		0.33	0.47
Purchase of Property, Plant and Equipment's		(29.58)	(4.34)
Net Cash Inflow from Investing Activities		**(29.25)**	**(3.87)**
C. Cash Flow From Financing Activities			
Issue of Share Capital		10,000.00	11,200.00
Increase in share application money pending allotment		-	-
Net Cash Inflow from Financing Activities		**10,000.00**	**11,200.00**
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)		2,172.85	4,397.77
Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year (Refer note :- 8)		6,707.61	2,309.85
Closing Cash & Cash Equivalents		**8,880.46**	**6,707.62**
Reconciliation of Cash & Cash Equivalents			
Cash and Cash Equivalents as per Balance Sheet		8,880.46	6,707.61
Cash and Cash equivalents as at the end of the year (Refer note :- 8		**8,880.46**	**6,707.61**

Notes:-

1. The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method as set out in Ind AS-7 on Cash Flow Statement issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
2. Previous year's figures are reclassified/regrouped to confirm and make them comparable with those of the current year.

As per our Report of even date attached
For N K S Chauhan & Associats

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Chartered Accountants
FRN 013940N

Sd/-
ANUPAMA SOOD
Assistant General Manager (Finance)

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
Company Secretary

Sd/-
T.C.A KALYANI
Director
(DIN No. 02406559)

Sd/-
K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No. 03561648)

Partner: N.K.S. Chauhan
M. No. 088165

Place: New Delhi
Date: 04/08/2017

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए साम्य अंशों में परिवर्तन का विवरण (एस.ओ.सी.ई.)

क. साम्य अंश पूंजी (लाख रु. में)

विवरण	राशि
वर्ष के आरंभ में अवशेष	102,400.00
वर्ष के दौरान निर्गत साम्य अंश पूंजी	10,000.00
वर्ष के अंत में अवशेष	**112,400.00**

ख. अन्य साम्य (लाख रु. में)

विवरण	विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	धारित आय	योग
वर्ष के आरंभ में अवशेष	2,500.00	37,925.40	-	40,425.40
पूर्वावधि समायोजन	-	-	-	-
वर्ष के आरंभ में पुनर्वर्णित अवशेष	**2,500.00**	**37,925.40**	-	**40,425.40**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	2,554.30	**2,554.30**
वर्ष में अन्य व्यापक आय	-	-	**12.86**	**12.86**
वर्ष में कुल व्यापक आय	-	-	**2,567.16**	**2,567.16**
सामान्य आरक्षित को अंतरित	-	2,567.16	(2,567.16)	-
अन्य			-	-
– मूल्यह्रास का समायोजन	-	-	-	-
वर्ष के अंत में अवशेष	**2,500.00**	**40,492.56**	-	**42,992.56**

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए साम्य अंशों में परिवर्तन का विवरण

क. साम्य अंश पूंजी (लाख रु. में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल, 2015 को अवशेष	91,200.00
वर्ष के दौरान निर्गत साम्य अंश पूंजी	11,200.00
31 मार्च, 2016 को अवशेष	**1,02,400.00**

ख. अन्य साम्य (लाख रु. में)

विवरण	विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	धारित आय	योग
वर्ष के आरंभ में अवशेष	2,500.00	35,518.02	-	38,018.02
पूर्वावधि समायोजन (टिप्पणी 33 देखें)	-	(0.53)	-	(0.53)
वर्ष के आरंभ में पुर्नवर्णित अवशेष	**2,500.00**	**35,517.48**	-	**38,017.48**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	2,384.78	**2,384.78**
वर्ष में अन्य व्यापक आय	-	-	22.87	22.87
वर्ष में कुल व्यापक आय	-	-	**2,407.64**	**2,407.64**
अन्य				
–मूल्यह्रास का समायोजन			0.27	0.27
सामान्य आरक्षित को अंतरित	-	2,407.91	(2,407.91)	-
वर्ष के आरंभ में अवशेष	**2,500.00**	**37,925.40**	-	**40,425.40**

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन. के. एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स	**अनुपमा सूद**	**अजित कुमार सामल**	**टी.सी.ए. कल्याणी**	**के. नारायन**
एफआरएन 013940N	सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)	कम्पनी सचिव	निदेशक	प्रबंध निदेशक
			(डिन सं. 02406559)	(डिन सं. 03561648)

भागीदारः एन.के.एस.चौहान
सदस्य स. 088165

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.08.2017

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

STATEMENT OF CHANGE IN EQUITY (SOCE) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

A. Equity share capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	Amount
Balance at the beginning of the year	102,400.00
Issue of equity shares capital during the year	10,000.00
Balance at the end of the year	**112,400.00**

B. Other Equity

(` in Lakhs)

Particulars	Special Reserve	General Reserve	Retained Earnings	Total
Balance at the beginning of the year	2,500.00	37,925.40	-	40,425.40
Prior period Adjustments	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of the year	**2,500.00**	**37,925.40**	-	**40,425.40**
Profit for the year	-	-	2,554.30	**2,554.30**
Other Comprehensive Income for the year	-	-	**12.86**	**12.86**
Total Comprehensive Income for the year	-	-	**2,567.16**	**2,567.16**
Transfer to general reserve	-	2,567.16	(2,567.16)	-
Others			-	-
- Adjustment of depreciation	-	-	-	-
Balance at the end of the year	**2,500.00**	**40,492.56**	-	**42,992.56**

STATEMENT OF CHANGE IN EQUITY (SOCE) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

A. Equity Share Capital

(` in Lakhs)

Particulars	Amount
Balance at April 1, 2015	91,200.00
Issue of equity shares capital during the year	11,200.00
Balance at March 31, 2016	**1,02,400.00**

B. Other Equity

(` in Lakhs)

Particulars	Special Reserve	General Reserve	Retained Earnings	Total
Balance at the beginning of the year	2,500.00	35,518.02	-	38,018.02
Prior period Adjustments (Refer Note :- 33)	-	(0.53)	-	(0.53)
Restated balance at the beginning of the year	**2,500.00**	**35,517.48**	-	**38,017.48**
Profit for the year	-	-	2,384.78	**2,384.78**
Other Comprehensive Income for the year	-	-	22.87	22.87
Total Comprehensive Income for the year	-	-	**2,407.64**	**2,407.64**
Others				
- Adjustment of depreciation			0.27	0.27
Transfer to general reserve	-	2,407.91	(2,407.91)	-
Balance at the end of the year	**2,500.00**	**37,925.40**	-	**40,425.40**

As per our Report of even date attached
For N K S Chauhan & Associats

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Chartered Accountants
FRN 013940N

Sd/-
ANUPAMA SOOD
Assistant General Manager (Finance)

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
Company Secretary

Sd/-
T.C.A KALYANI
Director
(DIN No. 02406559)

Sd/-
K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No. 03561648)

Partner: N.K.S. Chauhan
M. No. 088165

Place: New Delhi
Date: 04/08/2017

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
लेखों पर टिप्पणियां

टिप्पणी: 1 निगमित सूचना

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक बिना लाभ की कंपनी है तथा निर्दिष्ट स्थान भारत है, की स्थापना दिनांक 13 जनवरी, 1992 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8) के अंतर्गत गठन किया गया। कंपनी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों एवं स्किल सेक्टर काउंसिलों के प्रशिक्षण सहभागियों के माध्यम से पिछड़े वर्गो के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक विकास एवं उनके समूहों में अथवा व्यक्तिगत रूप से तकनीकी एवं उद्मीय कौशलों हेतु रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 5वां तल, एन.सी.यू.आई. भवन, 3,सीरी इन्सटीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली–110016 में स्थित है।

टिप्पणी: 2 लेखाकरण नीतियां

क) अनुपालन का विवरण

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष एवं उसी तिथि को वित्तीय विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनी के रूप में (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम 2015, 2016 एवं कंपनी के संशोधन नियम, 2017 (भारतीय लेखाकरण मानकों) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

समस्त अवधि के लिए, 31 मार्च, 2017 तक एवं समाप्त वर्ष सहित कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरणी कंपनी अधिनियम, 2013 (भारतीय जीएएपी) की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखाकरण मानकों के अनुसार तैयार किया है। ये वित्तीय विवरणी 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की पहली वित्तीय विवरणी भा.ए.एस. हैं।

कंपनी ने किस प्रकार से लेन–देन पर भारतीय लेखाकरण मानक को अंगीकार किया है, की सूचना के लिए टिप्पणी 37 का संदर्भ देखें

ख) तैयार करने का आधार

जैसा कि संगत भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार अपेक्षित है, निम्न मदों जिनका मापन वास्तविक मूल्य के आधार पर किया गया है, के अतिरिक्त वित्तीय विवरणी को व्यवहारिक ऐतिहासिक लागत एवं संभूति आधार के अंतर्गत तैयार किया गया है:

क. परिभाषित लाभ योजना एवं अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ

ख. कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां

ग) अनुमानों का उपयोग

प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमान करने एवं पूर्वानुमानों जो लेखाकरण नीतियों को प्रभावित करते हैं एवं परिसम्पत्तियों की सूचित की गई मात्रा, दायित्व, आकस्मिक परिसम्पत्तियां व वित्तीय विवरण की तिथि पर उत्तरदायित्व एवं आय व व्यय की सूचित धनराशि की वित्तीय विवरणी भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुरूप तैयार की गई है। उदाहरण के तौर पर, इस प्रकार के अनुमानों जिसमें संपत्ति के उपयोगी जीवन का अनुमान, संयत्र व उपस्कर, अमूर्त परिसम्पत्तियां व कर्मचारी लाभ योजना के अंतर्गत भविष्य की बाध्यताएं सम्मिलित हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलन एवं स्थापित किए गए पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। आकलनों में परिवर्तनों के कारण भविष्य में परिणाम भिन्न हो सकते हैं एवं वास्तविक परिणाम एवं आकलन के मध्य अंतर उस अवधि में जिसमें परिणाम प्रकट/प्रत्यक्ष हुए हैं, माना गया है।

घ) समस्त वित्तीय सूचनाएं भारतीय रूपए में प्रस्तुत की गई हैं एवं जहां अन्यथा वर्णित किया गया है, के अतिरिक्त सभी मान दशमलव के बाद दो अंकों तक लाख में पूर्ण कर प्रदर्शित किए गए हैं।

ड़) नकदी प्रवाह का विवरण

अप्रत्यक्ष पद्धति को उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह को सूचित किया गया है, जिसके द्वारा 'असाधारण मदों एवं कर से पूर्व व्यय से आय के आधिक्य' का समायोजन लेन–देन की नकदी रहित प्रकृति के प्रभाव और अस्थगित अदायगी, पिछले या भविष्य की संभूति रसीदों या भुगतानों हेतु किया गया है। परिचालन से नकदी प्रवाह कंपनी के विनिवेश एवं वित्तीय कार्यकलापों को उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रथक किया गया है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

NOTES TO ACCOUNTS

NOTE : 1 CORPORATE INFORMATION

National Backward Classes Finance and Corporation is a not for profit company domiciled in India and was incorporated on 13th January 1992 under Section 25 of the Companies Act 1956 (now section 8 of Companies Act 2013). Company provides concessional finance assistance to the person belonging to Other Backward Classes (OBC's) for the socio-economic development and to upgrade the technological and entrepreneurial skills of individuals or groups through state channelizing agents, financial institutions and skill sector councils training partners. The registered office of the company is located at 5th floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

NOTE : 2 ACCOUNTING POLICIES

a) STATEMENT OF COMPLIANCE

The financial statements as at and for the year ended March 31, 2017 have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) notified under section 133 of the Companies Act 2013 as companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, 2016 and Companies (Indian accounting standards) Amendment Rules 2017.

For all periods, up to and including the year ended March 31, 2017, the company prepared its financial statements in accordance with accounting standards notified under the section 133 of the Companies Act 2013 (Indian GAAP). These financial statements for the year ended March 31, 2017 are company's first IND AS financial statements.

Refer to note 37 for information how the company adopted IND-AS at the date of transition.

b) BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention and on an accrual basis, except for the following item that have been measured at fair value as required by relevant Ind-AS.

(a) Defined benefit Plan and other long term employee benefits

(b) Certain financial assets and liabilities

c) USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS which requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements and the reported amount of income and expenses. Examples of such estimates include estimated useful life of property, plant and equipment, intangible assets and future obligation under employee benefit plan. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Future results could differ due to changes in these estimates and difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known /materialize."

d) All financial information presented in Indian rupees and all values are rounded to the nearest lakhs upto two decimals except where otherwise stated.

e) STATEMENT OF CASH FLOW

Cash flows are reported using the indirect method, whereby "excess of income over expenditures before exceptional items and tax" is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से, नगद एवं नगदी समकक्ष जिसमें पास की नगद रकम, बैंक में नकदी एवं बैंकों के पास जमा मांगे, बैंक में बकाया शुद्ध अवशेष, बैंक डॉफ्ट जिनका मांग पर पुनर्भुगतान किया जाना है, को कंपनी के नकद प्रबंधन तंत्र का भाग माना गया है।

च) क्रियाशील एवं प्रदर्शन मुद्रा

प्राथमिक आर्थिक माहौल की मुद्रा का उपयोग करके वित्तीय वक्तव्यों में शामिल वस्तुओं को मापा जाता है जिसमें कंपनी अपना कार्य संचालन करती है (अर्थात् कार्यशील मुद्रा)। वित्तीय विवरण भारतीय रूपये को प्रदर्शित करते हैं जो कि कंपनी की प्रस्तुतीकरण मुद्रा के साथ–साथ प्रयोजन मूलक है।

- विदेशी मुद्रा में लेनदेन को लेनदेन के समय में प्रचलित विनियम दर पर अभिलेखित किया गया है। आय एवं व्यय विवरण में विदेशी मुद्रा लेनदेन का निस्तारण उत्पन्न हुए विनियम अंतरों पर माना गया गया है।
- वित्तीय वस्तुओं का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य को पुनः वर्णित किया जाता है एवं तुलन–पत्र की तिथि में लागू विनिमय दरों का उपयोग करते हुए भारतीय रूपए में परिवर्तित किया जाता है एवं विनिमय अंतर के परिणाम को आय एवं व्यय विवरण में लिया गया है।

छ) राजस्व मान्यता

राजस्व की इस सीमा तक मान्यता है कि संभवतः कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और राजस्व का मापन भरोसेमंद रूप से किया जा सकता है। तथापि, जब किसी राजस्व में पहले से ही शामिल राशि की संग्रहणता के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है, तो गैर–वसूली राशि, या जिस राशि के बारे में वसूली संभव नहीं रह जाती है, को पहले से ही राजस्व की मात्रा के समायोजन के बजाय एक व्यय के रूप में लिया जाता है।

क) उधार लेने वाले अभिकरणों के पास पड़ी अनुपभुक्त धनराशि को प्रभावी ब्याज दर पर संभूति आधार पर माना गया है।

ख) अन्य स्वीकृत योजनाओं में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा इसके विनिर्णयन के वर्ष में निधियों के पुनर्नियोजन पर ब्याज योजना–वार उपभोग विवरण प्राप्त होने के बाद प्रभावी ब्याज दर पर माना गया है।

ग) निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं अन्य वित्तीय निकायों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराता है, का आगणन प्रभावी ब्याज दर पर संभूति आधार पर किया गया है।

घ) पुनर्भुगतानों में विलम्ब पर दण्ड ब्याज को लेखाकरण मानकरण मानक–9 के अनुसार वसूली पर माना गया है क्योंकि इस प्रभार की वसूली अनिश्चित है।

ड) उधार लेने वाली अभिकरणों द्वारा समय पर भुगतान के खाते में छूट का आगणन समग्र धनराशि की देय तिथि पर प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

च) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/संस्थाओं को विकासात्मक एवं अभिवृद्धि कार्यकलापों के व्यय के लिए अनुदान के भुगतान का आगणन वितरण पर किया गया है।

अन्य आय

सावधि जमाओं एवं बैंक में जमाओं पर ब्याज आय समय के अनुपात के आधार पर माने गए हैं तथा बकाया धनराशि को ध्यान में रखते हुए प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग किया गया है।

ज) सरकार से राजस्व अनुदान

- वर्ष के दौरान लक्षित वर्ग के विकास हेतु किए गए कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान को आय–व्यय विवरणी में संबंधित व्यय माना गया है एवं उससे कटौती की गई है।
- अनुपयुक्त अनुदान एवं उस पर अर्जित ब्याज आस्थगित किए गए हैं एवं चालू दायित्वों में लिए गए हैं।
- गत् लेखांकन अवधि में किए गए व्यय की क्षतिपूर्ति के रूप में जिसके दौरान स्वीकृत अनुदान प्राप्त हुआ सरकार से प्राप्य अनुदान को आय एवं व्यय विवरणी में लिया गया है।

झ) आय कर

निगम के पास आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बीबी) के अंतर्गत उपलब्ध छूट के दृष्टिगत आय कर दायित्व आवश्यक नहीं माना गया है। परिणामतः भारतीय लेखाकरण मानक 12 के प्रावधान आय कर पर, आस्थगित करों पर एवं आय कर आगणन एवं सीबीडीटी द्वारा जारी प्रकटन मानक कंपनी पर लागू नहीं है।

For the purposes of statement of cash flow, cash and cash equivalents include cash in hand, cash at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand are considered part of the Company's cash management system.

f) FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (i.e. Functional Currency).The financial statements are presented in Indian rupees, which is functional as well as presentation currency of company.

- Transactions in foreign currency are recorded at the rate of exchange prevailing at the time the transactions are affected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Income and Expenditure.
- Monetary items denominated in foreign currency are restated and converted into Indian rupees using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting exchange difference is recognized in the Statement of Income and Expenditure.

g) REVENUE RECOGNITION

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. However when an uncertainty arises about the collectability of an amount already included in revenue, the uncollectible amount, or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable, is recognized as an expense rather than as an adjustment of the amount of revenue already recognized.

a) Interest on unutilized funds lying with the borrowing agencies is recognized on accrual basis at effective rate of interest.

b) Interest on funds re-appropriated by SCAs in the other sanctioned schemes is recognized in the year of its determination after receipt of scheme wise details of utilization at effective rate of interest.

c) The Corporation provides Loans through State Channelizing Agencies (SCAs), Rural Banks and other financial bodies is accounted on accrual basis at effective rate of interest.

d) Penal Interest on delay in repayments is recognized on realization as per Ind AS-18 as its collect ability is uncertain.

e) Rebate on account of timely payment by borrowing agencies accounted for on receipt of entire amount due on time.

f) Payment of grants to SCAs/institutions for expenditure on developmental & promotional activities is accounted for on disbursement.

OTHER INCOME

Interest incomes on FDR's and Bank deposits are recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the interest rate applicable using Effective Interest Rate Method.

h) REVENUE GRANT FROM GOVERNMENT

- Grants sanctioned by the Government (whether received or not) for programmes undertaken during the year for the development of the target group, are recognized and deducted from related expenses for reporting in Statement of Income & expenditure.
- Unspent grants & interest accrued thereon are deferred & taken to current liabilities.
- Grants receivable from Government as compensation for expenses incurred in a previous accounting period are recognized in the Statement of Income & Expenditure of the period during which the sanction for grant is received.

i) INCOME TAXES

In view of the exemption available to the Corporation under section 10 (26BB) of the Income Tax Act, 1961, the provision for income tax liability is not considered necessary. Consequently the provisions of the Indian Accounting Standard 12 (Ind AS-12) on Income tax, deferred taxes and income tax computation and disclosures

ट) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की लागत का मापन संचित ह्रास एवं क्षति हानि पर, यदि कोई हो, किया जाता है।

संपत्ति की लागत में निम्न सम्मिलित होते है:

i) परिसंपत्तियों के अर्जन में आरोप्य प्रत्यक्ष लागत।

ii) यदि मान्यता मापदण्ड पूरे होते हैं, मदों के विनष्टीकरण एवं हटाने तथा कार्यस्थल जहां वह अवस्थित है, पर पुन:संग्रहण में अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य।

ख) यदि मान्यता मापदण्ड पूरे होते हैं, वापसी, वृहत निरीक्षण, महत्वपूर्ण कल–पुर्जो की मरम्मत की लागत को पूंजीगत किया गया है।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद की उसके निस्तारण अथवा भविष्य में लगातार संपत्ति के उपयोग से आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हो, को पुर्नमान्यता दी गई है। संपत्ति, संयंत्र की किसी मद के निस्तारण अथवा निवृत्ति से उत्पन्न कोई भी प्राप्ति अथवा क्षति का निर्धारण बिक्री प्रक्रिया एवं संपत्ति की धारित राशि के अंतर के रूप में आय एवं व्यय विवरणी में माना गया है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का मूल्य ह्रास का प्रावधान परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर रिटेन डाउन मूल्य पद्धति के आधार पर किया गया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में वर्णित है।

संपत्ति, संयत्र और उपकरण के एक मद के प्रत्येक भाग का अलग से मूल्य ह्रास किया जाता है, यदि मद की कुल लागत के संबंध में अंश की लागत महत्वपूर्ण है एवं उस हिस्से के महत्वपूर्ण जीवन एवं अवशेष लाभदायी जीवन में अंतर है।

चालू अवधि के लिए परसंपत्तियों का उपयोगी अनुमानित जीवन एवं संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के महत्वपूर्ण मदों की तुलनात्मक अवधि निम्नानुसार है:

परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवन की श्रेणी (वर्ष)	
ब्यौरे	**उपयोगी जीवन (वर्ष)**
भवन	60
फर्नीचर एवं मरम्मत	10
कार्यालय उपस्कर	5
वाहन	8
एयर कंडीशनर एवं कूलर	10
ई.पी.ई.बी.एक्स	5
आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	3

ह्रास पद्धति, उपयोगी जीवन एवं अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग पर की गई है।

भारतीय लेखाकरण मानक के संक्रमण पर, कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 को पिछली जीएएपी के अनुसार मापे गए अपने सभी संयंत्र, संपत्ति और उपकरण के धारित मूल्य को जारी रखने के लिए चुना है और उस धारित मूल्य का उपयोग संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्करों की लागत जैसा निर्णय हो उपयोग करना।

ठ) अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब संभव हो कि भविष्य के आर्थिक लाभ जो परिसंपत्ति के कारण होते हैं, उद्यम के लिए प्रवाह करेंगे एवं परिसंपत्तियों की लागत का मापन भरोसेमंद रूप से किया जा सकता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को अर्जन लागत संचित परिशोधन एवं क्षति हानि, यदि कोई हो, पर वर्णित किया गया है।

पांचों वर्ष की अवधि में बराबर अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन स्ट्रेट लाइन पद्धति के अंतर्गत किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा की जाती है। यदि संपत्ति का प्रत्याशित उपयोगी जीवन पिछले अनुमानों से काफी अलग है, तो परिशोधन की अवधि तदनुसार बदल दी जाती है।

standards issued by CBDT are not applicable to the Company.

j) **PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT**

(a) Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any.

Cost of asset includes the following:

i. Cost directly attributable to the acquisition of the assets

ii. Present value of the estimated costs of dismantling & removing the items & restoring the site on which it is located if recognition criteria are met.

(b) Cost of replacement, major inspection, repair of significant parts is capitalized if the recognition criteria are met.

(c) An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from continued use of assets. Any gain or loss arising on disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sale proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in the Statement of Income and Expenditure.

Depreciation on Property, plant and Equipment is provided on written down value method over the useful life of the assets as specified in Schedule II of the Companies Act, 2013.

Each part of an item of Property, Plant and Equipment is depreciated separately if the cost of part is significant in relation to the total cost of the item and useful life of that part is different from the useful life of remaining asset.

The estimated useful life of assets for current and comparative period of significant items of property plant and equipment are as follows:

Category of Assets Useful Life (years)	
Particulars	**Useful Life (years)**
Building	60
Furniture & Fixtures	10
Office Equipment's	5
Vehicles	8
Air Conditioners & Coolers	10
EPABX	5
Data Processing Equipment's	3

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting

On transition to Ind AS. The company has elected to continue with the carrying value of all its property, plant and equipment recognized as at 1st April 2015 measured as per the previous GAAP and use that carrying value as deemed cost of the property, plant and equipment.

k) **INTANGIBLE ASSETS**

Intangible assets are recognized when it is probable that the future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the enterprise and the cost of the asset can be measured reliably. Intangible assets are stated at acquisition cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.

Amortization of Intangible assets is done under straight line method equally over a period of five years.

The amortization period and the amortization method are reviewed at least at each financial year end. If the expected useful life of the asset is significantly different from previous estimates, the amortization period is changed accordingly.

भारतीय लेखाकरण मानक के पारगमन हेतु कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 (पारगमन तिथि) की स्थिति के अनुसार अपनी सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के धारण मूल्य को चालू रखने का चयन किया है, जिसका मापन पिछले जीएएपी के अनुसार किया गया है एवं पारगमन तिथि को माने गए मूल्य को धारित मूल्य के रूप में प्रयोग किया गया है।

ड) हानि

(i) वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी बैलेंस शीट की प्रत्येक तिथि पर आकलन करती है कि क्या वित्तीय संपत्ति की क्षति हुई है। क्षति के अंश के माध्यम से प्रत्याशित क्रेडिट हानियों (ई.सी.एल.) के मापन का भारतीय लेखाकरण मानक–109 अपेक्षा करता है।

यदि अनुबंध परिसंपत्तियों/व्यापार प्राप्तियों के अलावा समस्त वित्तीय परिसंपत्तियों की क्रेडिट जोखिम पर इसकी आरंभिक मान्यता से काफी अधिक खर्च हुआ है, इसकी प्रारंभिक पहचान सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट घाटे को 12 महीनों की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर की राशि या ईसीएल के जीवन समय के बराबर की राशि पर मापा जाना चाहिए।

ई.सी.एल. के क्षति अंश (अथवा वयुत्क्रमण) को आय एवं व्यय विवरणी के आय/व्यय के रूप में अवधि के दौरान माना गया है।

(ii) गैर–वित्तीय परसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख का आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति क्षति कर सकती है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। अगर परिसंपत्ति की ऐसी वसूली योग्य राशि या नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि जिसकी परिसंपत्ति उसकी वहन राशि से कम है, तो वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है। कमी को एक हानि के रूप में माना जाता है और आय और व्यय के विवरण में लिया जाता है।

ढ़) कर्मचारी लाभ

क) सभी कर्मचारियों के लिए उपदान (ग्रेच्युटी) के लिए देयता, आय और व्यय विवरणी में व्यय के संभूति के रूप में माना गया है। निगम ने एलआईसी के साथ कर्मचारियों के समूह उपदान योजना (ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम) के प्रशासन के लिए एक न्यास का गठन किया है।

ख) वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश के दायित्व को (अर्जित अवकाश और रूपांतरित अवकाश) खाते में प्रावधानित किया गया है। निधि के प्रबंधन के लिए निगम ने एलआईसी से एक अवकाश नकदीकरण योजना ली है।

ग) वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर अवकाशन के दायित्व को यात्रा रियायत अवकाश (एल.टी.सी.) खाते में प्रावधानित किया गया है एवं आय एवं व्यय विवरणी में प्रभार किया गया है।

घ) परिभाषित लाभ योजना पर वास्तविक लाभ या हानि अन्य व्यापक आय में माना गया है।

ड़) भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के अंशदान (परिभाषित अंशदान योजना) का प्रावधान संभूति आधार पर माना गया है।

च) निगम के पास परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है जो लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार है। निगम ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ पेंशन निधि योजना के प्रशासन के लिए एक न्यास का गठन किया है। जिसमें नियोक्ता योगदान मासिक आधार पर किया गया है। योजना के अनुसार निगम के कर्मचारियों को पेंशन देय है।

छ) निगम के पास सेवानिवृत्ति के उपरान्त योजना है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एवं उसके आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वे बाह्य रोगी उपचार सुविधा का उपभोग कर सकते हैं, दोनों ही निगम द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन हैं।

ण) प्रति अंश आय

प्रति शेयर आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से वर्ष के लिए एक्विटी शेयर होल्डरों की शुद्ध आधिक्य (हानि) राशि को विभाजित करके की गई है। गैर–मिश्रित परिणामों को छोड़कर, वर्ष के दौरान प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को प्रयुक्त करते हुए की गई है।

त) प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) दायित्व के संबंध में प्रावधानों को मान्यता दी गई है जिन्हें केवल पर्याप्त अनुमानित डिग्री का उपयोग करके मापा जा सकता है जबकि;

For transition to IND-AS, the company has elected to continue with the carrying value of all its intangibles assets recognised as on April 1, 2015 (transition date) measured as per the previous GAAP and use that carrying value as its deemed cost as of the transition date.

l) IMPAIRMENT

(i) Impairment of Financial Assets

The company assesses at each date of balance sheet whether a financial asset is impaired. Ind AS-109 requires expected credit losses (ECL) to be measured through a loss allowance.

For all Financial Assets other than contract assets/ Trade receivables, expected credit losses are to be measured at an amount equal to 12 months expected credit losses or at an amount equal to the life time ECL's if credit risk on the financial asset has incurred significantly since its initial recognition.

ECL's impairment loss allowance (or reversal) recognised during the period as income/expense in Statement of Income & Expenditure.

(ii) Impairment of Non-Financial Assets

The Company assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset If such recoverable amount of the asset or the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the Statement of Income & Expenditure.

m) EMPLOYEE BENEFITS

a) The liability for gratuity to all employees is recognized as an expense on accrual basis in Statement of Income & Expenditure. The Corporation has formed a trust for administration of the Employees Group Gratuity Scheme with L.I.C.

b) Liability on account of leaves (earned leave and commuted leave) is provided on the basis of actuarial valuation at the year-end. The Corporation has taken a leave encashment scheme from LIC to manage the funds.

c) The liability on account of Leave Travel Concession (LTC) is provided on the basis of actuarial assessment at the year end and charged to Statement of Income & Expenditure.

d) Actuarial gain or loss on defined benefits plans are recognized in other comprehensive income

e) Contribution to recognized Provident Fund and Pension Fund (defined contribution plan) is provided for on accrual basis.

f) The Corporation has a defined contribution pension scheme which is in line with guidelines of Department of Public Enterprise (DPE) The Corporation has formed a trust for administration of the Pension Fund Scheme with L.I.C. Employer contribution to the fund has been contributed on monthly basis. Pension is payable to the employees of the corporation as per the scheme.

g) The Corporation has Post-Retirement Scheme (PRMS), under which retired employees and their dependent family member are provided with medical facilities. They can also avail facility of out-patient treatment; both are subject to ceiling fixed by the corporation.

n) EARNINGS PER SHARE

The basic earning per share is computed by dividing the net surplus (loss) attributable to equity shareholders for the year by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earning per share are computed using the weighted average number of equity share outstanding during the year, except where the results would be anti-dilutive.

o) PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

a) Provisions are recognized in respect of liabilities which can be measured only by using a substantial degree of estimates when:

i) अतीत की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी के वर्तमान दायित्व के रूप में.

ii) आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों के संभावित बहिर्वाहों के दायित्वों का निस्तारण करने की आवश्यकता होगी, एवं

iii) दायित्व की मात्रा का भरोसेमंद रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों में छूट जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव वस्तुगत है, प्रावधान की राशि दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय का वर्तमान मूल्य होगा।

ख) निम्न मामलों में आकस्मिक दायित्वों को प्रकट किया जाता है:

i) वर्तमान दायित्व अतीत की घटना से उत्पन्न होता है, जब यह संभावना न हो कि संसाधनों के बाहिर्गमन से दायित्व का निस्तारण अपेक्षित होगा, अथवा

ii) वर्तमान दायित्वों का भरोसेमंद अनुमान न किया जा सके अथवा

iii) एक संभव दायित्व, जब–तक कि संसाधन का बहिगर्मन की संभाव्यता सुदूर हो.

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियां प्रकट की जाती है जब आर्थिक लाभों का बहिर्गमन संभाव्य हो।

थ) वित्तीय उपकरण/साधन

क) आरंभिक मान्यता एवं मापन

वित्तीय उपकरण इसके उचित मूल्य को लेन–देन लागत से जोड़कर अथवा घटाकर माने गए हैं, जो सीधे वित्तीय साधनों के अधिग्रहण या जारी करने के कारण होते हैं।

ख) पश्चातवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं परिशोधन लागत

यदि निम्न दोनों दशाएं पूरी हो रही हों, वित्तीय परिसंपत्ति का मापन परिशोधन लागत पर होगा:

i) वित्तीय संपत्ति एक व्यापार मॉडल के अंतर्गत आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए वित्तीय संपत्ति बनाना है एवं

ii) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों में निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाहों को उत्पन्न करना होता है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूरी तरह भुगतान करते हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन, क्षति यदि कोई हो, को घटाकर परिशोधन लागत पर प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके किया जाता है।

आय एवं व्यय विवरणी में वित्तीय आय में ई.आई.आर. परिशोधन सम्मिलित है।

अन्य समग्र आय के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.)

लिखित ऋण का वर्गीकरण एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. के रूप में किया जाता है, यदि निम्न दोनों मापदण्ड पूरे होते हो:

- व्यापार मॉडल का उद्देश्य दोनों–संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है।
- संपत्ति के संविदागत नकदी प्रवाह एस.पी.पी.आई. का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरूआत में और साथ ही उचित समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग पर मापा जाता है। उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव को अन्य व्यापक आय में माना गया है। तथापि, कंपनी आय और व्यय की विवरणी में ब्याज आय, क्षति हानियों और उत्क्रमण व विदेशी मुद्रा लाभ या हानि मानती है। परिसंपत्ति की अमान्यता पर, ओ.सी.आई. पर पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से आय और व्यय के विवरण के लिए पुनः परिष्कृत किया गया है। अर्जित ब्याज को ई.आई.आर. पद्धति का उपयोग करके माना गया है।

लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल.)

एफ.वी.टी.पी.एल. वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अवशेष श्रेणी है। कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधन लागत के रूप में श्रेणीकरण अथवा एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. के मापदण्ड को पूरा नहीं करता है, को एफ.वी.टी.पी.एल. के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. आदि को पूरा करता है।

(i) The Company has a present obligation as a result of a past event.

(ii) Probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and

(iii) The amount of the obligation can be reliably estimated. Provisions are reviewed at each Balance Sheet date.

Discounting of Provisions

Where the effect of the time value of money is material the amount of a provision shall be the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation.

(b) Contingent Liabilities are disclosed in either of the following cases:

i. A present obligation arising from a past event, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; or

ii. A reliable estimate of the present obligation cannot be made; or

iii. A possible obligation, unless the probability of outflow of resource is remote.

(c) Contingent assets are disclosed where an inflow of economic benefits is probable.

p) FINANCIAL INSTRUMENTS:

a) Initial recognition and measurement

Financial Instruments recognized at its fair value plus or minus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial instruments.

b) Subsequent measurement

Financial Assets

Financial assets are classified in following categories:

FINANCIAL ASSET AT AMORTIZED COST

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

(i) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows and

(ii) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets measured at amortized cost using effective interest rate method less impairment if any.

The EIR amortization is included in finance income in the Statement of Income & Expenditure.

Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

A 'debt instrument' is classified as at the FVTOCI if both of the following criteria are met:

- The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and
- The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the Statement of Income & Expenditure. On de-recognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognized in OCI is reclassified from the equity to Statement of Income & Expenditure.. Interest earned is recognized using the EIR method.

Financial assets at fair value through profit & loss (FVTPL)

FVTPL is a residual category for financial Assets. Any financial assets, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL.

परिशोधित लागत या एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. मापदण्ड को पूरा करता है, यदि ऐसा करने से कोई माप या मान्यता असंगतता को कम या समाप्त करता है। कंपनी ने किसी भी परिसंपत्ति को एफ.वी.टी.पी.एल. के रूप में नहीं माना है।

वित्तीय परिसंपत्तियों में एफ.वी.टी.पी.एल. श्रेणी सम्मिलित है, जो आय और व्यय खाते में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर माना गया है।

वित्तीय दायित्व

परिशोधन लागत पर वित्तीय दायित्व

आरंभिक तौर पर वित्तीय दायित्वों को उचित मूल्य पर माना गया है, एवं इसके पश्चात प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर लाया गया है।

लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल.)

कंपनी ने एफ.वी.टी.पी.एल. पर किसी भी वित्तीय दायित्वों का नाम नहीं दिया है।

अमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (अथवा, जहां लागू हो, वित्तीय संपत्ति के अंश के रूप में अथवा समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह के अंश के रूप में) को केवल तभी अमान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति से होने वाले नकदी प्रवाह के अनुबंध के अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करता है और मूलतः संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और स्वामित्व को बढ़ाता है।

वित्तीय दायित्व

देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता को मान्यता दी गई है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से अथवा उसी से मूल रूप से भिन्न शर्तों या मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की अमान्यता और नई देनदारी के रूप में माना जाता है, और संबंधित धारित राशि में अंतर आय और व्यय विवरणी में लिया गया है।

द) उचित मूल्य का मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्यों के वित्तीय साधनों को मापता है। उचित मूल्य वह कीमत है जिसे माप की तारीख में बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने अथवा दायित्व के स्थानांतरण हेतु भुगतान करने के लिए प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन अनुमान पर आधारित है कि लेन–देन परिसंपत्ति को बेचने या दायित्व को स्थानांतरित करनी होती है या तो:

- संपत्ति या दायित्व के लिए प्रमुख बाजार में, अथवा
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या दायित्व के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में।

कंपनी के लिए प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार तक पहुंच होनी चाहिए। किसी परिसंपत्ति या दायित्व का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार प्रतिभागियों का उपयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण के दौरान होता है, यह मानते हुए कि बाजार सहभागियों ने अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य किया है। कंपनी मूल्य आंकन तकनीकों जो परिस्थितियों में उपयुक्त होती है, का उपयोग करती है और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होना, प्रासंगिक प्रेक्षणीय इनपुट का उपयोग बढ़ाना और अप्रभावी इनपुट का उपयोग कम करना होता है।

परिसंपत्तियों और दायित्वों जिसके लिए उचित मूल्य को मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, निम्नानुसार वर्णित किया जाता है, जो इनपुट के न्यूनतम स्तर जो समग्रता के रूप में उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

स्तर 1- समरूप संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर 2- मूल्यांकन तकनीक जिसमें उचित मूल्य माप के लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट महत्वपूर्ण है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होते हैं।

स्तर 3- मूल्यांकन तकनीक जिसमें उचित मूल्य माप के लिए सबसे कम स्तर के इनपुट महत्वपूर्ण है और जो अ–प्रेक्षणीय होते हैं।

In addition, the company may elect to designate financial asset, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. If doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency. The company has not designated any financial asset as at FVTPL.

Financial assets included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in income & expenditure account.

Financial Liabilities

Financial liabilities at Amortised Cost

Financial liabilities initially recognised at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

Financial liabilities at Fair Value through Profit & Loss (FVTPL)

The company has not designated any financial liabilities at FVTPL.

De-recognition

Financial Asset

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognised only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires or it transfers the financial assets and substantially all risks and rewards of the ownership of the asset.

Financial Liability

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the Statement of Income & Expenditure.

q) FAIR VALUE MEASUREMENT

Company measures financial instruments at fair value at each reporting date. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to the company. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities

- Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

- Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

परिसंपत्तियों और दायित्वों के लिए जो आवर्ती आधार पर वित्तीय वक्तव्यों में माने जाते हैं, कंपनी यह पुन:निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में विभिन्न पदक्रम स्तरों के मध्य (निम्नतम स्तर इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) अंतरण हुआ है।

रिपोर्टिंग की तारीख में, कंपनी परिसंपत्तियों और दायित्यों के मूल्यों में विचलन का विश्लेषण करती है, जिन्हें लेखा नीतियों के मुताबिक पुन: मापा या पुन: मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी ठेके और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के मूल्यांकन की गणना में जानकारी को स्वीकार करके अद्यतन मूल्य अंकन में लागू प्रमुख इनपुट का सत्यापन करता है।

कंपनी यह भी तुलना करती है कि परिवर्तन उचित है या नहीं, प्रासंगिक परिसंपत्ति स्रोतों के साथ प्रत्येक परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना करती है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के प्रयोजन से, कंपनी ने परिसंपत्तियों और दायित्वों का निर्धारण प्रकृति, विशेषताओं और संपत्ति या दायित्व के जोखिम के आधार पर वर्गों में किया है और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर पर निर्धारित किया है, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है।

ध) जारी किए गए मानक किन्तु अभी वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रभावी नहीं

भारतीय लेखाकरण मानक– 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

एम.सी.ए. ने फरवरी, 2015 में ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को भारतीय लेखाकरण मानक 115 द्वारा अधिसूचित किया था। मानक एक नया पांच कदम मॉडल स्थापित करता है जो ग्राहकों के साथ अनुबंध से उत्पन्न होने वाले राजस्व पर लागू होगा। भारतीय लेखाकरण मानक 115 के तहत, राजस्व एक ऐसी राशि को माना जाता है जो उस विचार को प्रतिबिंबित करता है जिसके लिए एक इकाई को ग्राहक को सामान या सेवाएं स्थानांतरित करने के बदले उसका हकदार होने की अपेक्षा होती है। भारतीय लेखाकरण मानक 115 के सिद्धांतों में राजस्व को मापने और पहचानने के लिए एक अधिक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। नया राजस्व मानक सभी संस्थाओं पर लागू होता है और भारतीय लेखाकरण मानक के तहत सभी मौजूदा राजस्व मान्यताओं और आवश्यकताओं को त्याग देगा।

भारतीय लेखाकरण मानक–155 की प्रभावी तारीख, प्रारंभिक अंगीकरण के साथ 1 जनवरी 2018 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी को 1 अप्रैल 2018 से पूर्व शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के मानक को अपनाने की आवश्यकता है। कंपनी वर्तमान में भारतीय लेखाकरण मानक–115 की आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर अभी प्रभाव को निर्धारित नहीं किया गया है।

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

At the reporting date, the Company analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be re-measured or re-assessed as per the accounting policies. For this analysis, the Company verifies the major inputs applied in the latest valuation by agreeing the information in the valuation computation to contracts and other relevant documents.

The Company also compares the change in the fair value of each asset and liability with relevant external sources to determine whether the change is reasonable.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

r) STANDARD ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE FOR THE FINANCIAL YEAR 2016-17

IND AS 115 Revenue from Contracts with Customers

MCA had notified IND AS 115 on Revenue from Contracts with Customers in Feb 2015. The standard establishes a new five step model that will apply to revenue arising from Contracts with customers. Under IND AS 115, revenue is recognized at an amount that reflects the consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer. The principles in IND AS 115 provide a more structured approach to measuring and recognizing revenue. The new revenue standard is applicable to all entities and will supersede all current revenue recognition requirements under IND AS.

The effective date of IND AS 115 is annual periods beginning on or after 1st January 2018, with early adoption permitted. The Company is required to adopt the standard by the Financial Year commencing 1st April 2018. The Company is currently evaluating the requirements of IND AS 115 and has not yet determined the impact on the financial statements.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

टिप्पणी : 3 संपत्ति, संयत्र एवं उपस्कर

(लाख रु. में)

विवरण	भवन (वित्तीय लीज)	भवन (फ्रीहोल्ड)	फर्नीचर एण्ड फिक्सचर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	एयर कंडिशनर एवं कूलर्स	ई.पी.ए. बी.एक्स.	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	कुल
लागत या मानी गई लागत									
1 अप्रैल, 2015 को	52.66	47.94	40.75	41.04	8.29	16.67	3.66	54.51	265.51
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-	1.30	3.04	-	-	-	-	4.34
निपटान/समायोजन	-	-	1.23	4.35	-	-	-	0.05	5.63
31 मार्च, 2016 को	**52.66**	**47.94**	**40.82**	**39.72**	**8.29**	**16.67**	**3.66**	**54.46**	**264.22**
1 अप्रैल, 2016 को	52.66	47.94	40.82	39.72	8.29	16.67	3.66	54.46	264.22
वर्ष के दौरान जोड़े	-	-	1.74	0.97	-	1.71	-	7.81	12.23
निपटान/समायोजन	-	-	0.25	1.00	-	0.51	-	4.55	6.31
31 मार्च, 2017 को	**52.66**	**47.94**	**42.31**	**39.69**	**8.29**	**17.87**	**3.66**	**57.72**	**270.12**
मूल्य ह्रास एवं क्षति									
1 अप्रैल, 2015 को	32.7	30.16	36.40	37.68	6.92	14.37	3.13	51.62	212.99
वर्ष में मूल्य ह्रास प्रभार (टिप्पणी–21 देंखें)	0.96	0.89	1.20	1.53	0.49	0.58	0.17	1.42	7.24
क्षति		-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन		-	1.16	3.90	-	-	-	0.29	5.35
31 मार्च, 2016 को	**33.66**	**31.05**	**36.44**	**35.31**	**7.41**	**14.95**	**3.30**	**52.75**	**214.88**
1 अप्रैल, 2016 को	33.66	31.05	36.44	35.31	7.41	14.95	3.30	52.75	214.88
वर्ष में मूल्य ह्रास प्रभार (टिप्पणी–21 देंखें)	0.91	0.85	1.41	1.96	0.31	0.80	0.08	1.86	8.18
क्षति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	0.24	0.98	-	0.45	-	4.32	5.99
31 मार्च, 2017 को	**34.57**	**31.90**	**37.61**	**36.29**	**7.72**	**15.30**	**3.38**	**50.29**	**217.07**
शुद्ध अंकित मूल्य									
31 मार्च, 2017 को	**18.09**	**16.04**	**4.70**	**3.40**	**0.57**	**2.56**	**0.29**	**7.43**	**53.06**
31 मार्च, 2016 को	**19.00**	**16.89**	**4.38**	**4.41**	**0.88**	**1.71**	**0.37**	**1.71**	**49.34**
1 अप्रैल, 2015 को	**19.96**	**17.78**	**4.34**	**3.34**	**1.37**	**2.30**	**0.54**	**2.89**	**52.51**

टिप्पणी: 3.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसार मूल्य ह्रास का प्रावधान अपलेखित मूल्य पद्धति से किया गया है।

टिप्पणी: 3.2 मूल्यह्रास राशि शून्य (31 मार्च, 2016 को रू. 0.27 लाख एवं 31 मार्च, 2015 को रू. 4.27 लाख) का समायोजन आरंभिक अवशेष की प्रतिधारित आय से टिप्पणी 12.3 के अनुसार किया गया है।

टिप्पणी: 3.3 गत् जी.ए.ए.पी. के अनुसार भारतीय लेखाकरण मानक के उपायों को, पारगमन की तिथि को, कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मूल्य को कायम रखने को अंगीकार किया है जैसा कि वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता दी गई है।

NOTE : 3 PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT'S

(₹ in Lakhs)

Particulars	Building (Finance lease)	Building (Freehold)	Furniture & Fixtures	Office Equipment	Vehicles	Air Conditioners & Coolers	EPABX	Data Processing Equipment's	Total
Cost or Deemed Cost									
At 1 April 2015	52.66	47.94	40.75	41.04	8.29	16.67	3.66	54.51	265.51
Additions during the year	-	-	1.30	3.04	-	-	-	-	4.34
Disposals/Adjustments	-	-	1.23	4.35	-	-	-	0.05	5.63
At 31 March 2016	**52.66**	**47.94**	**40.82**	**39.72**	**8.29**	**16.67**	**3.66**	**54.46**	**264.22**
At 1 April 2016	52.66	47.94	40.82	39.72	8.29	16.67	3.66	54.46	264.22
Additions during the year	-	-	1.74	0.97	-	1.71	-	7.81	12.23
Disposals/Adjustments	-	-	0.25	1.00	-	0.51	-	4.55	6.31
At 31 March 2017	**52.66**	**47.94**	**42.31**	**39.69**	**8.29**	**17.87**	**3.66**	**57.72**	**270.12**
Depreciation and Impairment									
At 1 April 2015	32.7	30.16	36.40	37.68	6.92	14.37	3.13	51.62	212.99
Depreciation charge for the year (Refer Note-21)	0.96	0.89	1.20	1.53	0.49	0.58	0.17	1.42	7.24
Impairment		-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/Adjustments		-	1.16	3.90	-	-	-	0.29	5.35
At 31 March 2016	**33.66**	**31.05**	**36.44**	**35.31**	**7.41**	**14.95**	**3.30**	**52.75**	**214.88**
At 1 April 2016	33.66	31.05	36.44	35.31	7.41	14.95	3.30	52.75	214.88
Depreciation charge for the year (Refer Note-21)	0.91	0.85	1.41	1.96	0.31	0.80	0.08	1.86	8.18
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/Adjustments	-	-	0.24	0.98	-	0.45	-	4.32	5.99
At 31 March 2017	**34.57**	**31.90**	**37.61**	**36.29**	**7.72**	**15.30**	**3.38**	**50.29**	**217.07**
Net book value									
At 31 March 2017	**18.09**	**16.04**	**4.70**	**3.40**	**0.57**	**2.56**	**0.29**	**7.43**	**53.06**
At 31 March 2016	**19.00**	**16.89**	**4.38**	**4.41**	**0.88**	**1.71**	**0.37**	**1.71**	**49.34**
At 1 April 2015	**19.96**	**17.78**	**4.34**	**3.34**	**1.37**	**2.30**	**0.54**	**2.89**	**52.51**

Note 3.1 Depreciation is provided on written down value method (WDV) in accordance with schedule II of the Companies Act, 2013.

Note 3.2 Depreciation Amount of Rs. Nil (as at 31st march 2016 Rs 0.27 lakhs & as at 31st march 2015 Rs. 4.27 lakhs) is adjusted from opening balance of retained earning as per note 12.3.

Note 3.3 Company has adopted to continue with carrying value of its Property, Plant & Equipment as recognized in the financial statements as at the date of transition to Ind AS measured as per previous GAAP.

टिप्पणी: 4 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	विकास के लिए अमूर्त परिसंपत्तियाँ	कुल
1 अप्रैल, 2015 को लागत अथवा मानी गई लागत	23.80	-	23.80
वर्ष के दौरान जोड़े गए	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन/विलोपन	-	-	-
31 मार्च, 2016 को अंतशेष	**23.80**	-	**23.80**
वर्ष के दौरान जोड़े गए	-	17.35	17.35
वर्ष के दौरान समायोजन/विलोपन	-	-	-
31 मार्च, 2017 को अंतशेष	**23.80**	**17.35**	**41.15**
परिशोधन एवं क्षति			
1 अप्रैल, 2015 को आरंभिक अवशेष	22.25	-	22.25
वर्ष के दौरान परिशोधन (टिप्पणी 21 देखें)	0.77	-	0.77
वर्ष के दौरान क्षति	-	-	-
31 मार्च, 2016 को अंतशेष	**23.02**	-	**23.02**
वर्ष के दौरान परिशोधन (टिप्पणी 21 देखें)	0.78	-	0.78
वर्ष के दौरान क्षति	-	-	-
31 मार्च, 2017 को अंतशेष	**23.80**	-	**23.80**
शुद्ध अंकित मूल्य			
31 मार्च, 2017 को	-	**17.35**	**17.35**
31 मार्च, 2016 को	**0.78**	-	**0.78**
1 अप्रैल, 2015 को	**1.55**	-	**1.55**

टिप्पणी: 4.1 गत् जी.ए.ए.पी. के अनुसार भारतीय लेखाकरण मानक के उपायों को, पारगमन की तिथि को, कंपनी ने अपनी अमूर्त परिसंपत्तियों को कायम रखने को अंगीकार किया है, जैसा कि वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता दी गई है।

NOTE : 4 INTANGIBLE ASSETS

(₹ in Lakhs)

Particulars	Computer Software's	Intangible Asset under development	Total
Cost or deemed cost as at 1st April 2015	23.80	-	23.80
Addition during the year	-	-	-
Adjustment/deletions during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2016	**23.80**	-	**23.80**
Addition during the year	-	17.35	17.35
Adjustment/deletions during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2017	**23.80**	**17.35**	**41.15**
Amortization and Impairment			
Opening balance at 1st April 2015	22.25	-	22.25
Amortization during the year (Refer Note-21)	0.77	-	0.77
Impairment during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2016	**23.02**	-	**23.02**
Amortization during the year (Refer Note-21)	0.78	-	0.78
Impairment during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2017	**23.80**	-	**23.80**
Net book value			
As at 31 March 2017	-	**17.35**	**17.35**
As at 31 March 2016	**0.78**	-	**0.78**
As at 1st April 2015	**1.55**	-	**1.55**

Note 4.1 Company has adopted to continue with carrying value of its Intangible assets as recognized in the financial statements as at the date of transition to Ind AS measured as per previous GAAP.

टिप्पणी : 5 वित्तीय परिसंपत्तियाँ – ऋण

ऋणों के गैर–वर्तमान अंश का वर्गीकरण 'गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां–लोन' एवं ऋणों का वर्तमान अंश वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां–ऋण' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को		योग	31 मार्च, 2016 को		योग	1 अप्रैल, 2015 को		योग
	गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान	
(1) ए.सी.ए./अन्य संस्थानों को सावधि ऋण									
सुरक्षित, अच्छे माने गए									
(a) सावधि ऋण	48,665.50	26,361.44	75,026.94	54,550.98	23,959.35	78,510.33	50,618.99	25,899.24	76,518.23
(सरकारी आदेश/ब्लाक शासकीय गारंटी प्राप्त)									
(b) सावधि ऋण	1,122.22	216.64	1,338.86	1,178.43	198.26	1,376.69	1,183.08	145.90	1,328.98
(सावधि जमा रसीद के ग्रहणाधिकार के सापेक्ष)	49,787.72	26,578.08	76,365.80	55,729.41	24,157.61	79,887.02	51,802.07	26,045.14	77,847.21
असुरक्षित, अच्छे माने गए									
सावधि ऋण	9,478.65	475.60	9,954.25	2,146.12	262.14	2,408.26	488.86	165.93	654.79
चूक									
सावधि ऋण	-	150.87	150.87	-	607.55	607.55	-	141.42	141.42
घटाएं: ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रबंध (एलाउंस)	-	(150.87)	(150.87)	-	(607.55)	(607.55)	-	(141.42)	(141.42)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (1)	**59,266.37**	**27,053.68**	**86,320.05**	**57,875.53**	**24,419.75**	**82,295.28**	**52,290.93**	**26,211.07**	**78,502.00**
(2) ए.सी.ए./अन्य संस्थानों को सूक्ष्म ऋण									
सुरक्षित, अच्छे माने गए									
(a) सूक्ष्म वित्त ऋण	28,189.78	13,429.69	41,619.47	20,756.19	12,630.88	33,387.07	19,894.32	12,360.32	32,254.64
(सरकारी आदेश/ब्लाक शासकीय गारंटी प्राप्त)									
(b) सूक्ष्म वित्त ऋण	677.63	556.29	1,233.92	1,070.30	522.92	1,593.22	1,344.18	594.17	1,938.35
(सावधि जमा रसीद के ग्रहणाधिकार के सापेक्ष)									
	28,867.41	13,985.98	42,853.39	21,826.49	13,153.80	34,980.29	21,238.50	12,954.49	34,192.99
असुरक्षित, अच्छे माने गए									
सूक्ष्म वित्त ऋण (असुरक्षित, अच्छे माने गए)	2,881.55	1,119.28	4,000.83	3,111.43	1,225.00	4,336.43	1,500.00	263.81	1,763.81
चूक									
सूक्ष्म वित्त ऋण	-	16.43	16.43	-	16.43	16.43	-	17.07	17.07
घटाएं: ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रबंध (एलाउंस)	-	(16.43)	(16.43)	-	(16.43)	(16.43)	-	(17.07)	(17.07)

NOTE : 5 FINANCIAL ASSETS - LOANS

Non-current portion of the Loans has been classified under 'non-current financial assets - loans' and current portion of the Loans has been classified under 'current financial assets - loans'.

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017		Total	As at 31st March 2016		Total	As at 31st March 2015		Total
	Non-Current	Current		Non-Current	Current		Non-Current	Current	
(1) Term Loan to SCAs/Other Entities									
Secured, considered good									
(a) Term loans (By way of Govt. order/Block Govt. Guarantee received)	48,665.50	26,361.44	75,026.94	54,550.98	23,959.35	78,510.33	50,618.99	25,899.24	76,518.23
(b) Term loans	1,122.22	216.64	1,338.86	1,178.43	198.26	1,376.69	1,183.08	145.90	1,328.98
(Against lien of Fixed Deposit Receipts)	49,787.72	26,578.08	76,365.80	55,729.41	24,157.61	79,887.02	51,802.07	26,045.14	77,847.21
Unsecured, considered good									
Term loans	9,478.65	475.60	9,954.25	2,146.12	262.14	2,408.26	488.86	165.93	654.79
Doubtful									
Term loans	-	150.87	150.87	-	607.55	607.55	-	141.42	141.42
Less : Allowance for loans & advances	-	(150.87)	(150.87)	-	(607.55)	(607.55)	-	(141.42)	(141.42)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total (1)	**59,266.37**	**27,053.68**	**86,320.05**	**57,875.53**	**24,419.75**	**82,295.28**	**52,290.93**	**26,211.07**	**78,502.00**
(2) Micro Finance Loan to SCAs/Other Entities									
Secured, considered good									
(a) Micro Finance Loan (By way of Govt. order/Block Govt. Guarantee received)	28,189.78	13,429.69	41,619.47	20,756.19	12,630.88	33,387.07	19,894.32	12,360.32	32,254.64
(b) Micro Finance Loan (Against lien of Fixed Deposit Receipts)	677.63	556.29	1,233.92	1,070.30	522.92	1,593.22	1,344.18	594.17	1,938.35
	28,867.41	13,985.98	42,853.39	21,826.49	13,153.80	34,980.29	21,238.50	12,954.49	34,192.99
Unsecured, considered good									
Micro Finance Loan (Unsecured considered good)	2,881.55	1,119.28	4,000.83	3,111.43	1,225.00	4,336.43	1,500.00	263.81	1,763.81
Doubtful									
Micro Finance Loan	-	16.43	16.43	-	16.43	16.43	-	17.07	17.07
Less : Allowance for loans & advances	-	(16.43)	(16.43)	-	(16.43)	(16.43)	-	(17.07)	(17.07)

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को		योग	31 मार्च, 2016 को		योग	1 अप्रैल, 2015 को		योग
	गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान	
उप योग (2)	**31,748.96**	**15,105.26**	**46,854.22**	**24,937.92**	**14,378.80**	**39,316.72**	**22,738.50**	**13,218.30**	**35,956.80**
(3) प्रबन्ध निदेशक को ऋण	5.62	1.84	7.45						
(4) कर्मचारियों को ऋण									
(a) उपार्जित ऋण एवं ब्याज									
सुरक्षित, अच्छे माने गए	78.17	9.66	87.82	98.27	10.30	108.57	97.50	8.98	106.48
असुरक्षित, अच्छे माने गए	23.63	5.36	28.99	19.06	4.48	23.54	28.96	4.48	33.44
उप योग (4)	**101.80**	**15.02**	**116.81**	**117.33**	**14.78**	**132.11**	**126.46**	**13.46**	**139.92**
कुल योग **(1+2+3+4)**	**91,122.74**	**42,175.79**	**133,298.54**	**82,930.78**	**38,813.33**	**121,744.11**	**75,155.89**	**39,442.83**	**114,598.72**

टिप्पणी : 5.1 भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, निगम एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी नहीं है और आर.बी.आई. के विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुकरण करने और गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों पर आय मान्यता निर्धारित करने के लिए छूट दी गई है। जैसा कि आर.बी.आई. के विवेकपूर्ण मानदंड निगम के लिए लागू नहीं हैं, इसके कारण निदेशक मण्डल ने कुछ बकाया ऋणों/उस पर ब्याज प्रावधान के लिए निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रावधान के लिए अपने स्वयं के नियम बनाये हैं।

टिप्पणी : 5.2 कुल ऋणों रू. 1,39,503.32 लाख (31.03.2016 को रू. 1,27,815.54 लाख एवं 01.04.2015 को रू. 1,18,124.47 लाख) में से रू. 1,21,718.20 लाख (31.03.2016 को रू. 1,19,457.23 लाख एवं 01.04.2015 को रू. 1,05,073.10 लाख) की पुष्टि संबंधित पार्टियों द्वारा की गई है। शेष ऋण राशि उधार लेने वालों की पुष्टि के अधीन है।

टिप्पणी : 5.3 संवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ तथा इस राज्य से वर्ष 2000 में एक नए राज्य छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। राज्य के विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को ऋण दिए गए थे तथा मध्य प्रदेश राज्य द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को भुगतान हेतु प्रत्याभूत थे। ऋण पूर्ववर्ती राज्य को प्रदान किए गए थे जबकि पश्चातवर्ती राज्य ने एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को रू. 207.93 लाख (31.03.2016 को रू. 202.18 लाख एवं 1.4.2015 को रू. 201.10 लाख) के दायित्व की पुष्टि नहीं की है एवं इस प्रकार से बकाया ऋण की पूर्ववर्ती राज्य के नाम पर गणना की गई है।

टिप्पणी : 5.4 वर्ष की समाप्ति पर रू. 17,779.34 लाख (31.03.2016 को रू. 2,3997.55 लाख एवं 01.04.2015 को रू. 12,459.25 लाख) के उपभोग प्रमाण–पत्र उधार लेने वाले संस्थानों से प्राप्त होने लंबित हैं, जिसमें से रू. 2,995.71 लाख (31.03.2016 को रू. 4,504.94 लाख एवं 01.04.2015 को रू. 2819-10 लाख) छः माह से अधिक पुराने हैं।

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017		Total	As at 31st March 2016		Total	As at 31st March 2015		Total
	Non-Current	Current		Non-Current	Current		Non-Current	Current	
Sub Total (2)	**31,748.96**	**15,105.26**	**46,854.22**	**24,937.92**	**14,378.80**	**39,316.72**	**22,738.50**	**13,218.30**	**35,956.80**
(3) Loans to Managing Director	5.62	1.84	7.45						
(4) Loans to Employees									
(a) Loans & Interest accrued									
Secured, considered good	78.17	9.66	87.82	98.27	10.30	108.57	97.50	8.98	106.48
Unsecured, considered good	23.63	5.36	28.99	19.06	4.48	23.54	28.96	4.48	33.44
Sub Total (4)	**101.80**	**15.02**	**116.81**	**117.33**	**14.78**	**132.11**	**126.46**	**13.46**	**139.92**
Grand Total (1+2+3+4)	**91,122.74**	**42,175.79**	**133,298.54**	**82,930.78**	**38,813.33**	**121,744.11**	**75,155.89**	**39,442.83**	**114,598.72**

Note 5.1 As per Reserve Bank of India, the Corporation is not a Non Banking Finance Company and exempted for following RBI's prudential norms prescribed for making provisions and for income recognition on non-performing assets. As RBI's prudential norms are not applicable to the Corporation, it has made its own norms for making provision duly approved by Board for provisioning on certain overdue loans/interest thereon.

Note 5.2 Out of the total Loans of Rs. 1,39,503.32 Lakhs (as at 31.03.2016 Rs 1,27,815.54 Lakhs & Rs. 118,124.47 Lakhs as at 01.04.2015), Rs.1,21,718.20 Lakhs (as at 31.03.2016 Rs. 1,19,457.23 Lakhs & Rs. 105,073.10 Lakhs as at 01.04.2015) have been confirmed from respective parties. The remaining loan amount is subject to confirmation by borrowers.

Note 5.3 Consequent to constitutional amendment, there was bifurcation of the state of Madhya Pradesh and out of this state a new state of Chhattisgarh was formed in the year 2000. The loan was given to Madhya Pradesh State Channelising Agency prior to division of the state and is guaranteed by the State Government of Madhya Pradesh for repayment to NBCFDC. The loan was given to the erstwhile State, however, the successor State has not repaid its liability of Rs.207.93 lakhs (Rs. 202.18 lakhs as at 31.03.2016 & Rs. 201.10 lakhs as at 01.04.2015) to NBCFDC and hence the loan outstanding is accounted for in the name of the erstwhile state.

Note 5.4 The utilization certificates of Rs.17779.34 lakhs (Rs. 23997.55 Lakhs as at 31.03.2016 & Rs. 12459.25 lakhs as at 01.04.2015) are pending to be received from borrowing institutions, out of which Rs.2995.71 lakhs (Rs. 4504.94 lakhs as at 31.03.2016 & Rs. 2819.10 Lakhs as at 01.04.2015) are more than six months old as at year end.

टिप्पणी : 5.5 भारतीय लेखाकरण मानक – 109 के अनुसार कर्मचारी ऋण और अग्रिम राशि परिशोधित लागत पर मानी गई है जिसमें कर्मचारियों पर बकाया गैर–रियायती ऋण विवरण मूल और ब्याज दोनों घटक शामिल हैं:

(लाख रु. में)

विवरण	2016-17		2015-16		2014-15	
	मूल	ब्याज	मूल	ब्याज	मूल	ब्याज
कंप्यूटर ऋण						
गृह निर्माण ऋण	52.40	82.09	52.67	83.84	64.29	83.05
वाहन ऋण	3.79	3.71	5.09	3.50	5.00	3.24
सामान्य उद्देश्य हेतु अग्रिम	25.49		33.95	-	34.79	-
घरेलू अग्रिम	-		-	-	0.03	0.03
योग	**81.69**	**85.80**	**91.71**	**87.34**	**104.11**	**86.31**

दिशानिर्देशों/मानदंडों के अनुसार, आवास निर्माण की अग्रिम और वाहन अग्रिम के संबंध में मूलधन की वसूली के बाद ब्याज की वसूली शुरू की जाती है।

टिप्पणी : 5.6 वर्ष के अंत तक बकाया ऋण और अग्रिमों को जिसमें वर्ष की समाप्ति पर उस पर बकाया साधारण ब्याज सम्मिलित है, 'वर्तमान' ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि ये बाद के वित्तीय वर्ष में वसूली/समायोजन के लिए अच्छे माने गए हैः

टिप्पणी : 5.7 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों का विवरण

(लाख रु. में)

क्रं. सं.	विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वापसी	समायोजन/ पुर्नगृहति	वर्ष की अवधि में वसूले गए	अंत अवशेष
1	साविध ऋण	82,554.18	18,464.15	3,960.94	(60.78)	10,884.00	86,234.17
2	वित्त पोषित ब्याज	348.64	4.83	-	116.73	-	236.74
3	सूक्ष्म वित्त	39,333.15	20,271.93	1,242.00	60.78	11,431.66	46,870.65
4	वित्त पोषित ब्याज	-	-	-	-	-	-
	योग	122,235.97	38,740.91	5,202.94	116.73	22,315.65	133,341.57
	देय ऋण	12,600.57	-	-	-	-	14,397.38
	अदेय ऋण	109,635.40	-	-	-	-	118,944.19
	गत् वर्ष	114,617.30	31,911.76	201.55	1,290.80	22,800.74	122,235.97

टिप्पणी : 5.8 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों का विवरण

(लाख रु. में)

क्रं. सं.	विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वापसी	समायोजन/ पुर्नगृहति	वर्ष की अवधि में वसूले गए	अंत अवशेष
1	साविध ऋण	77,403.86	14,709.92	193.94	(2,046.44)	11,412.09	82,554.18
2	वित्त पोषित ब्याज	1,239.56	399.88	-	1,290.80	-	348.64
3	सूक्ष्म वित्त	35,973.88	16,801.97	7.61	2,046.44	11,388.65	39,333.15
4	वित्त पोषित ब्याज	-	-	-	-	-	-
	योग	1,14,617.30	31,911.76	201.55	1,290.80	22,800.74	1,22,235.97
	गत् वर्ष	1,04,361.73	29,686.22	200.71	-	19,229.93	1,14,617.30

टिप्पणी : 5.9 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों (गैर–वर्तमान/वर्तमान) पर अनुमति का विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वसूले गए/2016-17 की अवधि में पीछे से लाए गए प्रावधान	अंत अवशेष
1	ऋण एवं अग्रिम–सावधि ऋण	601.56	-	450.69	150.87
2	ऋण एवं अग्रिम–सूक्ष्म वित्त	16.43	-	-	16.43
	कुल	**617.99**	-	**450.69**	**167.30**

Note 5.5 As per Ind AS-109 Staff loans & advances are recognized at amortised cost which includes the principal & interest component both the details of Outstanding undisounted Loans to Employees as given below:

(₹ in Lakhs)

Particulars	2016-17		2015-16		2014-15	
	Principal	Interest	Principal	Interest	Principal	Interest
Computer Loan	-	-	-	-	-	-
House Building Advance	52.40	82.09	52.67	83.84	64.29	83.05
Vehicle Loan	3.79	3.71	5.09	3.50	5.00	3.24
General Purpose Advance	25.49	-	33.95	-	34.79	-
Household Advance	-	-	-	-	0.03	0.03
Total	**81.69**	**85.80**	**91.71**	**87.34**	**104.11**	**86.31**

As per guidelines/norms, recoveries of interest commences after recoveries of principal in respect of House Building Advance and Vehicle advance.

Note 5.6 Loans & advances including simple interest thereon overdue as at end of the year is classified as 'Current' loans, as these are considered good for recovery/adjustment in the subsequent financial year.

Note 5.7 Details of Loan and Advances as on 31.03.2017

(₹ in Lakhs)

S. No	Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Refunds	Adjustment/reappropriated	Recovered during the year	Clossing Balance
1	Term Loan	82,554.18	18,464.15	3,960.94	(60.78)	10,884.00	86,234.17
2	Funded Interest	348.64	4.83	-	116.73	-	236.74
3	Micro Finance	39,333.15	20,271.93	1,242.00	60.78	11,431.66	46,870.65
4	Funded Interest	-	-	-	-	-	-
	Total	122,235.97	38,740.91	5,202.94	116.73	22,315.65	133,341.57
	Loan Due	12,600.57	-	-	-	-	14,397.38
	Loan Not due	109,635.40	-	-	-	-	118,944.19
	Previous year	114,617.30	31,911.76	201.55	1,290.80	22,800.74	122,235.97

Note 5.8 Details of Loan and Advances as on 31.03.2016

(₹ in Lakhs)

S. No	Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Refunds	Adjustment/reappropriated	Recovered during the year	Clossing Balance
1	Term Loan	77,403.86	14,709.92	193.94	(2,046.44)	11,412.09	82,554.18
2	Funded Interest	1,239.56	399.88	-	1,290.80	-	348.64
3	Micro Finance	35,973.88	16,801.97	7.61	2,046.44	11,388.65	39,333.15
4	Funded Interest	-	-	-	-	-	-
	Total	1,14,617.30	31,911.76	201.55	1,290.80	22,800.74	1,22,235.97
	Previous year	1,04,361.73	29,686.22	200.71	-	19,229.93	1,14,617.30

Note 5.9 Detail of allowance for Loans & advances (non-current/current) as on 31.03.17.

(₹ in Lakhs)

S. No	Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Recovered / Provision written back during 2016-17	Clossing Balance
1	Loans & Advances - Term loan	601.56	-	450.69	150.87
2	Loans & Advances - Micro finance	16.43	-	-	16.43
	Total	**617.99**	**-**	**450.69**	**167.30**

टिप्पणी : 6 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को		योग	31 मार्च, 2016 को		योग	31 मार्च, 2016 को		योग
	गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान	
(1) प्राप्य ब्याज									
सुरक्षित, अच्छे माने गए									
- सावधि ऋण पर ब्याज (सरकारी आदेश/शासकीय गारण्टी के द्वारा)	-	3,953.00	3,953.00	-	4,098.28	4,098.28	-	3,271.71	3,271.71
- सूक्ष्म वित्त पर ब्याज (सरकारी आदेश/शासकीय गारण्टी के द्वारा)	-	126.24	126.24	-	61.22	61.22	-	87.74	87.74
	-	4,079.24	4,079.24	-	4,159.50	4,159.50	-	3,359.45	3,359.45
असुरक्षित, अच्छे माने गए									
- सावधि ऋण पर ब्याज	-	119.72	119.72	-	30.12	30.12	-	53.10	53.10
- सूक्ष्म वित्त पर ब्याज	-	4.03	4.03	-	-	-	-	-	-
	-	123.75	123.75	-	30.12	30.12	-	53.10	53.10
चूक									
- सावधि ऋण पर ब्याज	-	679.54	679.54	-	227.70	227.70	-	47.24	47.24
- सूक्ष्म वित्त पर ब्याज	-	7.30	7.30	-	6.56	6.56	-	4.16	4.16
- सावधि ऋण पर दण्ड ब्याज	336.35	-	336.35	336.39	-	336.39	550.75	-	550.75
- सूक्ष्म वित्त पर दण्ड ब्याज	6.60	-	6.60	6.60	-	6.60	10.19	-	10.19
	342.95	686.84	1,029.79	342.99	234.26	577.25	560.94	51.40	612.34
घटाएं: ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रबंध (एलाउंस)	(342.95)	(686.84)	(1,029.79)	(342.99)	(234.26)	(577.25)	(560.94)	(51.40)	(612.34)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (1)	-	4,202.99	4,202.99	-	4,189.62	4,189.62	-	3,412.55	3,412.55
(2) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं									
सावधि ऋण	258.58	191.69	450.27	206.50	141.42	347.92	168.92	80.85	249.77
सूक्ष्म वित्त	-	79.42	79.42	-	92.92	92.92	-	106.27	106.27
बैंकों से	-	61.70	61.70	-	330.71	330.71	-	178.11	178.11
उप योग (2)	258.58	332.81	591.39	206.50	565.05	771.55	168.92	365.23	534.15
(3) सुरक्षित जमा	-	2.97	2.97	-	0.62	0.62	-	6.70	6.70
(4) अन्य प्राप्य	8.57	47.42	55.99	12.41	85.24	97.65	-	30.67	30.67
कुल योग (1+2+3+4)	**267.15**	**4,586.19**	**4,853.34**	**218.91**	**4,840.53**	**5,059.44**	**168.92**	**3,815.15**	**3,984.07**

NOTE: 6 OTHER FINANCIAL ASSETS

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017		Total	As at 31st March 2016		Total	As at 31st March 2015		Total
	Non-Current	Current		Non-Current	Current		Non-Current	Current	
(1) **Interest Receivable:**									
Secured, considered good									
- Interest on Term Loan (By) way of Govt. order/Block Govt. Guarantee	-	3,953.00	3,953.00	-	4,098.28	4,098.28	-	3,271.71	3,271.71
- Interest on Micro Finance (By) way of Govt. order/Block Govt. Guarantee	-	126.24	126.24	-	61.22	61.22	-	87.74	87.74
	-	4,079.24	4,079.24	-	4,159.50	4,159.50	-	3,359.45	3,359.45
Unsecured, considered good									
- Interest on Term Loan	-	119.72	119.72	-	30.12	30.12	-	53.10	53.10
- Interest on Micro Finance	-	4.03	4.03	-	-	-	-	-	-
	-	123.75	123.75	-	30.12	30.12	-	53.10	53.10
Doubtful									
- Interest on Term Loan	-	679.54	679.54	-	227.70	227.70	-	47.24	47.24
- Interest on Micro Finance	-	7.30	7.30	-	6.56	6.56	-	4.16	4.16
- Penal Interest on Term Loan	336.35	-	336.35	336.39	-	336.39	550.75	-	550.75
- Penal Interest on Micro Finance	6.60	-	6.60	6.60	-	6.60	10.19	-	10.19
	342.95	686.84	1,029.79	342.99	234.26	577.25	560.94	51.40	612.34
Less : Allowance for loans & advances	(342.95)	(686.84)	(1,029.79)	(342.99)	(234.26)	(577.25)	(560.94)	(51.40)	(612.34)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total (1)	-	4,202.99	4,202.99	-	4,189.62	4,189.62	-	3,412.55	3,412.55
(2) **Interest accrued but not due**									
Term Loan	258.58	191.69	450.27	206.50	141.42	347.92	168.92	80.85	249.77
Micro Finance	-	79.42	79.42	-	92.92	92.92	-	106.27	106.27
Form banks	-	61.70	61.70	-	330.71	330.71	-	178.11	178.11
Sub Total (2)	258.58	332.81	591.39	206.50	565.05	771.55	168.92	365.23	534.15
(3) **Security Deposits**	-	2.97	2.97	-	0.62	0.62	-	6.70	6.70
(4) **Other Receivables**	8.57	47.42	55.99	12.41	85.24	97.65	-	30.67	30.67
Grand Total (1+2+3+4)	**267.15**	**4,586.19**	**4,853.34**	**218.91**	**4,840.53**	**5,059.44**	**168.92**	**3,815.15**	**3,984.07**

टिप्पणी : 6.1 अन्य प्राप्य (4) में रु. 7.58 लाख (31.03.2016 को रु. 6.78 लाख एवं 01.04.2015 को रु. 22.51 लाख) सम्मिलित हैं जो अन्य राष्ट्रीय निगमों से जो एक ही प्रशासनिक मंत्रालय के अधीन है से प्राप्त होने है। यह राशि मिलान एवं पुष्टि के अधीन है, लेकिन वसूली के लिए अच्छे माने 'जाते हैं'। अत: इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

टिप्पणी : 6.2 वर्ष के दौरान, 16.02.2017 से 31.03.2017 की अवधि की अतिरिक्त मांग नोटिसें 31.03.2017 तक भोजी गई है। तथापि, अवधि की रु. 171.31 लाख (31.03.2016 को रु. 137.24 लाख एवं 01.04.2015 को रु. 106.86 लाख) की ब्याज धनराशि उपार्जित ब्याज में सम्मिलित की गई है, किन्तु देय नहीं है।

टिप्पणी : 6.3 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों (गैर–वर्तमान/वर्तमान) पर अनुमति का विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वसूले गए/2016-17 की अवधि में पीछे से लाए गए प्रावधान	अंत अवशेष
1	दण्ड ब्याज	342.99		0.04	342.96
2	ऋण पर ब्याज–सावधि ऋण	224.54	455.00		679.54
3	ऋण पर ब्याज–सूक्ष्म वित्त	6.56	0.74		7.30
	कुल	**574.10**	**455.75**	**0.04**	**1,029.80**

टिप्पणी : 7 अन्य वर्तमान एवं गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को		योग	31 मार्च, 2016 को		योग	01 अप्रैल, 2015 को		योग
	गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान	
(i) नमूने (सैम्पल)	-	0.30	0.30	-	0.30	0.30	-	-	-
(ii) उपदान अथवा अवकाश नकदीकरण हेतु शुद्ध योजनाबद्ध परिसंपत्तियां (टिप्पणी 13.1 देखें)	6.04	47.92	53.96	-	55.34	55.34	-	50.58	50.58
(iii) अन्य प्राप्य	-	-	-	-	1.55	1.55	-	-	-
(iv) पूर्वदत्त व्यय (टिप्पणी 7.1 देखें)	38.79	4.44	43.23	42.77	4.17	46.94	46.83	3.67	50.50
(v) अन्य									
- उपलब्ध स्टैम्प	-	0.14	0.14	-	0.18	0.18	-	0.01	0.01
योग	**44.83**	**52.80**	**97.63**	**42.77**	**61.53**	**104.31**	**46.83**	**54.27**	**101.09**

टिप्पणी : 7.1 पूर्व में भुगतान किए गए व्यय कर्मचारियों के ऋण और अग्रिम या वित्तीय संपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर के प्रारंभिक मान्यता और ऋण के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करता है।

टिप्पणी : 8 नकद एवं नकदी सरपक्ष

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
(क) नकद एवं अन्य बैंक जमा			
- हाथ में नकद	0.25	0.33	0.34
(ख) बैंक के पास अवशेष			
- बचत खाते में	7927.56	6259.50	2309.51
(ग) अन्य बैंक अवशेष (अनुदान धनराशि)			
- बचत खाता	952.65	447.78	0.00
योग	**8880.46**	**6707.61**	**2309.85**

टिप्पणी : 8.1 अन्य बैंक अवशेष, मात्र अनुदान की शर्तो के अनुसार ही लक्ष्य समूह के प्रशिक्षण के उपयोग के लिए निधि का प्रतिनिधित्व करता है।

टिप्पणी : 8.2 आम तौर पर वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन उधार लेने वाली एजेंसियों से वसूलियां/वापसी प्राप्त हुई थी। इसलिए, इच्छित उद्देश्य के लिए इसका निवेश नहीं किया जा सकता।

Note 6.1 Other receivables (4) above includes Rs. 7.58 Lakhs (Rs. 6.78 Lakhs as at 31.03.2016 & Rs. 22.51 lakhs as at 01.04.2015) receivable from other National Corporations under the same Administrative Ministry. The said amounts are subject to reconciliation and confirmation, but are considered good for recovery. Therefore, no provision for the same has been made.

Note 6.2 During the year, additional demand notice for the period 16.02.17 to 31.03.17 have been raised upto 31.03.2017. However, interest for that period amounting to Rs 171.31 Lakhs (Rs. 137.24 Lakhs as at 31.03.2016 & Rs. 106.86 lakhs as at 01.04.2015) has been included in interest accrued but not due.

Note 6.3 Detail of allowance for Interest on Loans & advances (non-current/current) as on 31.03.17.

(₹ in Lakhs)

S. No	Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Recovered / Provision written back during 2016-17	Clossing Balance
1	Penal Interest	342.99		0.04	342.96
2	Interest on loan - Term Loan	224.54	455.00		679.54
3	Interest on loan - Micro Finance	6.56	0.74		7.30
	Total	**574.10**	**455.75**	**0.04**	**1,029.80**

NOTE : 7 OTHER CURRENT & NON CURRENT ASSETS

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017		Total	As at 31st March 2016		Total	As at 01st April 2015		Total
	Non-Current	Current		Non-Current	Current		Non-Current	Current	
(i) Samples	-	0.30	0.30	-	0.30	0.30	-	-	-
(ii) Net planned Assets for gratuity or leave encashment (Refer Note:13.1)	6.04	47.92	53.96	-	55.34	55.34	-	50.58	50.58
(iii) Other Receivables	-	-	-	-	1.55	1.55	-	-	-
(iv) Prepaid Expenses) (refer note: 7.1)	38.79	4.44	43.23	42.77	4.17	46.94	46.83	3.67	50.50
(v) Others									
- Stamps in hand	-	0.14	0.14	-	0.18	0.18	-	0.01	0.01
Total	**44.83**	**52.80**	**97.63**	**42.77**	**61.53**	**104.31**	**46.83**	**54.27**	**101.09**

Note 7.1 Prepaid expenses represents unamortized portion of Staff Loans & Advances or difference between the fair value of financial assets at initial recognition & loans given.

NOTE : 8 CASH AND CASH EQUIVALENT

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
(a) Cash and other Bank Balances			
- Cash in hand	0.25	0.33	0.34
(b) Balance with Banks			
- In Saving Accounts	7927.56	6259.50	2309.51
(c) Other Bank Balance (Grant Funds)			
- Saving Account	952.65	447.78	0.00
Total	**8880.46**	**6707.61**	**2309.85**

Note 8.1 Other bank balances represents funds meant for utilisation for training of the target group, only as per the terms of the grant.

Note 8.2 Generally recoveries/refunds from borrowing agencies were received last day of the financial year. Therefore, it could not be invested for intended purpose.

टिप्पणी: 9 नकद एवं नकदी समकक्ष के अतिरिक्त बैंक अवशेष

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
बैंक में जमा			
12 माह अथवा कम अवधि की परिपक्वता वाले सावधि जमा	9542.00	9996.00	9000.00
	9542.00	**9996.00**	**9000.00**

टिप्पणी: 10 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
आयकर/प्राप्य टी.डी.एस.	27.11	22.96	24.01
योग	**27.11**	**22.96**	**24.01**

टिप्पणी: 11 अंश पूंजी

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
प्राधिकृत अंश पूंजी (रू. 1,000/- प्रत्येक के 150,00,000 साम्य अंश) (31 मार्च, 2016 को रू. 1,000/- प्रत्येक के 150,00,000 साम्य अंश, 1 अप्रैल, 2015 को रू. 1,000/- प्रत्येक के 150,00,000 साम्य अंश)	150,000.00	150,000.00	150,000.00
निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी (रू. 1,000/- प्रत्येक के 1,12,40,000 साम्य अंश) (31 मार्च, 2016 को रू. 1,000/- प्रत्येक के 1,02,40,000 साम्य अंश, 1 अप्रैल, 2015 को रू. 1,000/- प्रत्येक के 91,20,000 साम्य अंश)	112,400.00	102,400.00	91,200.00
	112,400.00	**102,400.00**	**91,200.00**

टिप्पणी 11.1 साम्य अंशों एवं अंश पूंजी की संख्या का मिलान

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
	(अंशों की संख्या)	(धनराशि लाख में)	(अंशों की संख्या)	(धनराशि लाख में)	(अंशों की संख्या)	(धनराशि लाख में)
वर्ष के आरंभ पर निर्गत/अधिक्त एवं प्रदत्त अंश पूंजी	10,240,000.00	102,400.00	9,120,000.00	91,200.00	8,000,000.00	80,000.00
जोड़े: वर्ष के दौरान निर्गत अंश	1,000,000.00	10,000.00	1,120,000.00	11,200.00	1,120,000.00	11,200.00
वर्ष के अंत में निर्गत/अधिक्त एवं प्रदत्त अंश पूंजी	**1,1,240,000.00**	**112,400.00**	**10,240,000.00**	**102,400.00**	**9,120,000.00**	**91,200.00**

साम्य अंशों से जुड़े नियम और अधिकार

निगम में साम्य अंशों का केवल एक वर्ग है जिसका मूल्य रु. 1,000 प्रति अंश है। प्रत्येक अंश धारक प्रति अंश एक वोट के हकदार है। कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 8 (1) (सी) के अंतर्गत निगम लाभांश घोषित नहीं करता है और निगम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यय (अधिशेष) से अधिक की आय को वापस पुनर्नियोजित किया जाता है।

NOTE : 9 BANK BALANCES OTHER THAN CASH & CASH EQUIVALENTS

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Bank Deposits			
Term deposits having maturity of 12 months or less	9542.00	9996.00	9000.00
	9542.00	**9996.00**	**9000.00**

NOTE : 10 CURRENT TAX ASSET (NET)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Income Tax/TDS Receivable	27.11	22.96	24.01
Total	**27.11**	**22.96**	**24.01**

NOTE : 11 SHARE CAPITAL

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Authorized share capital (150,00,000 Equity shares of Rs.1,000/- each) (As at 31st march 2016 150,00,000 Equity shares of Rs.1,000/- each, as at 1st April 2015 150,00,000 Equity shares of Rs.1,000/- each)	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Issued/Subscribed and Paid up Capital (1,12,40,000 Equity shares of Rs.1,000/- each) (As at 31st march 2016 1,02,40,000 Equity shares of Rs.1,000/- each, as at 1st April 2015 91,20,000 Equity shares of Rs.1,000/- each)	112,400.00	102,400.00	91,200.00
	112,400.00	**102,400.00**	**91,200.00**

Note 11.1 Reconciliation of the number of equity shares and share capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017		As at 31st March 2016		As at 01st April 2015	
	(No's of Shares)	(Amount in Lakhs)	(No's of Shares)	(Amount in Lakhs)	(No's of Shares)	(Amount in Lakhs)
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the beginning of the year	10,240,000.00	102,400.00	9,120,000.00	91,200.00	8,000,000.00	80,000.00
Add: Shares Issued during the year	1,000,000.00	10,000.00	1,120,000.00	11,200.00	1,120,000.00	11,200.00
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	**1,1,240,000.00**	**112,400.00**	**10,240,000.00**	**102,400.00**	**9,120,000.00**	**91,200.00**

Terms & Rights attached to Equity Shares

The Corporation has only one class of equity shares having par value of Rs.1,000 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. In terms of Section 8(1)(c) of the Companies Act 2013, the Corporation does not declare dividend and ploughs back its excess of Income over Expenditure (Surplus) to meet the objectives of the Corporation.

टिप्पणी 11.2 कंपनी में कुल अंशों का 5% से अधिक हिस्सा रखने वाले अंशधारकों का विवरण

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
	(अंशों की संख्या)	होल्डिंग का %	(अंशों की संख्या)	होल्डिंग का %	(अंशों की संख्या)	होल्डिंग का %
साम्य अंश						
भारत के राष्ट्रपति	11,239,999	99.99%	10,239,999.00	99.99%	9,119,999.00	99.99%
	11,239,999.00	**99.99%**	**10,239,999.00**	**99.99%**	**9,119,999.00**	**99.99%**

टिप्पणी: 12 अन्य अंश

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
विशेष आरक्षित	2,500.00	2,500.00	2,500.00
सामान्य आरक्षित	40,492.56	37,925.40	35,517.49
प्रतिधारित आय	-	-	-
आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	-	-	-
	42,992.56	**40,425.40**	**38,017.49**

टिप्पणी 12.1 विशेष आरक्षित

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	2,500.00	2,500.00
जोड़े: सामान्य आरक्षित के अंतरण की अवधि में लाभ -	-	
अंत अवशेष	**2,500.00**	**2,500.0**

टिप्पणी 12.2 सामान्य आरक्षण

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	37,925.40	35,517.49
जोड़े: प्रतिधारित आय से अंतरित	2,567.16	2,407.91
अंत अवशेष	**40,492.56**	**37,925.40**

टिप्पणी 12.3 प्रतिधारित आय

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	-
जोड़े/घटाएं: मूल्यह्रास समायोजन (टिप्पणी 3.3 देखें)	-	0.27
जोड़े: आय एवं व्यय विवरण से अंतरण की अवधि में लाभ	2,554.30	2,384.78
	2,554.30	**2,385.05**
जोड़े: परिभाषित लाभ दायित्व के पुर्नमापन से उत्पन्न अन्य–व्यापक आय	12.86	22.87
घटाएं: पूर्वावधि से संबंधित समायोजन		
घटाएं: सामान्य आरक्षित की अंतरित	**(2,567.16)**	**(2,407.91)**
अंत अवशेष	-	-

Note 11.2 Details of Shares held by shareholders holding more than 5% of theaggregate shares in the company

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017		As at 31st March 2016		As at 31st March 2015	
	(No's of Shares)	% of holding	(No's of Shares)	% of holding	(No's of Shares)	% of holding
Equity shares						
President of India	11,239,999	99.99%	10,239,999.00	99.99%	9,119,999.00	99.99%
	11,239,999.00	**99.99%**	**10,239,999.00**	**99.99%**	**9,119,999.00**	**99.99%**

NOTE : 12 OTHER EQUITY

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Special Reserve	2,500.00	2,500.00	2,500.00
General Reserve	40,492.56	37,925.40	35,517.49
Retained Earnings	-	-	-
Share application money pending allotment	-	-	-
	42,992.56	**40,425.40**	**38,017.49**

Note 12.1 Special Reserve

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016
Balance as at the beginning of the year	2,500.00	2,500.00
Add: Profit during the period transfer from General Reserve	-	-
Closing Balance	**2,500.00**	**2,500.0**

Note 12.2 General Reserve

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016
Balance as at the beginning of the year	37,925.40	35,517.49
Add: Transferred from Retained earnings	2,567.16	2,407.91
Closing Balance	**40,492.56**	**37,925.40**

Note 12.3 Retained Earnings

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add/Less: Depreciation Adjustment (refer note 3.3)	-	0.27
Add: Profit during the period transferred from Statementof Income & Expenditure	2,554.30	2,384.78
	2,554.30	**2,385.05**
Add: Other comprehensive income arising from remeasurement of defined benefit obligation	12.86	22.87
Less : Adjustments relating to prior period	-	-
Less : Transferred to General Reserve	**(2,567.16)**	**(2,407.91)**
Closing Balance	**-**	**-**

टिप्पणी 12.4 आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	-
जोड़े:वर्ष के दौरान प्राप्त	10,000.00	11,200.00
घंटाए: वर्ष के दौरान अंश आवंटन	(10,000.00)	(11,200.00)
अंत अवशेष	-	-

टिप्पणी : 12.5 रू. 2500 लाख (31.03.2016 को रु. 2500 लाख एवं 01.04.2015 को रु. 2500 लाख) के विशेष आरक्षित को भूमि/भवन पर पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए रखा गया है, को किसी निश्चित विनिवेश में नहीं दर्शाया गया है। विशेष आरक्षित सहित कोई भी पूंजीगत व्यय प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन की दशा में होगी।

टिप्पणी : 12.6 कंपनियों अधिनियम 2013 की धारा 8 (1) (सी) के संदर्भ में, निगम लाभांश घोषित नहीं करता एवं व्यय से आय के आधिक्य को ऋणों का वितरण एवं भविष्य के खर्चों जिसमें प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित करता हैं, करने में करता है। आधिक्य को सामान्य आरक्षित में अंतरित किया गया है।

टिप्पणी : 12.7 निगम एक लाभकारी संस्था नहीं है और प्रशिक्षण के माध्यम से लक्ष्य समूह के विकास के लिए इसके कार्यकलापों और बाजार अवसर निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलापों की प्रकृति के हैं।

टिप्पणी : 13 प्रावधान

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को		योग	31 मार्च, 2016 को		योग	01 अप्रैल, 2015 को		योग
	गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान		गैर–वर्तमान	वर्तमान	
(क) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के लिए प्रावधान:									
- उपदान	52.12	6.47	58.59	52.97	5.68	58.65	63.47	4.27	67.74
- अवकाश लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- चिकित्सा योजना	-	-	-	70.63	1.20	71.83	-	58.64	58.64
योग (क)									
(ख) कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान:									
- प्रबंध निदेशक	-	47.03	47.03	-	39.03	39.03	-	37.05	37.05
- अन्य कर्मचारी	-	118.24	118.24	-	143.22	143.22	-	110.41	110.41
योग (ख)									
(ग) यात्रा अवकाश रियायत	-	8.24	8.24	5.56	5.03	10.59	6.40	3.66	10.06
योग (क+ख+ग)	**52.12**	**179.98**	**232.10**	**129.16**	**194.16**	**323.32**	**69.87**	**214.03**	**283.90**

टिप्पणी 13.1 प्रावधानों का विवरण

(लाख रु. में)

विवरण	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष 2016-17 के दौरान उपभोग भुगतान	वर्ष 2016-17 की अवधि में पीछे से लाए गए	31 मार्च, 2017 को
उपदान	58.65	-	-	0.05	58.60
अवकाश लाभ (टिप्पणी 7 देखें)	(55.34)	1.38	-	-	(53.96)
सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा योजना	71.82	9.34	81.17	-	(0.01)
यात्रा अवकाश रियायत	10.59	0.13	2.47	-	8.24
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	182.26	41.31	30.77	27.53	165.27
योग	**267.98**	**52.16**	**114.41**	**27.58**	**178.14**

Note 12.4 Share application money pending allotment

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add: Received during the year	10,000.00	11,200.00
Less: Shares alloted during the year	(10,000.00)	(11,200.00)
Closing Balance	-	-

Note 12.5 Special Reserve of Rs 2500 lakhs (Rs 2500 lakhs as at 31.03.2016 & Rs. 2500 lakhs as at 01.04.2015) kept for meeting capital expenditure on land/building, is not represented by any earmarked investment. Any capital expenditure out of the Special Reserve shall be subject to the approval of the Administrative Ministry

Note 12.6 In terms of Section 8(1) (c) of the Companies Act 2013, the Corporation does not declare dividend and ploughs back its excess of Income over Expenditure (Surplus) to make disbursement of loan and meet future expenses including administrative expenses. As such, the Surplus has been transferred to General Reserve

Note 12.7 The Corporation is a not for profit entity and its activities for development of the target group through their training & market exposure are in nature of Corporate Social Responsibility (CSR) activities

NOTE : 13 PROVISION

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017		Total	As at 31st March 2016		Total	As at 01st April 2015		Total
	Non-Current	Current		Non-Current	Current		Non-Current	Current	
(a) Provision for Retirement Benefits to Employees:									
- Gratuity	52.12	6.47	58.59	52.97	5.68	58.65	63.47	4.27	67.74
- Leave Benefits	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Medical Scheme	-	-	-	70.63	1.20	71.83	-	58.64	58.64
Total (a)									
(b) Provision for Performance Related Pay :									
- Managing Director	-	47.03	47.03	-	39.03	39.03	-	37.05	37.05
- Other Employees	-	118.24	118.24	-	143.22	143.22	-	110.41	110.41
Total (b)									
(c) Leave Travel Concession	-	8.24	8.24	5.56	5.03	10.59	6.40	3.66	10.06
Total (a+b+c)	**52.12**	**179.98**	**232.10**	**129.16**	**194.16**	**323.32**	**69.87**	**214.03**	**283.90**

Note 13.1 Details of provisions

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 1st April 2016	Additions during the year	Utilized/payments during the year 2016-17	Written back during 2016-17	As at 31st March 2017
Gratuity	58.65	-	-	0.05	58.60
Leave Benefits (refer note no. 7)	(55.34)	1.38	-	-	(53.96)
Post Retirement Medical Scheme	71.82	9.34	81.17	-	(0.01)
Leave Travel Concession	10.59	0.13	2.47	-	8.24
Performance Related Pay	182.26	41.31	30.77	27.53	165.27
Total	**267.98**	**52.16**	**114.41**	**27.58**	**178.14**

(लाख रु. में)

विवरण	1 अप्रैल, 2015 को	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष 2015-16 के दौरान उपभोग भुगतान	वर्ष 2015-16 की अवधि में पीछे से लाए गए	31 मार्च, 2016 को
उपदान	67.74	-	-	9.09	58.65
अवकाश लाभ	(50.58)	6.97	11.73	-	(55.34)
सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा योजना	58.64	14.08	0.90	-	71.82
यात्रा अवकाश रियायत	10.06	5.00	4.47	-	10.59
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	147.46	34.80	-	-	182.26
योग	**233.32**	**60.85**	**17.10**	**9.09**	**267.98**

टिप्पणी : 13.2 'सेवानिवृत्ति के उपरान्त परिभाषित अंशदान चिकित्सा लाभ योजना' के खाते में रू. 0.01 लाख (31.03.2016 को रू. 71.82 लाख एवं 01.04.2015 को रू. 58.64 लाख) के प्रावधान में अनुमानित ब्याज रू. 18.64 लाख (01.04.2015 को रू. 14.24 लाख) सम्मिलित है। निदेशक मण्डल के अनुमोदनानुसार इस योजना में अर्जित ब्याज खाते में एन.बी.सी.एफ. डी.सी. के उचित दायित्व के आकलन के अधीन 01.01.2007 से 31.03.2017 तक की अवधि में अनुमानित ब्याज का प्रावधान किया गया है। निगम सदस्यता के लिए बीमा कंपनी /उसकी योजना को सदस्यता हेतु अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

टिप्पणी : 13.3 वास्तविक मूल्यांकन के आधार यात्रा रियायता अवकाश रू. 8.24 लाख (31.03.2016 को रू. 10.59 लाख एवं 01.04.2015 को रू. 10.06 लाख) के दायित्व का प्रावधान किया गया है।

टिप्पणी : 13.4 कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन रू. 165.27 लाख का प्रावधान कर्मचारियों की उत्कृष्ट रेटिंग के आधार पर किया गया है, जो मानदण्डों के रा–स्कोर के आगणन पर आधारित हैं, जैसा कि ''सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय'' एवं ''निगम'' के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में परिभाषित किया गया है। तथापि, रेटिंग की प्रयोज्यता अर्थात–खराब से उत्कृष्ट कर्मचारियों के व्यक्तिगत कार्यनिष्पादन से संबंधित है। रेटिंग के आधार पर वास्तविक भुगतान में किसी अंतर का समायोजन भुगतान वर्ष में किया जाएगा।

टिप्पणी : 13.5 लोक उद्यम विभाग के का.ज्ञा. सं. 2(14)/12-DPE-GL-IV/14 दिनांक 07.02.2014 के माध्यम से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार सेवा की अवधि में किसी भी समय अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश को एकत्र किया जा सकता है। अर्जित अवकाश सेवा अवधि में नकदीकरण योग्य हैं, जबकि अर्द्ध–वेतन अवकाश सेवा की अवधि में अथवा सेवानिवृत्ति पर भुगतान नहीं की जा सकती है। तथापि, 300 दिनों की अधिकतम सीमा में सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश एवं अर्द्ध–अर्जित अवकाश को साथ–साथ मिलाकर नकदीकरण किया जा सकता है।

टिप्पणी : 13.6 वास्तविक मूल्यांकन (उपदान, अवकाश भुगतान)– भारतीय लेखाकरण मानक–19 के अनुसार प्रकटन

निगम के पास सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए एक परिभाषित लाभ योजना है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ वित्त पोषित किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी जो पांच साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुका है, उसे सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (पिछले आहरित वेतन) निगम छोड़ने पर उपदान (ग्रेच्युटी) प्राप्त होता है। निर्धारित दायित्व के वर्तमान मूल्य, अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमांकित मूल्यांकन पर आधारित है।

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 1st April 2015	Additions during the year	Utilized/payments during the year 2015-16	Written back during 2015-16	As at 31st March 2016
Gratuity	67.74	-	-	9.09	58.65
Leave Benefits	(50.58)	6.97	11.73	-	(55.34)
Post Retirement Medical Scheme	58.64	14.08	0.90	-	71.82
Leave Travel Concession	10.06	5.00	4.47	-	10.59
Performance Related Pay	147.46	34.80	-	-	182.26
Total	**233.32**	**60.85**	**17.10**	**9.09**	**267.98**

Note 13.2 Provision on account of "Defined Contributory Post-Retirement Medical Benefit Scheme' of Rs. 0.01 Lakhs (Rs. 71.82 Lakhs as at 31.03.2016 & Rs. 58.64 Lakhs as at 01.04.2015) includes estimated interest of Rs. 18.64 Lakhs (Rs.14.24 Lakhs as at 01.04.2015). Subject to assessment of appropriate liability of NBCFDC on account of interest accrued on this Scheme, estimated interest has been provided for the period from 01.01.2007 to 31.03.2017, as per the approval by the Board of Directors. The Corporation is in the process of finalising the insurance company/its scheme for subscription.

Note 13.3 Provision for liability towards leave travel concession of Rs. 8.24 Lakhs (Rs. 10.59 Lakhs as at 31.03.2016 & Rs.10.06 Lakhs as at 01.04.2015) is made, as per actuarial assessment.

Note 13.4 Provision for performance related pay of Rs. 165.27 Lakh (Rs. 182.26 Lakhs as at 31.03.2016 & Rs. 147.46 Lakhs as at 01.04.2015) has been made on the basis of 'Excellent rating of all employees, which is based on calculation of raw score on parameters as defined in MOU between "Ministry of Social Justice & Empowerment" and Corporation. However, the applicability of rating i.e. from poor to excellent of the employees is related with their individual performances. Any difference in the actual payment on the basis of rating will be adjusted in the year of payment.

Note 13.5 As per clarification received from Department of Public Enterprises vide OM no. 2(14)/12-DPE (WC) - GL-IV/14 dated 07.02.2014 a maximum of 300 days of earned leave can be accumulated at any point of time during the service. Earned leave is encashable during the service, while half pay leave is not encashable during the service or on superannuation. However, on superannuation earned leave plus half pay leave together can be encashed subject to a maximum of 300 days.

Note 13.6 Disclosures as per Ind AS - 19 Actuarial Valuation (Gratuity, Leave Benefit)

The Corporation has a defined benefit plan for payment of gratuity to all employees, which is funded with Life Insurance Corporation of India. Every employee who has completed five years or more of service receives gratuity on leaving the Corporation at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service. The present value of obligation determined is based on actuarial valuation using the projected unit credit method.

उपदान के परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति एव ंदीर्घावधि अवकाश लाभ आय व व्यय विवरण एवं तुलन–पत्र के साथ–साथ निधित स्थिति निम्नानुसार मान गए है।

(लाख रु. में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2017 को	
		उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)
(I)	**वास्तविक के मुख्य पुर्वानुमान**				
	आर्थिक पुर्वानुमान	पी.यू.सी. पद्धति		पी.यू.सी. पद्धति	
	छूट दर	8%	8%	8%	8%
	वेतन बढ़ोत्तरी (वार्षिक)	6%	6%	6%	6%
	परिसंपत्तियों पर वापसी की प्रत्याशित दर	7.33%	7.33%	8%	NA
	जनांकिकी पूर्वानुमान	-	-	-	-
	कर्मचारी कारोबार	2%	2%	2%	2%
	सेवानिवृत्ति आयु	60 years	60 years	60 years	60 years
(II)	**अवधि की समाप्ति पर वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त धनराशि**				
	परिभाषित लाभ बाध्यता	191.23	176.99	180.74	157.48
	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	132.63	230.95	122.09	212.81
	अनिधित परिभाषिक लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	58.60	(53.96)	58.65	(55.34)
	परिसंपत्तियों की उच्चतम सीमा के कारण गैर–मान्यताप्राप्त परिसंपत्ति	-	-	-	-
	शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/वित्तीय स्थिति के विवरण में दायित्व माने गए हैं	**58.60**	**(53.96)**	**58.65**	**(55.34)**
(III)	**वर्ष की समाप्ति पर लाभ एवं हानि विवरण में सम्मिलित शुद्ध परिभाषित लाभ लागत/(आय)**				
	सेवा लागत	8.77	18.95	8.73	18.17
	शुद्ध ब्याज लागत	4.48	(4.23)	5.04	(4.70)
	पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
	पुनः–मापन	-	(0.20)	-	(6.50)
	प्रशासन व्यय	-	-	-	-
	निपटान/कांट–छांट के कारण (प्राप्ति)/हानि				
	लाभ एवं हानि में सम्मिलित कुल परिभाषिक लाभ लागत/(आय)	**13.25**	**14.52**	**13.77**	**6.97**
(IV)	**वर्तमान/गैर–वर्तमान विभाजन**				
	वर्तमान लाभ बाध्यता	6.47	6.04	5.68	-
	गैर–वर्तमान लाभ बाध्यता	184.76	170.95	175.06	-
	तुलन–पत्र में लिए गए (परिसंतियां)/दायित्व	**191.23**	**176.99**	**180.74**	**-**
(V)	**योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी**				
	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज	10.09	-	9.39	-
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित वापसी	-	17.59	-	16.37
	योजना परिसंपत्तियों का पुनः–मापन	0.00	0.00	0.02	0.03
	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी	**10.09**	**17.59**	**9.41**	**16.40**

The summarized position of defined benefits of gratuity and long term leave benefits recognized in the Statement of Income and Expenditure and Balance Sheet along with the funded status is as under:

(₹ in Lakhs)

Particulars		As at 31st March 2017 Gratuity (Funded)	As at 31st March 2017 Leave encashment (Funded)	As at 31st March 2016 Gratuity (Funded)	As at 31st March 2016 Leave encashment (Funded)
(I)	**Key Assumption of actuarial**				
	Economic Assumptions	PUC Method		PUC Method	
	Discount Rate	8%	8%	8%	8%
	Salary rise (p.a)	6%	6%	6%	6%
	Expected rate of return on assets	7.33%	7.33%	8%	NA
	Demographic Assumptions	-	-	-	-
	Employee Turnover	2%	2%	2%	2%
	Retirement Age	60 years	60 years	60 years	60 years
(II)	**Amount Recognized in Statement of Financial Position at Period End**				
	Defined Benefit Obligation	191.23	176.99	180.74	157.48
	Fair Value of Plan Assets	132.63	230.95	122.09	212.81
	Present Value of Unfunded Defined Benefit Obligation	58.60	(53.96)	58.65	(55.34)
	Unrecognised Asset due to Asset Ceiling			-	
	Net Defined Benefit (Asset)/Liability Recognized in Statement of Financial Position	**58.60**	**(53.96)**	**58.65**	**(55.34)**
(III)	**Net Defined Benefit Cost /(Income) included in statement of Profit & Loss at Period End**				
	Service Cost	8.77	18.95	8.73	18.17
	Net Interest Cost	4.48	(4.23)	5.04	(4.70)
	Past Service Cost				
	Remeasurements	-	(0.20)	-	(6.50)
	Administration Expenses	-	-	-	-
	(Gain)/Loss due to Settlements /Curtailments				
	Total Defined Benefit Cost /(Income) Included in Profit & Loss	**13.25**	**14.52**	**13.77**	**6.97**
(IV)	**Current /Non Current Bifurcation**				
	Current Benefit Obligation	6.47	6.04	5.68	-
	Non- Current Benefit Obligation	184.76	170.95	175.06	-
	(Asset)/Liability Recognized in the Balance Sheet	**191.23**	**176.99**	**180.74**	**-**
(V)	**Actual return on Plan assets**				
	Interest Income on Plan Assets	10.09	-	9.39	-
	Expected Return on Plan Assets	-	17.59	-	16.37
	Remeasurements of Plan assets	0.00	0.00	0.02	0.03
	Actual Return on Plan Assets	**10.09**	**17.59**	**9.41**	**16.40**

(लाख रु. में)

(VI)	**अवधि समाप्ति पर अन्य व्यापक (आय)/हानि में माने गए धनराशि का विश्लेषण**				
	अवधि के आरंभ में ओ.सी.आई. में ली गई धनराशि	(22.86)	-		
	पुनः–मापन के कारण:				
	वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव	9.85		(17.77)	
	जनांकि की पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव				
	व्यय समायोजन का प्रभाव	(22.71)		(5.08)	
	निपटान/कांट–छांट के कारण (प्राप्ति)/हानि				
	योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (ब्याज के अतिरिक्त)	0.00		(0.02)	
	परिसंपत्तियों की ऊपरी सीमा में परिवर्तन				
	ओ.सी.आई. में माने गए कुल पुनः मापन	(12.86)		(22.87)	
	ओ.सी.आई. में मान्यता प्राप्त राशि	**(35.72)**		**(22.87)**	
(VII)	**अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित दायित्व/(परिसंपत्ति) के पुनः–मापन में मानी गई धनराशि का विश्लेषण पूर्व मापन के कारण**				
	वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन का प्रभाव		8.57		(3.15)
	जनंकिकी अनुमानों में परिवर्तन का प्रभाव				
	व्यय समायोजन का प्रभाव (8.78)		(8.78)		(3.31)
	कांट–छांट/निपटान पर (प्राप्ति)/हानि				
	योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (ब्याज असम्मिलित)		0.00		(0.03)
	परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा में परिवर्तन				
	मान्यता प्राप्त कुल पुनः मापन (प्राप्ति)/हानि		**(0.21)**		**(6.50)**
(VIII)	**अवधि के दौरान परिभाषित लाभ बाध्यता में परिवर्तन**				
	अवधि के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	180.73	157.47	180.42	145.83
	डी.बी.ओ. पर ब्याज लागत	14.58	13.35	14.43	11.67
	वर्तमान सेवा लागत	8.77	18.95	8.73	18.17
	भुगतान किए गए लाभ (यदि कोई हों)	(12.58)	-	(11.73)	-
	वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	(12.85)	(0.20)	(22.85)	(6.47)
	अवधि को समाप्ति पर परिभाषित लाभ बाध्यता	**191.23**	**176.99**	**180.74**	**157.48**
(IX)	**अवधि के दौरान योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**				
	अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	122.09	212.81	112.68	196.41
	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	10.10	17.59	9.39	16.37
	अंशदान	0.44	0.54	-	-
	भुगतान किए गए लाभ	-	-	-	-
	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	0.00	0.02	0.03	
	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**132.63**	**230.94**	**122.09**	**212.81**
(X)	**तुलन–पत्र धनराशि का मिलान**				
	अवधि के आरंभ में, तुलन–पत्र (परिसंपत्ति)/दायित्व	58.65	(55.33)	67.74	(50.58)
	लाभ एवं हानि में माने गए कुल प्रभार/(क्रेडिट)	13.25	14.51	13.77	6.97
	ओ.सी. (आय)/हानि में माने गए कुल पुनः–मापन	(12.86)	-	(22.87)	-
	वास्तविक नियोक्ता अंशदान/कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	(0.44)	(13.13)	-	(11.73)
	अवधि के अंत में तुलन–पत्र (परिसंपत्ति)/दायित्व	**58.60**	**(53.95)**	**58.65**	**(55.34)**

(₹ in Lakhs)

(VI)	**Analysis of Amounts Recognised in Other Comprehensive (Income)/Loss at Period End**				
	Amount Recognised in OCI Beginning of Period	(22.86)	-	-	-
	Remeasurements due to :				
	Effect of Change in financial assumptions	9.85	-	(17.77)	-
	Effect of Change in demographic assumptions				
	Effect of experience adjustments	(22.71)	-	(5.08)	-
	(Gain)/Loss on Curtailments/settlements				
	Return on Plan assets(excluding interest)	0.00	-	(0.02)	-
	Change in asset ceiling				
	Total remeasurements recognized in OCI	(12.86)	-	(22.87)	-
	Amount Recognized in OCI	**(35.72)**	**-**	**(22.87)**	**-**
(VII)	**Analysis of Amounts Recognised in Remeasurements of the Net Defined Benefit Liability/(Asset) during the Period**				
	Premeasurements due to :				
	Effect of Change in financial assumptions		8.57		(3.15)
	Effect of Change in demographic assumptions				
	Effect of experience adjustments(8.78)		(8.78)		(3.31)
	(Gain)/Loss on Curtailments/settlements				
	Return on Plan assets(excluding interest)		0.00		(0.03)
	Change in asset ceiling				
	Total remeasurements recognized (gains)/losses		**(0.21)**		**(6.50)**
(VIII)	**Changes in defined Benefit Obligation during the Period**				
	Defined Benefit Obligations Beginning of period	180.73	157.47	180.42	145.83
	Interest cost on DBO	14.58	13.35	14.43	11.67
	Current service cost	8.77	18.95	8.73	18.17
	Benefit paid (if any)	-	(12.58)	-	(11.73)
	Actuarial (gain)/loss	(12.85)	(0.20)	(22.85)	(6.47)
	Defined Benefit Obligation at the end of the period	**191.23**	**176.99**	**180.74**	**157.48**
(IX)	**Change in Fair Value of Plan Assets during the Period**				
	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	122.09	212.81	112.68	196.41
	Interest Income on Plan assets	10.10	17.59	9.39	16.37
	Contributions	0.44	0.54	-	-
	Benefits paid	-	-	-	-
	Actuarial gain/(loss) on plan assets	-	0.00	0.02	0.03
	Fair Value of Plan Assets at the end of the Period	**132.63**	**230.94**	**122.09**	**212.81**
(X)	**Reconciliation of Balance Sheet Amount**				
	Balance Sheet(Asset)/Liability, beginning of Period	58.65	(55.33)	67.74	(50.58)
	Total Charge/(Credit) Recognized in Profit & Loss	13.25	14.51	13.77	6.97
	Total Remeasurements Recognized in OC (Income)/Loss	(12.86)		(22.87)	
	Actual Employer Contribution /benefit Directly paid by the Company	(0.44)	(13.13)	-	(11.73)
	Balance Sheet(asset)/Liability End of Period	**58.60**	**(53.95)**	**58.65**	**(55.34)**

(लाख रु. में)

(XI)	संवेदनशीलता विश्लेषण				
	परिभाषित लाभ दायित्व–बट्टा दर + 100 आधार अंक	(13.62)	(15.88)	-	-
	परिभाषित लाभ दायित्व–बट्टा दर - 100 आधार अंक	14.47	16.33	-	-
	परिभाषित लाभ दायित्व वेतन प्रसार दर + 100 आधार अंक	11.18	13.48	-	-
	परिभाषित लाभ दायित्व वेतन प्रसार दर - 100 आधार अंक	(10.05)	(13.21)	-	-
(XII)	अगले दस वर्षों के लिए प्रत्याशित रोकड़ प्रवाह				
	वर्ष - 2018	6.71	-	-	-
	वर्ष - 2019	16.71	-	-	-
	वर्ष - 2020	6.98	-	-	-
	वर्ष - 2021	7.28	-	-	-
	वर्ष - 2022	16.42	-	-	-
	वर्ष - 2023 - 2027	85.23	-	-	-

टिप्पणी : 14 भविष्य की वेतन वृद्धि के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक मूल्यांकन किया गया है।

टिप्पणी : 14 अन्य वित्तीय दायित्व

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
एस.सी.ए. को देय/समायोजन योग्य	17.70	1.46	40.92
प्रतिपूर्ति जमा एवं प्रतिधारित राशि	4.03	0.70	1.60
डा. अम्बेडकर शिक्षा ब्याज रियायत (टिप्पणी 14.1 देखें)	-	-	-
सरकार/वित्तीय संस्थानों से अनुदान	952.65	453.89	304.64
अन्य देय	132.26	56.77	76.67
योग	**1106.64**	**512.82**	**514.07**

टिप्पणी : 14.1 डॉ. अम्बेड़कर शिक्षा ब्याज रियायत योजना (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
आरंभिक अवशेष	-	90.24	-
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्ति	-	99.90	89.94
जोड़े: ब्याज	-	2.75	0.30
घटाएं: उपभोग एवं वापसी	-	(192.89)	-
योग	**-**	**-**	**90.24**

टिप्पणी : 14.2 वर्ष की अवधि में विभिन्न संस्थानों इत्यादि से प्रशिक्षण आयोजित करने व छात्रवृत्ति की मद में रू. 1194.63 लाख की धनराशि (31.03.2016 को रू. 649.83 लाख) प्राप्त हुई थी। उपलब्ध कुल अनुदान राशि रू. 704.93 लाख (31.03.2016 को रू. 516.09 लाख) का अवमुक्ति प्रशिक्षण संस्थानों को की गई थी एवं इसे वित्तीय वर्ष की अवधि में राजस्व अनुदान के रूप में माना गया है। वर्ष के दौरान एवं 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार अवशेष, आरंभ में, प्राप्त, वापस, अनुदान प्रशिक्षण अनुदान एवं छूट का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ in Lakhs)

(XI)	**Sensitivity Analysis**				
	Defined Benefit Obligation - Discount Rate + 100 base points	(13.62)	(15.88)	-	-
	Defined Benefit Obligation - Discount Rate - 100 base points	14.47	16.33	-	-
	Defined Benefit Obligation - Salary Escalation Rate + 100 base points	11.18	13.48	-	-
	Defined Benefit Obligation - Salary Escalation Rate - 100 base points	(10.05)	(13.21)	-	-
(XII)	**Expected Cashflows for the Next Ten Years**				
	Year - 2018	6.71	-	-	-
	Year - 2019	16.71	-	-	-
	Year - 2020	6.98	-	-	-
	Year - 2021	7.28	-	-	-
	Year - 2022	16.42	-	-	-
	Year - 2023- 2027	85.23	-	-	-

Note 14 Estimates of future salary increse considered in acturial valuation taken in to account inflation, seniorty, promotion and other relevent factors.

NOTE : 14 OTHER FINANCIAL LIABILITIES

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Amount payable/adjustable to SCA	17.70	1.46	40.92
Security deposit & retention money	4.03	0.70	1.60
Dr. Ambedkar Education Interest Subsidy (Refer Note - 14.1)	-	-	90.24
Grant from government/Financial Institutions	952.65	453.89	304.64
Other payables	132.26	56.77	76.67
Total	**1106.64**	**512.82**	**514.07**

Note: 14.1 Dr. Ambedkar Education Interest Subsidy Scheme (Ministry of SJ&E)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Opening Balance	-	90.24	-
Add: Receipt during the year	-	99.90	89.94
Add: Interest	-	2.75	0.30
Less: Utilized & refund	-	(192.89)	-
Total	**-**	**-**	**90.24**

Note 14.2 During the year an amount of Rs. 1194.63 Lakhs (as at 31.03.2016 Rs. 649.83 Lakhs) was received from various institutions etc. towards imparting training and stipend. Out of total grants available, Rs. 704.93 Lakhs (as at 31.03.2016 Rs.516.09 Lakhs) was released to the training institutions and recognised during the financial year as revenue grant.The detail of training grant and subsidy at the beginning, received, refunded, released during the year, and the balance as on 31.03.2017 are as under :

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान

(लाख रु. में)

विवरण	आरंम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान में प्राप्ति	ब्याज आय	वापसी	वर्ष के दौरान माने गए	अंत अवशेष
प्रशिक्षण हेतु अनुदान/छात्रवृत्ति						
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–I) रू. 1.80 करोड़, 14-15	6.11	-	-	-	6.11	0.00
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–II) छात्रवृत्ति रू. 1.92 करोड़, 14-15 में	169.45	-	5.03	-	43.79	130.70
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–IIII) रू. 3.31 करोड़, 15-16	144.98	-	-	-	144.98	0.00
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–IV) 15-16 में	79.11	-	-	-	79.11	0.00
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–V) 15-16 में	44.49	-	-	-	44.49	0.00
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–VI) 16-17 में	-	300.00	3.46	-	151.97	151.49
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–VII) 16-17 में	-	43.06	0.14	-	-	43.20
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–VIII) 16-17 में	-	530.00	0.29	-	-	530.29
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–IX) 16-17 में	-	6.00	0.00	-	-	6.00
केन्द्रीय भण्डारण निगम	3.20	48.00	-	-	51.20	0.00
कॉनकोर लि.	6.54	18.00	-	-	24.54	0.00
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन	-	57.07	-	-	50.57	6.50
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन	-	19.01	-	-	19.01	0.00
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन	-	89.17	-	-	89.17	0.00
इरकॉन इन्टरनेशनल लि.	-	10.08	0.05	-	-	10.13
डेवलपमेंट कमिश्नर (हैण्डीक्राफ्ट)	-	74.25	0.10	-	-	74.35
योग	**453.89**	**1,194.63**	**9.06**	**-**	**704.93**	**952.65**

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान

(लाख रु. में)

विवरण	आरंम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान में प्राप्ति	ब्याज आय	वापसी	वर्ष के दौरान माने गए	अंत अवशेष
प्रशिक्षण/छात्रवृत्ति के लिए अनुदान						
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–I)	18.31	-		-	18.31	-
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–II)	90.17	-	6.11	-	90.17	6.11
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–III)	196.17	-	7.62	-	34.33	169.45
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–IV)	-	331.10	1.68	-	187.79	144.98
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–V)	-	79.00	0.11	-	-	79.11
सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान–VI)	-	44.49		-	-	44.49
केन्द्रीय भण्डारण निगम	-	16.00		-	12.80	3.20
कॉनकोर लि.	-	171.45		-	164.90	6.54
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन	-	7.80		-	7.80	0.00
योग	**304.64**	**649.83**	**15.51**	**-**	**516.09**	**453.89**

टिप्पणी : 14.3 अनुदान–I के संबंध में, निगम ने वर्ष 2014-15 की अवधि में लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान रू. 180.00 लाख प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त किए हैं। शर्तो के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत की मद में 70% का अंशदान करना अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में निगम ने रू. 180 लाख के अनुदान में से रू. 6.11 लाख की अवशेष अनुदान राशि को जारी किया है एवं वर्ष की अवधि में माना गया है।

DURING THE F.Y 2016-17

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Receipt During the year	Interest Income	Refund	Recognized during the year	Clossing Balance
Grants for Training/Stipend						
Ministry of SJ & E (Grant-I) of Rs. 1.80 cr. 14-15	6.11	-	-	-	6.11	0.00
Ministry of SJ & E (Grant-II) STIPEND of Rs. 1.92 cr 14-15	169.45	-	5.03	-	43.79	130.70
Ministry of SJ & E (Grant-III) of Rs. 3.31 cr. of 15-16	144.98	-	-	-	144.98	0.00
Ministry of SJ & E (Grant-IV) of 15-16	79.11	-	-	-	79.11	0.00
Ministry of SJ & E (Grant-V) of 15-16	44.49	-	-	-	44.49	0.00
Ministry of SJ & E (Grant-VI) of 16-17	-	300.00	3.46	-	151.97	151.49
Ministry of SJ & E (Grant-VII) of 16-17	-	43.06	0.14	-	-	43.20
Ministry of SJ & E (Grant-VIII) of 16-17	-	530.00	0.29	-	-	530.29
Ministry of SJ & E (Grant-IX) of 16-17	-	6.00	0.00	-	-	6.00
Central warehouse Corporation	3.20	48.00	-	-	51.20	0.00
Concor Ltd.	6.54	18.00	-	-	24.54	0.00
Rural Electrification Corporation	-	57.07	-	-	50.57	6.50
India Trade Promotion Organisation	-	19.01	-	-	19.01	0.00
Power finance Corporation	-	89.17	-	-	89.17	0.00
Ircon International Ltd	-	10.08	0.05	-	-	10.13
Development Commisioner (Handicraft)	-	74.25	0.10	-	-	74.35
Total	**453.89**	**1,194.63**	**9.06**	**-**	**704.93**	**952.65**

DURING THE F.Y 2015-16

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Receipt During the year	Interest Income	Refund	Recognized during the year	Clossing Balance
Grants for Training/Stipend						
Ministry of SJ & E (Grant-I)	18.31	-		-	18.31	-
Ministry of SJ & E (Grant-II)	90.17	-	6.11	-	90.17	6.11
Ministry of SJ & E (Grant-III)	196.17	-	7.62	-	34.33	169.45
Ministry of SJ & E (Grant-IV)	-	331.10	1.68	-	187.79	144.98
Ministry of SJ & E (Grant-V)	-	79.00	0.11	-	-	79.11
Ministry of SJ & E (Grant-VI)	-	44.49		-	-	44.49
Central warehouse Corporation	-	16.00		-	12.80	3.20
Concor Ltd.	-	171.45		-	164.90	6.54
Rural Electrification corporation	-	7.80		-	7.80	0.00
Total	**304.64**	**649.83**	**15.51**	**-**	**516.09**	**453.89**

Note 14.3 As regards the Grant-I, the Corporation received training grant of Rs. 180.00 Lakhs from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries during 2014-15. As per the terms, the Corporation is required to contribute 70% of its share towards training cost. Duirng the financial year 2016-17 the Corporation has released remaining grant of Rs. 6.11 Lakhs from the grant of Rs. 180 Lakhs and recognized during the year.

टिप्पणी : 14.4 अनुदान–II के संबंध में, निगम ने वर्ष 2014-15 की अवधि में लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु रू. 192.00 लाख (सकल राशि में से रू. 20 लाख की वापसी) प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त किए हैं। निगम ने रू. 43.79 लाख (31.03. 2016 को रू. 34.33 लाख) का वितरण प्रशिक्षार्थियों को किया है एवं रू. 5.03 लाख (31.03.2016 को रू. 15.38 लाख) के ब्याज का उपार्जन किया है।

टिप्पणी : 14.5 अनुदान–III के संबंध में, निगम ने वर्ष 2015-16 की अवधि में लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान रू. 331.09 प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त किए हैं। शर्तो के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत की मद में 70% का अंशदान करना अपेक्षित है। निगम ने बैंक से ब्याज रू. शून्य (31.03.2016 को रू. 1.68 लाख) का उपार्जन किया है एवं रू. 144.98 लाख (31.03.2016 को रू. 187.79 लाख) प्रशिक्षण संस्थानों को अनुदान में से वर्ष के दौरान जारी किए हैं।

टिप्पणी : 14.6 वर्ष के दौरान, निगम ने लाभार्थियों के लिए लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–IV) रू. 79 लाख प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त किए हैं। शर्तो के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत की मद में 70% का अंशदान करना अपेक्षित है। निगम ने बैंक से ब्याज रू. शून्य (31.03.2016 को रू. 0.11 लाख) का उपार्जन किया है। निगम ने अनुदान में से संपूर्ण राशि जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है, को प्रशिक्षण संस्थानों को जारी किया है एवं इसे वर्ष के दौरान माना गया है।

टिप्पणी : 14.7 प्रशासनिक मंत्रालय के स्वीकृत आदेश दिनांक 01.03.2016 के अनुसार प्रशिक्षण हेतु अनुदान सहायता (अनुदान–V) के संबंध में रू. 44.49 लाख दिनांक 31.03.2016 को खाते में लिया गया है, जो लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु हमारे बैंक खाता में दिनांक 02.04.2016 को प्राप्त/क्रेडिट हुआ था। शर्तो के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत की मद में 70% का अंशदान करना अपेक्षित है। निगम ने अनुदान में से संपूर्ण राशि जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है, को प्रशिक्षण संस्थानों को जारी किया है एवं इसे वर्ष के दौरान माना गया है।

टिप्पणी : 14.8 वर्ष के दौरान, निगम ने लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–VI) रू. 300 लाख प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त किए हैं। शर्तो के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत की मद में 70% का अंशदान करना अपेक्षित है। निगम ने बैंक से ब्याज रू. 3.46 लाख (31.03.2016 को रू. शून्य) का उपार्जन किया है। निगम अगले वित्तीय वर्ष में शेष अनुदान राशि को जारी करने की प्रतिबद्धता पर कायम है।

टिप्पणी : 14.9 वर्ष के दौरान, निगम ने लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–VII) रू. 43.06 लाख प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त किए हैं। शर्तो के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत की मद में 10% का अंशदान करना अपेक्षित है। निगम ने बैंक से ब्याज रू. 0.14 लाख (31.03.2016 को रू. शून्य) का उपार्जन किया है। निगम अगले वित्तीय वर्ष में शेष अनुदान राशि को जारी करने की प्रतिबद्धता पर कायम है।

टिप्पणी : 14.10 वर्ष के दौरान, निगम ने लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–VIII) रू. 530 लाख प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त किए हैं। शर्तो के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत की मद में 10% का अंशदान करना अपेक्षित है। निगम ने बैंक से ब्याज रू. 0.29 लाख (31.03.2016 को रू. शून्य) का उपार्जन किया है। निगम अगले वित्तीय वर्ष में शेष अनुदान राशि को जारी करने की प्रतिबद्धता पर कायम है।

टिप्पणी : 14.11 वर्ष के दौरान, निगम ने लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–IX) रू. 6 लाख प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त किए हैं। शर्तो के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत की मद में 10% का अंशदान करना अपेक्षित है। निगम ने बैंक से ब्याज रू. 66/- (31.03.2016 को रू. शून्य) का उपार्जन किया है। निगम अगले वित्तीय वर्ष में शेष अनुदान राशि को जारी करने की प्रतिबद्धता पर कायम है।

टिप्पणी : 14.12 वर्ष के दौरान, निगम ने लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु केन्द्रीय भण्डार निगम के साथ उनके सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) योजना के तहत समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है एवं रू. 48 लाख (31.03.2016 को रू. 16 लाख) का अनुदान प्राप्त किया है। निगम ने रू. 51.20 लाख (31.03.2016 को रू. 11.28 लाख) प्रशिक्षण संस्थानों को जारी किया है जिसके सापेक्ष 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार रू. 51.20 लाख (31.03.2016 को रू. 12.80 लाख) के उपभोग प्रमाण–पत्र लंबित हैं।

Note 14.4 As regards the Grant-II, the Corporation received training grant of Rs. 192.00 Lakhs (net of refund of Rs 20 lakhs) from the Administrative Ministry for stipend to the trainees during 2014-15. The Corporation has disbursed Rs. 43.79 Lakhs (as at 31.03.2016 Rs. 34.33 Lakhs) to the trainees and earned interst of Rs. 5.03 Lakhs- (as at 31.03.2016 Re. 15.38 Lakhs).The Corporation stands committed to release remaining stipend at the time of completion of training including its share.

Note 14.5 As Regards the Grant III, the Corporation received Grant in Aid for training of Rs. 331.09 Lakhs during 2015-16 from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 70% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs. -NIL- (as at 31.03.2016 Rs. 1.68 Lakhs) from Bank and released Rs 144.98 Lakhs (as at 31.03.2016 Rs.187.79 Lakhs) to the training institutions from the grant and recognized during the year.

Note 14.6 During the year, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-IV) of Rs. 79 Lakhs from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 70% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs. Nil Lakhs (as at 31.03.2016 Rs. 0.11 Lakhs) from bank .The Corporation released entire amount including Interest to the training institutions from the grant and recognized during the year.

Note 14.7 As regards the Grant in Aid for training (Grant V) Rs. 44.49 Lakhs is taken into account on 31/03/2016 as per sanction order dated 1/03/16 from administrative Ministry, which was received /credited our Bank account on 02/04/16. for impart training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 70% of its share towards training cost. The Corporation released entire amount to the training institutions from the grant and recognized during the year.

Note 14.8 During the year, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant -VI)of Rs. 300 Lakhs from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 70% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs. 3.46 Lakhs (as at 31.03.2016 Rs. Nil-) from bank and released Rs.151.97 Lakhs. The Corporation stands committed to release remaining grant in next financial year.

Note 14.9 During the year, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant -VII)of Rs. 43.06 Lakhs from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs. 0.14 Lakh (as at 31.03.2016 Rs. Nil-) from bank . The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 14.10 During the year, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant -VIII) of Rs. 530 Lakhs- from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs. 0.29 Lakh (as at 31.03.2016 Rs. Nil-) from bank . The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 14.11 During the year, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant -IX) of Rs. 6 Lakhs from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs. 66/- (as at 31.03.2016 Rs. Nil-) from bank.The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 14.12 During the year, the Corporation has entered into a Memorandum of Understanding with Central Warehouse Corporation towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme and received grant of Rs. 48 Lakhs (as at 31.03.2016 Rs.16 Lakhs) .The Corporation has released Rs.51.20 Lakhs (as at 31.03.2016 Rs.11.28 Lakhs) to training institutions ,against which utilisation certificate of Rs 51.20 Lakhs (as at 31.03.2016 Rs. 12.80 Lakhs) is pending as on 31.03.2017.

टिप्पणी : 14.13 वर्ष के दौरान, निगम ने लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन के साथ उनके सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) योजना के तहत समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है एवं रू. 57.07 लाख का अनुदान प्राप्त किया है। निगम ने रू. 50.57 लाख प्रशिक्षण संस्थानों को जारी किया है एवं बकाया अवशेष रू. 6.5 लाख वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान इच्छित उद्देश्य से प्रशिक्षण सहभागियों को जारी करेगा, जिसके सापेक्ष 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार उपभोग प्रमाण–पत्र लंबित हैं।

टिप्पणी : 14.14 वर्ष के दौरान, निगम ने लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु इण्डिया ट्रेड प्रमोसन ऑर्गनाइजेशन के साथ उनके सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) योजना के तहत समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है एवं रू. 19.01 लाख का अनुदान प्राप्त किया है। निगम ने इसे प्रशिक्षण संस्थानों को जारी किया है, जिसके सापेक्ष 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार उपभोग प्रमाण–पत्र लंबित हैं।

टिप्पणी : 14.15 वर्ष के दौरान, निगम ने लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु वर्ष 2014-15 में कॉनकोर के साथ उनके सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) योजना के तहत समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था एवं रू. 238.58 लाख का अनुदान प्राप्त किया। अब–तक निगम ने प्राप्त धनराशि रू. 238.58 लाख अनुदान के सापेक्ष रू. 238.58 लाख (31.03.2016 को रू. 232.04 लाख) प्रशिक्षण संस्थानों को जारी किए हैं। निगम ने रू. 67.14 लाख के उपभोग प्रमाण–पत्र जमा कर दिए हैं, 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार रू. 171.44 लाख के शेष उपभोग प्रमाण–पत्र लंबित हैं।

टिप्पणी : 14.16 वर्ष के दौरान, निगम ने लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कॉनकोर लि. के साथ उनके निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अंतर्गत समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है एवं प्रतिबद्धता धनराशि रू. 24 लाख के सापेक्ष रू. 18 लाख का अनुदान प्राप्त किया है। निगम ने इसे प्रशिक्षण संस्थान को जारी किया है जिसके सापेक्ष 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार उपभोग प्रमाण–पत्र लंबित है।

टिप्पणी : 14.17 निगम ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पॉवर फाइनेन्स कॉरपोरेशन के साथ उनकी निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अंतर्गत समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है एवं अब–तक रू. 311.7 लाख का अनुदान प्राप्त किया है (31.03.2016 को रू. 222.53 लाख)। निगम ने प्रशिक्षण संस्थानों को रू. 311.70 लाख (31.03.2016 को रू. 222.53 लाख) जारी किया है। निगम ने रू. 222.53 लाख (31.03.2016 को रू. 222.53 लाख) के उपभोग प्रमाण–पत्र जमा किए है, 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार शेष रू. 89.17 लाख के उपभोग प्रमाण–पत्र लंबित है।

टिप्पणी : 14.18 वर्ष के दौरान, निगम ने लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इरकॉन इंटरनेशनल लि. के साथ उनके निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अंतर्गत समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है एवं रू. 10.08 लाख का अनुदान प्राप्त किया है। निगम ने रू. 0.05 लाख (31.03.2016 को रू. शून्य) का ब्याज अर्जन किया है। निगम अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी : 14.19 वर्ष के दौरान, निगम ने हस्तशिल्प उत्पादों की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने और लाभार्थियों के बेस–लाइन के सर्वेक्षण हेतु क्लस्टर विकास के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षारित किया और रु. 74.25 लाख का अनुदान प्राप्त किया। निगम ने रू. 0.1 लाख (31.03.2016 को रू. शून्य) के ब्याज का अर्जन किया है। निगम अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी : 14.20 चूंकि प्रबंधन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के दायरे में आने वाले पक्षों से संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, अत: ब्याज भुगतान/देय ब्याज के साथ वर्ष भर के रूप में अवैतनिक राशि से संबंधित प्रकटीकरण इस अधिनियम के तहत नहीं दिया गया है।

Note 14.13 During the year, the Corporation has entered into a Memorandum of Understanding with Rural Electrification Corporation towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme and received grant of Rs. 57.07 Lakhs. The Corporation has released Rs. 50.57 Lakhs to training institutions and remaining balance of Rs. 6.50 Lakhs shall be released to training partners during financial year 2017-18 for intended purpose, against which utilisation certificate is pending as on 31.03.2017.

Note 14.14 During the year, the Corporation has entered into a Memorandum of Understanding with India Trade Promotion Organisation towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme and received grant of Rs.19.01 Lakhs. The Corporation has released the same to training institutions ,against which utilisation certificate is pending as on 31.03.2017.

Note 14.15 The Corporation entered into a Memorandum of Understanding with Concor Ltd. in the financial year 2014-15 towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme and received grant of Rs. 238.58 Lakhs, so far, against the committed grant of Rs. 238.58 Lakhs the Corporation had disbursed Rs 238.58 Lakhs (as at 31.03.2016 Rs. 232.04 Lakhs) to training institutions. The Corporation has submitted utilisation certificates for Rs.67.14 Lakhs, remaining utilisation certificate of Rs. 171.44 Lakhs is pending as on 31.03.2017.

Note 14.16 During the year, the Corporation has entered into a Memorandum of Understanding with Concor Ltd. towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme and received grant of Rs.18 Lakhs. against the committed grant of Rs. 24 Lakhs .The Corproation has released the same to training institutions ,against which utilisation certificate is pending as on 31.03.2017.

Note 14.17 The Corporation entered into a Memorandum of Understanding with Power Finance Corporation in the financial year 2013-14 towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme and received grant of Rs. 311.7 Lakhs, so far, (as at 31.03.2016 Rs. 222.53 Lakhs).The Corporation had disbursed Rs 311.70 Lakhs (as at 31.03.2016 Rs. 222.53 Lakhs) to training institutions . The Corporation has submitted utilisation certificates for Rs. 222.53 Lakhs.(as at 31.03.2016 Rs. 222.53 Lakhs) remaining utilization certificate of Rs 89.17 lakhs is pending as on 31.03.2017.

Note 14.18 During the year, the Corporation has entered into a Memorandum of Understanding with Incon International Ltd. towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme and received grant of Rs.10.08 lakhs. The Corporation earned interest of Rs. 0.05 Lakh (as at 31.03.2016 Rs. Nil-). The Corporation stands committed to release grant in next financial year

Note 14.19 During the year, the Corporation has entered into a Memorandum of Understanding with Development Commissioner (Handicrafts) ,Ministry of Textiles for cluster development for upholding explicit identification of handicrafts products and base line survey to the beneficiaries and received grant of Rs.74.25 Lakhs. The Corporation earned interest of Rs. 0.1 Lakh (as at 31.03.2016 -nil-). The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 14.20 As the management is in the process of obtaining requisite information pertaining to parties who may be falling within the purview of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the disclosure relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid / payable under this Act have not been given.

टिप्पणी: 15 अन्य वित्तीय दायित्व

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
टी.डी.एस.देय	31.17	20.34	14.09
भविष्य निधि देय	7.02	-	5.87
पेंशन निधि	0	2.66	36.39
योग	**38.19**	**23.00**	**56.35**

टिप्पणी: 16 संचालनों से राजस्व

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
क)एस.सी.ए./अन्य से ऋण पर ब्याज		
ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (सावधि ऋण)	2,445.93	2,616.02
ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (सूक्ष्म वित्त)	822.72	725.36
दण्ड ब्याज (सावधि ऋण)	0.44	4.24
दण्ड ब्याज (सूक्ष्म वित्त)	2.39	0.12
उप योग (क)	**3,271.48**	**3,345.74**
ख) बैंकों से ऋण		
बैंक से बचत खातों पर ब्याज	77.26	53.33
सावधि जमाओं पर ब्याज	1,399.57	1,088.12
उप योग (ख)	**1,476.83**	**1,141.45**
ग) अन्य संचालन आय		
(i) संदिग्ध ऋणों एवं ब्याज पर वृत्ति का उलटाव	4.13	
योग (क+ख+ग)	**4,752.44**	**4,487.19**

टिप्पणी: 16.1 उधार लेने वाली एजेंसियों के पास पड़ी अनुपभुक्त धनराशि को उधार लेने वाली एजेंसियों द्वारा धन के उपयोग की पत्र की तारीख से एक दिन पहले धनराशि के अग्रिम की तारीख से अग्रिमों पर ब्याज की मौजूदा दर के अनुसार माना गया है।

टिप्पणी: 16.2 ऋण के बकाया पर ब्याज, चुकौती की प्राप्ति से एक दिन पहले ब्याज की मौजूदा दर के अनुसार माना गया है।

टिप्पणी: 16.3 बैंकों के साथ संक्षिप्त अवधि जमा पर ब्याज, अल्प अवधि के जमा से लेकर, संभूति आधार पर परिपक्वता की तारीख से माना गया है।

NOTE : 15 OTHER CURRENT LIABILITIES

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
TDS payable	31.17	20.34	14.09
Provident fund payable	7.02	-	5.87
Pension fund	0	2.66	36.39
Total	**38.19**	**23.00**	**56.35**

NOTE : 16 REVENUE FROM OPERATIONS

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
a) Interest on Loan to SCAs/others		
Interest on Loan and advances (Term Loan)	2,445.93	2,616.02
Interest on Loan and advances (Micro Finance)	822.72	725.36
Penal Interest (Term Loan)	0.44	4.24
Penal Interest (Micro Finance)	2.39	0.12
Sub Total (a)	**3,271.48**	**3,345.74**
b) Interest from Banks		
Interest on savings bank	77.26	53.33
Interest on fixed deposits	1,399.57	1,088.12
Sub Total (b)	**1,476.83**	**1,141.45**
c) Other Operating Revenue		
(i) Reversal of allowance for doubtful loans & interest	4.13	
Total (a+b+c)	**4,752.44**	**4,487.19**

Note 16.1 Interest on unutilized funds lying with the borrowing agencies is recognised as per prevailing rate of interest on advances from the date of advance of funds to a day before to letter date of utilisation of funds by the borrowing agencies.

Note 16.2 Interest on overdue of Loans is recognised as per prevailing rate of interest from the date of overdue to a day before receipt of repayment.

Note 16.3 Interest on short term deposit with banks is recognised from the date of short term deposit to date of maturity on accrual basis.

टिप्पणी: 17 अन्य आय

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
क) ब्याज आय		
कर्मचारियों के अग्रिम पर ब्याज	13.23	13.24
शैक्षिक ऋण पर ब्याज की रियायत	1.12	-
ख) अन्य गैर-संचालन आय		
विधि आय	0.19	0.56
योग	**14.54**	**13.80**

टिप्पणी: 18 ऋण एवं अग्रिमों का प्रबंध

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋण एवं अग्रिमों का प्रबंध		430.40
योग	**-**	**430.40**

टिप्पणी: 19 छोड़ा गया दण्ड ब्याज

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
छोड़ा गया दण्ड ब्याज	133.68	217.95
योग	**133.68**	**217.95**

टिप्पणी: 20 कर्मचारी लाभ लागत

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
क) वेतन, पारिश्रमिक एवं लाभ		
- वेतन एवं भत्ते	498.67	449.53
ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		
- भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति निधि में अंशदान	157.88	75.36
ग) कर्मचारी कल्याण व्यय		
- यात्रा रियायत अवकाश	0.13	5.00
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	5.95	7.77
- अन्य	7.82	6.73
योग	**670.45**	**544.39**

टिप्पणी: 21 मुल्यह्रास एवं परिशोधन लागत

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास (टिप्पणी 3 देखें)	8.18	7.24
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (टिप्पणी 4 देखें)	0.78	0.77
योग	**8.96**	**8.01**

NOTE : 17 OTHER INCOME

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
a) Interest Income		
Interest on advances to employees	13.23	13.24
Interest subsidy on Education Loan	1.12	-
b) Other Non-Operating Income		
Miscellaneous income	0.19	0.56
Total	**14.54**	**13.80**

NOTE : 18 ALLOWANCE FOR LOANS & ADVANCES

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
Allowance for Loans & advances		430.40
Total	**-**	**430.40**

NOTE : 19 PENAL INTEREST WAIVED OFF

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
Penal Interest waived off	133.68	217.95
Total	**133.68**	**217.95**

NOTE : 20 EMPLOYEE BENEFITS COST

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
a) Salary, Wages & Benefits		
- Salary and Allowances	498.67	449.53
b) Contribution to Provident Fund & Other Funds		
- Contribution to Provident and Superannuation Funds	157.88	75.36
c) Staff welfare expenses		
- Leave Travel Concession	0.13	5.00
- Medical Reimbursements	5.95	7.77
- Others	7.82	6.73
Total	**670.45**	**544.39**

NOTE: 21 DEPRECIATION & AMORTIZATION COSTS

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
Depreciation on Tangible Assets (refer note no. 3)	8.18	7.24
Amortization of Intangible assets (refer note no. 4)	0.78	0.77
Total	**8.96**	**8.01**

टिप्पणी: 22 प्रशिक्षण एवं अन्य विकासात्मक व्यय

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभार्थियों पर प्रशिक्षण व्यय एवं अन्य विकासात्मक व्यय	1,813.12	1,215.27
घटाएं–वर्ष के दौरान माने गए/अवमुक्त (टिप्पणी सं. 14.2 देखें)	(704.93)	(516.09)
	1,108.19	699.17
मेलों, प्रदर्शनियों एवं जागरूकता शिविर	47.93	36.91
एस.सी.ए. को प्रचार अनुदान	5.16	4.63
उप योग (ख)	53.09	41.54
योग	**1,161.28**	**740.71**

टिप्पणी: 22.1 निगम ने राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/अन्य संस्थानों को लक्षित वर्ग को प्रशिक्षण दिलाने एवं एस.सी.ए. के अधिकारियों को अब–तक सकल अनुदान रू. 5265.39 लाख (गत् वर्ष रू. 3452.14 लाख) वितरित किए हैं जिसे वितरण नीति के अनुसार राजस्व पर प्रभार्य किया गया है। वर्ष की समाप्ति पर, वितरित सकल अनुदान में से रू. 1442.82 लाख (गत् वर्ष रू. 808.96 लाख) के उपभोग प्रमाण–पत्र प्रतीक्षित हैं।

टिप्पणी: 23 अन्य व्यय

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रशासनिक व्यय		
अंकेक्षकों का पारिश्रमिक (टिप्पणी सं 23.1 देखें)	1.16	1.16
मरम्मत एवं रख–रखाव (भवन)	0.51	0.70
मरम्मत एवं रख–रखाव (उपस्कर एवं अन्य)	17.64	3.37
विद्युत एवं पानी प्रभार	9.53	10.53
किराया	102.97	65.64
दरें एवं कर	0.39	0.46
बीमा	0.25	0.24
टेलीफोन	6.53	4.85
यात्रा व्यय–निदेशक	4.56	2.67
यात्रा एवं व्यय–स्टॉफ एवं अन्य	19.07	9.79
कनवेंश	10.04	10.88
छूट	5.14	6.80
वाहन चालन एवं रख–रखाव	2.22	1.27
कार्यालय व्यय एवं रख–रखाव	25.19	14.16
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	20.84	3.72
मुद्रण एवं स्टेशनरी	6.49	4.25
विज्ञापन	9.30	1.02
सम्मेलन एवं बैठकें	3.15	7.85
निगरानी एवं मूल्यांकन	-	36.72
भर्ती एवं प्रशिक्षण	0.81	1.15
सुरक्षा एवं अन्य सेवा प्रभार	25.75	21.54
अन्य व्यय	13.12	4.66
योग	**284.66**	**213.43**

NOTE : 22 TRAINING AND OTHER DEVELOPMENT EXPENDITURE

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
Training Expenditure on Beneficiaries & other development expenses	1,813.12	1,215.27
Less-Recognised/released during the year (Refer No. 14.2)	(704.93)	(516.09)
	1,108.19	699.17
Fair, Exhibitions and Awareness Camps	47.93	36.91
Publicity Grant to SCAs	5.16	4.63
Sub Total (B)	53.09	41.54
Total	**1,161.28**	**740.71**

Note 22.1 The Corporation has so far disbursed cumulative grant of Rs.5265.39 lacs (Previous year Rs. 3452.14 lacs) to State Channelising Agencies/ other institutions for imparting training to the target group & officials of SCAs, which is charged to revenue on disbursement as per policy. Out of the cumulative grants disbursed, utilization certificate(s) for Rs. 1442.82 lacs (Previous year Rs. 808.96 lacs) are awaited as at year end.

NOTE : 23 OTHER EXPENSES

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
A. Administrative Expenses		
Auditor Remuneration(Refer Note No-23.1)	1.16	1.16
Repair & Maintenance (Building)	0.51	0.70
Repair & Maintenance (Equipment & others)	17.64	3.37
Electricity & Water charges	9.53	10.53
Rent	102.97	65.64
Rates & Taxes	0.39	0.46
Insurance	0.25	0.24
Telephone	6.53	4.85
Travelling Expenses -Directors	4.56	2.67
Travelling Expenses -Staffs & others	19.07	9.79
Conveyance	10.04	10.88
Rebate	5.14	6.80
Vehicle Running & Maintenance	2.22	1.27
Office Expenses & Maintenance	25.19	14.16
Legal & Professional charges	20.84	3.72
Printing & stationery	6.49	4.25
Advertisement	9.30	1.02
Conference and Meetings	3.15	7.85
Monitoring & Evaluation	-	36.72
Recruitment & Training	0.81	1.15
Security & Other Services Charges	25.75	21.54
Other Expenditure	13.12	4.66
Total	**284.66**	**213.43**

टिप्पणी 23.1 अंकेक्षकों का पारिश्रमिक

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
अंकेक्षक पारिश्रमिक	1.16	1.16
सेवाओं के लिए, अन्य क्षमता में	-	-
योग	**1.16**	**1.16**

टिप्पणी : 23.2 कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 254 के अंतर्गत लंबित अधिसूचना जारी करना, आरोप्य कर, का प्रावधान नहीं किया गया है।

टिप्पणी : 24 अन्य व्यापक आय के तत्व (ओ.सी.आई)

अंश पूंजी में प्रत्येक प्रकार के आरक्षित द्वारा ओ.सी.आई में परिवर्तनों का असंतुलन नीचे दिखाया गया है:

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
पारिभाषिक लाभ योजना का पुनः मापन		
– उपदान	12.86	22.87
योग	**12.86**	**22.87**

टिप्पणी : 25 असाधारण मदें

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि (शुद्ध)	-	0.06
(ii) खारिज किए गए नमूने (टिप्पणी सं. 7 देखें)	-	(0.30)
(iii) किराया खाता पर सेवा कर	-	(12.75)
(iv) पीछे से लाए गए पेंशन निधि के लिए प्रावधान	-	(2.04)
(v) पीछे से लाया गया अतिरिक्त वेतन	-	(14.36)
(vi) प्राप्य आय कर	-	0.18
(vii) पीछे से लाए गए अतिरिक्त प्रावधान–उपदान	(0.05)	(9.09)
(viii) आय कर पर प्राप्त ब्याज	-	(0.37)
(ix) कॉनकोर से वेतन अवकाश अभिलेख पर अंशदान, (प्र.नि.)	(15.73)	-
(x) पीछे से लाए गए अतिरिक्त प्रावधान–पी.आर.पी	(27.53)	-
(ix) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	(0.06)	-
(x) पीछे से लाए गए, मेले एवं प्रदर्शनी पर अतिरिक्त प्रावधान	(0.02)	-
(ix) खारिज की गई टेलीफोन की सिक्योरिटी	0.02	-
(x) पीछे से लाए गए सॉफ्टवेयर विकास व्यय	(2.66)	-
(ix) खारिज की गई अग्रिम राशि	(0.20)	-
(x) खारिज की गई सिक्योरिटी एवं अन्य सेवा प्रभार	(0.10)	-
योग	**(46.34)**	**(38.67)**

टिप्पणी : 25.1 अंकेक्षण के तहत, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, सरकारी लेखापरीक्षक ने यह माना था कि ग्रेड उन्नयन के लिए दिनांक 25.01.2012 से वेतन निर्धारण को सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों दिनांक 26.11.2008 के अनुसार नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 'कर्मचारी लाभ व्यय' शीर्षक के तहत रु. 17.49 लाख की सीमा तक अतिरिक्त भुगतान किया गया है। इस राशि में 31 मार्च, 2015 तक की अवधि का रू. 14.36 लाख और वर्ष 2015-16 का रू. 3.13 लाख सम्मिलित है।

Note: 23.1 Auditors Remuneration

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
Auditor Remuneration	1.16	1.16
For other services, in other capacity	-	-
Total	**1.16**	**1.16**

Note 23.2 Pending the issuance of notification, cess leviable under section 254 of the Companies Act 2013, is not provided for.

NOTE : 24 COMPONENTS OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME (OCI)

The disaggregation of changes to OCI by each type of reserve in equity is shown below:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
Remeasurement of Defined Benefit plans		
- Gratuity	12.86	22.87
Total	**12.86**	**22.87**

NOTE : 25 EXCEPTIONAL ITEMS

(₹ in Lakhs)

Particulars		For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
(i)	Loss on sale of assets (Net)	-	0.06
(ii)	Sample Write off (Refer Note No. 7)	-	(0.30)
(iii)	Service Tax on rent account	-	(12.75)
(iv)	Provision for Pension Fund written back	-	(2.04)
(v)	Excess Salary Written Back	-	(14.36)
(vi)	Income tax Receivable	-	0.18
(vii)	Excess Provision Written back - Gratuity	(0.05)	(9.09)
(viii)	Interest received on Income Tax	-	(0.37)
(ix)	Contribution on Leave Salary recd. From Concor (MD)	(15.73)	-
(x)	Excess Provision Written back -PRP	(27.53)	-
(ix)	Profit on sale of assets	(0.06)	-
(x)	Excess provision on fair & Exhibition written back	(0.02)	-
(ix)	Security on Telephone Written Off	0.02	-
(x)	Software Dev. Exp. Written back	(2.66)	-
(ix)	Earnest Money Written off	(0.20)	-
(x)	Security & Other Services Charges Written off	(0.10)	-
	Total	**(46.34)**	**(38.67)**

Note 25.1 During the financial year 2013-14 under Audit, Government Auditor had observed that pay fixation upon upgradation w.e.f. 25/01/2012 was not done in accordance with Department of Public Enterprises (DPE) guidelines dated 26.11.2008. This has resulted excess payment made to the extent of Rs. 17.49 lakhs under the head 'Employee Benefit Expenses'. Said amount includes Rs. 14.36 lakhs related to the period upto March 31,2015 and Rs. 3.13 lakhs relates to 2015-16.

टिप्पणीः 26 प्रति अंश अर्जन (ई.पी.एस.)

(रु. में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति अंश मूल आय		
सतत् संचालन	23.47	24.84
तनुकृत प्रति अंश अर्जन		
सतत् संचालन से	23.03	24.84

टिप्पणी 26.1 प्रति अंश मूल आय

प्रति अश मौलिक आय से आगणन में प्रयुक्त अंशों का औसत भार एवं आयः

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के अंशधारकों की आरोप्य लाभः		
सतत् संचालन	2554.30	2384.78
प्रति अंश मूल आय के आगणन में प्रयुक्त आय	2554.30	2384.78
प्रति अंश मूल आय के उद्देश्य से अंशों की संख्या का औसत भार	108.81	96.00

टिप्पणी 26.2 तनुकृत प्रति अंश आय

प्रति अंश तनुकृत आय के आगणन में प्रयुक्त साम्य अंशों का औसत भार एवं आय

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के अंशधारकों की आरोप्य लाभः		
सतत् संचालन	2554.30	2384.78
प्रति अंश मूल आय के आगणन में प्रयुक्त आय	**2554.30**	**2384.78**

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति अंश मूल आय के उद्देश्य से अंशों की संख्या का औसत भार		
तनुकृत का प्रभावः	110.89	96.00
प्रति अंश तनुकृत आय के उद्देश्य से अंशों की संख्या का औसत भार	**110.89**	**96.00**

NOTE : 26 EARNINGS PER SHARE (EPS)

(₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
Basic EPS		
From continuing operation	23.47	24.84
Diluted EPS		
From continuing operation	23.03	24.84

Note: 26.1 Basic Earning per Share

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of basic earning per share:

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
Profit attributable to equity holders of the company:		
Continuing operations	2554.30	2384.78
Earnings used in calculation of Basic Earning Per Share	2554.30	2384.78
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	108.81	96.00

Note: 26.2 Diluted Earning per Share

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of diluted earning per share:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
Profit attributable to equity holders of the company:		
Continuing operations	2554.30	2384.78
Earnings used in calculation of diluted Earning Per Share from continuing operations	**2554.30**	**2384.78**

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	110.89	96.00
Effect of Dilution :		
Weighted average number of shares for the purpose of Diluted earnings per share	**110.89**	**96.00**

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

टिप्पणी: 27 संबंधित पक्ष प्रकटन (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक)

(क) श्री के नारायण, प्रबन्ध निदेशक, 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी

(ख) श्री अरविंद कथुरिया, महाप्रबन्धक (योजना)

(ग) श्री अजित कुमार पुनिया, महाप्रबन्धक (परियोजना)

(घ) श्री अजित कुमार सामल, कंपनी सचिव

वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन–देन की प्रकृति एवं मात्रा

(लाख रु. में)

विवरण	प्रबन्ध निदेशक (के. नारायण)	महाप्रबन्धक (योजना)	महाप्रबन्धक (परियोजना)	कंपनी सचिव
पारिश्रमिक	25.97	25.33	26.98	16.64
गृह निर्माण ऋण/अन्य व ब्याज	2.14	0.83	-	1.62
निगम को अदायगी किए गए ऋण/ब्याज	-	-	-	-
वर्ष की समाप्ति पर प्राप्य				
क) ऋण	7.48	0.45	-	-
ख) ऋण पर प्राप्य ब्याज	0.70	1.76	-	-
ग) अन्य प्राप्त	-	-	-	-
वर्ष की समाप्ति पर देय				
क) कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन (पी.ओ.पी.)	7.99	10.41	10.41	5.24
ख) अन्य वर्तमान दायित्व	0.01	0.17	0.13	0.44

टिप्पणी: 28 पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी को इस तरह से प्रबंधित करने को सुनिश्चित करना है कि एवं उसकी सामर्थ्य को आगे चलते रहने के आधार पर सुरक्षित करना है जिससे कंपनी अंश धारकों को अधिकतम रिटर्न प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान कर सके।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है ताकि आर्थिक स्थितियों में परिवर्तनों और वित्तीय करारों की आवश्यकताओं में समायोजन किया जा सके। लेन–देन की तिथि और 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास उधार लेने की कोई देयता नहीं है। कंपनी आंतरिक संभूति के माध्यम से इसकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का प्रबंधन करती है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी के प्रबंधन हेतु उद्देश्यों, नीतियों अथवा प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किए गए थे।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

NOTE : 27

RELATED PARTY DISCLOSURES (KEY MANAGERIAL PERSONNEL)

(a) Mr. K Narayan, Managing Director, w.e.f 1st January, 2016

(b) Mr. Arvind Kathuria, General Manager (Planning)

(c) Mr. Ajit Kumar Punia, General Manager (Project)

(d) Mr. Ajit Kumar Samal, Company Secretary

Nature & volume of transactions with key management personnel during the year

(₹ in Lakhs)

Particulars	Managing Director (K. Narayan)	General Manager (Planning)	General Manager (Project)	Company Secretary
Remuneration	25.97	25.33	26.98	16.64
House building loan/others & interest	2.14	0.83	-	1.62
Loan / interest repaid to Corporation	-	-	-	-
Receivables at year end				
a) Loans	7.48	0.45	-	-
b) Interest receivable on Loan	0.70	1.76	-	-
c) Other receivable	-	-	-	-
Payables at year end				
a) Performance related pay (PRP)	7.99	10.41	10.41	5.24
b) Other current liabilities	0.01	0.17	0.13	0.44

NOTE : 28 CAPITAL MANAGEMENT

The company objective to manage its capital in a manner to ensure and safeguard their ability to continue as a going concern so that company can continue to provide maximum returns to share holders and benefit to other stake holders.

Further, company manages its capital structure to make adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants. As on transition date and 31st March 2017 company does not have any liability towards borrowings. Company manages its working capital requirement through internal accruals.

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended 31 March 2017.

टिप्पणी : 29 उचित मूल्य माप

(i) श्रेणियों द्वारा वित्तीय साधनों का भार उठाते मूल्य निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को			31 मार्च, 2016 को			01 अप्रैल, 2015 को		
	एफ.वी. टी.पी.एल.	एफ.वी. टी.ओ.सी.एल.	परिशोधित लागत	एफ.वी. टी.पी.एल.	एफ.वी. टी.ओ.सी.एल.	परिशोधित लागत	एफ.वी. टी.पी.एल.	एफ.वी. टी.ओ.सी.एल.	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ									
(i) नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	8,880.46	-	-	6,707.61	-	-	2,309.85
(ii) अन्य बैंक अवशेष	-	-	9,542.00	-	-	9,996.00	-	-	9,000.00
(iii) प्रतिपूर्ति जमा	-	-	2.97	-	-	0.62	-	-	6.70
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	4,850.37	-	-	5,058.82	-	-	3,977.37
(vi) ऋण	-	-	133,181.72	-	-	121,612.00	-	-	114,458.80
(vi) कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम			116.81			132.11			139.92
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**156,574.34**	**-**	**-**	**143,507.16**	**-**	**-**	**129,892.64**
वित्तीय दायित्व									
(i) अन्य वित्तीय दायित्व			1,106.64	-	-	512.82	-	-	514.07
कुल वित्तीय दायित्व	**-**	**-**	**1,106.64**	**-**	**-**	**512.82**	**-**	**-**	**514.07**

(ii) उचित मूल्य पर मापा गया वित्तीय संपत्ति और देनदारियों का उचित मूल्य (लेकिन उचित मूल्य प्रकटीकरण आवश्यक है।)

(₹ in Lakhs)

विवरण	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		01 अप्रैल, 2015 को	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
(i) ऋण	133,181.72	133,181.72	121,612.00	121,612.00	114,458.80	114,458.80
(ii) कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	116.81	114.75	132.11	107.25	139.92	139.92
कुल वित्तीय दायित्व	**133,298.54**	**133,296.48**	**121,744.11**	**121,719.25**	**114,598.72**	**114,598.72**

(i) अल्पावधि प्रकृति के कारण नकदी और नकद समकक्षों की मात्रा, अन्य बैंक अवशेष, सुरक्षा जमा, अन्य प्राप्तियों और देनदारी को उनके उचित मूल्यों के समान माना गया है।

(ii) 'कर्मचारियों को ऋण' का उचित मूल्य मौजूदा बाजार दर का उपयोग करके आगणन किया गया था जो नकदी प्रवाह पर आधारित था। काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम सहित अप्रभावी इनपुटों को शामिल करने के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 में उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों और दायित्वों के लिए जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, ली जाने वाली धनराशि उचित मूल्य के बराबर है।

NOTE: 29 FAIR VALUE MEASUREMENTS

(i) The Carrying Value of Financial Instruments by categories are as follow:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017			As at 31st March 2016			As at 01st April 2015		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost
Financial Assets									
(i) Cash and Cash Equivalents	-	-	8,880.46	-	-	6,707.61	-	-	2,309.85
(ii) Other Bank balances	-	-	9,542.00	-	-	9,996.00	-	-	9,000.00
(iii) Security Deposits	-	-	2.97	-	-	0.62	-	-	6.70
(iv) Other Financial Assets	-	-	4,850.37	-	-	5,058.82	-	-	3,977.37
(vi) Loans	-	-	133,181.72	-	-	121,612.00	-	-	114,458.80
(vi) Staff Loans & advances			116.81			132.11			139.92
Total Financial Assets	**-**	**-**	**156,574.34**	**-**	**-**	**143,507.16**	**-**	**-**	**129,892.64**
Financial Liabilities									
(i) Other financial liabilities			1,106.64	-	-	512.82	-	-	514.07
Total Financial Liabilities	**-**	**-**	**1,106.64**	**-**	**-**	**512.82**	**-**	**-**	**514.07**

(ii) Fair value of financial assets and liabilities that are measured at fair value (but fair value disclosure are required)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017		As at 31st March 2016		As at 01st April 2015	
	Carrying Value	Fair Value	Carrying Value	Fair Value	Carrying Value	Fair Value
Financial Assets						
(i) Loans	133,181.72	133,181.72	121,612.00	121,612.00	114,458.80	114,458.80
(ii) Staff Loans & advances	116.81	114.75	132.11	107.25	139.92	139.92
Total Financial Assets	**133,298.54**	**133,296.48**	**121,744.11**	**121,719.25**	**114,598.72**	**114,598.72**

i) The carrying amounts of cash and cash equivalents, other bank balances, security deposits, Other Receivables and payables are considered to the same as their fair values, due to short term nature.

ii) The fair value of "Loans to employees" were calculated based on cash flows discounted using current market rate. They are classified as level 3 fair values in fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable inputs including counterparty credit risk.

iii) For financial assets and Liabilities that are measured at fair value, the carrying amount are equal to the fair values.

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1 – समरूप या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में अंकित मूल्य (बिना समायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 2 में सम्मिलित इनपुट, अंकित मूल्य के अतिरिक्त जो परिसंपत्तियों अथवा उत्तरदायित्वों के लिए प्रेक्षणीय है, चाहे प्रत्यक्ष (यथा मूल्य के रूप में) हों अथवा अप्रत्यक्ष (यथा मूल्य से उत्पन्न)।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या उत्तरदायित्वों के लिए इनपुट जो कि प्रेक्षणीय बाजार बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं।

निम्न तालिका में वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य माप पदानुक्रम को प्रस्तुत किया गया है व परिशोधन लागत पर मापा गया है:

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पदानुक्रम (लाख रु. में)

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
ऋण	31st मार्च 2017	-	-	133,181.72	133,181.72
कर्मचारियों को ऋण	31st मार्च 2017	-	-	114.75	114.75
योग		**-**	**-**	**133,296.48**	**133,296.48**

31.03.2016 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पदानुक्रम (लाख रु. में)

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
ऋण	31st मार्च 2017	-	-	1,21,612.00	1,21,612.00
कर्मचारियों को ऋण	31st मार्च 2017	-	-	107.25	107.25
योग		**-**	**-**	**1,21,719.25**	**1,21,719.25**

01.04.2015 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पदानुक्रम (लाख रु. में)

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
ऋण	31st अप्रैल 2017	-	-	1,14,458.80	1,14,458.80
कर्मचारियों को ऋण	31st अप्रैल 2017	-	-	139.92	139.92
योग		**-**	**-**	**1,14,598.72**	**1,14,598.72**

(iii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में अनुदान और अन्य दायित्व सम्मिलित हैं। इन वित्तीय दायित्वों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को वित्त पोषित करना है और इसके संचालन के समर्थन में गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एससीए/अन्य संस्थाओं के लिए सावधि/माइक्रो फाइनेंस ऋण शामिल हैं जो सीधे इक्विटी से प्राप्त होते हैं। कंपनी को बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम को उजागर करना आवश्यक है। कंपनी के वित्तीय जोखिम कार्यकलापों को उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित किया जाता है और कंपनी की नीति एवं जोखिम उद्देश्यों के अनुसार जिन वित्तीय जोखिमों की पहचान की जाती है, मापा जाता है और प्रबंधित किया जाता है। निदेशक मंडल ने इन सभी जोखिमों जो नीचे संक्षेप में दिए गए हैंय के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा की और सहमत है:

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार की कीमतों में होने वाले बदलावों के कारण भविष्य में वित्तीय साधनों के प्रवाह के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल होता है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण और अग्रिम जमा और अन्य गैर–व्युत्पन्न वित्तीय साधन सम्मिलित हैं।

Fair Value hierarchy

Level 1 - Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities

Level 2 - Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived form prices)

Level 3 - Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs)

The following table presents the fair value measurement hierarchy of financial assets and liabilities measured at amortised cost:-

FAIR VALUE HIERARCHY AS ON 31.03.2017

(₹ in Lakhs)

Particulars	Date of Valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
Loans	31st March 2017	-	-	133,181.72	133,181.72
Loans to employees	31st March 2017	-	-	114.75	114.75
Total		**-**	**-**	**133,296.48**	**133,296.48**

FAIR VALUE HIERARCHY AS ON 31.03.2016

(₹ in Lakhs)

Particulars	Date of Valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
Loans	31st March 2016	-	-	121,612.00	121,612.00
Loans to employees	31st March 2016	-	-	107.25	107.25
Total		**-**	**-**	**121,719.25**	**121,719.25**

FAIR VALUE HIERARCHY AS ON 01.04.2015

(₹ in Lakhs)

Particulars	Date of Valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
Loans	01st April 2015	-	-	1,14,458.80	1,14,458.80
Loans to employees	01st April 2015	-	-	139.92	139.92
Total		**-**	**-**	**1,14,598.72**	**1,14,598.72**

(iii) Financial risk management

The Company's principal financial liabilities comprise Grant and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the company's operations and to provide guarantees to support its operation. The Company's principal financial assets include Term/Micro finance loans to SCA's/other entities that derive directly from its equity.

The Company is required to expose market risk, credit risk and liquidity risk. The company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and those financial risks are identified, measured and managed in accordance with the companies policies and risk objectives. The board of directors review and agree on policies for managing each of these risk, which are summarised below:

a) Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises Interest rate risk. Financial instruments affected by market risk includes loan and advances deposits and other non derivative financial instruments.

ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में बाजार में ब्याज दर के आधार पर उतार–चढ़ाव होगा। कंपनी ब्याज दर जोखिम से अवगत नहीं है।

ग) उधार में जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय नुकसान का जोखिम है। यदि कोई वित्तीय संस्थान अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और कंपनी के प्राप्य ऋणों से मुख्य रूप से एस.सी.ए. और गैर–सरकारी संगठन से उत्पन्न होता है। एस.सी.ए. और एन.जी.ओ. को दिए गए ऋणों के वित्तीय कार्यकलाप से कंपनी को जोखिम का सामना करना पड़ता है।

कंपनी, कंपनी की आंतरिक नीतियों के आधार पर क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन करती है और उसका प्रबंधन करती है। कंपनी संपत्ति की प्रारंभिक मान्यता पर चूक की संभावना पर विचार करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निरंतर आधार पर क्रेडिट जोखिम में क्या महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, पर विचार करती है। क्या क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, का आकलन करने के लिए कंपनी की रिपोर्टिंग की तिथि के रूप में परिसंपत्ति पर मूल रूप से होने वाले जोखिम की तुलना प्रारंभिक मान्यता की तिथि के रूप में चूक के जोखिम के साथ करती है। यह पहले दिखने वाली उचित और सहायक जानकारी उपलब्ध कराता है। विशेष रूप से निम्नलिखित संकेतक शामिल है:

- दायित्व के समर्थन में संपार्श्विक (कोलेट्रल) के मूल्य में अथवा तीसरे पक्ष की गारंटी की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण परिवर्तन
- उधारकर्ताओं (एस.सी.ए.) के भुगतान की स्थिति में परिवर्तन और उधारकर्ता (एससीए) के परिचालन परिणामों में परिवर्तन सहित, उधारकर्ता (एस.सी.ए.) के अपेक्षित प्रदर्शन और व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव.

सामान्यतः यह अनुमान लगाया जाता है कि यदि भुगतान 1 साल से अधिक समय के लिए होने पर प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है.

वित्तीय परिसंपत्ति में जब चूक होती है, काउंटरपार्टी भुगतान करने में विफल रहता है, तब भी वे देय होते हैं।

वित्तीय साधन एवं नकद जमा

कंपनियों की नीति के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास जमा के संतुलन से क्रेडिट जोखिम को प्रबंधित किया जाता है। आधिक्य का निवेश काउंटरपार्टी के मात्र अनुदोदन से ही काउंटरपार्टी के वित्तीय आंकन (फाइनेन्सियल कोट्स) से किया जाता है।

घ) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम प्रबंधन के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायित्व निदेशक मंडल का है, कंपनी लगातार पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करके और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता से मिलान करके पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं को बनाए रखने का प्रबंधन करती हैं।

b) Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of change in market interest rate. The company is not exposed to interest rate risk.

c) Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss to the Company if a counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Company's loans receivables from SCA's and NGO. The company is exposed to credit risk from its financial activities of loans given to SCA's and NGO.

The company assesses and manages credit risk based on company's internal policies. The company considers the probability of default upon initial recognition of assets and whether there has been a significant increase in credit risk on an ongoing basis through out each reporting period. To assess whether there is a significant increase in credit risk the company compares the risk of default occurring on the asset as at the reporting date with the risk of default as at the date of initial recognition. It considers available reasonable and supportive forward looking information. Especially the following indicators are incorporated.

- Significant changes in the value of collateral supporting the obligation or in the quality of third party guarantees.
- Significant changes in the expected performance and behaviors of the borrower (SCA's), including changes in the payments status of the borrowers (SCA's) in the group and changes in the operating results of the borrower (SCA's).

In general, it is presumed that the credit risk has significantly increased since initial recognition if the payments are due for more than 1 years.

A default on a financial asset is when the counterparty fails to make payments whenever they fall due.

Financial instruments and cash deposits

Credit risk from balances with banks and financial institutions is managed in accordance with the companies policy. Investment of surplus are made only with approved with counterparty on the basis of the financial quotes received from the counterparty.

d) Liquidity Risk

Ultimate responsibility for liquidity risk management rest with the board of directors the company manages maintaining adequate banking facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and by matching the maturities of financial liabilities.

टिप्पणी: 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित क्रेडिट ऋण हानि का प्रावधान

(लाख रु. में)

विवरण		परिसंपत्तियों का समूह	चूक की सकल धारित अनुमानित राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट हानियाँ	शुद्ध धनराशि की क्षति का प्रावधान
	आरंभिक मान्यता से वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है	ऋण	133,154.53	0%	-	133,154.53
		ऋणों पर ब्याज	4,153.65	0%	-	4,153.65
			8.13	15%	1.22	6.91
हानि प्रावधान का मापन आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर किया गया	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में वृद्धि नहीं हुई है	ऋण	17.11	25%	4.28	12.83
			161.80	100%	161.80	-
			13.94	15%	2.09	11.85
		ऋणों पर ब्याज	49.98	25%	12.50	37.49
			1,015.21	100%	1,015.21	-
			138,574.35		**1,197.09**	**137,377.26**

टिप्पणी: 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित क्रेडिट ऋण हानि का प्रावधान

विवरण		परिसंपत्तियों का समूह	चूक की सकल धारित अनुमानित राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट हानियाँ	शुद्ध धनराशि की क्षति का प्रावधान
	आरंभिक मान्यता से वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है	ऋण	121,591.11	0%	-	121,591.11
		ऋणों पर ब्याज	4,177.99	0%	-	4,177.99
			7.33	15%	1.10	6.23
हानि प्रावधान का मापन आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर किया गया	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में वृद्धि नहीं हुई है	ऋण	19.55	25%	4.89	14.66
			617.99	100%	617.99	-
			5.34	15%	0.80	4.54
		ऋणों पर ब्याज	9.45	25%	2.36	7.09
			574.09	100%	574.09	-
			127,002.85		**1,201.23**	**125,801.62**

NOTE : 30 PROVISION FOR EXPECTED CREDIT LOSSES OF LOANS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

(₹ in Lakhs)

Particulars		Assets Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount of Net Impairment Provision
	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	**Loans**	133,154.53	0%	-	133,154.53
		Interest on Loans	4,153.65	0%	-	4,153.65
			8.13	15%	1.22	6.91
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not creditly impaired	**Loans**	17.11	25%	4.28	12.83
			161.80	100%	161.80	-
			13.94	15%	2.09	11.85
		Interest on Loans	49.98	25%	12.50	37.49
			1,015.21	100%	1,015.21	-
			138,574.35		**1,197.09**	**137,377.26**

PROVISION FOR EXPECTED CREDIT LOSSES OF LOANS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

Particulars		Assets Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount of Net Impairment Provision
	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	**Loans**	121,591.11	0%	-	121,591.11
		Interest on Loans	4,177.99	0%	-	4,177.99
			7.33	15%	1.10	6.23
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not creditly impaired	**Loans**	19.55	25%	4.89	14.66
			617.99	100%	617.99	-
			5.34	15%	0.80	4.54
		Interest on Loans	9.45	25%	2.36	7.09
			574.09	100%	574.09	-
			127,002.85		**1,201.23**	**125,801.62**

1 अप्रैल, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित क्रेडिट ऋण हानियों का प्रावधान

(लाख रु. में)

विवरण		परिसंपत्तियों का समूह	चूक की सकल धारित अनुमानित राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट हानियाँ	शुद्ध धनराशि की क्षति का प्रावधान
	आरंभिक मान्यता से वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है	ऋण	114,435.83	0%	-	114,435.83
		ऋणों पर ब्याज	3,401.05	0%	-	3,401.05
			9.77	15%	1.47	8.30
हानि प्रावधान का मापन आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर किया गया	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में वृद्धि नहीं हुई है	ऋण	19.55	25%	4.89	14.66
			152.14	100%	152.14	-
			4.50	15%	0.68	3.83
		ऋणों पर ब्याज	10.23	25%	2.56	7.67
			609.11	100%	609.11	-
			118,642.18		**770.84**	**117,871.34**

क) उधारी और उस पर ब्याज की प्रत्याशि ऋण हानि के लिए प्रावधान, जहां राशि तीन से अधिक वर्षो के लिए अतिदेय है और राज्य सरकार के आदेश/गारंटी या किसी अन्य सुरक्षा द्वारा कवर नहीं की गई है, चूक की संभावना के अनुसार की जाएगी।

जिसके लिए अतिदेय है, की अवधि	चूक की संभाव्यता
1 वर्ष तक	15%
1 से 3 तर्ष	25%
3 वर्षो से अधिक	100%

ख) 31.03.2017 तक अप्राप्त 'दण्ड ब्याज' का प्रावधान वित्तीय विवरण में किया गया है, जबकि बाद की अवधि से संबंधित राशि को अनिश्चितता कारक के रूप में माना गया है।

ग) वित्तीय वर्ष के अंत तक गैर–सरकारी संस्थानों/विद्यार्थियों को सीधे वितरित किए गए असुरक्षित ऋणों पर अतिदेय ब्याज हेतु प्रावधान किया गया है।

PROVISION FOR EXPECTED CREDIT LOSSES OF LOANS FOR THE YEAR ENDED 1ST APRIL 2015

(₹ in Lakhs)

Particulars		Assets Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount of Net Impairment Provision
	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	**Loans**	114,435.83	0%	-	114,435.83
		Interest on Loans	3,401.05	0%	-	3,401.05
			9.77	15%	1.47	8.30
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not creditly impaired	**Loans**	19.55	25%	4.89	14.66
			152.14	100%	152.14	-
			4.50	15%	0.68	3.83
		Interest on Loans	10.23	25%	2.56	7.67
			609.11	100%	609.11	-
			118,642.18		**770.84**	**117,871.34**

a) Provisions for Expected Credit Lossess of loans and interest thereon, where the amounts are overdue for more than three years and are not covered by the State Government's Order/ Guarantee or any other security. "shall be made as per the Probability of default.

Period for which overdue	Probability of default
Upto 1 year	15%
1 to 3 year	25%
More than 3 year	100%

b) Unrealized 'Penal Interest' upto 31/03/2007 has been provided in the financial statement whereas amount pertaining to subsequent period is recognized as and when recognized due to its uncertainty factor.

c) Overdue interest on Unsecured loans disbursed directly to NGO/Students at the end of financial year provided for.

टिप्पणी: 31 अनिश्चितता आकलन के प्रमुख साधन

भविष्य के बारे में प्रमुख धारणाएं निम्नलिखित हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता आकलन का प्रमुख स्रोत हैं जिनके पास अगले वित्तीय वर्ष के साथ परिसंपत्तियों और उत्तरदायित्व की मात्रा में सामग्री समायोजन करने पर एक उल्लेखनीय जोखिम हो सकता है।

क) अमूर्त संपत्तियों का उपयोगी जीवन

जैसा नोट 2 (जे) में वर्णित है, कंपनी ने अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन का अनुमान लगाया है।

उपरोक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव बाद के वित्तीय वर्ष में परिशोधन व्यय पर प्रभाव पड़ सकता है।

ख) उचित मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों को मापा जाता है। इन पद्धतियों के लिए इनपुट जहां संभव हो वहां प्रेक्षणीय बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहां यह व्यवहारिक नहीं है, उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और उतार–चढ़ाव जैसे इनपुट विचार के लिए सम्मिलित होते हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

टिप्पणी: 32 परिचालन भाग रिर्पोटिंग

निगम में केवल एक व्यापार खंड और एक भौगोलिक भाग (सेगमेंट) है, क्योंकि यह देश में एस.सी.ए. के माध्यम से पिछड़े वर्गो के पात्र व्यक्तियों को रियायती दर पर वित्त उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ है। इसलिए, आई.ए.एस. के अनुसार सेगमेंट जानकारी के प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी: 33 पुर्वावधि त्रुटियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
साम्य अंश पर प्रभाव (साम्य अंश में वृद्धि/कमी)			
व्यवसाय देय		-	0.53
व्यवसाय प्राप्त		-	
साम्य अंश पर शुद्ध प्रभाव	**-**	**-**	**0.53**

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	01 अप्रैल, 2015 को
लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभाव (लाभ में वृद्धि/कमी)			
अन्य देय		0.53	-
अंश धारकों पर आरोप्य	-	0.53	-
	-	**0.53**	-

प्रति शेयर मूल्य एवं तनुकृत आय पर प्रभाव (ई.पी.एस. में वृद्धि (कमी))

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के अंशधारकों की आरोप्य लाभः		
सतत् संचालन	-	0.01
प्रति अंश मूल आय के आगणन में प्रयुक्त आय	-	0.01

टिप्पणी: 34 आकस्मिक दायित्व/संपत्ति और प्रतिबद्धताएँ

दायित्वः पूंजीगत खाते पर निष्पादित की जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया (अग्रिम का शुद्ध, यदि कोई है) शून्य है (रुपये 31.03.3016 और 01 अप्रैल, 2015 को 0.20 लाख)

परिसंपत्तियाँः दो कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण के खाते में अनुमानित बढ़ी हुई धनराशि रू. 767951/- (गत् वर्ष–शून्य)।

NOTE : 31 KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The followings are the key assumptions concerning the future, and the key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities with next financial year.

a) **Useful lives of Intangibles**

As described in note 2 (j), company has estimated the useful live of intangible Assets

The financial impact of the above assessment may impact the amortisation expenses in subsequent financial years.

b) **Fair valuation measurement and valuation process**

The fair values of financial assets and financial liabilities is measured the valuation techniques including including the DCF model. The inputs to these method are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments. See Note 29 for further disclosures.

NOTE : 32 OPERATING SEGMENT REPORTING

The Corporation has only one Business segment and one Geographical segment, as it is engaged in providing finances at concessional rate of interest to eligible persons belonging to backward classes, through state Channelising agencies in the country. Hence, segment information as per IndAS is not required to be disclosed.

NOTE : 33 PRIOR PERIOD ERRORS

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Impact on equity (increase/(decrease) in equity)			
Trade Payables		-	0.53
Trade Receivables		-	
Net Impact on Equity	**-**	**-**	**0.53**

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 1st April 2015
Impact on statement in profit and loss (increase/(decrease) in profit)			
Other Expenses	-	0.53	-
Attributable to Equity Holders	-	0.53	-
	-	**0.53**	**-**

Impact on basic and diluted earnings per share (EPS) (increase/(decrease) in EPS)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016
Earnings per share for continuing operation		
Basic, profit from continuing operations attributable to equity holders	-	0.01
Diluted, profit from continuing operations attributable to equity holders	-	0.01

NOTE : 34 CONTINGENT LIABILITIES /ASSET AND COMMITMENTS

Liabilities: Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances, if any)is Nil (Rs. 0.20 lac as at 31.03.2016 & Rs. 01,April 2015).

Assets: Estimated exceed amount on account of leave encashment at the time of superannuation of two employee of Rs. 767951/-(Previous year -nil-)

टिप्पणी: 35 08.11.2016 से 30.12.2016 तक निर्दिष्ट बैंक नोट पर प्रकटन (एसबीएन)

एम.सी.ए. अधिसूचना जी.एस.आर. 308 (ई) दिनांक 31.03.2017 के अनुसार 08.11.2016 से 30.12.2016 की अवधि के दौरान आयोजित और किए गए निर्दिष्ट बैंक नोट्स (एस.बी.एन.) का विवरण और अन्य अंकित मूल्य नोट (ओ.डी.एन.) नीचे दिया गए है:

(लाख रु. में)

	एस.बी.एन.	अन्य मूल्य सूचक नोट	योग
08.11.2016 की स्थिति के अनुसार नकद अन्त नकद	0.05	0.00	0.05
(+) अनुमति प्राप्य रसीद	-	0.25	0.25
(-) अनुमति प्राप्य भुगतान	-	-	-
(-) बैंक में जमा राशि	-0.05	-	- 0.05
31.12.2016 की स्थिति के अनुसार नकद अंत में कैश	-	0.25	0.25

इस परिच्छेद के प्रयोजन के लिए, 'निर्दिष्ट बैंक नोट' शब्द का अर्थ वही अर्थ होगा, जैसा कि वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना सं. एस .3407 (ई) दिनांक 08.11.2016 में दिया गया है।

टिप्पणी: 36 वित्तीय विवरण हेतु अनुमोदन

निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय विवरण दिनांक 04.08.2017 को अनुमोदित किए गए हैं।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

टिप्पणी: 37 भारतीय लेखाकरण मानक में पहली बार अंगीकार

पहली बार 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह वित्तीय वक्तव्य भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार तैयार किया गया है। 31 मार्च, 2016 को सम्मिलित करते हुए तक की अवधि के लिए और कंपनी ने भारतीय जी.ए.ए.पी. के अनुसार जिसमें कंपनियों (लेखाकरण मानक) नियम, 2006 (संशोधित रूप में) के तहत अधिसूचित लेखाकरण मानक शामिल हैं, अपने वित्तीय वक्तव्यों को तैयार किया। तदनुसार, कंपनी ने वित्तीय विवरणों को तैयार किया है जो 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक अवधि के आंकड़ों के साथ 31 मार्च, 2016 को या उसके बाद की अवधि के लिए लागू भारतीय लेखाकरण मानक का अनुपालन करते हैं, जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकरण नीतियों के सारांश में वर्णित है। इन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी में, कंपनी द्वारा भारतीय लेखाकरण मानक को पारगमन (ट्रांजिशन) की तिथि को, तुलन पत्र 01 अप्रैल 2015 को तैयार किया गया था। 01 अप्रैल, 2015 को तुलन–पत्र एवं 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष को सम्मिलित करते हुए वित्तीय विवरण कंपनी द्वारा किए गए प्रमुख समायोजनों को भारतीय जी.एए.पी. में पुनर्वर्णित करता है, की यह नोट व्याख्या करता है।

लागू रियायतें

भारतीय लेखाकरण मानक के तहत निश्चित आवश्यकताओं के सृजन को पहली बार अपनाने वालों को भारतीय लेखाकरण मानक 101 पूर्वप्रभावी आवेदन से कुछ छूट प्रदान करता है।

कंपनी ने निम्नलिखित रियायतों के लिए आवेदन किया है:

1. **अनुमान**

   01 अप्रैल, 2015 और 31 मार्च, 2016 के अनुमान भारतीय जी.ए.ए.पी. (लेखाकरण नीतियों में किसी भी अंतर को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजन के बाद) से सुसंगत हैं, उसी तिथियों के लिए बनाए गए हैं। भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार इन राशियों को प्रस्तुत करने के लिए समूह द्वारा उपयोग किए गए अनुमान भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार है, लेन–देन की तिथि और 31 मार्च 2016 तक 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं।

2. **धारित लागत**

   कंपनी ने सभी संपत्तियों के मूल्य के लिए पिछले जी.ए.ए.पी. को जारी रखने के लिए चुना है। संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां जिनकी पिछली जी.ए.ए.पी. वित्तीय स्थिति को लेन–देन की तिथि के रूप में लिया गया है।

NOTE : 35 DISCLOSURE ON SPECIFIED BANK NOTES FROM 08-11-2016 TO 30-12-2016 (SBN)

In accordance with MCA notification G.S.R. 308 (E) dated 31.03.2017, the details of Specified Bank Notes (SBN) held and other denomination notes (ODN) held and transacted during the period from 08-11-2016 to 30-12-2016 is given below:

(₹ in Lakhs)

	SBNs	Other Denomination Notes	Total
Closing cash in hand as on 08.11.2016	0.05	0.00	0.05
(+) Permitted receipts	-	0.25	0.25
(-) Permitted payments	-	-	-
(-) Amount deposited in Banks	-0.05	-	- 0.05
Closing cash in hand as on 30.12.2016	-	0.25	0.25

For the purpose of this clause, the term "Specified Bank Note" shall have the same meaning as provided in the notification of Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs No. S.O. 3407 (E) dated 08-11-2016.

NOTE : 36 APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENT

The financials statements are approved by board of directors as on 04/08/2017

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

NOTE : 37 FIRST-TIME ADOPTION OF IND AS

These financial statements, for the year ended 31 March 2017, are the first the company has prepared in accordance with Ind-AS. For periods up to and including the year 31 Mach 2016, the company prepared its financial statements in accordance with the Indian GAAP, including accounting standards notified under the companies (Accounting Standards) Rules, 2006 (as amended).

Accordingly the company has prepared financial statements which comply with Ind-AS applicable for the periods on or after the 31 March 2016, together with the comparative period data as at and for the year ended 31 March 2016, as described in the summary of the significant accounting policies, In preparing these financial statements, the company opening balance sheet was prepared as at 1 April 2015, the company date of transition to Ind-AS. This note explains the principal adjustments made by the company in restating its Indian GAAP financial statements, including the balance sheet as at 1 April 2015 and the financial statements as at and for the year ended 31 March 2016

Exemptions Applied

Ind-AS 101 allows first time adopters certain exemptions from the retrospective application of creation requirements under Ind-AS

Company has applied the following exemptions:-

1- Estimates

The estimates at 1 April 2015 and at 31 March 2016 are consistent with those made for the same dates in accordance with Indian GAAP (after adjustments to reflect any differences in accounting policies).The estimates used by the Group to present these amounts in accordance with Ind AS reflect conditions at 1 April 2015, the date of transition to Ind-AS and as of 31 March 2016.

2- Deemed Costs

The company has elected to continue with the previous GAAP carrying value of all property Plant and Equipment and Intangible Assets as recognised in the previous GAAP financials as deemed cost at the transition date.

पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक का अंगीकरण

1 अप्रैल, 2015 को तुल–पत्र पर भारतीय लेखाकरण मानक के अंगीकरण का प्रभाव

(लाख रु. में)

	विवरण	पाद टिप्पणी	भारतीय (जीएएपी)	समायोजन	भारतीय लेखाकरण मानक
I.	परिसंपत्तियाँ				
1	गैर–वर्तमान परिसंम्पत्तियाँ				
	(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर		52.51	(0.00)	52.51
	(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ		1.55	-	1.55
	(ग) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	(i) ऋण	3	75,191.96	(36.07)	75,155.89
	(ii) अन्य		168.92	-	168.92
	(घ) अन्य गैर–वर्तमान परिसम्पत्तियां	3	-	46.83	46.83
			75,414.94	10.76	75,425.70
2	वर्तमान परिसंपत्तियाँ				
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	(i) नकद एवं नकदी समकक्ष		2,309.85	-	2,309.85
	(ii) उपरोक्त (i) अतिरिक्त बैंक अवशेष		9,000.00	-	9,000.00
	(iii) ऋण	3,4	39,467.81	(24.98)	39,442.83
	(iv) अन्य		3,815.15	-	3,815.15
	(ख) वर्तमान कर परिसंपत्ति (शुद्ध)		24.01	-	24.01
	(ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	3	50.59	3.67	54.26
			54,667.41	(21.31)	54,646.10
	कुल परिसंपत्तियाँ		**130,082.35**	**(10.55)**	**130,071.80**
II.	साम्य अंश एवं दायित्व				
1	साम्य अंश				
	(क) साम्य अंश पूंजी		91,200.00	-	91,200.00
	(ख) अन्य साम्य अंश	2,4	38,028.57	(11.08)	38,017.49
			129,228.57	(11.08)	129,217.49
2	दायित्व				
(i)	गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ				
	(क) प्रावधान		69.87	-	69.87
			69.87	-	69.87
4	वर्तमान दायित्व				
	(क) वित्तीय दायित्व				
	(i) अन्य		514.07	-	514.07
	(ख) अन्य वर्तमान दायित्व	2	55.82	0.53	56.35
	(ग) प्रावधान		214.03	-	214.03
			783.92	0.53	784.45
	कुल साम्य अंश एवं दायित्व		**130,082.36**	**(10.55)**	**130,071.81**

FIRST TIME IND AS ADOPTION

EFFECT OF IND AS ADOPTION ON BALANCE SHEET AS AT APRIL 1, 2015

(₹ in Lakhs)

Particulars		Foot Notes	Indian (GAAP)	Adjustments	Ind AS
I.	**ASSETS**				
1	**Non-current assets**				
	(a) Property, plant and equipment		52.51	(0.00)	52.51
	(b) Other intangible assets		1.55	-	1.55
	(c) Financial assets				
	(i) Loans	3	75,191.96	(36.07)	75,155.89
	(ii) Others		168.92	-	168.92
	(d) Other non-current assets	3	-	46.83	46.83
			75,414.94	10.76	75,425.70
2	**Current assets**				
(a)	Financial assets				
	(i) Cash and cash equivalents		2,309.85	-	2,309.85
	(ii) Bank balances other than (i) above		9,000.00	-	9,000.00
	(iii) Loans	3,4	39,467.81	(24.98)	39,442.83
	(iv) Others		3,815.15	-	3,815.15
(b)	Current tax asset (Net)		24.01	-	24.01
(c)	Other current assets	3	50.59	3.67	54.26
			54,667.41	(21.31)	54,646.10
	Total Assets		**130,082.35**	**(10.55)**	**130,071.80**
II.	**EQUITY AND LIABILITIES**				
1	**Equity**				
	(a) Equity Share Capital		91,200.00	-	91,200.00
	(b) Other Equity	2,4	38,028.57	(11.08)	38,017.49
			129,228.57	(11.08)	129,217.49
2	**Liabilities**				
(i)	**Non-current liabilities**				
	(a) Provisions		69.87	-	69.87
			69.87	-	69.87
4	**Current liabilities**				
	(a) Financial Liabilities				
	(i) Others		514.07	-	514.07
	(b) Other current liabilities	2	55.82	0.53	56.35
	(c) Provisions		214.03	-	214.03
			783.92	0.53	784.45
	Total Equity and Liabilities		**130,082.36**	**(10.55)**	**130,071.81**

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

31 मार्च, 2016 को तुलन–पत्र पर भारतीय लेखाकरण मानक के अंगीकरण का प्रभाव (लाख रु. में)

	विवरण	पाद टिप्पणी	भारतीय (जीएएपी)	समायोजन	भारतीय लेखाकरण मानक
I.	परिसंपत्तियाँ				
1	गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ				
	(क) संपत्ति, संयत्र एवं उपस्कर		49.34	(0.00)	49.34
	(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ		0.78	-	0.78
	(ग) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	(i) ऋण	3	82,975.42	(44.65)	82,930.78
	(ii) अन्य		218.91	-	218.91
	(घ) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ	3	-	42.77	42.77
			83,244,.45	(1.88)	83,242.58
2	वर्तमान परिसंपत्तियां				
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	(i) नकद एवं नकद समकक्ष		6,707.61	-	6,707.61
	(ii) उपरोक्त (i) अतिरिक्त बैंक अवशेष		9,996.00	-	9,996.00
	(iii) ऋण	4	38,824.77	(11.44)	38,813.33
	(iv) अन्य		4,840.53	-	4,840.53
	(ख) वर्तमान कर परिसंपत्ति (शुद्ध)		22.96	-	22.96
	(ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	3	57.36	4.17	61.53
			60,449.23	(7.27)	60,441.96
	कुल परिसंपत्तियां		**1,43,693.67**	**(9.15)**	**1,43,684.54**
II.	साम्य अंश एवं दायित्व				
1	साम्य अंश				
	(क) साम्य अंश पूंजी		1,02,400.00	-	1,02,400.00
	(ख) अन्य साम्य अंश	4	40,434.55	(9.15)	40,425.40
			1,42,834.55	(9.15)	1,42,825.40
2	दायित्व				
(i)	गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां				
	(क) प्रावधन		129.16	-	129.16
			129.16	-	129.16
4	वर्तमान दायित्व				
	(क) वित्तीय दायित्व				
	(i) अन्य		512.82	-	512.82
	(ख) अन्य वर्तमान दायित्व	2	23.00	-	23.00
	(ग) प्रावधान		194.16	-	194.16
			729.98	-	729.98
	कुल साम्य अंश एवं दायित्व		**1,43,693.69**	**(9.15)**	**1,43,684.54**

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

EFFECT OF IND AS ADOPTION ON BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2016

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Foot Notes	Indian (GAAP)	Adjustments	Ind AS
I.	**ASSETS**				
1	**Non-current assets**				
	(a) Property, plant and equipment		49.34	(0.00)	49.34
	(b) Other intangible assets		0.78	-	0.78
	(c) Financial assets				
	(i) Loans	3	82,975.42	(44.65)	82,930.78
	(ii) Others		218.91	-	218.91
	(d) Other non-current assets	3	-	42.77	42.77
			83,244,.45	(1.88)	83,242.58
2	**Current assets**				
(a)	Financial assets				
	(i) Cash and cash equivalents		6,707.61	-	6,707.61
	(ii) Bank balances other than (i) above		9,996.00	-	9,996.00
	(iii) Loans	4	38,824.77	(11.44)	38,813.33
	(iv) Others		4,840.53	-	4,840.53
(b)	Current tax asset (Net)		22.96	-	22.96
(c)	Other current assets	3	57.36	4.17	61.53
			60,449.23	(7.27)	60,441.96
	Total Assets		**1,43,693.67**	**(9.15)**	**1,43,684.54**
II.	**EQUITY AND LIABILITIES**				
1	**Equity**				
	(a) Equity Share Capital		1,02,400.00	-	1,02,400.00
	(b) Other Equity	4	40,434.55	(9.15)	40,425.40
			1,42,834.55	(9.15)	1,42,825.40
2	**Liabilities**				
(i)	**Non-current liabilities**				
(a)	Provisions		129.16	-	129.16
			129.16	-	129.16
4	**Current liabilities**				
(a)	Financial Liabilities				
(i)	Others		512.82	-	512.82
(b)	Other current liabilities	2	23.00	-	23.00
(c)	Provisions		194.16	-	194.16
			729.98	-	729.98
	Total Equity and Liabilities		**1,43,693.69**	**(9.15)**	**1,43,684.54**

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय विवरण पर भारतीय लेखाकरण मानक के अंगीकरण का प्रभाव*

(लाख रु. में)

	विवरण	पाद टिप्पणी	भारतीय (जीएएपी)	समायोजन	भारतीय लेखाकरण मानक
I.	राजस्व :				
	संचालनों से आय	5	4,480.39	6.80	4,487.19
II.	अन्य आय	3	10.13	3.67	13.80
III.	कुल आय **(I + II)**		**4,490.52**	**10.47**	**4,500.99**
IV.	**व्यय :**				
	ऋण अग्रिमों का प्रबंध (एलाउंस)	4	431.80	(1.40)	430.40
	माफ किया दण्ड ब्याज		217.95	-	217.95
	कर्मचारी लाभ व्यय	1,3	517.85	26.53	544.39
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय		8.01	-	8.01
	अन्य व्यय	2,5	206.09	7.34	213.43
	प्रशिक्षण एवं विकास व्यय		740.71	-	740.71
	कुल व्यय		**2,122.41**	**32.47**	**2,154.89**
V.	असाधारण मदों एवं कर के पूर्व व्यय से आय का आधिक्य (I & IV)		2,368.11	(22.01)	2,346.10
VI.	असाधारण मदें		(38.67)	-	(38.67)
VII.	कर से पूर्व व्यय से आय का आधिकय (V - VI)		2,406.77	(22.01)	2,384.77
VIII.	कर व्यय:				
	(1) वर्तमान कर				
	- वर्ष के लिए			-	-
	- पूर्व वर्षो के (शुद्ध)		-	-	-
	(2) आस्थगित कर (शुद्ध)		-	-	-
	कुल कर व्यय (VIII)		-	-	-
IX.	**अवधि के लिए संचालन की निरंतरता की व्यय से आय का आधिक्य (VII - VIII)**		**2,406.77**	**(22.01)**	**2,384.77**
X.	रोके गए संचालनों से व्यय से आय का आधिक्य		-	-	-
XI.	रोके गए संचालनों पर व्यय		-	-	-
XII.	**रोके गए संचालनों से व्यय से आय का आधिक्य (कर के पश्चात्) (X-XI)**		-	-	-
XIII.	अवधि के लिए व्यय से आय का आधिक्य **(IX+XII)**		**2,406.77**	**(22.01)**	**2,384.77**

EFFECT OF IND AS ADOPTION ON STATEMENT OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016*

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Foot Notes	Indian (GAAP)	Adjustments	Ind AS
I.	**Revenue :**				
	Revenue from operations	5	4,480.39	6.80	4,487.19
II.	Other income	3	10.13	3.67	13.80
III.	**Total Income (I + II)**		**4,490.52**	**10.47**	**4,500.99**
IV.	**Expenses:**				
	Allowance for Loans & advances	4	431.80	(1.40)	430.40
	Penal Interest waived off		217.95	-	217.95
	Employee Benefit Expense	1,3	517.85	26.53	544.39
	Depreciation and Amortization Expense		8.01	-	8.01
	Other Expenses	2,5	206.09	7.34	213.43
	Training & Development Expenses		740.71	-	740.71
	Total Expenses (IV).		**2,122.41**	**32.47**	**2,154.89**
V.	**Excess of Income over expenditure before exceptional items and Tax (I - IV)**		2,368.11	(22.01)	2,346.10
VI.	Exceptional items		(38.67)	-	(38.67)
VII.	Excess of Income over expenditure before tax (V - VI)		2,406.77	(22.01)	2,384.77
VIII.	Tax expense:				
	(1) Current tax				
	- For the year			-	-
	- For earlier years (net)		-	-	-
	(2) Deferred tax (net)		-	-	-
	Total Tax Expense (VIII)		-	-	-
IX.	**Excess of Income over expenditure for the period from continuing operation (VII - VIII)**		**2,406.77**	**(22.01)**	**2,384.77**
X.	Excess of Income over expenditure from discontinued operations		-	-	-
XI.	Tax Expense of discontinued operations		-	-	-
XII.	Excess of Income over expenditure from discontinued operations (after tax) (X-XI)		-	-	-
XIII.	**Excess of Income over expenditure for the period (IX+XII)**		**2,406.77**	**(22.01)**	**2,384.77**

(लाख रु. में)

	विवरण	पाद टिप्पणी	भारतीय (जीएएपी)	समायोजन	भारतीय लेखाकरण मानक
XIV.	अन्य व्यापक आय				
	क. (i) मदें जो आय एवं व्यय विवरण में पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएगी	1	-	22.87	22.87
	(ii) आयकर से संबंधित मदें, जो आय एवं व्यय विवरण में पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएगी		-	-	-
	ख. (i) मदे, जो आय एवं व्यय में पुनःवर्गीकृत की जाएंगी		-	-	-
	(ii) आय–कर से सम्बंधित मदें, जो आय एवं व्यय विवरण में पुनःवर्गीकृत की जाएंगी		-	-	-
XI.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX+X)		**2,406.77**	**0.87**	**2,407.63**
	(अवधि के लिए व्यापक लाभ एवं अन्य व्यापक आय)				
XII.	प्रति साम्य अंश अर्जन				
	(सतत् संचालन से)				
	(1) मूलभूत		25.06	(0.22)	24.84
	(2) तनुकृत		25.06	(0.22)	24.84
XIII.	प्रति साम्य अंश अर्जन				
	(सतत् संचालन से)				
	(1) मूलभूत		-	-	-
	(2) तनुकृत		-	-	-
XIV.	प्रति साम्य अंश अर्जन				
	(रूके एवं सतत् संचालन से)				
	(1) मूलभूत		25.06	(0.22)	24.84
	(2) तनुकृत		25.06	(0.22)	24.84

* इस टिप्पणी के प्रयोजन के लिए, पिछले जीएएपी आंकड़ों को भारतीय लेखाकरण मानक की आवश्यकता की पुष्टि के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया है।

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Foot Notes	Indian (GAAP)	Adjustments	Ind AS
XIV.	**Other Comprehensive Income**				
	A. (i) Items that will not be reclassified to Income & Expenditure statement	1	-	22.87	22.87
	(ii) Income Tax relating to Items that will not be reclassified to Income & Expenditure statement		-	-	-
	B. (i) Items that will be reclassified to Income & Expenditure statement		-	-	-
	(ii) Income Tax relating to Items that will be reclassified to Income & Expenditure statement		-	-	-
XI.	**Total Comprehensive Income for the period (IX +X) (Comprehensive profit and other comprehensive income for the period)**		**2,406.77**	**0.87**	**2,407.63**
XII.	Earnings Per Equity Share: (For Continuing Operation)				
	(1) Basic		25.06	(0.22)	24.84
	(2) Diluted		25.06	(0.22)	24.84
XIII.	Earnings Per Equity Share: (For discontinuing Operation)				
	(1) Basic		-	-	-
	(2) Diluted		-	-	-
XIV.	Earnings Per Equity Share: (For discontinued and continuing Operation)				
	(1) Basic		25.06	(0.22)	24.84
	(2) Diluted		25.06	(0.22)	24.84

* The previous GAAP figures have been reclassified to conform to Ind-AS presentation requirements for the purpose of this note.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

31 मार्च, 2016 एवं 01 अप्रैल, 2015 को कुल साम्य अंशों का मिलान

(लाख रु. में)

विवरण	पाद टिप्पणी	31 मार्च, 2016	01 अप्रैल, 2015
पूर्व जीएएपी के अनुसार कुल साम्य अंश (अंशधारकों की निधि)		142,834.55	129,228.57
समायोजन			
पूर्वावधि समायोजन	2		(0.53)
कर्मचारी लाभ व्यय में वृद्धि	3	(3.43)	
स्टॉफ ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज आय में वृद्धि	3	3.43	
ऋणों एवं अग्रिमों का प्रबंध (एलाउंस)	4	(9.15)	(10.55)
भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार कुल साम्य अंश (अंश धारकों की निधि)		**142,825.40**	**129,217.49**

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय का मिलान

(लाख रु. में)

विवरण	पाद टिप्पणी	31 मार्च, 2016
पूर्व जीएएपी के अनुसार कर के उपरान्त आय का व्यय से आधिक्य		**2,406.77**
कर्मचारी लाभ व्यय का पुनःमापन	1	22.87
पूर्वावधि समायोजन	2	(0.53)
कर्मचारी लाभ व्यय में वृद्धि	3	(3.43)
स्टॉफ ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज आय में वृद्धि	3	3.43
ऋणों एवं अग्रिमों का प्रबंध (एलाउंस)	4	1.40
भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार कर के उपरान्त आय		**2,430.51**
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	1	(22.87)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय		**2,407.64**

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह पर भारतीय लेखाकरण मानक का प्रभाव

(लाख रु. में)

विवरण	पाद टिप्पणी	भारतीय (जीएएपी)	समायोजन	भारतीय लेखाकरण मानक
संचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकद	-	(5,802.21)	996.16	(6,798.36)
निवेश कार्यकलापों से शुद्ध नकद	-	(999.87)	(996.00)	(3.87)
वित्त कार्यकलापों से शुद्ध नकद	-	11,200.00	-	11,200.00
नकद एवं नकद समकक्ष में शुद्ध कमी		**4,397.93**	**0.16**	**4,397.77**
01 अप्रैल, 2015 को नकद एवं नकदी समकक्ष		2,309.86	0.01	2,309.85
31 मार्च, 2016 को नकद एवं नकदी समकक्ष		**6,707.79**	**0.17**	**6,707.62**

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

RECONCILIATION OF TOTAL EQUITY AS AT 31ST MARCH 2016 AND 1ST APRIL 2015

(₹ in Lakhs)

Particulars	Foot Notes	31st March 2016	01st April 2015
Total Equity (shareholder's fund) as per previous GAAP		142,834.55	129,228.57
Adjustments			
Prior Period Adjustments	2		(0.53)
Increase in Employee Benefit Expenses	3	(3.43)	
Increase in Interest Income on staff loans & advances	3	3.43	
Allowance for Loans & advances	4	(9.15)	(10.55)
Total Equity (shareholder's fund) as per Ind-AS		**142,825.40**	**129,217.49**

RECONCILIATION OF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

(₹ in Lakhs)

Particulars	Foot Notes	31st March 2016
Excess of income over expenditure after tax as per previous GAAP		**2,406.77**
Remeasument of employee benefit exp	1	22.87
Prior Period adjustments	2	(0.53)
Increase in Employee Benefit Expenses	3	(3.43)
Increase in Interest Income on staff loans & advances	3	3.43
Allowance for Loans & advances	4	1.40
Profit after tax as per Ind-AS		**2,430.51**
Other comprehensive income for the period	1	(22.87)
Total Comprehensive Income for the period		**2,407.64**

IMPACT OF IND-AS ON THE CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

(₹ in Lakhs)

Particulars	Foot Notes	Indian (GAAP)	Adjustments	Ind As
Net Cash From Operating Activities	-	(5,802.21)	996.16	(6,798.36)
Net Cash From Investing Activities	-	(999.87)	(996.00)	(3.87)
Net Cash From Financing Activities	-	11,200.00	-	11,200.00
Net Decrease In Cash & Cash Equivalent		**4,397.93**	**0.16**	**4,397.77**
Cash & Cash Equivalent as at 1st April 2015		2,309.86	0.01	2,309.85
Cash & Cash Equivalent as at 31st March 2016		**6,707.79**	**0.17**	**6,707.62**

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

पुनर्मिलन के लिए नोटस :

टिप्पणी : 1 भारतीय लेखाकरण मानक–19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार, वास्तविक प्राप्ति एवं हानियां शुद्ध परिभाषित दायित्व/परिसंपत्ति के पुर्नमापन का भाग बनाती हैं जो अन्य समग्र आय में माने गए हैं। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में वास्तविक प्राप्तियां रू. 22.80 लाख है। यह परिवर्तन कुल साम्य अंश को प्रभावित नहीं करता है, किन्तु 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में व्यय पर आय का आधिक्य 22.87 लाख घटा है।

टिप्पणी : 2 भारतीय लेखाकरण मानक–8 के अनुसार, लेखाकरण नीतियों, लेखाकरण अनुमानों में परिवर्तन एवं त्रुटियां, पूर्व अवधि की त्रुटियों को भूतलक्षी रूप से संशोधित करना, और यदि पूर्व में दर्शाए गए पूर्व अवधि की त्रुटियां आई हैं, परिसंपत्तियों का प्रारंभिक शेष, उत्तरदायित्व एवं पूर्व अवधि के साम्य अंश पुनः निर्धारित किए जाएंगे। अतः पूर्व अवधि के व्यय रू. 0.53 लाख वित्तीय वर्ष 2015-16 में जी.ए.ए.पी. के अनुसार माने गए हैं, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार संशोधित किए गए हैं। अतः 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार वित्तीय दायित्व में वृद्धि एवं धारित आय में रू. 0.53 तक की कमी आई है।

टिप्पणी : 3 भारतीय लेखाकरण मानक 109 ''वित्तीय साधन'', दिनांक 31.03.2017 को स्टॉफ ऋण एवं अग्रिम रू. 145.97 लाख (01 अप्रैल, 2015 को रू. 155.63 लाख) को वित्तीय परिसंपत्तियों की परिभाषा के तहत कवर किया गया है जिसे 31 मार्च, 2016 को मूल्य रू. 97.69 लाख (01 अप्रैल, 2015 को रू. 104.02 लाख) का उचित मूल्य अपेक्षित है एवं पूर्व जी.ए.ए.पी. के अनुसार धारित मूल्य में अंतर एवं 31 मार्च, 2016 को उचित मूल्य 48.28 लाख (01 अप्रैल, 2015 को रू. 51.61 लाख) को आस्थगित किया गया है एवं इन ऋणों एवं अग्रिमों की अवधि में आय व व्यय विवरणी में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप प्रदर्शित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान रू. 4.43 लाख को ब्याज आय के रूप में डाला गया है एवं रू. 3.43 लाख को आस्थगित भाग के परिशोधन के रूप में कर्मचारी लाभ व्यय कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम के रूप में डाला गया है।

टिप्पणी : 4 ऋण और अग्रिमों के लिए अनुमोदन को प्रत्याशित क्रेडिट हानि पद्धति के अनुसार 31.03.2015 को रु. 770.84 लाख और 31.03.2016 रु. 1201.23 लाख माना गया है, इसलिए ऋण और अग्रिमों में इसी कमी के साथ धारित आय में 01.04.2015 को रु. 10.55 लाख तक एवं 31.03.2016 को रू. 9.15 लाख तक की कमी आई है एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 की अवधि में रू. 1.40 लाख तक लाभ में वृद्धि हुई है।

टिप्पणी : 5 रू. 6.80 लाख की छूट को अन्य व्यय माना गया है, अतः परिचालन से राजस्व में आय एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अन्य व्यय बढ़े हैं। कुल मिलाकर वित्तीय वर्ष 2015-16 के वित्तीय वर्ष में लाभ पर प्रभाव नहीं पड़ा है एवं आय बनी हुई है।

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन. के. एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स	**अनुपमा सूद**	**अजित कुमार सामल**	**टी.सी.ए. कल्याणी**	**के. नारायन**
एफआरएन 013940N	सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)	कम्पनी सचिव	निदेशक	प्रबंध निदेशक
			(डिन सं. 02406559)	(डिन सं. 03561648)

भागीदारः एन.के.एस.चौहान
सदस्य स. 088165

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.08.2017

NOTES TO THE RECONCILIATION:

Note 1: As per Ind AS-19-"Employee Benefits" the actuarial gains and losses form part of Remeasurement of the net defined liability/asset which is recognised in other comprehensive income. The actuarial gains for the year ended 31st March 2016 is ` 22.87 lakhs. This change does not affect total equity, but there is a decrease in excess of income over expenditure of ` 22.87 Lakhs for the year ended 31st March 2016.

Note 2: As per Ind AS 8- Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors , prior period errors need to be corrected retrospectively and if error occurred before the earliest period presented ,the opening balances of assets, liabilities and equity of earliest period presented shall be restated. Therefore prior period expenses of ` 0.53 lakhs recognised during F.Y. 2015-16 as per previous GAAP is corrected as on 01 April 2015. Therefore, there is increase in financial liability and decrease in retained earnings by ` 0.53 Lakhs as on 01 April 2015.

Note 3: As per Ind AS 109 "Financial Instrument", staff loans & advances of 145.97 lakhs as at 31.03.2016 (Rs 155.63 Lakhs as at 1 April 2015) is covered under the definition of financial asset for which are required to be valued at fair value of 97.69 lakhs as at 31 March 2016(Rs 104.02 Lakhs as at 1st April 2015) and the differences in carrying value as per previous GAAP and fair value of 48.28 lakhs as at 31 March 2016 (Rs 51.61 lakhs as at 1st April 2015) has been deferred and will be allocated to statement of income & expenditure as employee benefit expense over the period of these loans & advances.

During F.Y. 2015-16 3.43 Lakhs has been booked as interest income and 3.43 Lakhs is booked as employee benefits expense as amortisation of deferred portion of staff loans & advances.

Note 4: Allowance for Loans & advances has been recognised as per Expected Credit loss method as at 01.04.2015 of Rs 770.84 lacs and as at 31.03.2016 of Rs 1,201.23 lacs, therefore there is decrease in retained earning by Rs. 10.55 lacs as at 01.04.2015 and by Rs 9.15 lacs as at 31.3.2016 with corresponding decrease in Loans & advances and increase in profit during the FY 2015-16 by Rs 1.40 lacs

Note 5: Rebate of Rs 6.80 lacs has been recognised in other expenses, therefore there is increase in revenue form operation and other expenses during FY 2015-16. In totality there is no impact on profit during the FY 2015-16 and retained earning.

As per our Report of even date attached
For N K S Chauhan & Associats

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Chartered Accountants	**ANUPAMA SOOD**	**AJIT KUMAR SAMAL**	**T.C.A KALYANI**	**K. NARAYAN**
FRN 013940N	Assistant General Manager (Finance)	Company Secretary	Director	Managing Director
			(DIN No. 02406559)	(DIN No. 03561648)

Partner: N.K.S. Chauhan
M. No. 088165

Place: New Delhi
Date: 04/08/2017

एन बी सी एफ़ डी सी
NBCFDC

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

5वीं मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016
वेबसाइट: www.nbcfdc.gov.in ई–मेल: nbcfdc@del3.vsnl.net.in

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016
website: www.nbcfdc.gov.in E-mail: nbcfdc@del3.vsnl.net.in

Designed & Printed by Siddhartha Advertising